वार्षिक रिपोर्ट

2015-2016

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2015-2016

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	मुख्य उपलब्धियां	2
2	इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप	8
3	भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं संभावनाएं	11
4	सार्वजनिक क्षेत्र	18
5	निजी क्षेत्र	29
6	अनुसंधान और विकास	34
7	ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन	44
8	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	59
9	सुरक्षा	65
10	समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	71
11	सतर्कता	74
12	शिकायत निवारण तंत्र	81
13	निःशक्तजन व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन	85
14	हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	87
15	महिला सशक्तिकरण	92
16	इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन	97
17	निगमित सामाजिक दायित्व	99
18	इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान	108
19	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	111
20	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	114
21	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	116
	अनुलग्नक	**117–136**

वर्ष 2015–16 के उत्पादन, वित्तीय और अन्य संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

अध्याय–I

मुख्य उपलब्धियां

1.1 इस्पात क्षेत्र में प्रवृत्तियां एवं विकास

- वर्ष 2015 में भारत विश्वभर में कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे अधिक उत्पादक देश बन गया है जबकि वर्ष 2003 में वह 8वें स्थान पर था।
- भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन (डी आर आई) या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्वभर में तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
- इस्पात क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है और 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- अप्रैल–दिसंबर, 2015–16 (अनन्तिम; स्रोतः जेपीसी) के दौरान, उद्योग का परिदृष्य पिछले साल की समान अवधि की तुलना में निम्नलिखित रहा :

  i) कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 0.9 प्रतिशत बढ़कर 67.077 लाख टन रहा। एकीकृत इस्पात उत्पादकों (आईएसपी) ने इस दौरान 35.077 लाख टन उत्पादन किया जो पिछले साल के मुकाबले 2.1 प्रतिशत अधिक है। लघु एवं अन्य उत्पादकों ने इस अवधि के दौरान 32 लाख टन उत्पादन किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 0.4 प्रतिशत कम रहा।

  ii) स्वयं उपभोग/इंटर प्लांट ट्रांसफर्स (आईपीटी) की गणना के उपरांत, बिक्री के लिए पिग आयरन का उत्पादन 7.202 लाख टन (पिछले साल की तुलना में 0.1 फीसदी की गिरावट) रहा। एकीकृत इस्पात संयंत्रों का इसमें 12 फीसदी योगदान रहा जबकि शेष (88 प्रतिशत) योगदान लघु एवं अन्य उत्पादकों का रहा।

  iii) कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) के मामले में:

  - ❖ बिक्री के लिए उत्पादन 67.711 लाख टन था, इसमें पिछले साल की तुलना में 1.8 फीसदी की गिरावट रही।
  - ❖ निर्यात 2.911 लाख टन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 29.7 प्रतिशत कम है।
  - ❖ आयात 8.39 लाख टन रहा, इसमें पिछले साल के मुकाबले 29.2 प्रतिशत की बढ़त रही।
  - ❖ भारत कुल तैयार इस्पात का एक निवल आयातक था।
  - ❖ वास्तविक खपत 58.937 लाख टन रही, जो पिछले साल की तुलना में 4.4 फीसदी अधिक है।

  पिछले पांच वर्षों और अप्रैल–दिसंबर 2015–16 (अनन्तिम) के लिए कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर–मिश्र) के बिक्री के लिए उत्पादन, वास्तविक खपत, निर्यात व आयात और कच्चे इस्पात के उत्पादन संबंधी आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(लाख टन में)

मद	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रैल–दिसंबर 2015–16*
कुल तैयार इस्पात^						
बिक्री हेतु उत्पादन	68.62	75.70	81.68	87.67	92.16	67.711 (–1.8)
वास्तविक खपत	66.42	71.02	73.48	74.09	76.99	58.937 (4.4)
आयात	6.66	6.86	7.93	5.45	9.32	8.39 (29.2)
निर्यात	3.64	4.59	5.37	5.98	5.59	2.911 (–29.7)
कच्चे इस्पात का उत्पादन	70.67	74.29	78.42	81.69	88.98	67.077 (0.9)

स्रोतः जेपीसी; *अनन्तिम; नोटः ब्रैकेट ( ) में दिए गए आंकड़े पिछले साल की समान अवधि में हुए % परिवर्तन का संकेत हैं; ^(मिश्र+गैर–मिश्र)

माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी आधुनिक एवं विस्तारित सेल के राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) को राष्ट्र को समर्पित करते हुए

1.2 इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहल

- इस्पात मंत्रालय बीआईएस इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) की अनिवार्य प्रमाणीकरण चिह्न योजना आदेश, 12.03.2012 के तहत ऐसे 15 इस्पात उत्पादों को अधिसूचित कर चुका है, जो देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद, 18.12.2015 को 15 और उत्पादों को अधिसूचित कर दिया गया है और इससे अनिवार्य गुणवत्ता मानकों के तहत कुल 30 उत्पाद हो चुके हैं।
- देश के इस्पात क्षेत्र की जरूरतों व आकांक्षाओं को समझने के लिए इंडियन स्टील एसोसिएशन (आईएसए) के गठन को सुगम बनाया गया।
- सूचना उपलब्ध करने एवं निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय में निवेश सुगमता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसका ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
- राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की अगुवाई के लिए इस्पात उद्योग के सहयोग से 200 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) स्थापित किया गया। सहमति पत्र 6 अप्रैल, 2015 को हस्ताक्षरित हो चुके हैं। एसआरटीएमआई को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अक्टूबर 2015 में पंजीकृत किया जा चुका है।
- वर्ष 2025 तक इस्पात का 300 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक की राज्य सरकारों के साथ स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) स्थापित करने पर काम किया जा रहा है।
- माननीय प्रधानमंत्री, माननीय इस्पात एवं खान मंत्री और मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ की उपस्थिति में 9 मई, 2015 को निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थेः
  - ❖ रावघाट और जगदलपुर के बीच 140 किमी. लंबी रेल लाइन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार, एनएमडीसी, इरकॉन और सेल के बीच एमओयू। अनुमानित परियोजना लागतः 2000 करोड़ रुपये।
  - ❖ लगभग 18,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 3 मिलियन टन इस्पात संयंत्र के लिए इस्पात मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार, सेल और एनएमडीसी के बीच एमओयू।
  - ❖ बस्तर जिले के नगरनार में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्लरी पाइपलाइन और 2एमटीपीए पैलेट प्लांट के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और एनएमडीसी के बीच एमओयू।
  - ❖ दल्ली–राजहरा, बालोद जिले में 826 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1एमटीपीए पैलेट प्लांट की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और सेल के बीच एमओयू।

सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट, सेल में ब्लूम–सह–राउंड कास्टर का एक दृश्य

- इस्पात मंत्रालय और यूएनडीपी संयुक्त रूप से सहायक इस्पात क्षेत्र में 300 यूनिट्स के लिए ऊर्जा कुशल कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं (मंत्रालय और यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित)।
- इस्पात मंत्रालय ने अपने सीपीएसई के माध्यम से कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एमओयू के जरिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ रणनीतिक भागीदारी की है। सेल, आरआईएनएल, मॉयल, केआईओसीएल और एनएमडीसी प्रत्येक ने कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- नागरिकों/ग्राहकों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा 'सेवोत्तम कंप्लेंट सिटीज़न्स चार्टर' अपडेट किया गया है।
- इस्पात मंत्रालय ने भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2015 में इस्पात उद्योग के साथ मिलकर 'मेक इन इंडिया' विषय आधारित स्टील पैवेलियन लगाया। इसमें इस्पात एवं खनन क्षेत्र की कई वस्तुएं प्रदर्शित की गईं।

1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रमुख विस्तार/अधिग्रहण/संयुक्त उद्यम

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम में विशेष इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण प्रारंभ किया है। वर्तमान चरण में कच्चे इस्पात की क्षमता 12.8 लाख टन से बढ़ाकर 21.4 लाख टन प्रति वर्ष की जा रही है। वर्तमान चरण में लगभग 61,870 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सेल की खानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए (अनुमानित) रखे गए हैं।
- दिसंबर 2015 तक आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के विभिन्न पैकेजों का संचयी व्यय 61,245 करोड़ रुपये हो चुका है। इसमें दिसंबर 2015 तक वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 4482.83 करोड़ रुपये का व्यय भी शामिल है।
- सेलम इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र का विस्तार पूरा किया जा चुका है। इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर पर भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस (4160 m3) चालू हो चुकी है।

- भिलाई स्टील प्लांट में अयस्क हैंडलिंग प्लांट भाग–ए, सिंटर प्लांट–3 में दूसरी सिंटर मशीन एवं कोक ओवन बैटरी–11 चल रही है और अन्य सुविधाएं निष्पादन के अन्तिम चरणों पर हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड

- एनएमडीसी लिमिटेड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नगरनार में एक 3 एमटीपीए ग्रीनफील्ड के एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना कर रहा है। सभी बड़े तकनीकी पैकेज और सहायक पैकेज दे दिये गये हैं और निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- एनएमडीसी, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों प्रोजेक्ट्स में (अ) कर्नाटक के दोणीमाले में 1.2 एमटीपीए पैलेट प्लांट (ब) नगरनार में 2 एमटीपीए पैलेट प्लांट के साथ छत्तीसगढ़ में बछेली और नगरनार के बीच स्लरी पाइपलाइन द्वारा अंतः संबद्धित बछेली में 2 एमटीपीए बेनिफिसिएशन प्लांट स्थापित करके आगे एकीकरण के जरिए अपना करोबार विस्तारित करने की प्रक्रिया में है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- आरआईएनएल की 3.0 एमटीपीए से 6.3 एमटीपीए तरल इस्पात क्षमता का विस्तार पूर्ण हो चुका है।
- लौह अयस्क भंडारण विस्तार– रिक्लेमिंग स्ट्रीम्स की जुलाई 2015 में कमीशनिंग हो चुकी है।
- 120 मेगावॉट पावर प्लांट–2 की कमीशनिंग हो चुकी है।
- आरआईएनएल ने विशाखापट्टनम में ट्रांसमिशन लाइन टावर के पार्ट्स 1.2 लाख टन प्रति वर्ष निर्माण के लिए पावरग्रिड (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) के साथ साझेदारी में एक संयुक्त उपक्रम कंपनी 'आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड' की स्थापना की है।
- आरआईनएल ने जेवी मार्ग के जरिए पश्चिम गोदावरी जिले के कुकुनुर क्षेत्र में 2,800 हेक्टेयर जमीन में फैले लौह अयस्क खनन के भंडारों के अंवेषण और विकास के लिए एपीएमडीसी के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया है।

1.4 वर्ष 2015–16 (अप्रैल–दिसंबर 2015) के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धियां

1.4.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- कंपनी का कुल मूल्य 31.12.2015 को 40601 करोड़ रुपये था।
- सेल ने वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान शेयरधारकों को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 2.50 प्रतिशत की दर से 103.25 करोड़ रुपये के कुल लाभांश का भुगतान किया।
- वित्त वर्ष 2015–16 के प्रथम नौ माह के दौरान बिक्री टर्नओवर 30725 करोड़ रुपये रहा, जो कि इसके पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.6 फीसदी कम है।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 672 शौचालयों का निर्माण किया गया।

1.4.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- कंपनी का कुल मूल्य 31.12.2015 को 10404 करोड़ रुपये था।
- बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 21 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- 8636 करोड़ रुपये का बिक्री टर्नओवर प्राप्त किया।
- इस दौरान 935 करोड़ रुपये की निर्यात बिक्री हासिल की, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 28 फीसदी अधिक है।
- श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यालय (आईएमओ) ने कामकाज शुरू कर दिया है।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 86 शौचालयों का निर्माण पूरा किया।

1.4.3 एन एम डी सी लिमिटेड

- वर्ष 2015–16 (दिसंबर 2015 तक) के दौरान एनएमडीसी की घरेलू बाजार में बिक्री 19.95 मिलियन टन रही थी।
- वर्ष 2015–16 (दिसंबर 2015 तक) के दौरान एनएमडीसी की निर्यात बिक्री 118.22 करोड़ रुपये मूल्य की 0.38 लाख टन रही।
- वर्ष के दौरान (दिसंबर 2015 तक) कुल बिक्री 20.33 मिलियन टन रही।
- कंपनी का लौह अयस्क उत्पादन 2015–16 के दौरान (दिसंबर, 2015 तक) 19.79 लाख टन रहा।
- एनएमडीसी ने वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसंबर, 2015 तक) 3825 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ कमाया।
- लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए एमओयू की रेटिंग में एनएमडीसी के कार्य प्रदर्शन को 'बहुत अच्छा' की श्रेणी में रखा गया था।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 2089 शौचालयों को निर्माण कराया गया।

1.4.4 मॉयल लिमिटेड

- मॉयल लिमिटेड ने 2015–16 के दौरान (दिसंबर, 2015 तक) 7.45 लाख टन (अनन्तिम) मैगनीज अयस्क का उत्पादन किया।
- वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसंबर, 2015 तक) कंपनी की कुल आय 619.30 करोड़ रुपये (अनन्तिम) रही।
- वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसंबर, 2015 तक) कंपनी का कर पूर्व लाभ 225.24 करोड़ रुपये (अनन्तिम) रहा।
- मॉयल ने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 142.80 करोड़ रुपये का लाभांश भुगतान किया।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 99 शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया।

1.4.5 एमएसटीसी लिमिटेड

- एमएसटीसी ने पिछले कुछ सालों में वॉल्यूम और सर्विस इनकम दोनों रूपों में ई–कॉमर्स बिजनस में तेजी से प्रगति की है। एमएसटीसी का ई–कॉमर्स बिजनस तेजी से बढ़ते हुए वर्ष 2010–11 में 8168 करोड़ रुपये से 31 मार्च 2015 तक 23034 करोड़ रुपये पहुंच गया। बिजनस वॉल्यम में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 31 दिसंबर 2015 तक 36 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- एमएसटीसी ने पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सफलतापूर्वक 29 कोयला खनन ब्लॉक्स की नीलामी की और 41 का क्रमशः इस्पात, सीमेंट व पावर सेक्टर और राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं को आवंटन किया।
- खान मंत्रालय ने एमएसटीसी को गैर–कोयला खनन ब्लॉक्स के लिए ई–निलामी सेवा प्रदाता के तौर पर नियुक्त किया है।
- गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश की सरकारों ने एमएसटीसी के साथ संबंधित राज्यों में खनिज ब्लॉक्स की ई–निलामी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए एमएसटीसी को पूर्णता ई–कॉमर्स सेवा का कार्य सौंपा है। सरकार के आदेश के तहत एमएसटीसी राज्य के सभी विभागों को ई–कॉमर्स सेवा प्रदान करेगी।
- एमएसटीसी ने एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई–ऐश की देश में पहली बार हुई ई–निलामी आयोजित की।
- विद्युत मंत्रालय ने एमएसटीसी को कम उपयोग हो रहे और फंसे हुए गैस आधारित बिजली संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए 3500 करोड़ रुपये की पावर सिस्टम विकास निधि का उपयोग करते हुए ई–रिवर्स निलामी करने का कार्य दिया। ई–रिवर्स निलामी का पहला भाग पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और 900 करोड़ रुपये की सब्सिडी नीलाम की जा चुकी है। 30 सितंबर 2015 तक 2712.48 करोड़ रुपये की वितरीत होने वाली गैस सब्सिडी नीलाम हो चुकी है।
- स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 50 शौचालयों का निर्माण कराया गया।

1.4.6 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- वर्ष 2015–16 के लिए दिसंबर, 2015 तक एमओयू में तय किए गए कुल टर्नओवर के लक्ष्य के मुकाबले 918.88 करोड़ रुपये (74.97 फीसदी) की उपलब्धि हुई।
- वर्ष 2015–16 के दौरान दिसंबर, 2015 तक ऑर्डर बुकिंग लक्ष्य के मुकाबले 1654.46 करोड़ रुपये (124.39 प्रतिशत) प्राप्त हुए। वित्त वर्ष 2014–15 के मुकाबले 5.06 प्रतिशत सुधार हुआ।
- वर्ष 2015–16 में दिसंबर, 2015 तक परिचालन लाभ 70.39 करोड़ रुपये (गैर–अंकेक्षित) दर्ज किया गया।
- वर्ष 2015–16 के दौरान दिसंबर, 2015 तक गैर–अंकेक्षित शुद्ध घाटा (–) 12.53 करोड़ रुपये दर्ज हुआ।

1.4.7 मेकॉन लिमिटेड

- अंकेक्षित खातों के अनुसार 31.03.2015 तक मेकॉन का शुद्ध मूल्य 410.23 करोड़ रुपये है। यह 31.03.2004 को कंपनी के (–) 257.91 करोड़ रुपये के ऋणात्मक शुद्ध मूल्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- वित्त वर्ष 2014–15 के लिए मेकॉन ने सरकार को अधिमानी शेयर पूंजी पर 1.06 करोड़ रुपये और इक्विटी शेयर पूंजी पर 8.03 करोड़ रुपये का लाभांश भुगतान किया।
- मेकॉन में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 53 शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा किया।

अध्याय–II

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप

2.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्री के अधीन है। यह मंत्रालय लौह एवं इस्पात उद्योग की योजना और विकास, लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो–अलॉय, स्पंज आयरन आदि आवश्यक सामग्री के विकास एवं योजनाओं तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को आवंटित विषयों का ब्यौरा अनुलग्नक–I में देखा जा सकता है। प्रभारी मंत्री की सूची एवं उप–सचिव स्तर से नीचे के अधिकारियों की सूची संलग्नक–II में दी गई है।

2.1.1 इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- लौह, इस्पात एवं लौह–मिश्र धातु के उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण से संबंधित नीतियों का निर्धारण करना।
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों, री–रोलिंग उद्योग एवं लौह–मिश्र धातु का विकास।
- सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खदानों एवं अन्य अयस्क खदानों जैसे मैगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन एवं लौह तथा इस्पात उद्योग में प्रयोग होने वाले अन्य खनिजों (खदान पट्टे या इससे जुड़े अन्य मामलों को छोड़कर) का विकास।
- देश में इस्पात के सभी उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं को परस्पर बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- इस्पात उद्योग के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और संबंधित सुविधाओं की पहचान।
- आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उनकी सहायक कंपनियों एवं इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल) नामक एक विशेष उद्देश्य वाहन (संयुक्त उद्यम कंपनी) के कार्य–निष्पादन की देखरेख करना।

2.1.2 जिम्मेदारियों का आबंटन

इस्पात मंत्रालय में 31.12.2015 को सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, चार संयुक्त सचिव, छह निदेशक, दो उप सचिव, एक संयुक्त निदेशक (रा.भा.) और अन्य सहायक अधिकारी और कर्मचारी हैं। मंत्रालय के पास एक आर्थिक सलाहकार एवं एक मुख्य लेखा नियंत्रक भी है। उप औद्योगिक सलाहकार के अधीन एक तकनीकी विंग अनुसंधान और विकास योजना जैसे तकनीकी प्रकृति के कुछ सचिवालय स्तर के कार्य करने के अलावा तकनीकी मामलों से संबंधित सलाह देता है।

2.2 मंत्रालय के प्रमुख प्रभाग/अनुभाग

सेल, एमएफएच, परियोजनाएं एवं अंतरराष्ट्रीय निगम, इस्पात विकास (संस्थान), तकनीकी प्रभाग, एनएमडीसी, कच्चा माल, व्यापार एवं कराधान, औद्योगिक विकास, मेकॉन, आरआईएनएल, बर्ड ग्रुप, बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां, केआईओसीएल, मॉयल, बजट एवं वित्त, आर्थिक प्रभाग।

2.3 इस्पात मंत्रालय से संबंधित अन्य संगठन

2.3.1 संयुक्त संयत्र समिति (जेपीसी)

आईएसओ 9001: 2008 से मान्यता प्राप्त, संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) देश में एकमात्र ऐसी संस्था है, जिसे इस्पात मंत्रालय/भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में आंकड़े एकत्र करने का अधिकार दिया है।

जेपीसी का मुख्यालय कोलकाता में है। इसके नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं एवं आंकड़े एकत्रित करने हेतु एक विस्तार कार्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। जेपीसी की अध्यक्षता इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव करते हैं तथा इसमें सेल, आरआईएनएल, टाटा स्टील और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि सदस्य के तौर रहते हैं।

जेपीसी के चार क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता स्थित मुख्यालय के अभिन्न सहयोग से इस प्रकार प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं:

- उत्पादकों से उत्पादन, भंडार और कच्चे माल संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- सीमा शुल्क गृहों से आयात और निर्यात संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- घरेलू बाजार में कीमतों सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह।

- उद्योग के साथ नियमित फॉलोअप/निगरानी और अन्य संपर्क संबंधी गतिविधियां।
- रुग्ण इस्पात उत्पादक यूनिटों का दौरा कर मौके पर आंकड़े एकत्रित करना।
- खंड आधारित सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर पर सूचना एकत्र करने में सक्रिय भूमिका।
- इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकों और भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में इस्पात पवेलियन सहित संगोष्ठी/प्रदर्शनियों को संगठनात्मक सहयोग।

2.3.2 आर्थिक अनुसंधान इकाई

नई दिल्ली स्थित जेपीसी की एक शाखा, आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू), विभिन्न नीतिगत मसलों पर इस्पात मंत्रालय में सेवा प्रदान करती है। ईआरयू प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ट्रॉफी और इस्पात मंत्री ट्रॉफी के लिए न्यायाधीशों के पैनल के सचिवालय के तौर पर भी कार्य करती है। ईआरयू इस्पात निर्यातकों के फोरम का भी सचिवालय है, जो उद्योग एवं विभिन्न सरकारी निकायों का एक संघ है, जिसे देश में इस्पात के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किया गया है। ईआरयू देश के भीतर एवं बाहर स्थित दोनों उद्योग एवं वित्तीय संस्थानों के साथ नियमित संपर्क में रहता है। ईआरयू इस्पात मार्केट की मासिक रिपोर्ट तथा उद्योग की वित्तीय स्थिति की त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करता है।

2.4 इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	मुख्यालय	सहायक कंपनियां
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 565, सेलम–636005 (तमिलनाडु)
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापत्तनम–530031, (आंध्र प्रदेश)	ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी एजी 104, सौरव अबासन द्वितीय तल, सैक्टर 2, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700091
3	एन एम डी सी लिमिटेड	खनिज भवन, 10–3–311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद –500028, (आंध्र प्रदेश)	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कारपारेशन लिमिटेड, 143–ए, गाधी नगर, जम्मू –180004 (जम्मू एवं कश्मीर)
4	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1–ए, काटोल रोड, नागपुर–440013, (महाराष्ट्र)	
5	एम एस टी सी लिमिटेड	225–सी, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता–700020 (पश्चिम बंगाल)	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एफ एस एन एल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई –490001 (छत्तीसगढ़)
6	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	5/1, कमीसेरिएट रोड, (हेस्टिंग्स), कोलकाता–700022, (पश्चिम बंगाल)	
7	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, रांची – 834002 (झारखंड)	
8	के आई ओ सी एल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरामंगला, बेंगलुरू – 560034 (कर्नाटक)	

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट
2 मार्च, 2016 के अनुसार

संकेतक

एएस एंड एफए – अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
जेएस – संयुक्त सचिव
ईए – आर्थिक सलाहकार
सीसीए – मुख्य लेखा नियंत्रक
डीआईआर – निदेशक
डीएस – उप सचिव
जेडी (ओएल) – संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
यूएस – अवर सचिव
डीआईई – उप औद्योगिक सलाहकार

अध्याय–III

भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं संभावनाएं

3.1 प्रस्तावना

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय देश में केवल तीन इस्पात संयंत्र – टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड और कुछ विद्युत आर्क भट्टी आधारित संयंत्र भी थे। वर्ष 1947 तक देश में भले ही इस्पात उद्योग का आकार छोटा रहा हो, लेकिन उसका योगदान महत्वपूर्ण था। उस समय इस्पात उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 10 लाख टन थी और यह पूरी तरह निजी क्षेत्र में था। आजादी के समय 10 लाख टन क्षमता के उद्योग से बढ़कर अब भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लौह एवं इस्पात उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब दो प्रतिशत का योगदान है। देश के इस्पात उद्योग ने वैश्विक मानकों के अनुरूप विभिन्न प्रकार का परिष्कृत इस्पात निर्मित करने की क्षमता विकसित की है। यह अब घरेलू उपयोगकर्ता उद्योगों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। साथ ही वैश्विक स्तर पर उच्च मूल्य सवंर्धित इस्पात उत्पाद वर्गों में प्रतिस्पर्धा भी करता है। इस दौरान उद्योग ने कारोबार में चक्रिय उतार–चढ़ावों से उबरने के लिए पर्याप्त परिपक्वता और स्थायित्व प्राप्त कर लिया है।

वर्ष 1991–92 तक भारतीय इस्पात उद्योग कड़े सरकारी नियमों के अधीन था। निम्नलिखित नीतियां लागू की गई थीं:

- क्षमता नियंत्रण के उपाय : क्षमता की लाइसेंसिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए आरक्षण।
- दोहरी कीमत निर्धारण प्रणाली : निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बड़े और एकीकृत उत्पादकों के लिए कीमत और वितरण नियंत्रण व्यवस्था काम कर रही थी जबकि शेष उद्योग मुक्त व्यापार व्यवस्था के तहत संचालित था।
- मात्रात्मक प्रतिबंध और उच्च शुल्क अवरोध।
- संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए रेलवे मालभाड़ा समकरण नीति।
- प्रौद्योगिकी, पूंजीगत सामान सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और वित्तीय संग्रहण व निर्यात पर पाबंदी।

3.1.1 वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में लाई गई नयी आर्थिक नीति ने देश के इस्पात उद्योग पर निम्न प्रकार से प्रभाव डाला:

- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से बड़े पैमाने की क्षमताओं को हटा दिया गया। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंसिंग

फरवरी 4, 1962: श्री लाल बहादुर शास्त्री भिलाई इस्पात संयंत्र में इस्पात उत्पादन प्रक्रिया देखते हुए

की आवश्यकता को भी हटाकर स्थानीय प्रतिबंधों का विषय बना दिया गया। संपूर्ण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका हो गई।

- कीमत निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण की व्यवस्था भंग कर दी गई।
- लौह एवं इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश की उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया। इसके तहत 100 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को स्वतः मंजूरी प्रदान की गई।
- एक समान मालभाड़ा योजना को चरणों में समाप्त किया गया।
- इस्पात में विदेशी व्यापार को मुक्त कर दिया गया।

3.1.2 तत्पश्चात् इस प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए गए। आर्थिक सुधारों ने इस्पात विनिर्माताओं के लिए विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी दरों पर आवश्यक कच्चा माल आदि खरीदने के कई रास्ते खोल दिए और साथ ही उन्हें अपने उत्पादों के लिए नए बाजार भी उपलब्ध कराए। उद्योग को विश्व में इस्पात उत्पादन के लिए परिचालन और तकनीक की जानकारी भी मिलने लगी। इससे उद्योग में वैश्विक बाजारों की प्रतिस्पर्द्धा के दबाव के साथ उत्पादकता और कार्यक्षमता के स्तर में बढ़ोतरी हुई, जिसने उद्योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। दूसरी ओर इस्पात उपभोक्ताओं को घरेलू और विदेश आपूर्तिकर्ताओं दोनों से विभिन्न उत्पादों में आपूर्ति के विस्तार से लाभ हुआ था। इन आर्थिक सुधारों के कारण देश की इस्पात निर्माण क्षमता में तेजी से विकास हुआ। निजी क्षेत्र में एस्सार स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीज एवं प्लांट्स, जिंदल ग्रुप आदि द्वारा बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। टाटा स्टील ने भी अपनी क्षमता में वृद्धि की।

3.1.3 वर्ष 1996–97 के बाद घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में लगातार गिरावट आने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग की गति सभी निष्पादन संकेतकों के आधार पर धीमी हुई। इनमें क्षमता वृद्धि, उत्पादन, खपत, निर्यात और लाभ के संकेतक शामिल हैं। विदेशी कारोबार में भारतीय इस्पात पर डंपिंग रोधी/संरक्षण शुल्क लगाया जाता था क्योंकि अधिकतर विकसित देशों ने गैर–शुल्क अवरोध लगा रखे थे। एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण आर्थिक क्षति हुई तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने व नए इस्पात उत्पादक देशों (पूर्व सोवियत संघ की इस्पात आधिक्य अर्थव्यवस्था) से अतिरिक्त आपूर्तियों द्वारा सृजित भरमार का प्रभाव ऐसे कारक थे, जिन्होंने विकास के स्तरों को कम किया। हालांकि, वर्ष 2002 के बाद वैश्विक उद्योग जगत संकट से उबरा, जिसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान था। चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि और तेजी से विस्तृत होते आधारभूत संरचना क्षेत्र में इस्पात की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई। ठीक इसी समय अन्य प्रमुख बाजारों में भी सुधार हुआ। वहां न केवल उत्पादन में इजाफा हुआ बल्कि कीमतों में भी सुधार हुआ, मुनाफा दोबारा शुरू हुआ और नए बाजारों का भी आगमन हुआ तथा व्यापार संबंधी अवरोध हटाए गए। अंततः दुनिया भर में इस्पात की मांग में वृद्धि हुई। भारतीय बाजारों के लिए भी परिस्थितियां इससे अलग नहीं थीं और अब यहां भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर जोर देकर, घरेलू प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपाय अपनाकर, अन्य बाजार विकास परियोजनाएं शुरू कर, आयात प्रतिस्थापन के उपाय कर, निर्यात प्रोत्साहन एवं कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वैश्विक बाजारों में संभावनाएं तलाश कर भारतीय इस्पात उद्योग परिपक्वता का एक स्तर हासिल कर चुका है।

3.1.4 उद्योग की तीव्र विकास दर और बाजार के रुझानों को देखते हुए कुछ दिशानिर्देशों तथा ढांचे की आवश्यकता थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य देश के इस्पात उद्योग को विकास व प्रगति का रास्ता दिखाना था। एक आत्मनिर्भर व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात क्षेत्र के लिए एक मूल प्रारूप के तौर पर राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) की घोषणा नवम्बर, 2005 में की गई। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 का दीर्घकालिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक व किफायती इस्पात उद्योग विकसित हो, जो इस्पात संबंधी विविध जरूरतों को पूरा कर सके। यह नीति उत्पादन व उत्पादकता के मामले में विश्वस्तरीय मानकों को हासिल करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 के तहत प्रक्रियागत और नीतिगत अवरोधों को भी दूर करने का प्रयास किया गया, जिनके कारण उत्पादन के लिए कच्चे माल में कमी, शोध एवं विकास संबंधी निवेश में इजाफा न होने, सड़क, रेल और बंदरगाह संबंधी बुनियादी विकास न होने की समस्याएं सामने आ रही थीं। इस नीति का जोर न केवल घरेलू क्षेत्र पर ध्यान देना था, बल्कि इस्पात उद्योग की वृद्धि दर को घरेलू खपत की वृद्धि दर से आगे ले जाने पर था, जिससे निर्यात के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। नीति को बदलते समय के अनुरूप बनाने की जरूरत है और एक नई राष्ट्रीय इस्पात नीति का निर्माण किया जा रहा है।

3.2 इस्पात का उत्पादन, खपत और विकास

3.2.1 विगत पाँच वर्षों के लिए और अप्रैल–दिसंबर, 2015–16 के दौरान देश में कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र) की बिक्री, आयात, निर्यात और वास्तविक खपत के लिए उत्पादन के रूझान को दर्शाती एक तालिका नीचे दी गई है:

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र) (10 लाख टन अथवा एमटी में)			
	बिक्री हेतु उत्पादन	आयात	निर्यात	वास्तविक खपत
2010–11	68.62	6.66	3.64	66.42
2011–12	75.70	6.86	4.59	71.02
2012–13	81.68	7.93	5.37	73.48
2013–14	87.67	5.45	5.98	74.09
2014–15	92.16	9.32	5.59	76.99
अप्रै.–दिस. 2015–16*	67.71	8.39	2.91	58.94

स्रोतः जेपीसी; * अनंतिम

3.2.2 कच्चे इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2010–11 के बाद से क्षमता के साथ–साथ लगातार वृद्धि हुई है। गत पांच वर्षों के दौरान एव अप्रैल–दिसंबर, 2015–16 के लिए कच्चे इस्पात के उत्पादन, क्षमता और क्षमता के उपयोग से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:

वर्ष	कच्चा इस्पात		
	क्षमता (मिलियन टन)	उत्पादन (मिलियन टन)	क्षमता उपयोग (%)
2010–11	80.36	70.67	88
2011–12	90.87	74.29	82
2012–13	97.02	78.42	81
2013–14	102.26	81.69	80
2014–15	109.85	88.98	81
अप्रै.–दिस. 2015–16*	116.74^	67.08	77#

स्रोतः जेपीसी; * अनंतिम; ^वार्षिक आंकड़ा, #यथानुपात, वार्षिक आंकड़ों पर आधारित

- वर्ष 2014–15 को समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 6.2 प्रतिशत की सीएजी दर से बढ़ा। उत्पादन में ये वृद्धि क्षमता विस्तार द्वारा संचालित थी, जो 2010–11 के 80.36 मिलियन टन की तुलना में साल दर साल 8 प्रतिशत (सीएजीआर आधार पर) की वृद्धि दर से बढ़कर 2014–15 में 109.85 मिलियन टन पहुंच गई।
- बिक्री के लिए कुल तैयार इस्पात का उत्पादन सीएजीआर आधार पर 8.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से 2010–11 के 68.62 मिलियन टन के मुकाबले बढ़कर 2014–15 में 92.16 मिलियन टन पहुंच गया, जबकि 2014–15 के दौरान वास्तविक खपत साल दर साल 5.3 प्रतिशत बढ़कर 76.99 मिलियन टन रही।
- भारत वर्ष 2007–08 से हर साल (वर्ष 2013–14 के अतिरिक्त) कुल तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक देश रहा है। पिछले पांच वर्ष के दौरान सीएजीआर आधार पर निर्यात में 11 प्रतिशत जबकि आयात में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3.2.3 ऊपर दिए गए कच्चे इस्पात के कार्यनिष्पादन में बहुत बड़ा योगदान इस्पात निर्माण के वैद्युत मार्ग का, खासतौर पर इंडक्शन फर्नेस मार्ग का रहा। इसका देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में वर्ष 2014–15 के दौरान 32 प्रतिशत और अप्रैल–दिसंबर 2015–16 के दौरान 31 फीसदी योगदान रहा और कच्चे इस्पात के उत्पादन का यह प्रमुख प्रेरक बनकर सामने आया। पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान एवं अप्रैल–दिसंबर, 2015–16 के लिए आंकड़ों के साथ देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में विभिन्न प्रक्रिया मार्गों का हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

प्रक्रिया मार्ग द्वारा कच्चे इस्पात का उत्पादन			
प्रक्रिया मार्ग	प्रतिशत हिस्सेदारी (%)		
	2010–11	2014–15	अप्रैल–दिसंबर 2015–16*
बेसिक आक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	43	42	44
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	24	26	25
इंडक्शन फर्नेस (आईएफ)	33	32	31
कुल	100	100	100

स्रोत : जेपीसी; *अनंतिम

3.2.4 भारत कोयला आधारित संयंत्रों के साथ स्पंज आयरन का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये संयंत्र देश के खनिज प्रधान राज्यों में स्थित हैं। बीते वर्षों के दौरान कोयला आधारित रूट कुल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है और देश में कुल स्पंज लौह उत्पादन में इसका योगदान वर्ष 2014–15 के साथ–साथ अप्रैल–दिसंबर 2015–16 (अनंतिम) के दौरान 90 प्रतिशत रहा। स्पंज आयरन उद्योग में भी बीते सालों के दौरान वृद्धि हुई है और 2014–15 में यह 46.23 मिलियन टन रहा। भारत वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक बना हुआ है। नीचे दी गई तालिका में देश में स्पंज आयरन के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें पिछले पांच वर्षों और अप्रैल–दिसंबर, 2015–16 के दौरान कोयला और गैस आधारित उत्पादन प्रविधियों (रूट) का ब्यौरा दिया गया है:

वर्ष	स्पंज आयरन का उत्पादन (इकाई: मिलियन टन)					
	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रैल–दिसंबर 2015–16*
कोयला आधारित	19.27	19.80	19.07	20.19	21.89	14.66
गैस आधारित	6.07	5.17	3.94	2.68	2.35	1.59
कुल	25.34	24.97	23.01	22.87	24.24	16.25

स्रोत : जेपीसी; *अनंतिम

3.2.5 भारत पिग आयरन का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में भी कई इकाइयां स्थापित होने से न केवल आयात में भारी कमी आई बल्कि भारत पिग आयरन का शुद्ध निर्यातक बनकर सामने आया। 2014–15 में बिक्री योग्य पिग आयरन के उत्पादन में 91 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र का रहा। घरेलू बाजार में पिछले पांच वर्षों और अप्रैल–दिसंबर, 2015–16 के लिए पिग आयरन की उपलब्धता की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

वर्ष	पिग आयरन की देश में उपलब्धता का परिदृश्य ('000 टन)					
	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रैल–दिसंबर 2015–16*
बिक्री हेतु उत्पादन	5683	5371	6870	7950	9694	7202
आयात	9	8	21	34	23	18
निर्यात	358	491	414	943	540	216
खपत	5296	4975	6501	7110	9057	7127

स्रोत : जेपीसी; *अनंतिम

3.3 विश्व में भारतीय इस्पात की स्थिति

विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2015 के दौरान दुनिया भर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 1622.8 मिलियन टन रहा, जो कि वर्ष 2014 के मुकाबले 2.8 प्रतिशत कम है। वर्ष 2015 के दौरान चीन का कच्चा इस्पात उत्पादन 804 मिलियन टन पहुंच गया, इसमें पिछले साल के मुकाबले 2.3 प्रतिशत की गिरवाट दर्ज की गई। वर्ष 2015 के दौरान चीन विश्व में सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बना रहा और एशिया में उसका 73 प्रतिशत और विश्व में 50 प्रतिशत कच्चे इस्पात उत्पादन में योगदान रहा। इस अवधि के दौरान भारत तीसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक रहा और वर्ष 2014 के मुकाबले 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

वैश्विक स्तर पर कच्चा इस्पात उत्पादन : 2015*			
रैंक	**देश**	**मात्रा (मी.टन)**	**2014 के मुकाबले अंतर% में**
1	चीन	803.83	–2.3
2	जापान	105.2	–5.0
3	भारत	89.60	2.6
4	अमेरिका	78.92	–10.5
5	रूस	71.11	–0.5
6	दक्षिण कोरिया	69.67	–2.6
7	जर्मनी	42.67	–0.6
8	ब्राजील	33.24	–1.9
9	तुर्की	31.52	–7.4
10	यूक्रेन	22.93	–15.6
	विश्व	**1622.8**	**–2.8**

स्रोत : डब्ल्यूएसए; *अनंतिम

3.4 इस्पात : प्रमुख तथ्य

भारतीय इस्पात परिदृश्यः अप्रैल–दिसंबर, 2015–16*		
कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र)	**मात्रा (मिलियन टन)**	**%बदलाव****
बिक्री हेतु उत्पादन	67.71	–1.8
आयात	8.39	29.2
निर्यात	2.91	–29.7
वास्तविक खपत	58.94	4.4
कच्चा इस्पात		
उत्पादन	67.08	0.9
क्षमता उपयोग (%)	77	–

स्रोतः जेपीसी; *अनंतिम; **पिछले साल की समान अवधि की तुलना में

2015 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादन करने वाला देश बनने (अनंतिम) के अलावा, भारत ने स्पंज आयरन/डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) के उत्पादन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित की। इसका कारण देश के खनिज प्रधान इलाकों में कोयला आधारित स्पंज आयरन संयंत्रों का विकास रहा। इससे देष के घरेलू स्पंज आयरन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिससे देश को वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल करने और उसे कायम रखने में मदद मिली। इस समय कई बड़ी परियोजनाएं या तो चलाई जा रही हैं या प्रस्तावित हैं, जो एक बार परिचालन में आने के बाद इस्पात उद्योग की संरचना, उसके स्वरूप की गाथा नए सिरे से लिखेंगी। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को और बल मिलेगा। अतः भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य निश्चित तौर पर बहुत आशावादी है। इस्पात क्षेत्र में उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े अनुलग्नक III-XI में दिए गए हैं।

3.5 निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन का रुख़

देश में गत पांच वर्षों के दौरान और अप्रैल–दिसंबर, 2015–16 में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन एवं उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर निम्नलिखित तालिका में प्रकाश डाला गया है :

भारतीय कच्चा इस्पात उत्पादन							
क्षेत्र	**इकाई**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**	**2014–15**	**अप्रैल–दिसंबर 2015–16***
सार्वजनिक क्षेत्र	मि.टन	16.99	16.48	16.48	16.77	17.21	13.34
निजी क्षेत्र	मि.टन	53.68	57.81	61.94	64.92	71.77	53.74
कुल उत्पादन	मि.टन	70.67	74.29	78.42	81.69	88.98	67.08
सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा	%	24	22	21	21	19	20
स्रोतः जेपीसी; * अनंतिम मि.टन = मिलियन टन							

3.6 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए योजना परिव्यय

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए, योजना आयोग ने 91174.64 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को {अर्थात् 90974.64 करोड़ रुपए के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आई एंड ईबीआर) और 200.00 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)} मंजूरी दी है।

(करोड़ रुपए में)

क्रम.सं.	**सार्वजनिक उपक्रमों के नाम**	**12वीं योजना (2012–17) मंजूर परिव्यय**		
		आईएंडईबीआर	**जीबीएस**	**कुल**
क.	**केंद्रीय क्षेत्र की योजना**			
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	45000.00	0.00	45000.00
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड '	13373.00	0.00	13373.00
3	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्र. लि.	0.00	0.00	0.00
4	मेकॉन लिमिटेड	25.00	0.00	25.00
5	एमएसटीसी लिमिटेड	105.00	0.00	105.00
6	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	60.00	0.00	60.00
7	एनएमडीसी लिमिटेड	27872.17	0.00	27872.17
8	केआईओसीएल लिमिटेड	3080.00	0.00	3080.00
9	मॉयल लिमिटेड	1459.47	0.00	1459.47
	कुल (क)	**90974.64**	**0.00**	**90974.64**
ख.	**केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना**			
1	लौह व इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं			
	विकास को प्रोत्साहन			
1(i)	जारी आरएंडडी योजना	–	48.00	48.00
1(ii)	प्रौद्योगिकी विकास या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (CRGO) स्टील शीट्स व अन्य मूल्यवर्धित इस्पात उत्पाद (नए घटक)	–	150.00	150.00
1(iii)	अभिनव लौह/इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया/ प्रौद्योगिकी (मौजूदा योजना के तहत नयी परियोजनाएं) का विकास	–	2.00	2.00
	कुल (ख)	–	**200.00**	**200.00**
	सकल योग (क+ख)	**90974.64**	**200.00**	**91174.64**

* ओएमडीसी लिमिटेड और बीएसएलसी लिमिटेड पूर्ववर्ती बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की सहायक कंपनियां थीं, जो कि आरआईएनएल की सहायक पीएसयू बन गई हैं और उनके आंकड़े आरआईएनएल के साथ मिलाकर दिए गए हैं।

3.7 इस्पात मंत्रालय की भूमिका

विनियमन समाप्त करने से पहले इस्पात मंत्रालय की एक नियामक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो आर्थिक परिदृश्य तथा देश में इस्पात निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की कमी के बीच देश में इस्पात उत्पादन कम होने के कारण इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक थी। आबंटन के मुद्दे पर कुशल और न्यायसंगत निर्णयों के कारण तथा कीमतों आदि से संबंधित नीति निर्माण के कारण इस्पात मंत्रालय ने इस चरण के दौरान इस्पात उद्योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विनियमन समाप्ति के बाद के दौर में इस्पात मंत्रालय की भूमिका मूल रूप से भारतीय इस्पात उद्योग को सुविधा प्रदाता की रही है। यह लौह एवं इस्पात उद्योग संबंधी योजना बनाने और विकास के लिए सक्रिय रहा है और लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो एलॉय, स्पंज आयरन जैसे आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना व अन्य संबंधित क्रियाकलाप ही उसका प्रमुख काम रहा है। मौजूदा समय में अपनी भूमिका में इस्पात मंत्रालय निम्नलिखित मामलों में देश के लौह एवं इस्पात उद्योग को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है, जैसेः

- सक्रिय समन्वय और सही नीतिगत निर्देशों के कार्यान्वयन के जरिए इस्पात क्षमता हेतु निवेश प्रक्रिया में तेजी लाने में सुविधा प्रदान कर रहा है। देश में प्रमुख इस्पात निवेशों की निगरानी और समन्वय के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय में एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) काम कर रहा है।
- नए संयंत्र की स्थापना और पुराने संयंत्रों के विस्तार के लिए कच्चे माल का लिंकेज उपलब्ध कराना तथा रेल सुविधा उपलब्ध कराना।
- उत्पादकों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ–साथ वैगन की जरूरतों को पूरा करके उन्हें कोयले के अलावा अन्य कच्चे माल की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना।
- नए उद्यम लगाने का प्रस्ताव करने वाले उद्यमियों के साथ नियमित चर्चा, कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और कार्यान्वयन में आई समस्याओं का मूल्यांकन करना।
- इस्पात उद्योग की जरूरत के मुताबिक बुनियादी ढांचे एवं संबद्ध सुविधाओं की पहचान करना और इस्पात क्षेत्र की अवसंरचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग के साथ समन्वय करना।
- इस्पात के प्रभावी ढंग से इस्तेमाल को उचित ढंग से बढ़ावा देना, विशेषकर कोलकाता स्थित ''इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (इन्सडैग)'' के माध्यम से ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी इलाकों में विनिर्माण क्षेत्र में इसके इस्तेमाल पर जोर देना।
- इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति देश में लौह एवं इस्पात संबंधी अनुसंधान प्रयासों को समग्र दिशा प्रदान करने के लिए और अपने समक्ष प्रस्तुत विशिष्ट शोध परियोजनाओं के लिए इस्पात विकास निधि से पूर्णतः अथवा आंशिक धन जुटाने के लिए मंजूरी देती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार की बजटीय सहायता से देश में शोध एवं विकास की गतिविधियों को और बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

अध्याय–IV

सार्वजनिक क्षेत्र

4.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 08 (आठ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) हैं। इसके अलावा, 06 सीपीएसई के अंतर्गत 04 सहायक कंपनियां हैं। इन सीपीएसई और उनकी सहायक कंपनियों को विस्तृत अवलोकन निम्नानुसार है:

4.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। इसके पांच एकीकृत इस्पात कारखाने– भिलाई (छत्तीसगढ), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में हैं। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित मिश्र इस्पात कारखाना, तमिलनाडु के सेलम में सेलम स्टील कारखाना और कर्नाटक के भद्रावती में स्थित विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र सेल के तीन विशेष और मिश्र इस्पात के कारखाने हैं। इसके अलावा रांची में स्थित लोहे और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस), इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी केंद्र (सीईटी), प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) और सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) के साथ–साथ धनबाद स्थित केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सीसीएसओ) भी इसकी प्रमुख इकाई हैं। कोलकाता स्थित कच्चा माल डिवीजन (आरएमडी), पर्यावरण प्रबंधन डिवीजन (ईएमडी) तथा ग्रोथ डिवीजन (जीडी) और बोकारो स्थित सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट भी सेल की महत्वपूर्ण ईकाई हैं। चन्द्रपुर फेरो एलॉय प्लांट महाराष्ट्र में अवस्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी के देश भर में फैले विपणन और वितरण नेटवर्क का समन्वय केंद्रीय विपणन संगठन करता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। कंपनी को परामर्श देने के लिए बनाया गया सेल परामर्शदात्री विभाग (सेल कंसलटेंसी डिविजन) नई दिल्ली से कार्य करता है।

4.2.1 पूंजी संरचना

सेल की अधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपए है। 31.12.2014 को कंपनी की चुकता पूंजी (पेड–अप कैपिटल) 4130.52 करोड़ रुपए थी, जिसकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है और शेष 25 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/जीडीआर धारकों/बैंकों/कर्मचारियों/व्यक्तियों इत्यादि के पास हैं।

सेल के बोकारो स्टील प्लांट में नई कोल्ड रोलिंग मिल–3

4.2.2 वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के पहले नौ महीनों में 30725 करोड़ रुपए का कुल कारोबार दर्ज किया। वित्त वर्ष 2015–16 के पहले नौ महीनों में कंपनी को कर देने के बाद कुल 2906 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान शेयरधारकों को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 2.50 प्रतिशत की दर से 103.25 करोड़ रुपये के कुल लाभांश का भुगतान किया।

4.2.3 उत्पादन निष्पादन

वास्तविक उत्पादन के बारे में जानकारी नीचे दी गई है:

(मिलियन टन में)

	2014–15	2015–15 (अप्रै.–दिसं. '15)
तप्त धातु	15.4	11.8
कच्चा इस्पात	13.9	10.6
विक्रेय योग्य इस्पात	12.8	8.8

4.2.4 कच्चा माल

वर्ष 2015–16 (अप्रैल–दिसंबर, 2015) के दौरान सेल की निजी खानों और कोयला खदानों से लौह अयस्क, फलक्स और कच्चे कोयले का वास्तविक उत्पादन क्रमशः लगभग 18.94 मिलियन टन, 1.73 मिलियन टन और 0.53 मिलियन टन रहा है।

वर्ष 2014–15 के दौरान सेल ने निजी खानों से लगभग 23.18 मिलियन टन का उत्पादन करके अपने इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क की आवश्यकता को पूरा किया है। वर्ष 2014–15 के दौरान निजी खानों से फलक्स का उत्पादन 2.09 मिलियन टन था। वर्ष 2014–15 के दौरान सेल की निजी कोयला खदानों से कच्चे कोयले का उत्पादन 0.65 मिलियन टन था।

4.2.5 जनशक्ति

1 अप्रैल, 2015 को सेल के कर्मचारियों की संख्या 93,352 थी। दिनांक 1.01.2016 को यह संख्या 90,184 थी (14193 कार्यकारी/75991 गैर–कार्यकारी)। इस तरह से वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसंबर 2015 तक) श्रमबल में 3168 की कमी हुई।

सेल के गौरवशाली विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 विजेताओं (2015 में प्रदत्त) का अभिनंदन समारोह

4.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने की निगमित कंपनी है, जो विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) में स्थित देश का पहला समुद्र तटीय एकीकृत इस्पात कारखाना है। आरआईएनएल ने 03 एमटीपीए क्षमता को दुगुना करके 6.3 एमटीपीए करने के लिए विस्तार कार्य पूरा कर लिया है। उत्पादन के क्रमागत बढ़ोत्तरी के लिए इकाईयां स्थिरीकरण के अधीन है। इसका विस्तार मुख्यतः आंतरिक संसाधनों से किया जा रहा है। इस कंपनी में 01.01.2016 को 17,954 स्थायी कर्मचारी हैं, जिसमें 5552 कार्यकारी अधिकारी तथा 572 बिना किसी संघ के सुपरवाइजर और 11,830 मजदूर हैं।

इसकी सहायक कंपनी ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) है तथा ईआईएल की दो सहायक कपंनियां क्रमशः मैसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) और मैसर्स बिरसा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) हैं। कंपनी की आरआईएनएमओआईएल, आरआईएनएल पावर ग्रिड लिमिटेड और आईसीवीएल में संयुक्त उपक्रम के तौर पर साझेदारी है।

आरआईएनएल अपनी विशाखापट्टनम स्थित उत्पादन इकाई में लंबी श्रेणियों में इस्पात उत्पादों का उत्पादन करता है तथा अपने 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, 24 शाखा कार्यालयों, 23 स्टॉकयार्डों तथा 6 कनसाईनमेंट सेल्स एजेन्टस (सीएसए) के माध्यम से उनका देश भर में विपणन भी करता है।

आरआईएनएल के मुख्य उत्पादों में रिबार्स, वायर रॉड्स, राउंड्स और स्ट्रक्चरल्स शामिल हैं। कंपनी बिलेट्स, ब्लूम्स, कच्चा लोहा और कोयला रसायन (अमोनियम सल्फेट, बेंजोल उत्पाद इत्यादि) और स्लैग जैसे उप–उत्पादों का भी विपणन करती है।

उपभोक्ता अनुरूप फ्री साइज़ रोलिंग युक्त स्ट्रेट लेंथ और कॉयल फॉर्म में 7.5 लाख प्रति वर्ष प्लेन राउंड्स उत्पादन क्षमता की विशेष बार मिल आरआईएनएल में चालू की गई

4.3.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

आरआईएनएल ने 2014–15 के दौरान कुल 11675 करोड़ रुपये की बिक्री की तथा कर देने के बाद 62 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। इस कंपनी ने 2014–15 में सरकार को आंतरिक लाभांश के रूप में 25.35 करोड़ रुपये दिया। दिनांक 31–12–2015 तक इस कंपनी की कुल संपत्ति 10404 करोड़ रुपये थी।

4.3.2 उत्पादन कार्यनिष्पादन

कच्चे इस्पात और तैयार इस्पात के उत्पादन के संदर्भ में कंपनी की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

मद	2014–15	2015–16 (अप्रै.–दिसं.)
कच्चा इस्पात (000टन)	3297	2742
विक्रय योग्य इस्पात (000टन)	3017	2528

आरआईएनएल ने (अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 तक) 18.63 लाख टन मूल्य संवर्धित इस्पात का उत्पादन किया।

4.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह मुख्यतः खनिजों की खोज तथा खानों को विकसित करने का काम करती है। अभी यह इस्पात निर्माण तथा इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों की ओर अपना विस्तार कर रही है।

15 नवम्बर, 1958 को निगमित यह कंपनी पिछले पांच दशकों से राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे रही है तथा राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा को सुदृढ़ता के साथ जारी रखे हुए है। कभी एक उत्पाद – एक खरीददार वाली यह कंपनी अब स्वदेशी इस्पात उद्योग को लौह अयस्क आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख कंपनी बन गई है। यह कुछ कीमती खनिजों की खानों की खोज में भी योगदान दे रही है। आंध्र प्रदेश में हीरे और तंजानिया में सोने जैसी बहुमूल्य धातुओं के खनिजों की खोज में भी लगी है।

एनएमडीसी देश में छत्तीसगढ़ के बैलाडिला और कर्नाटक के दोणिमलाई में लौह अयस्क की बड़ी खदानों का संचालन करती है। एनएमडीसी की हीरा खान, पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है। एनएमडीसी की स्पंज लौह इकाई आंध्र प्रदेश के पालोन्चा में स्थित है।

एनएमडीसी की लौह अयस्क की सभी उत्पादक इकाइयों को आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001:2004 और ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हैं। एनएमडीसी के अनुसंधान और विकास केंद्र को आईएसओ 9001:2008 मान्यता मिली हुई है।

ग्रीनफील्ड विस्तारीकरण/विविधीकरण कार्यक्रम के एक अंग के तौर पर एनएमडीसी छत्तीसगढ़ स्थित नगरनार में 3 एमटीपीए क्षमता का एकीकृत इस्पात कारखाना लगा रहा है। इस परियोजना पर 15,525 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए तकरीबन सभी तकनीकी और सहायक कार्य हो चुके हैं तथा इसके लिए अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति पर है।

एनएमडीसी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं में अपने कारोबार का विस्तार करने के उद्देश्य से (क) कर्नाटक के दोणिमलाई में 1.2 एमटीपीए क्षमता का पैलेट संयंत्र और (ख) छत्तीसगढ़ के नगरनार में 2 एमटीपीए क्षमता के पैलेट संयंत्र के साथ–साथ बछेली में बछेली और नगरनार के बीच स्लरी पाइपलाइन द्वारा जुड़े 2 एमटीपीए क्षमता वाला लाभप्रद संयंत्र भी लगा रहा है।

एनएमडीसी ने कोयला, रॉक फास्फेट, चूना–पत्थर, सोना और हीरा के क्षेत्र में कारोबार के एकीकरण के माध्यम से विस्तार की भी योजना बनाई है। एनएमडीसी ने कर्नाटक में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश किया है तथा यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं की भी तलाश कर रहा है।

नगरनार स्थित एनएमडीसी इस्पात संयंत्र की विभिन्न यूनिटों में प्रगति पर कार्य

4.4.1 पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपये है। 30.12.2015 को इसकी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 396.47 करोड़ रुपये है, जिसकी 80 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत सरकार के पास और शेष 20 प्रतिशत हिस्सेदारी वित्तीय संस्थानों/बैंकों/व्यक्तियों/कर्मचारियों आदि के पास है।

4.4.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2014–15 में कंपनी ने 12356 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस दौरान कंपनी का कर देने के बाद कुल लाभ 6421.86 करोड़ रुपये था। वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी ने प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 855 प्रतिशत की दर से लाभांश का भुगतान किया है। दिसंबर, 2015 तक कंपनी का विक्रेय कारोबार और कर उपरांत शुद्ध लाभ क्रमशः 4925.85 करोड़ रुपये और 2475.40 करोड़ रुपये था।

4.4.3 उत्पादन कार्यनिष्पादन

वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :

मद	2014–15	2015–16 (दिसंबर, 2015 तक)
लौह अयस्क (लाख टन में)	304.41	197.91
हीरा (कैरेट में)	35085	24640
स्पंज लौह (टन में)	28994	4480

4.4.4 जन शक्ति

31.03.15 तक एनएमडीसी में 5490 लोग कार्यरत थे तथा 31.12.15 तक इनकी संख्या बढ़कर 5641 हो गई।

4.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल अनुसूची 'क' की मिनीरत्न श्रेणी– 1 कंपनी है। इसे मूल रूप से वर्ष 1962 में मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से निगमित किया गया था। बाद में, वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान इस कंपनी का नाम मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड से बदलकर मॉयल लिमिटेड (एमओआईएल) किया गया।

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान 15 दिसम्बर, 2010 को मॉयल को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सूचीबद्ध होने के बाद , भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने इस कंपनी में क्रमशः 71.57 प्रतिशत, 4.62 प्रतिशत और 3.81 प्रतिशत शेयर खरीदे हैं। इनके अलावा बचे हुए 20 प्रतिशत शेयर जनता ने खरीदे हैं।

मॉयल की मुनसार माइन में नई चालू वर्टिकल शॉफ्ट

मॉयल (एमओआईएल) विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का उत्पादन और बिक्री करती है, जो निम्न हैं :

- फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी का अयस्क;
- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए मध्यम श्रेणी का अयस्क;
- तप्त धातु के उत्पादन के लिए अपेक्षित ब्लास्ट फर्नेस श्रेणी का अयस्क; और
- शुष्क बैटरी सेल और रसायन उद्योग के लिए डायऑक्साइड।

मॉयल ने 10,000 मि.टन प्रति वर्ष उत्पादन की क्षमता वाला इलेक्ट्रॉलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) के निर्माण के लिए देशी तकनीक के आधार पर एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद का निर्माण ड्राई बैटरी सैलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा तैयार ईएमडी की क्वालिटी बहुत अच्छी है तथा बाजार में इसकी अच्छी मांग है। मॉयल लिमिटेड द्वारा मूल्य संवर्धन के लिए 1998 में प्रति वर्ष 10,000 मि. टन उत्पादन क्षमता का एक फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित किया गया।

मॉयल ने गैर–परम्परागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए नागदा हिल्स में 4.8 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म और मध्य प्रदेश के देवास जिले के रतेड़ी हिल्स में 15.2 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया है।

4.5.1 पूंजी संरचना

31 दिसम्बर 2015 तक कंपनी की अधिकृत पूंजी 250 (दो सौ पचास) करोड़ रुपये तथा चुकता पूंजी 168 करोड़ रुपए थी।

4.5.2 वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 में 823.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया तथा कर देने के पश्चात् इसे 428.01 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। साल 2014–15 में कंपनी ने 142.80 करोड़ रुपये का लाभांश दिया।

4.5.3 उत्पादन निष्पादन

मद	2014–15	2015–16 (दिसंबर'15 तक) (अंतरिम)
मैंगनीज अयस्क ('000 टन)	1139	745
ई.एम.डी. (एमटी)	950	482
फेरो मैगनीज (एमटी)	10045	5521

4.6 एम एस टी सी लिमिटेड

पूर्व में मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली एमसीटीसी लिमिटेड की स्थापना सितम्बर, 1964 में देश से फैरो स्क्रैप के निर्यात के नियमन के लिए की गई थी। फरवरी, 1974 में कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन किया गया और इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी बना दिया गया। वर्ष 1982–83 में इसे इस्पात मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र सार्वजनिक उपक्रम बना दिया गया। फरवरी, 1992 तक यह कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, स्पंज लोहे, हॉट ब्रिक्वेटेड लोहे और पुनर्बेलन स्क्रैप के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी थी। यह पुराने आयातित पोतों के विघटन के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी भी थी, जिसे अगस्त 1991 में डीकेनेलाइज्ड करके ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत लाया गया।

4.6.1 कंपनी की गतिविधियां

ई–कॉमर्स: इसके अंतर्गत ई–नीलामी और ई–खरीद के माध्यम से स्क्रैप का निपटान, कोयले की बिक्री, फैरो मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, मानव के बाल तथा कृषि उत्पाद आदि शामिल हैं। इसकी सूची में मुख्यतः रक्षा मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, राज्य विद्युत बोर्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा तिरुपति तिरूमला देवस्थानम (टीटीडी) आदि कुछ नाम शामिल हैं। निविदा, नीलामी, ई–नीलामी, ई–रिवर्स नीलामी आदि के माध्यम से यह कारोबार करती है। इसके अलावा एमएसटीसी कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरौली कोलियरीज कार्पोरेशन लिमिटेड (एसईसीएल) से कोयले, एमओआईएल लिमिटेड से फेरो मैंगनीज और मैंगजीन अयस्क की ई–निलामी कराती हैं। इसके अलावा एमएसटीसी कर्नाटक, गोवा और ओडिसा में लौह अयस्क, मैसर्स ओडिसा माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए क्रोम अयस्क तथा कोयले व दूसरे खनिजों की खदानों की ई–निलामी के जरिए बिक्री कराती है।

व्यापार: यह आयात/निर्यात और वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के लिए मुख्यतः थोक औद्योगिक कच्चे माल के घरेलू व्यापार में कार्यरत है। द्वितीय इस्पात क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में खरीददारों की ओर से औद्योगिक कच्चे माल जैसे हैवी मेल्टिंग

स्क्रैप, कम राख वाला धातु–कर्मीय कोक, एच आर कॉयल, नाथा, कच्चा तेल, कोकिंग कोल, स्टीम कोयला आदि की खरीद और बिक्री की देखभाल करता है।

4.6.2 पूंजी संरचना तथा शेयरधारण पद्धति

दिनांक 31.03.2015 को कपंनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 5,00,00,000 इक्विटी शेयर है, जिनका मूल्य 50 करोड़ रुपए है। इसकी चुकता पूंजी 8.80 करोड़ रुपये है, जिसमें 10–10 रुपये के 88,00,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं। वर्ष 2012–13 में 3:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

कंपनी का शेयरधारण पैटर्न निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	धारण का प्रतिशत
1.	भारत सरकार	89.85
2.	अन्य	10.15
	कुल	100.00

4.6.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

मदें	2014–15	2015–16 (दिसंबर 2015 तक)
कुल कारोबार	5424.97	2138.67
संचालन लाभ	130.19	38.19
कर पूर्व लाभ	131.47	36.99
कर पश्चात् लाभ	90.99	24.19

' अनंतिम

4.7 फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी चुकता पूंजी 2 करोड़ रुपये है। यह पूरे भारत में कंपनियों को स्क्रैप और स्लैग के प्रबंधन के लिए सेवा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोहा एवं इस्पात उद्योग से निकले स्क्रैप एवं स्लैग को प्रसंस्त कर उससे पूंजी इकट्ठा करना है। यह न केवल देश के बहुमूल्य खनिज संसाधनों को सुरक्षित करती है बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहयोग करती है।

एफएसएनल का कॉरपोरेट ऑफिस छत्तीसगढ़ के भिलाई में है तथा यह कंपनी सेल के राऊरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, भद्रावती स्थित इकाइयों के साथ–साथ आरआईएनएल विशाखापट्टनम, एनआईएनएल धुबरी, भेल हरिद्वार, आरडब्लूएफ बंगलुरू और एयर इंडिया मुम्बई को भी अपनी सेवा देती है।

4.7.1 भौतिक कार्यनिष्पादन

मद	2014–15	2015–16 (अप्रैल–दिसंबर)
स्क्रैप की रिकवरी (लाख मीट्रीक टन)	23.07	20.06
उत्पाद का बाजार मूल्य (करोड़ रु. में)	1015.10	882.84

*अनंतिम

4.7.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

मद	2014–15	2015–16 (अप्रैल–दिसंबर)
कुल कारोबार, मिश्रित आय सहित सेवा शुल्क आदि	27578.38	24313.30
ब्याज और अवमूल्यन से पूर्व का कुल मार्जिन	3625.53	2295.04
ब्याज और अवमूल्यन	1089.13	953.96
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	2536.40	1341.08

*अनंतिम

4.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

वर्ष 1964 में केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम के रूप में स्थापित हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) इस्पात मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है। निगमन के समय इसका उद्देश्य देश में एकीकृत इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए स्वदेशी क्षमता को जुटाना था। यह संगठन समय की कसौटी पर खरा उतरा तथा चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए इसने सक्षम मानव संसाधन और आधुनिक निर्माण उपकरणों को जुटाया। एचएससीएल ने भारत में लगभग सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे–जैसे कंपनी संसाधनों और विशेषज्ञता में आगे बढ़ती गई, इसने विद्युत संयंत्रों, खनन परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं जिनमें बांध और बैराज शामिल हैं, तेल रिफाइनरी, रेलवे, हवाई अड्डे, भवन और वाणिज्यिक कॉमप्लेक्स, ग्रामीण सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, रेलवे और सड़क यातायात के लिए छोटे और बड़े पुल, शैक्षिक संस्थानों के लिए बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल आदि क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। आज एचएससीएल एक आईएसओ 9001:2008 कंपनी है और सभी तरह की निर्माण गतिविधियों से जुड़ी हुई है।

वर्तमान में, कंपनी ने सेल और आरआईएनएल के नियमित प्रचालन और अनुरक्षण कार्य के साथ–साथ अपनी क्षमता विस्तार के तहत इनके बहुत से परियोजना पैकेजों को अपने हाथ में ले रखा है। एचएससीएल ने वर्तमान में केवीएस, एनवीएस, बीएचयू, सारनाथ स्थित सीआईटीएस, भुवनेश्वर स्थित विधि विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के जंगीपुर स्थित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केंद्र की शैक्षणिक अवसंरचना का काम पूरा कर लिया है। इसके साथ–साथ कंपनी पुरुलिया के इंजीनियरिंग कॉलेज, मध्य प्रदेश के सागर स्थित श्री हरी सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के कई आईटीआई कॉलेज, खाद्य पदार्थों के गोदान तथा सरकार और पीएसयू की कई व्यावसायिक इमारतों का निर्माण कर रही है। इसके पास रेलवे के कई पुलों तथा अन्य अवसंरचनाओं के निर्माण का कार्य भी है।

4.8.1 पूंजी संरचना

वर्तमान समय में इसकी प्राधि.त तथा चुकता शेयर पूंजी क्रमशः 150 करोड़ रुपये और 117.10 करोड़ रुपये है।

4.8.2 वित्तीय उपलब्धि

वर्ष 1965–66 में 5 करोड़ रुपए से एक छोटी सी शुरूआत करते हुए, कंपनी ने 2014–15 में 1528.70 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वर्ष 2015–16 के दौरान 31.12.2015 तक इसने 918.88 करोड़ रुपये का करोबार कर लिया था, जिसका लेखा परीक्षण अभी नहीं हो पाया है।

वर्ष 2005–06 से 2014–15 तक के गत नौ सालों में कंपनी का कारोबार और ऑर्डर बुकिंग सकल वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) क्रमशः 17.79 प्रतिशत और 15.89 प्रतिशत रहे, जो देश की औद्योगिक विकास दर से काफी अधिक है। कंपनी के वित्तीय परिणामों में भी सुधार हो रहा है तथा इसने वित्त वर्ष 2015 के दौरान सीएजीआर 17.55 प्रतिशत के साथ 116. 77 करोड़ रुपये का प्रचालन लाभ अर्जित किया।

वित्तीय वर्ष 2015–16 की तीसरी तीमाही तक 1654.46 करोड़ रुपये के बुकिंग आर्डर के साथ कंपनी अपना व्यापार लगातार बढ़ा रही है। 31.12.2015 तक कंपनी ने 16847 करोड़ रुपये के आर्डर लिए, जिसमें अकेले इस्पात क्षेत्र से 7075 करोड़ रुपये का आर्डर मिला।

4.9 मेकॉन लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिनीरत्न उद्यम मेकॉन लिमिटेड धातु, बिजली, तेल एवं गैस, अवसंरचना, रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स, पाइपलाइन्स, सड़क एवं हाइवे, रेलवे, जल प्रबंधन, बंदरगाह, सामान्य इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग तथा कई अन्य क्षेत्रों में अनुभव वाली एक प्रमुख बहुआयामी डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्शदात्री और ठेके पर काम करने वाला संगठन है। यह एक आईएसओ:9001–2008 कंपनी है, जो कई वैश्विक वित्तीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, एडीबी, अफ्रीकन विकास बैंक, यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और यूएन औद्योगिक विकास संगठन में पंजीकृत है। इसकी कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी है, जिससे यह अपनी तकनीक के विकास में सहयोग प्राप्त करती है।

मेकॉन ने बहुत सी अत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक साकार किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं – श्री हरिकोटा में द्वितीय लांचिग पैड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय के आधुनिक कैंपस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मुंबई में जीओ–टैक्निकल सेंट्रीयूज सुविधा (विश्व में अपनी तरह की छठी सुविधा है, जिसका वित्तपोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डीआरडीओ, मानव संसाधन विभाग द्वारा किया गया है), टीएनईबी पॉवर प्लांट के लिए एन्नोर बर्थ से कोल हैंडलिंग सुविधा, जो 11 किलोमीटर की बेल्ट कन्वेयर व्यवस्था युक्त हार्बर से पावर प्लांट तक एशिया की सबसे बड़ी कोल हैंडलिंग सुविधा है और भारतीय नौसेना की परियोजना सीबर्ड (भारत की पहली जहाज मरम्मत सुविधा)।

मेकॉन ने अपने विश्वस्तरीय डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। विश्व के अलग–अलग देशों में यह 130 परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसने पश्चिम एशिया तथा अफ्रीकी देशों में अपनी प्रभावकारी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नाइजीरिया में एक कार्यालय भी स्थापित किया है।

मेकॉन, रांची का एक विहंगम परिदृश्य

4.9.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

आर्थिक मंदी के कारण वित्तीय वर्ष 2013–14 में कंपनी को कुछ कम ऑर्डर मिले हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इसने 389.92 करोड़ रुपये का कारोबार किया। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान इसका कर पूर्व लाभ 2013–14 के 68.69 करोड़ रुपये से घटकर 33.01 करोड़ रुपये हो गया। 5% गैर–संचयी विमोचन योग्य अधिमान्य शेयर पूंजी के विमोचन के कारण कंपनी की शुद्ध संपत्ति भी 31–03–2015 तक घटकर 410.23 करोड़ रुपये हो गई, जो 31–03–2014 को 416.80 करोड़ रुपये थी।

4.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख, आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001:2004 और आईएसओ 18001:2007 प्रमाणित कंपनी आईओसीएल लिमिटेड की स्थापना ईरान की दीर्घकालीन जरूरतों की पूर्ति के लिए अप्रैल, 1976 में की गई थी। कुद्रेमुख में 75 लाख टन क्षमता वाले लौह अयस्क केंद्रित संयंत्र की स्थापना की गई। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये पैसे से समय पर पूरा किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1.1.2006 से कुद्रेमुख में खनन कार्य को बंद कर दिया गया है।

उत्पादन में विविधता लाने के लिए सरकार ने मई 1981 में मंगलौर में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले पैलेट संयंत्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी थी। पैलेट संयंत्र की क्षमता में वृद्धि/संशोधन कर 3.5 मिलियन टन कर दिया गया। संयंत्र में 1987 से वाणिज्यिक उत्पादन होने लगा और अब यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

केआईओसीएल का घरेलू बाजार के लिए फाउन्ड्री ग्रेड के पिग आयरन के निर्माण और आपूर्ति के लिए मंगलौर में अपना पिग आयरन कॉम्पलेक्स (धमन भट्टी यूनिट) भी है। हालांकि, नकारात्मक योगदान के कारण वर्ष 2009 से इस यूनिट का परिचालन बंद किया हुआ है।

4.10.1 उत्पादन कार्यनिष्पादन

दिसम्बर 2015 तक इस कंपनी का उत्पादन 0.10 मिलियन टन रहा है।

ईरान को पेलेट शिपमेंट – केआईओसीएल

4.10.2 वित्तीय उपलब्धि

बिक्री राजस्व

वर्ष	पीपी यूनिट	बीएफ यूनिट
2015–16 (अप्रैल–दिसंबर 2015)	107.20	1.00
2014–15	626.87	1.97

केआईओसीएल की दिसंबर 2015 तक वित्तीय वर्ष 2015–16 की उपलब्धि के साथ–साथ पिछले तीन सालों की उपलब्धियां यहां दर्शाई गई है :

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2014–15	2015–16 (अप्रैल–दिसंबर)
बिक्री की कुल कीमत	628.84	108.20
सकल मार्जिन	63.35	(113.58)
कर पश्चात् लाभ	30.82	(139.48)

4.11 ईआईएल, बीएसएलसी और ओएमडीसी

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) एक शैल कंपनी और ओएमडीसी और बीएसएलसी की धारक कपंनी है, जो क्रमशः लौह व मैंगनीज अयस्क और लाइमस्टोन व डोलोमाइट का खनन कार्य देख रही है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन के बाद ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहायक कंपनी और ओएमडीसी तथा बीएसएलसी की धारक कंपनी बन गई। ईआईएल, बीएसएलसी और ओएमडीसी को 19.03.2010 से सार्वजनिक उपक्रम बना दिया गया।

(क) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल)

ईआईएल एक निवेश कंपनी है, जो अभी ओएमडीसी तथा बीएसएलसी की धारक कंपनी है। ओएमडीसी और बीएसएलसी खनन कंपनियां हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी 13.50 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 1.42 करोड़ रुपये हैं।

वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2014–15	2015–16(अप्रैल–दिसंबर)
आय	1.22	1.84
व्यय	13.84	0.21
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	(–)12.72	1.21

(ख) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसीएल)

ओएमडीसी ने ओडिशा में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के छह खनन पट्टे ले रखे हैं तथा उसका परिचालन कर रही है। ओएमडीसी लौह अयस्क की सबसे पुरानी खनन कंपनी में से एक है और केंद्र सरकार के अधीन लौह अयस्क खनन में एनएमडीसी के बाद इसका दूसरा स्थान है। ओएमडीसी की खानें क्योंझार जिले के जनजातीय क्षेत्र में स्थित हैं और स्थानीय लोगों को इनसे काफी रोजगार प्राप्त होता है। कंपनी के पास असंशोधित लौह अयस्क ग्राहकों को देने के लिए चार क्रशिंग और स्क्रीनिंग प्लांट भी हैं। कंपनी ने ठाकुरानी में वर्श 2004 में एक छोटा स्पंज आयरन संयंत्र भी स्थापित किया है। कंपनी की प्राधिकृत और चुकता पूंजी 0.60 करोड़ रुपये है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2014–15	2015–16(अप्रैल–दिसंबर)
अन्य आय	74.66	57.15
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	17.70	12.21

(ग) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

बीएसएलसी उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में चूना–पत्थर और डोलोमाइट के एक पट्टे पर कार्य कर रही है। यह पूर्वी क्षेत्र में कार्य कर रहे सेल के इस्पात कारखानों को चूना–पत्थर और डोलोमाइट की आपूर्ति करती है। यह एक शताब्दी पुरानी कंपनी है और इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है।

कंपनी की अधिकृत पूंजी 87.50 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 87.29 करोड़ रुपये है।

वास्तविक कार्यनिष्पादन

(टन में)

विवरण	2014–15	2015–16(अप्रैल–दिसंबर)
उत्पादन		
डोलोमाइट	102499	308640
लाइमस्टोन	2229	–
भेजा गया		
डोलोमाइट	107509	350460
लाइमस्टोन	–	–

वित्तीय कार्यनिष्पादन

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2014–15	2015–16(अप्रैल–दिसंबर)
आय	8.18	24.14
कर पश्चात् लाभ/हानि (पीएटी)	(–)27.27	(9.13)

अध्याय–V

निजी क्षेत्र

5.1 प्रस्तावना

इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्र, देश में इस्पात उद्योग के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र में एक ओर बड़ी इस्पात कंपनियां और दूसरी ओर स्पंज आयरन संयंत्रों, छोटी धमन भट्टी इकाइयों, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, रि–रोलिंग मिलों, कोल्ड–रोलिंग मिलों और कूलिंग इकाइयों जैसी छोटी और मंझोली कंपनियां सम्मिलित हैं। ये कंपनियां गुणवत्ता, नवोन्मेश और किफायतीपन के मामले में भी व्यापक मूल्य संवर्धन योगदान दे रही हैं।

5.2 निजी क्षेत्र में अग्रणी इस्पात निर्माणकर्ता, जो अपनी क्षमता विस्तार करने और नई क्षमताएं विकसित करने की प्रक्रिया में हैं, नीचे तालिका में दिए गए हैं:

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	निवेशक	वर्तमान क्षमता*	2016–17 तक प्रस्तावित ब्राउनफील्ड विस्तार क्षमता	2016–17 तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड विस्तार क्षमता	2016–17* में प्रस्तावित कुल क्षमता (कॉलम 3+4+5)
		(मि.टन)	(मि.टन)	(मि.टन)	(मि.टन)
1	2	3	4	5	6
1	वीसा स्टील लिमिटेड	0.5	0.5	0	1.0
2	जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड	1.72	0	0	1.72
3	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	1.8	0.3	0	2.1
4	इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड **	1.45	0	1.06	2.51
5	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	2.5	0	0.	2.5
6	भूषण स्टील लिमिटेड	5.6	0	0	5.6
7	एस्सार स्टील लिमिटेड	8.54	0	0	8.54
8	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	4.0	0.35	2.5	6.85
9	टाटा स्टील लिमिटेड	9.6	0.6	3	13.2
10	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	16.6	3.7	0	20.3
*कच्चे इस्पात के संदर्भ में, दिसंबर 2015 तक; मि.टन= दस लाख टन; **तप्त धातु के संदर्भ में					

ध्यान दें :

1. कॉलम 3 में आंकड़ों का स्रोत जेपीसी (अस्थायी) है।
2. इस्पात कंपनियों के अनुसार आगामी क्षमता पर आंकड़े 2016–17 से संबंधित हैं।

5.3 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू ग्रुप की प्रमुख कंपनी, जेएसडब्ल्यू स्टील भारत की एक अग्रणी इस्पात निर्माता और विश्व की प्रतिष्ठित इस्पात कंपनियों में से एक है। जेएसडब्ल्यू स्टील इस्पात उत्पादों की एक बड़ी श्रृखला पेश करता है, जिसमें हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, बेयर और प्रिपेंटेड गेल्वेनाइज्ड एवं गेलवेल्यूम, टीएमटी बार्स, वायर रॉड्स और विशेष इस्पात शामिल हैं। नवीनतम तकनीक के उपयोग में प्रथम और तकनीकी उन्नति में अग्रणी बने रहने हेतु निरंतर प्रयासरत रहने के कारण ही वैश्विक स्तर की कपंनियां जैसे जेएफई स्टील, मेरूबेनी इटोशू स्टील, प्रैजियर और सीवरफील्ड रोवन पीएलसी इसके साथ साझेदारी में आई हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड महाराष्ट्र में कोटेड इस्पात उत्पाद निर्मित करने वाली आधुनिक सुविधाओं के साथ जेएसडब्ल्यू की 100 प्रतिशत सब्सिडियरी है। उद्योग ने जेएसडब्ल्यू को नेतृत्व, बाजार विस्तार, कॉरपोरेट सत्यनिष्ठा में मूल्यों का प्रदर्शन करने वाली कंपनी माना है और इसके प्रयासों को विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया है। इसे प्राप्त अवॉड्र्स में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र 2012–13 के लिए प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी, 2013–14 के लिए स्टील मिनिस्टर्स ट्रॉफी, प्लैट्स ग्लोबल मेटल अवॉड्र्स 2015 और 2013 आदि शामिल हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील को वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स द्वारा जून 2015 में 36 'वर्ल्ड क्लास' इस्पात निर्माताओं में छठा स्थान दिया गया था। वर्ष 2015 तक जेएसडब्ल्यू स्टील का लक्ष्य प्रतिवर्ष 40 मिलियन टन इस्पात निर्मित करना है।

जेएसडब्ल्यू स्टील लि. का 4 मिलियन टन लोहा बनाने वाला क्षेत्र

5.4 टाटा स्टील लिमिटेड

टाटा स्टील, टाटा ग्रुप की एक प्रमुख सितारा 500 कंपनी है। टाटा स्टील ग्रुप विश्व का दूसरा अत्यधिक भौगोलिक विविधतापूर्ण इस्पात निर्माता है। इसमें करीब 50 देशों के 80,000 लोग कार्यरत हैं। ग्रुप का लक्ष्य अपने लोगों की उत्कृष्टता, नवीनतम सोच और समग्र आचरण के जरिए 'मूल्य निर्माण' और 'कॉरपोरेट नागरिकता' में विश्व इस्पात उद्योग के लिए मानक बनना है। टाटा स्टील की वैश्विक यात्रा बड़े स्तर पर अपनी पहचान बनाने और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं, जिनमें अमेरिका एवं यूरोप का परिपक्व बाजार और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन का तेजी से बढ़ता बाजार शामिल है, को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। भारतीय कारोबार के अलावा आज टाटा स्टील ग्रुप में मुख्यता टाटा स्टील यूरोप (www.tatasteeleurope.com) के जरिए इसका यूरोपियन व्यवसाय और टाटा स्टील थाइलैंड (www.tatasteelthailand.com) एवं नेटस्टील (www.natsteel.com.sg) के माध्यम से इसका दक्षिण–पूर्व एशिया का कारोबार शामिल है।

टाटा स्टील लिमिटेड : ब्लास्ट फर्नेस

भारतीय संचालन

वर्ष 1907 में स्थापित, टाटा स्टील की जमेशदपुर में लगभग 10 एमटीपीए प्रतिवर्ष कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता और विभिन्न परिष्कृत मिल्स हैं। टाटा स्टील की अपनी रणनीतिक करोबारी इकाइयों के जरिए संबद्ध और डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इन इकाइयों में ट्यूब्स अनुभाग, बीयरिंग्स अनुभाग, वायर अनुभाग, फैरो अलॉय व खनिज अनुभाग और टाटा ग्रोथ शॉप शामिल हैं, जो उत्तम और उच्च शुद्धता वाले औद्योगिक उपकरण बनाती हैं। कंपनी ओडिशा के जाजपुर जिले में कलिंगनगर में एक ग्रीनफील्ड स्टील प्रोजेक्ट स्थापित कर रही है। टाटा स्टील ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के जरिए झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि में क्षमता विस्तार के विकल्पों की तलाश कर रही है। कंपनी अपने पास मौजूद लौह अयस्क, कोयले और क्रोम अयस्क की खदानों का संचालन भी करती है। टाटा स्टील, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (वर्ल्डस्टील) की मूल्यवान सदस्य है और इसने इस्पात उद्योग के अंतर्गत अपने त्रिपक्षीय जमीन स्तरीय प्रदर्शन को मापने के लिए स्थिरिता सूचकों को स्वीकार किया है। टाटा स्टील यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पेक्ट प्रोग्राम की संस्थापक सदस्य है। कंपनी संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों जैसे तंत्र से मार्गदर्शित भी होती है।

5.5 एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड

एस्सार स्टील इंडिया विषाखापट्टनम और ओडिशा में क्रमशः अपनी पैलेट सुविधाओं से सहयोग प्राप्त 8.54 एमटीपीए प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के साथ भारत की अग्रणी स्टील निर्माता है। अतिरिक्त 6 एमटीपीए प्रतिवर्ष पैलेट सुविधा शुरू होने वाली है। आधुनिकतम सुविधाओं में आयरन ओर बेनिफिकेशन, पैलेट निर्माण, लौह निर्माण, इस्पात निर्माण और डाउनस्ट्रीम सुविधाओं सहित कोल्ड रोलिंग मिल, एक जस्ता चढ़ाव और प्री–कोटेड सुविधा, एक इस्पात–प्रसंस्करण सुविधा, एक अतिरिक्त–वृहद प्लेट मिल और कोटिंग सुविधायुक्त तीन पाइप लाइन सम्मिलित हैं। एस्सार स्टील अपने उत्पादों की निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अपने परिचालन के लिए बड़े स्तर पर सूचना तकनीक का उपयोग करती है। यह अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण एजेंसियों जैसे एपीआई, एबीएस, एनएसीई, एललॉयड्स रजिस्टर के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप 300 ग्रेड से अधिक इस्पात निर्मित करती है। इन उत्पादों में से कई आयातित वैकल्पिक उत्पाद हैं, जो उद्योगों के व्यापक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एस्सार स्टील की अग्रणी पहल एस्सार हाइपरमेट एसएमई सेगमेंट, जिसकी मिल सामग्री तक सामान्यता पहुंच नहीं होती, की आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। कंपनी में स्थायित्व को यथोचित महत्व दिया गया है और यह शून्य–अपशिष्ट कंपनी बनने की राह पर है।

एस्सार का स्टील सर्विस सेंटर

5.6 जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड

जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड के रायगढ़ (छत्तीसगढ़), अंगुल (ओडिशा) और पतरातू (झारखंड) में इस्पात संयंत्र हैं। इसके रायगढ़ में धातुओं के लिए परंपरागत रोटरी किल्न आधारित डीआरआई और बीएफ हैं। यह अंगुल में एक इस्पात संयंत्र का क्रियान्वयन कर रहा है। यह रायगढ़ और अंगुल में धातु के अंतर–संयंत्र स्थानांतरण सहित पतरातू में बार मिल और वायर रोड मिल भी संचालित करती है।

5.7 भूषण स्टील

अपने ग्रुप की एक प्रमुख कंपनी भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) साहिबाबाद (उ.प्र.), खोपोली (महाराष्ट्र) और मेरामंदाली (ओडीशा) में उत्पादन सुविधा युक्त इस्पात निर्माता है। इस्पात का उत्पादन मेरामंदाली संयंत्र में जबकि द्वितीय स्तरीय इस्पात का उत्पादन साहिबाबाद और खोपोली संयंत्रों में किया जाता है। उत्पादों की आपूर्ति मुख्यतः स्वचालित भागों और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को की जाती है। कंपनी मेरामंदाली में प्राथमिक इस्पात उत्पादों जैसे कि हॉट–रोल्ड कॉइल्स और बिल्ट्स का निर्माण करती है, जो साहिबाबाद और खोपोली में इसके द्वितीय स्तरीय इस्पात के निर्माण में कच्चे माल के तौर पर उपयोग होते हैं।

भूषण स्टील प्लांट

कंपनी के बड़े द्वितीय स्तरीय उत्पादों में कोल्ड रोल्ड और क्लोज एनील्ड ('सीआरसीए') इस्पात, गैल्वेनाइज्ड (जस्ता सहित) शीट्स और कॉइल्स, 'गैल्यूम' (एल्यूमीनियम सहित और ब्रांडेड) शीट्स और कॉइल्स, कलर–कोटेड शीट्स और कॉइल्स, परिशुद्धता ट्यूब्स, कठोर एवं संयमित ('एच एंड टी') इस्पात स्ट्रिप्स और हाई–टेंशन स्टील स्ट्रैपिंग ('एचटीएसएस') शामिल हैं।

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड

5.8 इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड एक अग्रणी नम्य लौह (डीआई) पाइप निर्माता कंपनी है। कंपनी ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ)–बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)–कंटिन्यूअस कास्टिंग (सीसी)–हॉट रोलिंग मिल रूट के जरिए लौह अयस्क परिष्करण आधारित 2.51 एमटीपीए प्रतिवर्ष ग्रीनफील्ड स्टील और डीआई पाइप प्लांट स्थापित कर रही है।

5.9 मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर तथा रायगढ़ में 1.8 एमटीपीए प्रतिवर्ष वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र वाली देश की एक इस्पात विनिर्माता है। इस एकीकृत इस्पात संयंत्र में प्रतिवर्ष 0.8 एमटीपीए स्पंज लौह, 0.7 एमटीपीए ब्लास्ट फर्नेस, 0.50 एमटीपीए रेबर मिल, 0.2 एमटीपीए प्रतिवर्ष संरचनात्मक मिल एवं 230 मेगावॉट विद्युत संयंत्र, 7.5 लाख टन प्रतिवर्ष सिंटर संयंत्र, 1.20 एमटीपीए प्रतिवर्ष पैलेटाइजेशन संयंत्र, 1.00 एमटीपीए कोल बेनिफिकेशन प्लांट शामिल हैं। अनुमानित रूप से 7600 करोड़ रुपये पहले ही निवेश कर दिए गये हैं और कंपनी कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, स्पंज आयरन, पावर, सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई, लाइम डोलोमाइट संयंत्र, रोलिंग मिल, स्लैग क्रशिंग एवं स्वचालित संयंत्र जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अपनी क्षमताओं का प्रति वर्ष 1.8 एमटीपीए टन से 2.4 एमटीपीए तक विस्तार करेगी।

मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड संयंत्र

5.10 वीसा स्टील लिमिटेड

वीसा स्टील लिमिटेड (वीएसएल) प्रति वर्ष 5 लाख टन विशेष इस्पात संयंत्र, 18,0000 टन फेरो क्रोम संयंत्र के साथ ओडिशा में कलिंगनगर औद्योगिक परिसर में 75 मेगावॉट कैपटिव पावर प्लांट और 4 लाख टन प्रतिवर्ष कोक संयंत्र संचालित कर रही है। वीएसएल की प्रति वर्ष 10 लाख टन विशेष इस्पात संयंत्र, 2,50,000 लाख टन फेरो क्रोम प्लांट और 8 लाख टन कोक प्लांट तक सुविधाओं के विस्तार की योजना है।

विशेष इस्पात कारोबार में प्रतिवर्ष 5,00,000 टन स्टील मेल्ट शॉप (70 टन ईएएफ, एलआरएफ और वीडी सहित), 5,00,000 टन बार और वायर रोड मिल, 2,25,000 टन ब्लास्ट फर्नेस और 3,00,000 टन स्पंज लौह संयंत्र शामिल हैं। उत्पादों में विशेष इस्पात वायर रॉड्स, बार्स, स्प्रिंग स्टील लैट्स, आरसीएस, हैक्स–बार्स, बिलैट्स और ब्लूम्स सम्मिलित हैं।

फैरो क्रोम कारोबार में प्रति वर्ष 1,80,000 टन फैरो क्रोम प्लांट (6 x 18 एमवीए जलमग्न आर्क फर्नेसिस) के साथ 75 मेगावॉट कैपटिव पावर प्लांट सम्मिलित हैं। उत्पाद जापान, कोरिया, चीन, यूरोप और अमेरिका में जंगरोधी इस्पात और विशेष इस्पात संयंत्रों को बेचे जाते हैं।

कोक का कारोबार वीसा सनकोक लिमिटेड (वीएससीएल), जो सनकोक एनर्जी, यूएसए के साथ संयुक्त उपक्रम में वीसा स्टील की सब्सिडियरी है, के जरिए संचालित होता है। वीएससीएल 4,00,000 टन प्रतिवर्ष कोक ओवन प्लांट के साथ संबंधित भाप उत्पादन इकाइयां संचालित कर रही है। वीएससीएल विभिन्न ब्लास्ट फर्नेसिस और फैरो अलॉयज प्लांट्स को क्वालिटी कोक प्रदान करती है।

5.11 जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड

जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड 18 लाख टन क्षमता के साथ विश्व की शीर्ष 10 जंगरोधी इस्पात निर्माता कंपनियों में से एक है। एक नेतृत्वकर्ता और एक नाम जो उद्यम, उत्कृष्टता व सफलता का पर्याय बन गया है। जिंदल स्टेनलैस लिमिटेड ने अपनी सफलता की कहानी, पूर्व और अग्रिम एकीकरण दोनों तरह की रणनीति पर आधारित अपने कार्यों को पूर्णता एकीकृत करके तैयार की है। इसका प्रारंभ खनन, गलन, ढलाई, हॉट रोलिंग से कोल्ड रोलिंग और अन्य मूल्य संवर्धन से हुआ। एक आईएसओ : 14001 के अनुसार, कंपनी के उत्पादों में फेरो अलॉयज, जंगरोधी इस्पात स्लैब्स, ब्लूम्स, हॉट रोल्ड कॉइल्स, प्लेट्स और कोल्ड रोल्ड कॉइल्स/शीट्स, रेजर ब्लेड्स स्टील के लिए जंगरोधी इस्पात स्ट्रिप्स और भारत व यूरोपी संघ में टकसालों के लिए कॉयन बैंक्स शामिल हैं।

वीसा स्टील लिमिटेड

अध्याय–VI

अनुसंधान और विकास

6.0 इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास

भारत में इस्पात क्षेत्र में पहली आर एंड डी लैबोरेटरी वर्ष 1936 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) में स्थापित की गई थी। सेल ने अपना कॉरपोरेट आरएंडडी केन्द्र 1972 में रांची में स्थापित किया। जेएसडब्ल्यू स्टील, बेल्लारी और एस्सार स्टील, हजीरा के नए संयंत्रों में आरएंडडी इकाइयां 2,000 के दशक में अस्तित्व में आईं। सरकार ने सीएसआईआर के तहत भी कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और इनमें नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरीज (सीएसआईआर–एनएमएल), जमशेदपुर और इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी (सीएसआईआर–आईएमएमटी), भुबनेश्वर लौह एवं इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में लगे हैं। इसके अलावा, आईआईटी और एनआईटी जैसे कुछ अकादमिक संस्थान भी लौह एवं इस्पात के क्षेत्र में प्रायोजित अनुसंधान कार्य करने में लगे हैं।

सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एस्सार स्टील जैसी इस्पात कंपनियों ने कच्चे माल के बेनिफिसिएशन, एग्लोमरेशन और उत्पाद विकास के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय काम किए हैं। हालांकि, इन कंपनियों में मुख्य ज़ोर आमतौर पर समस्या के समाधान वाले दृष्टिकोण या विभिन्न उत्पादन इकाइयों की मौजूदा एवं अल्पकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए वृद्धि संबंधी प्रौद्योगिकी विकास से जुड़े हैं। देश में अग्रणी इस्पात कंपनियों में आरएंडडी निवेश बिक्री कारोबार का 0.05 से 0.5 प्रतिशत है, जबकि विदेश की अग्रणी कंपनियों द्वारा एक से डेढ़ प्रतिशत निवेश आरएंडडी पर किया जाता है।

6.1 लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन के लिए सरकार की पहल

आरएंडडी पर अधिक ज़ोर देने के लिए इस्पात मंत्रालय सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित कर रहा है। इस क्षेत्र में आरएंडडी को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहल की गई है:

(i) इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) से वित्तीय सहायता के साथ आर एंड डी

इस स्कीम के तहत आरएंडडी परियोजनाओं की मंजूरी एवं निगरानी के लिए सरकार ने सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) गठित की है। ईसी ने 24 बैठकें की हैं और 389.63 करोड़ रुपए की एसडीएफ सहायता के साथ 696.27 करोड़ रुपए की लागत वाली 83 आरएंडडी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 83 आरएंडडी परियोजनाओं में से 47 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जिससे उद्योग लाभान्वित हुआ है। वहीं मध्यावधि समीक्षा के बाद 11 परियोजनाएं रोक दी गईं, जबकि 25 परियोजनाएं प्रगति में हैं। इनमें से कुछ परियोजनाओं के अनुसंधान के परिणामों को इस्पात उद्योग द्वारा क्रियान्वित किया गया है जिससे संबद्ध क्षेत्रों में लाभ मिल रहा है।

(ii) योजना निधि से वित्तीय सहायता के साथ अनुसंधान और विकास

इस्पात उद्योग से संबद्ध कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर योजना निधि से 118 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक नयी स्कीम – **लौह एवं इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी के प्रोत्साहन** के लिए स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत तीन प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया गया। ये क्षेत्र हैं– (i) अनूठी/अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास (ii) भारतीय लौह अयस्क चूरा एवं गैर कोकिंग कोल के बेनिफिसिएशन व उपयोग और (iii) इंडक्शन फर्नेस रूट के जरिए उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता में सुधार।

पहले से चल रही स्कीम होने की वजह से उपरोक्त स्कीम को 12वीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जारी रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित दो अतिरिक्त उद्देश्य– (i) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरजीओ) शीट्स एवं अन्य मूल्यवर्धित अभिनव इस्पात उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और (ii) लौह व इस्पात क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय महत्व के अन्य विषयों पर अनुसंधान एवं विकास, इस स्कीम में जोड़े गए।

इस स्कीम के तहत आरएंडडी प्रस्तावों/परियोजनाओं की मंजूरी एवं निगरानी के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक परियोजना मंजूरी व निगरानी समिति (पीएएमसी) है। अभी तक पीएएमसी द्वारा कुल 149.17 करोड़ रुपये की लागत से जिसमें 102.91 करोड़ रुपये योजना निधि शामिल है, 12 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं मंजूरी की गई हैं।

(iii) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील शीट्स के लिए प्रौद्योगिकी का विकास

सीआरजीओ स्टील शीट्स के लिए प्रौद्योगिकी तैयार रूप से उपलब्ध नहीं है क्योंकि दुनियाभर में इसके केवल मुट्ठीभर विनिर्माता हैं और वे प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के इच्छुक नहीं हैं। देश में सीआरजीओ स्टील शीट्स के लिए मांग सालाना 2 से 2.5 लाख टन है जिसके 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दोगुना होने की संभावना है। ज्यादातर मांग आयात के जरिए पूरी की जाती है और भारत में बहुत मामूली मात्रा में इसका विनिर्माण किया जाता है वह भी आयातित अर्द्धनिर्मित कच्चे माल पर आधारित है। इसलिए, देश में सीआरजीओ स्टील शीट्स के उत्पादन के लिए खुद की क्षमता विकसित करना अपरिहार्य हो जाता है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस्पात मंत्रालय 'कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील शीट्स के लिए प्रौद्योगिकी विकास' के वास्ते एक संयुक्त गठबंधन अनुसंधान प्रस्ताव पर काम कर रहा है। एनएमएल जमशेदपुर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर और इस्पात मंत्रालय इस पहल में भागीदार हैं और वे परियोजना की लागत मिलकर वहन करेंगे। इस्पात मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से योजना निधि से इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपये अलग किए हैं। परियोजना का डीपीआर जनवरी, 2016 में तैयार कर लिया गया है और इस डीपीआर की मंजूरी के लिए भागीदारों द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। भागीदारों द्वारा अंतिम मंजूरी दिए जाने पर परियोजना शुरू होगी।

(iv) भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन

इस्पात क्षेत्र में संयुक्त सहयोगपूर्ण अनुसंधान कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय महत्व की आरएंडडी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस्पात मंत्रालय, भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) नाम से एक अनूठी संस्थागत व्यवस्था की स्थापना की सुविधा दे रहा है। एसआरटीएमआई उद्योग की अगुवाई में एक पहल होगी और इसे देश में इस्पात कंपनियों, इस्पात मंत्रालय अकादमिक व संबद्ध आरएंडडी संस्थानों के बीच करीबी सह–परिचालन में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। एसआरटीएमआई का संचालन इस्पात एवं सहायक कंपनियों के संचालक मंडल के मुख्य कार्यकारियों, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय तौर पर विख्यात क्षेत्र विशेषज्ञों और इस्पात मंत्रालय से एक नॉमिनी द्वारा किया जाएगा। एसआरटीएमआई के कार्यकारी कामकाज इसके निदेशक द्वारा किया जाएगा जिसे सहायक ढांचे से मदद मिलेगी। इस सोसाइटी को पंजीकृत कर लिया गया है और निम्नलिखित कार्य प्रगति में हैं।

6.2 इस्पात कंपनियों द्वारा आर एंड डी

6.2.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फार आयरन एंड स्टील (आर डी सी आई एस) ने चालू वित्त वर्ष 2015–16 में 85 आरएंडडी परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिसमें से 48 परियोजनाएं मार्च, 2016 तक पूरी की जानी हैं। इन परियोजनाओं के तहत सेल के संयंत्रों/इकाइयों को तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराए गए जिसमें लागत में कमी लाने, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता में सुधार और नए उत्पादों के विकास पर खास जोर रहा।

आरडीसीआईएस ने 2015–16 में अप्रैल से दिसंबर, 2015 के दौरान 19 पेटेंट और 26 कॉपीराइट्स के लिए आवेदन किए। उन्होंने 64 तकनीकी परिपत्र प्रकाशित किए और 117 पत्र प्रस्तुत किए। इसके अलावा, आरडीसीआईएस ने ठेके पर अनुसंधान का काम अपने हाथ में लिया और सेल से बाहर महत्वपूर्ण परामर्श सेवाएं एवं तकनीकी जानकारी संगठनों को उपलब्ध कराई जिससे अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान उसे बाहर से 58.38 लाख रुपये की आय हुई।

सेंटर द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए आरडीसीआईएस को अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए जिनमें दि बीटी–स्टार पीएसयू अवार्ड फॉर एक्सिलेंस इन इन्नोवेशन (टेक्नोलॉजी/आरएंडडी), नेशनल मेटलर्जिस्ट (उद्योग), मेटलर्जिस्ट ऑफ दि ईयर, यंग मेटलर्जिस्ट ऑफ दि ईयर, सेल अवार्ड आदि शामिल हैं।

अनुसंधान एवं विकास के प्रयास और उपलब्धियां

- आरएसपी के एसएमएस–II के कास्टर#3 में स्लैब की गुणवत्ता में सुधार के लिए कास्टिंग प्रक्रिया मानकों को महत्तम करना
- डीएसपी में ल्यूब्रिकेंट के प्राथमिक विश्लेषण के जरिए त्रुटि का अनुमान लगाना एवं उपकरण की उपलब्धता बढ़ाना
- बीएसपी के एसपी#3 के कच्चे माल हॉपर के लाइनर्स में सुधार कर उसका जीवनकाल बढ़ाना
- आरएसपी के बीएफ#5 में स्लैग रसायन का महत्तम उपयोग
- आईएसपी में बड़े बीएफ के लिए लौह वाली सामग्री के उच्च ताप घटकों का आकलन
- बीएसएल में ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग आने वाले लौह तत्व वाली सामग्री के उच्च ताप घटकों की जांच
- आईएसपी में मिश्रण फार्मूलेशन द्वारा कोक की गुणवत्ता में सुधार एवं सीओबी#10 के परिचालन मानको को बढ़ाना

- आरएसपी के एचएसएम में सूक्ष्मढांचा माडल आधारित वर्चुअल टेस्ट सर्टिफिकेशन (वीटीसी) एवं रन–आउट–टेबल (आरओटी) कूलिंग कंट्रोल सिस्टम शुरू करना।
- आरएसपी के एसएमएस-II में लैडल की उपलब्धता एवं लाइनिंग का जीवनकाल बढ़ाने के लिए स्टील लैडल हेतु प्रभाव प्रतिरोधी रीफ्रैक्टरीज़ का विकास।
- बीएसएल में एचडीजीएल, सीआरएम,के गैल्वनाइज्ड उत्पाद के सतह की गुणवत्ता में सुधार।
- आरडीसीआईएस में स्टील प्लांट एप्लीकेशंस के लिए टूटफूट रोधी सामग्री के चयन के लिए एक विशेषज्ञ प्रणाली का विकास।
- आरडीसीआईएस में कास्टिंग के दौरान सब एंट्री नोजल अवरोधक रोकने के लिए इस्पात में गैर धात्विक समावेश के संशोधन के लिए थर्मोडायनामिक्स अध्ययन।

नए उत्पादों का विकास एवं उनका व्यावसायीकरण

आरडीसीआईएस सेल की उत्पाद विकास गतिविधियों में एक अग्रणी भूमिका निभाता है। आरडीसीआईएस ने सेल के संयंत्रों के साथ मिलकर अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान निम्नलिखित उत्पाद विकसित किए:

क्र.सं.	उत्पाद	संयंत्र
1.	1786 Fe 500D टीएमटी रीबार्स (20एमएम)	आईएसपी
2.	API 5L X60 PSL1 ग्रेड एचआर कॉयल्स	बीएसएल
3.	IS 15962 E 450S ग्रेड एचआर कॉयल्स वे प्लेटें	आरएसपी
4.	ASTM A 387 Gr. 11 Cl. 2 प्लेटें	बीएसपी
5.	Ti 44 टैबलाइज्ड लो कार्बन फेरिटिक स्टैलनेस स्टील (AISI 409L)	एसएसपी
6.	जेड दिशासूचक घटकों के साथ उच्च लचीली प्लेटें	बीएसपी
9.	फार्मेबल क्वालिट सीआर कॉयल्स (IS 513 CR4)	बीएसएल
10.	Ti 44 टैबलाइज्ड लो कार्बन फेरिटिक स्टैलनेस स्टील (AISI 441)	एसएसपी
11.	IS 2062 E 450 मोटी प्लेटें (70 & 80 एमएम) जेड दिशासूचक घटकों के साथ	आरएसपी
12.	T91/ F91 ग्रेड स्टील	एएसपी
13.	IS 1786 Fe 500S एचसीआर ग्रेड TMT रीबार्स (32एमएम)	बीएसपी
14.	सेल टावर ग्रेड VI बिलेट्स (150x150एमएम)	आईएसपी

भारतीय नौसेना के लिए इस्पात

- **भारत के प्रथम देशज युद्धपोत वाहक आईएनएस विक्रांत में इस्तेमाल डीएमआर 249 ग्रे एएंडबी प्लेट्स**
- **सबमैरींस के हल में इस्तेमाल सुपरीरियर स्ट्रेन्थ और टफनेस प्रोपर्टीज युक्त डीएमआर 292 ग्रेड ए प्लेट्स**

आईएनएस विक्रांत

सबमैरीन

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सेल का कारोबार	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च			
		पूंजी	राजस्व	कुल	कारोबार का %
2011–12	50348	5.37	129.08	134.45	0.27
2012–13	49350	2.56	145.07	147.63	0.30
2013–14	51866	4.38	106.05	110.43	0.21
2014–15	50627	32.14	232.06	264.20	0.52

पेटेंट के लिए दाखिल आवेदनः

वर्ष	दाखिल पेटेंट की संख्या
2012–13	35
2013–14	36
2014–15	37
2015–16 (अप्रै.–दिसं.)	19

6.2.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी पहल संयंत्र की मौजूदा एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में की गई हैं। दिसंबर, 2015 तक आरएंडडी के क्षेत्र में उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- कनवर्टर में जोनल लाइनिंग के लिए MgO-C रीफ्रैक्टरी में सुधार किया गया और MgO-C रीफ्रैक्टरी की विभिन्न किस्में विकसित की गईं।
- मूल्यवर्धित सेरामिक उत्पाद जैसे विट्रिफाइड सेरामिक टाइलें, पटरी के ब्लॉक्स, घर्षण रोधी टाइलें आदि ठोस अपशिष्ट का उपयोग कर विकसित किए गए।
- लौह अयस्क चूरे (–5मिमी) का उपयोग कर धातु के टुकड़े विकसित किए गए और धातु के अपशिष्ट का इस्पात विनिर्माण में नए इनपुट के तौर पर उपयोग किया गया।
- बेहतर लैंस टिप लाइफ एवं ब्लोइंग स्थितियों के लिए लैंस टिप डिजाइन जिससे एलडी की उत्पादकता में सुधार आया।
- बेनजोल टंकी की छत में क्षरण की समस्या का समाधान निकाला गया।
- पारगमन ब्लूम की मात्रा का अनुमान एवं पारगमन ब्लूम उत्पादन का न्यूनीकरण।
- फाउंड्री एप्लीकेशन के लिए वीएसपी के बीएफ स्लैग का उपयोग
- बीएफ/एलडी गैस पाइपलाइन और सीसीडी के एन1 बंकरों में क्षरण की समस्या के लिए समाधान का विकास।
- भूमिगत जल संसाधनों की पहचान और आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करना।

वर्ष 2015–16 के दौरान पेटेंट के लिए दाखिल आवेदनः 1

आरआईएनएल के ब्लास्ट फर्नेस 3 में कोक की जगह कुछ पलवेराइज्ड कोयला प्रक्षेपण और फलतः उत्पादन लागत में कमी

आर एंड डी पर निवेश

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वास्तविक खर्च	कारोबार % के तौर पर खर्च
2012–13	31.13	0.23
2013–14	50.27	0.37
2014–15	33.09	0.28
2015–16 में दिसंबर, 2015 तक	16.24	0.20

6.2.3 एन एम डी सी लिमिटेड

एनएमडीसी का अपना आरएंडडी केन्द्र है जो भारत एवं विदेशों में अपनी मौजूदा खानों, अन्य संगठनों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा रहा है। यह केंद्र ग्राहक की अधिक संतुष्टि के लिए निष्पादन प्रक्रिया में सतत सुधार के जरिए उत्पाद में उत्कृष्टता बनाए रखने और लौह व खनिजों के संबंध में उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी विकास मिशन के लिए प्रतिबद्ध है।

आरएंडडी केंद्र निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में काम करता है:

- निचले ग्रेड के अयस्कों के साथ मिश्रण कर उच्च ग्रेड के अयस्क का संरक्षण सुनिश्चित करना।
- लौह अयस्क चूरे का उपयोग बढ़ाने और अवशेषों/अपशिष्ट के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना।
- एनएमडीसी की खदानों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता से जुड़ी समस्याओं के तकनीकी समाधान उपलब्ध कराना।
- खनिज प्रोसेसिंग, हाइड्रोमेटलर्जी, एग्लोमरेशन, बल्क सोलिड्स हैंडलिंग, खनिज विद्या एवं रसायन विश्लेषण के क्षेत्र में एनएमडीसी एवं अन्य घरेलू व विदेशी संगठनों की परियोजनाओं को अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना।
- निगम के दीर्घकालीन उद्देश्यों व रणनीतिक योजनाओं के अनुरूप नयी परियोजनाओं की पहचान करना एवं लागत प्रभावी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास करना।
- कोयला कार्बनीकरण एवं लौह व इस्पात में आरएंडडी विशेषज्ञता बढ़ाना।

एनएमडीसी द्वारा चलाई जा रहीं विकास परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

i. बल्क सोलिड के प्रवाही घटकों पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन।

ii. किरंडुल से बीएचक्यू पर बेनिफिसिएशन का अध्ययन।

iii. सिलिका बेस किंबरलाइट से नैनो ढांचे TiO_2 की तैयारी।

iv. 15 मिलियन टन की स्लरी पाइपलाइन के लिए बल्क कनसन्ट्रेट उत्पादन–बछेली में 2 मिलियन टन के बेनिफिसिएशन संयंत्र के लिए रियोलॉजिकल स्टडीज व लो शीट का विकास।

v. एनएमआरएल (डीआरडीओ) के लिए विशेष ग्रेड के फैराइट का विकास।

vi. बछेली और किरंडुल (आईएसएम) से प्राप्त कीचड़ के नमूनों पर चरित्र चित्रण व बेनिफिसिएशन का अध्ययन।

vii. नागरनार में 2.0 एमटीपीए के पेलेट संयंत्र की स्थापना के तहत बछेली और किरंडुल के चूरे व कीचड़ से लौह अयस्क सांद्र के साथ पेलेटाइजेशन का अध्ययन।

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आरएंडडी पर खर्च			एनएमडीसी का सालाना कारोबार	कारोबार का प्रतिशत
	राजस्व	पूंजी	कुल		
2012–13	11.98	0.25	12.23	10704.27	0.11
2013–14	14.42	2.32	16.74	12058.00	0.14
2014–15	17.16	1.33	18.49	12356.41	0.15
2015–16 (दिसंबर, 2015 तक)	11.30	0.63	11.93	4925.85	0.25

6.2.4 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने सीएसआईआर–आरएंडडी लैबोरेटरी के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी पेश कर खदानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार रहीं:

- बालाघाट और गुमगांव खान के सामने के वेंटिलेशन में सुधार एवं भूमिगत खंडों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गहरे स्तर हेतु वेंटिलेशन पुनर्गठन अध्ययन।
- उकवा माइन में मशीन से परिचालन रोकने व सपोर्ट सिस्टम के लिए मैकेनाइज्ड स्टॉपिंग ऑपरेशन तैयार का उसे क्रियान्वित किया गया है।
- उकवा माइन में हाइड्रोलिक स्टोइंग परिचालन के लिए मलंजखाड कॉपर परियोजनाओं की मिल टेलिंग्स का उपयोग किया गया है।
- उकवा माइन में प्रायोगिक आधार पर सतह की राख द्वारा भूमिगत खंडों को भरने के लिए अध्ययन।
- स्लोप मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउकेला के गठबंधन में स्लोप स्टैबलाइजेशन के लिए अनुसंधान।

अनुसंधान व विकास पर खर्च:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आरएंडडी पर खर्च	कारोबारी आय का %
2012.13	8.29	0.86
2013.14	9.19	0.90
2014.15	6.00	0.73
2015–16 [(अप्रैल से दिसंबर, 2015 तक (अनंतिम)]	6.03	0.90

6.2.5 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित आरएंडडी परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कीं:

- रक्षा कर्मियों के लिए एयर वारियर बॉडी वेंटिलिएशन वेस्ट्स की डिज़ाइन व सिमुलेशन की अवधारणा तैयार की
- मेकॉन, रांची के आरएंडडी डिवीज़न में लेज़र से पहचान कर गैर संपर्क रेखी विस्थापन सेंसर व लिमिट स्विच का विकास
- आरएसपी, राउरकेला में ओज़ोन पर पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए)
- रेड मड–घारदा केमिकल्स से लौह, एल्युमीनियम व टाइटेनियम निकालना
- औद्योगिक इस्तेमाल के लिए थर्मोइलेक्ट्रिक डायरेक्ट कूल्ड हेलमेट का व्यावसायीकरण

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी पर खर्च (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी खर्च पर कारोबार का %
2012–13	511.65	2.38	0.47
2013–14	341.29	2.70	0.79
2014–15	389.92	2.07	0.53
2015–16 (अप्रैल से नवंबर 2015)	450.00	1.61	0.36

6.2.6 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू के पास सुदृढ़ आरएंडडी केन्द्र है और इसने वर्ष 2014–15 के दौरान प्रक्रिया, ऊर्जा व उत्पाद के महत्तम उपयोग पर 22 आरएंडडी परियोजनाएं चलाई हैं और प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद विकास पर 4 परियोजनाएं चलाई हैं। अभी तक, उन्होंने प्रक्रिया, ऊर्जा और उत्पाद अनुकूलन से जुड़ी 17 परियोजनाएं एवं प्रौद्योगिकी विकास की 3 परियोजनाएं पूरी की हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान संचालित प्रमुख आरएंडडी गतिविधियां

- विजयनगर वर्क्स में कुल 22 परियोजनाएं (20 परियोजनाएं प्रक्रिया, ऊर्जा और उत्पाद के इष्टतमीकरण से जुड़ी हैं और 2 प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं हैं) दिसंबर, 2015 तक पूरी की गई हैं।
- निट्रोवैन के उपयोग के साथ Nb का V से आंशिक विस्थापन कर पतले गेज के SH41AL ग्रेड में तापमान निशान के चलते खराब हुई सतह की गुणवत्ता में सुधार और मिल लोड में कमी।
- सिंटर बेड की चौड़ाई में तापमान और वायु के प्रवाह में उतार चढ़ाव घटाकर सिंटर प्लांट में ग्रेट बार के जीवन काल में सुधार।

नए उत्पादों का विकास

- निट्रोवैन का उपयोग कर SAPH440 ग्रेड के मैकेनिकल घटक में सुधार व निरंतरता।
- पाइप एप्लीकेशन में उपयोग आने वाले High Mn, Nb माइक्रोएलॉयड ग्रेड की तनाव दर में कमी
- क्रैंक शाट एप्लीकेशन के लिए 38MnSiVS5
- पिनियन्स / गियर्स बनाने के लिए 5125RH
- गियर ड्राइव्स बनाने के लिए SAE94B17H
- इलास्टिक रेल क्लिप्स बनाने के लिए 55Si7
- भारतीय रेलवे के लिए कैम शाट्स हेतु SAE 1070
- रेलवे के लिए कनेक्टिंग हेतु AISI E86B45

विकसित की गई नयी प्रक्रियाएं

- समावेशी संबंधी खामी घटाने एवं एल्युमीनियम की खपत घटाने के लिए डिऑक्सिडेशन प्रक्रिया एवं द्वितीयक शोधन का ईष्टमीकरण।
- LCAK स्टील में सिल्वर एल्युमिना लकीर से संबद्ध सतह की खामी में कमी।
- धीमी कूलिंग पद्धति के जरिए 51CrV4 ग्रेड लैट उत्पादों में कठोरता 20 BHN तक घटाना।
- सीएसएम, इटली के साथ गठबंधन कर विभिन्न स्टील ग्रेड्स में सूक्ष्म समावेश में कमी पर अध्ययन।
- पर्यावरण अनुकूल सड़क की पटरियों में एसएमएस स्लैग व लाई ऐश का इस्तेमाल।

वर्ष 2015–16 (अप्रैल–दिसंबर 2015) के दौरान दाखिल किए गए पेटेंटः 9 (नौ)

अनुसंधान एवं विकास पर निवेश (विजयनगर वर्क्स)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आरएंडडी में निवेश	आरएंडडी में निवेश सालाना कारोबार के [%] के तौर पर
2012–13	43.42	0.160
2013–14	22.04	0.074
2014–15	17.44	0.055

अनुसंधान एवं विकास पर निवेश (डोल्वी वर्क्स)

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आरएंडडी में निवेश	आरएंडडी में निवेश सालाना कारोबार के [%] के तौर पर
2012–13	0.97	0.01
2013–14	2.44	0.02
2014–15	1.445	0.014
2015–16 (अप्रैल दिसंबर,15)	1.50	.

6.2.7 टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल), जमशेदपुर

टाटा स्टील लिमिटेड के पास जमशेदपुर में खुद का आरएंडडी केन्द्र है जो लौह अयस्क, कोयला आदि जैसे कच्चे माल सहित लौह एवं इस्पात से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक एवं व्यवहारिक अनुसंधान कर रहा है।

2014–15 के दौरान किए गए आरएंडडी कार्य

- बेकार जल से टीडीएस हटाने और जैव–विद्युत पैदा करने के लिए माइक्रोबायल डिसैलिनेशन सेल का विकास एवं अध्ययन।
- 0.5% C के साथ FeMn के उत्पादन के लिए स्मेल्ट घटाने की प्रक्रिया मानकों का ईष्टतमीकरण एवं पायलट परीक्षण।
- LD & FeCr स्लैग 2 से सिंथेसिस गैस (CO + H2) उत्पादन प्रक्रिया का विकास। बेकार ऊष्मा की रिकवरी अधिकतम करने के लिए एक लैबोरेटरी डिजाइन का विकास व प्रक्रिया मानकों को महत्तम करना।
- मल्टी टैपहोल परिचालन के लिए BF Hearth के वाटर मॉडल का अध्ययनः प्रथम भाग– प्रायोगिक सेटअप की डिजाइनिंग।
- सी और एफ ब्लास्ट फर्नेसों में स्लैग फ्लूइडाइजर का प्लांट परीक्षण
- कोयला खानों से ओवरबर्डेन (OB) का उपयोग सड़क निर्माण सामग्री के तौर पर करना
- ढलाई के अंत में LD#3 VafM"k स्कल नुकसान को 50 प्रतिशत तक घटाना
- मौजूदा नोजल क्लॉगिंग इंडेक्स मॉडल में सुधार और इसे अपस्ट्रीम डाटा से संगत करना
- महत्तम ढलाई निष्पादन के लिए स्टील के पेरीटेक्टिक व गैर पेरीटेक्टिक ग्रेड्स के संपीडन की स्थापना एवं हीट ट्रांसफर व्यवहार का अध्ययन
- उच्च स्टील Mn (>1.5%) ग्रेड्स में ढलाई में सुधार।
- LD2 के कास्टर में नवचन्द्रक की एक ओर टंडिश में प्रवाह का प्रभाव व ऊपर विक्षोभ पर SEN पाया गया
- बिलेट्स के ओपन कास्टिंग के लिए तेल व पाउडर वाले ल्यूब्रिकेंट के एक नए वर्ग का विकास
- ठोस अपशिष्ट से जियो–पॉलिमर ब्रिक्स व कंक्रीट
- स्लैग चिपचिपापन के आपरिवर्तक का उपयोग कर ब्लास्ट फर्नेस में उच्च एल्युमिना परिचालन (एल्युमिना 23–24 प्रतिशत पर–दैनिक औसत) का सफल प्रदर्शन
- कूलैंड के तौर पर विस्थापन के लिए एलडी कीचड़ ब्रिकेट के साथ संयंत्र परीक्षण

विकसित की गई नयी प्रक्रियाएं/उत्पाद (अप्रैल–दिसंबर, 2015)

- सूक्ष्मढांचे के संगतीकरण के जरिए प्रक्रिया मानकों व रसायन का ईष्टतमीकरण कर G340 और TMBP2 ग्रेड के लिए मैकेनिकल घटकों की स्थापना
- अग्नि रोधी इस्पात का विकास एवं व्यावसायीकरण (टाटा स्ट्रक्चरल में YST 355 Mpa min) जहां 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्ति अनुपात न्यूनतम 0.50 है
- निम्न कार्बन वायर रॉड से कम लागत के वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का विकास

- अन्य वायर रॉड स्रोतों (स्थानीय व वैश्विक) की तुलना में टीएसएल वायर रॉड (WR3M) से बने मिग वायर (ER70S-6) का मूल्यांकन
- क्रायोजेनिक एप्लीकेशंस के लिए रीबार्स का विकास
- TSCR के जरिए YS/UTS अनुपात 0.7.0.8 के साथ SAPH 440 ग्रेड का विकास
- घटे हुए / शून्य मॉलीब्डेनम के साथ Tata HS 1000 का विकास
- कार के साइड इंपैक्ट बीम के लिए अल्ट्राहाई टेन्सिल ;कठोर करने के बाद >=1400MPa) घटकों के साथ इस्पात का विकास
- न्यूनतम 1200 MPa UTS और 20% अधिकतम दीर्घकरण के साथ सतत कूल्ड बैनिटिक स्टील का विकासः प्रयोगशाला (चरण 3) से लेकर परीक्षण (चरण 4) तक
- CGL -2 प्रक्रिया स्थितियों के तहत डीपी स्टील्स के एलॉइंग घटकों के चुनिंदा ऑक्सिडेशन के अनुमान के लिए थर्मोडायनामिक्स मॉडल का विकास
- गैल्वनील्ड कोटिंग में मनमुताबिक चरणबद्ध अंश हासिल करने के लिए प्रक्रिया मानकों का अनुमान लगाने के वास्ते एक टूल का विकास
- उच्च तापमान रोधी इनसुलेशन यौजिक विकसित कर 32 दिनों से यूएचआर कनवेयर बेल्ट्स के जीवनकाल में 50 प्रतिशत संयुक्त सुधार
- स्टैनलेस स्टील की जगह वैकल्पिक किचेन सिंक मैटेरियल का विकास

अनुसंधान व विकास पर खर्चः

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि				कारोबार का %
	आवर्ती	पूंजी	कुल	कारोबार	
2012–13	55.77	3.96	59.73	38,199.43	0.15
2013–14	68.45	12.06	80.51	41,711.03	0.19
2014–15	107.87	25.93	130.80	41,785.00	0.32
2015–16	अभी प्रकाशित होना बाकी है				

6.2.8 भूषण स्टील लिमिटेड

आरएंडडी से जुड़ी पहलः

- 3.2 x 1260 - 1700 मिमी और 4.0 x 1260 - 1700 मिमी के विभिन्न आकारों में आंतरिक एवं बाहरी पैनल के तौर पर वाहनों में उपयोग के लिए सफलतापूर्वक आईएफ ग्रेड स्टील विकसित किया। साथ ही वाहन एप्लीकेशन में खंरोच रोधी के लिए 3.2 x 1370 मिमी आकार में आईएफ 340 भी विकसित किया।
- कोल्ड रोलिंग एप्लीकेशन के लिए बोरोन ट्रीटेड लो कार्बन स्टील विकसित किया।
- कम तापमान के एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बायलर ट्यूब व सुपर हीटर ट्यूब हेतु हॉट रोल्ड स्ट्रिप्स विकसित किया और इसे उत्पाद को आईबीआर (भारतीय बायलर नियमन) द्वारा मंजूर किया गया।
- विशेष ग्राहकों के लिए कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन हेतु SAE1080 विनिर्देशन से परे उच्च Mn (1%) के साथ हाई कार्बन स्टील हॉट रोल्ड स्ट्रिप्स विकसित किया।
- विदेशी बाजारों में कृषि डिस्क एप्लीकेशंस के लिए 5.8 x 1196 मिमी आकार में 28 MnB5 उच्च मैग्नीज व बोरोन स्टील ग्रेड सफलतापूर्वक विकसित किया और आपूर्ति की।
- वाहनों की चेसिस एवं 2.6 -4.0x1250 मिमी के विभिन्न आकारों में वाहन एप्लीकेशन के लिए विभिन्न पुर्जों के विनिर्माण के लिए BSK46 ग्रेड, उच्च मजबूती का माइक्रो एलॉय ग्रेड विकसित किया।
- भारतीय रेलवे में ढांचागत एप्लीकेशंस के लिए 2.9 x 1550 मिमी आकार में EN10025 S355 ग्रेड का उच्च मजबूती वाले कम एलॉय स्ट्रक्चरल स्टील और Fe 540, उच्च मजबूती वाला कम एलॉय स्टील को सफलतापूर्वक विकसित किया।

अनुसंधान एवं विकास पर खर्चः

बीएसएल विकास की दिशा में सतत आधार पर आरएंडडी पहल को करने के लिए सैद्धांतिक रूप से प्रतिबद्ध है, बिक्री टर्नओवर का करीब 0.4 - 0.5 प्रतिशत सालाना आधार पर आरएंडडी पहल के लिए नियमित निवेश किया जाता है।

6.2.9 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

आरएंडडी संबंधी पहलः

- जेएसपीएल अंगुल में सिन गैस प्लांट चालू करना, यह देशज कोयले पर चलने के लिए डिजाइन की गई स्वच्छ इस्पात उत्पादन के लिए एक जबरदस्त प्रौद्योगिकी है। यह पारंपरिक प्राकृतिक गैस आधारित डीआरआई प्लांट को प्रभावी विकल्प उपलब्ध कराती है
- जेएसपीएल, अंगुल की प्लेट मिल में E550 ग्रेड विकसित किया
- SMS-II में लैडल शुद्धिकरण के लिए नॉन रिटर्निंग वॉल्व का उपयोग
- लैडल के लिए सुरक्षा लाइनिंग के तौर पर L.C. Castable का उपयोग
- उक्त बर्डेन प्रोब 0Deg (DRI प्लांट की ओर) को नए के साथ बदला जाएगा और मौजूदा वॉल्व के लिए तैयार किया जाएगा
- टूटी–फूटी रीफ्रैक्टरी लाइनिंग की मरम्मत
- भट्ठी में डाले जाने वाले कच्चे माल में चूरे का घटाकर प्रतिशत करने के लिए स्क्रीन सुविधा सिंगल डेक से डबल डेक
- कोयले की खपत घटाने के लिए चार में FC% का उपयोग
- गैर ढांचागत एप्लीकेशंस के लिए सीमेंट की प्रकृति की एलएसए (Ligno-Silico-Aluminious) सामग्री विकसित करने के लिए जेएसपीएल रायगढ़ में उपलब्ध लाई ऐश की किस्म का उपयोग
- रेल परियोजनाओं की हेड हार्डनिंग

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि				कारोबार का %
	आवर्ती	पूंजी	कुल	कारोबार	
नवम्बर '15 तक	5.30	0.89	6.19	5,731.77	0.11

अध्याय–VII

ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन

7.0 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा कार्यकुशलता वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर किसी क्षेत्र या कंपनी का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण मानक हैं। सरकार के विभिन्न नियमों और योजनाओं के द्वारा इस्पात मंत्रालय इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत और प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। विभिन्न मंचों और उपायों के जरिए इस्पात मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदम/पहलें इस प्रकार हैं:

7.1 सरकारी पहल

7.1.1 पर्यावरण सुरक्षा के लिए निगमित दायित्व चार्टर (सीआरईपी)

पर्यावरण प्रदूषण, जल की खपत व ऊर्जा की खपत घटाने के लिए यह भारत सरकार द्वारा प्रमुख/बड़े इस्पात कारखानों के सहयोग से की गई एक पहल है जो अपशिष्ट को न्यूनतम कर, संयंत्र के भीतर प्रक्रिया नियंत्रण एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित विभिन्न उपायों के जरिए प्रदूषण रोकने एवं नियंत्रण के लिए नियामकीय नियमों से परे जाने के उद्देश्य के साथ पारस्परिक सहमति के मुताबिक की गई है। इस्पात मंत्रालय इस्पात संयंत्रों के साथ मिलकर सीआरईपी कार्य बिंदुओं के अनुपालन की सुविधा देता है।

7.1.2 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) शुरू की गई। एनएपीसीसी ने 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित किया जिसमें से एक नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिसिएंसी (एनएमईईई) है। परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) एनएमईईई के तहत एक महती योजना है। पीएटी ऊर्जा बचत के प्रमाणन के जरिए एक बाजार आधारित व्यवस्था है जिसका व्यापार किया जा सकता है। पैट अप्रैल, 2012 से प्रभावी है और इसके तहत अगले तीन साल के दौरान बिजली की खपत में औसतन 5 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रथम पीएटी चक्र पहले ही पूरा कर लिया गया है और संबंधित संयंत्रों द्वारा रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद लौह एवं इस्पात क्षेत्र के लिए नए बेंचमार्क पर निर्णय किया जाएगा।

7.1.4. एसएमई क्षेत्र में ऊर्जा के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन

यूएनडीपी–जीईएफ–इस्पात मंत्रालय की परियोजना: ऊर्जा की खपत घटाने एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 25–50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए **34 स्टील री–रोलिंग मिलों** (मॉडल इकाइयों) में कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां लागू की गईं। इससे कई अन्य स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकियों को दोहराने में मदद मिली है।

यूएनडीपी–इस्पात मंत्रालय–ऑसएड परियोजना: स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा दक्षता को दोहराने एवं इंडक्शन फर्नेस जैसे अन्य एसएमई क्षेत्र में दखल का विस्तार का लक्ष्य। यह परियोजना प्रगति पर है और जून, 2016 तक पूरी होने की संभावना है। इस प्रौद्योगिकी को 293 इकाइयों (283 स्टील री–रोलिंग मिलों एवं 10 इंडक्शन फर्नेसों) में दोहराया जा रहा है।

7.1.5. ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए एनईडीओ मॉडल परियोजनाएं

जापान सरकार अपने आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के जरिए कोष उपलब्ध कराती है। उदाहरण के तौर पर वह अपनी पर्यावरण सहायता योजना (जीएपी) के तहत इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श परियोजनाओं के तौर पर ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार में आर्थिक मामलों के विभाग के जरिए विदेश विकास सहायता (ओडीए) उपलब्ध कराती है। इन परियोजनाओं की देखरेख जापान के एनईडीओ (न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) द्वारा की जाती है। इस्पात मंत्रालय, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में चलाई जा रही परियोजनाओं का समन्वय कर रहा है। अभी तक निम्नलिखित तीन परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिसमें दो टाटा स्टील में और एक आरआईएनएल में हैं।

- **बीएफ स्टोव वेस्ट हीट रिकवरी:** टाटा स्टील में पूरी की गई
- **कोक ड्राई क्वेंचिंग:** टाटा स्टील में पूरी की गई
- **सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी:** राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में पूरी की गई

एनईडीओ द्वारा और दो आदर्श परियोजनाएं (i) सेल, राउरकेला में फर्नेस की रीहीटिंग के लिए रिजेनरेटिव बर्नर सिस्टम और (ii) आईएसपी, बर्नपुर में ऊर्जा निगरानी व प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए आगे संभाव्य अध्ययन किया गया है। ये दोनों परियोजनाएं भारत सरकार की मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं।

7.2 इस्पात कंपनियों की पहल

7.2.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

ऊर्जा प्रबंधन

प्रति टन कच्चा इस्पात (Gcal/tcs) ऊर्जा की खपतः

संयंत्र	2013–14	2014–15	2015–16 (अप्रैल–नवंबर)
बीएसपी	6.48	6.46	6.44
डीएसपी	6.38	6.35	6.50
आरएसपी	6.68	6.57	6.51
बीएसएल	6.75	6.69	6.71
आईएसपी	8.02	–	–
सेल	**6.59**	**6.53**	**6.53**

पर्यावरण प्रबंधन

सेल के इस्पात संयंत्रों द्वारा किए गए पर्याप्त उपायों से पिछले साल की समान अवधि (अप्रैल–दिसंबर) की तुलना में प्रमुख पर्यावरणीय मानकों में सुधार दर्ज किए गए हैं।

- कणिका तत्व (पीएम) उत्सर्जन लोड 2% से अधिक
- विशिष्ट जल की खपत से 8% अधिक
- बीओएफ स्लैग का उपयोग 4% तक
- विशिष्ट सीआ$_2$ उत्सर्जन से 1% अधिक

अपनाई गईं कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां/सुविधाएं

सीओ$_2$ उत्सर्जन घटाने एवं ऊर्जा दक्षता हासिल करने की दिशा में उपायों के तौर पर सेल के संयंत्रों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने यहां विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को लागू किया, जैसेः

- बिजली वाष्प पैदा करने के लिए बॉयलरों में मिश्रित ईंधन से (पारंपरिक ईंधन के साथ सीओ/बीएफ/बीओएफ गैस) फायरिंग।
- सिंटर प्लांटों में मल्टी स्लिट बर्नरों की स्थापना
- सिंटर प्लांटों से वेस्ट हीट रिकवरी
- ब्लास्ट फर्नेसों में कोल डस्ट इंजेक्शन (CDI) की स्थापना
- मोटर जेनरेटर सेटों का थिरिस्टराइजेशन आदि

सेल के सतत प्रयासों से विशेष सीओ$_2$ उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है जो 2011–12 के 2.80 T/tcs से घटकर 2014–15 में 2.65 T/tcs रह गया। इस तरह से 5.36 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई जिसे नीचे दर्शाया गया हैः

इकाईः T/tcs

मानक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 (अप्रैल–दिसंबर 2015)
विशेष सीओ$_2$ उत्सर्जन	2.80	2.75	2.69	2.65	2.65

नोटः सेल के वर्ष 2011–12 से 2014–15 के लिए औसत आंकड़े आईएसपी को छोड़कर चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 2015–16 के लिए दिसंबर, 15 तक के औसत आंकड़े आईएसपी सहित पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए हैं।

राष्ट्रीय/सीपीसीबी/एसपीसीबी नियमों/विनियमनों के अनुपालन की मुख्य बातें

वर्ष 2015–16 के दौरान (अप्रैल–दिसंबर, 2015)

बड़ी चिमनी से उत्सर्जन

सेल के संयंत्रों की सभी प्रमुख उत्पादन शॉप से कणिका तत्व (पीएम) उत्सर्जन के मामले में संबद्ध नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि, बीएसएल में सिंटर प्लांट की चिमनी से पीएम उत्सर्जन नियम से अधिक है। बीएसएल में सिंटर मशीनों के साथ उपलब्ध कराए गए मल्टी साइक्लोन की जगह धीरे धीरे ईएसपी लगाए जा रहे हैं जिससे चिमनी से उत्सर्जन को निर्धारित नियमों के तहत लाया जा सके। इस बीच, अल्पकालीन उपाय के तहत चिमनी से उत्सर्जन को नियमों के दायरे में रखने के लिए मल्टी साइक्लोन्स को दुरुस्त किया जा रहा है।

फ्यूजिटिव उत्सर्जन

सभी संयंत्रों में आस–पास के वायु की गुणवत्ता एवं प्रवाह की गुणवत्ता नियमों के दायरे में है।

सेल मेघाहातुबुरु टाउनशिप में उद्यान

ठोस अपशिष्ट सृजन/उपयोग

अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान बीएफ स्लैग, एलडी स्लैग और कुल ठोस अपशिष्ट का उपयोग (प्रतिशत में)

बीएफ स्लैग	एलडी स्लैग	कुल ठोस अपशिष्ट
86%	79%	82%

नोटः सेल के औसत आंकड़े पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए हैं

बीएफ स्लैग व एलडी स्लैग का उपयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए

(i) बीएफ स्लैग

बीएफ स्लैग का पूर्ण उपयोग हासिल करने के लिए उन बीएफ में कास्ट हाउस स्लैग ग्रैन्युएशन संयंत्रों (सीएचएसजीपी) को स्थापित किया जा रहा है जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इस प्रकार, बीएसएल में बीएफ#1,2 व 3 के साथ छह (6) संख्या में सीएचएसजीपी की स्थापना की जा रही है। दो (2) की स्थापना की जा चुकी है और अन्य दो (2) प्रयोग के तौर पर चलाए जा रहे हैं। बाकी दो (2) और इनके जून, 2017 तक पूरा होने की संभावना है। बीएफ को जून, 2017 में परिचालन में ला दिए जाने पर बाकी दो (2) इकाइयां ठथ्रु1 (वर्तमान में शट डाउन के तहत) के साथ चालू कर दी जाएंगी। इसी तरह से, आरएसपी व आईएसपी में बीएफ स्लैग का कणिकायन बढ़ाने के लिए सीएचएसजीपी के साथ नए ब्लास्ट फर्नेस ;आरएसपी में बीएफरु5 और आईएसपी में बीएफरु5द्ध स्थापित किए गए हैं। बीएसपी में चालू विस्तार सह आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत नया ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ# 8) स्थापित किया जा रहा है जिसमें सीएचएसजीपी लगा है।

(ii) एलडी स्लैग

मौसम से खराब हुए एलडी स्लैग का रेल की पटरी पर गिट्टी के तौर पर उपयोग

मौसम से खराब हुए एलडी स्लैग (डब्ल्यूएलडी स्लैग) के भौतिक गुण रेल की पटरियों पर पत्थर की गिट्टी के लिए आवश्यक विशेषता को पूरा करने वाले होते हैं। सेल द्वारा किए गए प्रस्ताव के जवाब में दक्षिण पूर्व रेलवे (द.पू.रे.), बोकारो स्टील प्लांट से निकले डब्ल्यूएलडी स्लैग के साथ बोकारो रेल यार्ड में एक फील्ड परीक्षण करने को सहमत हुआ है। द.पू.रे. के साथ फील्ड परीक्षण जून, 2015 से इस्पात नगर रेलवे यार्ड, बोकारो में शुरू हुआ है। द.पू.रे. और सेल के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से नियमित आधार पर पटरी के मानकों का निरीक्षण किया जा रहा है।

एलडी स्लैग के ड्राई ग्रैन्युलेशन व हीट रिकवरी के लिए प्रौद्योगिकी का विकास

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को एलडी/बीओएफ स्लैग (हाइड्रो–मैकेनिकल अध्ययन) के ड्राई ग्रैन्युलेशन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु लैबोरेटरी स्तर पर अध्ययन करने के लिए परामर्श का काम सौंपा गया है। इस अध्ययन का पहला चरण मार्च, 2016 तक पूरा होने की संभावना है। ड्राई ग्रैन्युलेटेड एलडी स्लैग का उपयोग सीमेंट विनिर्माण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, प्रक्रिया से हीट रिकवरी एवं जल संरक्षण के अन्य लाभ मिलेंगे।

प्राकृतिक समुच्चय (बालू) के स्थान पर बीएफ–बीओएफ का उपयोग

प्रमुख इस्पात विनिर्माताओं की ओर से प्रतिनिधित्व के जवाब में नयी दिल्ली स्थित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), एक संशोधित बीआईएस मानक (आईएसः383) प्रकाशित करने की दिशा में है जहां सीमेंट की गिट्टियों के विनिर्माण के लिए प्राकृतिक बालू को ढेर (चूर व मोटा) की जगह बीएफ और बीओएफ स्लैग को भी वैकल्पिक सामग्री (आंशिक विस्थापन) के तौर पर शामिल किया गया है।

सीआरईपी कार्य बिंदुओं का अनुपालन

सभी कोक ओवन बैटरियां पीएलडी, पीएलएल एवं पीएलओ से संबद्ध नियमों के अनुरूप कार्य कर रही हैं। स्थापित 34 कोक ओवन बैटरियों में 9 बैटरियों का 2003 के बाद से पुनर्निर्माण किया गया है और 6 बैटरियों का इस समय पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

इसके अलावा, कोक ओवन बैटरियों की स्थिति अच्छी रखने के लिए जरूरत के मुताबिक सेल के सभी संयंत्रों में बैटरियों का कोल्ड रिपेयर व हॉट रिपेयर किया जाता है। वर्तमान में, 3 बैटरियां कोल्ड रिपेयर के अधीन हैं।

i) सभी संयंत्रों ने स्टील मेल्टिंग शॉप्स में फ्यूजिटिव उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की कमी लाने में सफलता हासिल की है। 100 प्रतिशत कमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी संयंत्रों में मौजूदा बीओएफ में सहायक डी–डस्टिंग सुविधाएं लगाई जा रही हैं। आईएसपी में सभी नए बीओएफ जिन्हें विस्तार सह आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है, सहायक डी–डस्टिंग सुविधा के साथ हैं।

ii) सेल के सभी संयंत्रों में 19 ब्लास्ट फर्नेसों (21 संख्या में से) में सीडीआई/सीटीआई सुविधाएं परिचालन में हैं। बीएसपी में नया ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ#8) सीडीआई सुविधा के साथ आ रहा है।

iii) अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान बीएफ स्लैग का उपयोग 86 प्रतिशत रहा और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जिनका उल्लेख ऊपर बिंदु (इ) के तहत बिंदु 5 (i) में किया गया है, पूर्ण उपयोग का स्तर हासिल कर लिया जाएगा।

अप्रैल–दिसंबर, 15 के दौरान बीओएफ स्लैग का उपयोग 79 प्रतिशत से अधिक रहा। बीओएफ स्लैग की रीसाइक्लिंग/पुनः इस्तेमाल में तकनीकी सीमाएं हैं। हालांकि, जैसा कि ऊपर बिंदु 5 (प) में जिक्र किया गया है, उपयोग का स्तर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संयंत्र में सामान्य निस्तारण सुविधा या इन कैप्टिव सिक्योर्ड लैंड्फिल्स (एसएलएफ) के जरिए निकले खतरनाक कचरों का संयंत्रों द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

इन संयंत्रों में पैदा हुए कचरों के निस्तारण के लिए अलग व्यवस्था की गई है।

iv) अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान एकीकृत इस्पात संयंत्रों में जल की विशेष खपत (m^3/tcs) की तुलना में लांग उत्पाद संयंत्रों के लिए 5 उ3ध्जबे का सीआरईपी नियम और फ्लैट उत्पाद संयंत्रों के लिए 8 m^3/tcs का सीआरईपी नियम इस प्रकार हैं:

बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल
सीआरईपी नियमः 5 m^3/tcs		*सीआरईपी नियमः 8 m^3/tcs*	
2.78	3.60	4.03	4.30

नोटः विस्तार सह–आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत आईएसपी में स्थापित यह नया संयंत्र स्थिरीकरण के तहत है।

कोक ओवन बाय–प्रोडक्ट (सीओबीपी) निस्सारी ट्रीटमेंट संयंत्र के आउटलेट में सभी मानक नियमों के अनुरूप हैं

v) प्रमुख शॉप्स में ऑनलाइन चिमनी निगरानी प्रणालियां स्थापित की गईं हैं। संयंत्रों में विभिन्न स्थानों पर परिवेश में वायु की गुणवत्ता की निगरानी प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं। इनके अलावा, इन संयंत्रों की चिमनियों में स्थापित सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली से रीयल टाइम डाटा ट्रांसफर चालू हो गया है। साथ ही एसपीसीबी/सीपीसीबी में रीयल टाइम डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस सुविधा के साथ इन संयंत्रों के मुहाने में ऑनलाइन प्रवाह गुणवत्ता निगरानी प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं।

vi) मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के परिचालन का उचित रिकॉर्ड रखा जा रहा है।

vii) वर्तमान में चल रही आधुनिकीकरण परियोजनाओं के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाई जा रही हैं: कोक ओवन में कोक ड्राई क्वेंचिंग, ब्लास्ट फर्नेस में टॉप प्रेशर रिकवरी टरबाइनें, शत प्रतिशत कंटीनुवस कास्टिंग, ब्लास्ट फर्नेस स्टोव्स एवं सिंटर कूलर से वेस्ट हीट रिकवरी, गैस आधारित बिजली संयंत्र आदि।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन

वर्ष 2014–15 के दौरान सेल की निम्नलिखित इकाइयों में आईएसओ–14001:2004 से संबद्ध ईएमएस लागू किया गया:

- एलॉय स्टील प्लांट
- बरसुआ आयरन माइन
- सीएमओ के दो भंडारगृह (जैसे दिल्ली और विज़ाग)

वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित इकाइयों में ईएमएस का क्रियान्वयन किया गया:

- गुआ अयस्क खानें
- सीएमओ का डीएसपी भंडारगृह

विकृत जमीन पर हरियाली एवं पर्यावरण सुधार

- वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसंबर, 2015 तक) सेल के संयंत्रों/खदानों में और इसके आसपास 3.90 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।
- सेल द्वारा बोलानी खान में जैव विविधता संरक्षण एवं कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन रोकने पर एक टिकाऊ परियोजना लागू की गई है जो निर्धारित कानूनी आवष्यकता से ऊपर है। दिल्ली विष्वविद्यालय एवं दिल्ली स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 75 एकड़ खराब हुई पारिस्थितिकी प्रणालियों की बहाली एवं पुनरुद्धार का काम किया गया है। वर्ष 2015–16 के दौरान (अक्तूबर, 2015 की निर्धारित अवधि के अंत तक) विभिन्न प्रजातियों के 65,000 पौधे लगाए गए एवं 5000 बीज रोपे गए। इसके अलावा, परियोजना स्थल को समृद्ध करने के लिए 2,500 से अधिक फलदार वृक्षों के पौधे भी लगाए गए।

सीओ$_2$ का जैव–पृथक्करण

मौजूदा समय में चल रही प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना, ''आरएसपी में वनीकरण के जरिए कार्बन पृथक्करण'', मेसर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सौंपी गई रूपरेखा के अनुरूप है। यह परियोजना मार्च, 2019 तक पूरी की जानी है। मेसर्स टीएफआरआई ने मृदा जैविक कार्बन रिपोर्ट, मृदा लक्षण वर्णन रिपोर्ट और पौधा रोपण रिपोर्ट साल के दौरान सौंप दी है।

गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत

- 06 दिसंबर, 2015 को आरएसपी में 1 मेगावाट का सौर बिजली संयंत्र चालू किया गया है। बिजली संयंत्र को राज्य विद्युत बोर्ड की इलेक्ट्रिकल ग्रिड प्रणाली से जोड़ दिया गया है।
- आरएसपी के राऊरकेला हाउस में 6 सोलर वाटर हीटिंग प्रणालियां स्थापित की गई हैं और राऊरकेला स्टील प्लांट के इस्पात जनरल हॉस्पिटल में इस तरह के और 90 हीटरों के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

- आरएसपी में, ईडी (डब्ल्यू) भवन और सीईओ भवन प्रत्येक में 5 किलोवाट क्षमता का एक–एक सोलर पावर पैकशेव स्थापित किया गया है। विभिन्न स्थानों (कार्य परिसरों के भीतर व बाहर) पर अन्य पांच की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

जीरो डिस्चार्ज की पहल

- सेल के संयंत्रों ने निकले तरल अपशिष्टों की रीसाइक्लिंग कर उन्हें फिर से प्रक्रिया में लाने की पहल की है जो जीरो डिस्चार्ज की दिशा में एक कदम है।
- इस संबंध में, बीएसपी अपने आउटलेटों में से एक (आउटलेट#बी) से जल की रीसाइक्लिंग के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु पहले ही आर्डर दे रखा है। बीएसएल में आउटफॉल्स#1 और 2 से अपशिष्ट की रीसाइक्लिंग के लिए परियोजना की निविदा का काम कर लिया गया है।

7.2.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

ऊर्जा की खपत घटाने के लिए (2015–16) किए गए/किए जा रहे उपाय

- मेसर्स राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के ऊर्जा अंकेक्षण के मुताबिक, कई ऊर्जा दक्षता सुधार पहल क्रियान्वयन प्रक्रिया के अधीन है और इससे ऊर्जा की खपत 0.3 जीसीएल/टीसीएस तक घटने का अनुमान है।
- ब्लास्ट फर्नेस–3 में पुल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन (पीसीआई) नवंबर, 2015 में सफलतापूर्वक कर लिया गया है और प्रणाली स्थिरीकरण के अधीन है।
- दिसंबर, 2015 में एसएमएस 2 से एलडी गैस रिकवरी चालू कर ली गई और प्रणाली स्थिरीकरण की प्रक्रिया के तहत है।
- गैस की प्रिहीटिंग के लिए स्टोव की फ्लू गैसों से वेस्ट हीट रिकवरी सेवा में ला दी गई है।
- 120 मेगावाट ब्लास्ट फर्नेस गैस आधारित नया बिजली संयंत्र चालू कर दिया गया और यह प्रायोगिक स्तर पर चल रहा है।

प्रगति के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण योजनाएं:

- ब्लास्ट फर्नेस–1 में पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन का स्थिरीकरण
- ब्लास्ट फर्नेस–3 में पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन का स्थिरीकरण
- एसएमएस–2 से एलडी गैस रिकवरी का स्थिरीकरण
- बीएफ–3 के टीआरटी से बिजली उत्पादन का स्थिरीकरण
- 120 मेगावाट ब्लास्ट फर्नेस गैस आधारित बिजली संयंत्र का स्थिरीकरण

गैर–पारंपरिक ऊर्जा: आरआईएनएल 5 मेगावाट सौर बिजली संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

ऊर्जा की खपत (जीसीएएल/टीसीएस) एवं सीओ$_2$ उत्सर्जन (टन/टीसीएस)

वर्ष	एसईसी (जीसीएएल/टीसीएस)	सीओ$_2$ उत्सर्जन (टन/टीसीएस)
2012–13	6.31	2.66
2013–14	6.19	2.66
2014–15	6.37	2.78
2015–16 (दिसंबर, 2015 तक)	#6.39	2.78

*एसईसी प्रधान मंत्री की ट्रॉफी पद्धति के मुताबिक

मौजूदा इकाइयों के साथ नयी विस्तार इकाइयों के एकीकरण के चलते यह ऊर्जा खपत मामूली रूप से अधिक है।

वेस्ट हीट रिकवरी प्रणाली (अप्रैल–दिसंबर, 2015)

ऊर्जा बचाने वाली इकाई	इकाई	पुनः प्राप्त ऊर्जा	बचाया गया बॉयलर कोयला (टन)	CO_2 के उत्सर्जन में कमी (टन)
एलडी गैस रिकवरी प्लांट में पुनः प्राप्त की गई एलडी गैस की कुल मात्रा	MNCum	171.682	92651	146080
बैक प्रेशर टर्बाइन स्टेशन (बीपीटीएस) में पैदा की गई कुल बिजली	MWH	147340	117872	185845
गैस एक्सपैंशन टर्बाइन स्टेशन (जीईटी) में पैदा की गई कुल बिजली	MWH	14013	11210	17675
सिंटर प्लांट स्ट्रेट लाइन कूलर (एनईडीओ परियोजना) से पैदा की गई कुल बिजली	MWH	2879	2303	3631

(MNcum–मिलियन सामान्य घन मीटर, MWH –मेगा वाट घंटे)

पर्यावरण प्रबंधन

- 50मिग्रा/एनएम^3 के संशोधित नियमों के मुताबिक चिमनी से उत्सर्जन सीमित करने के लिए 147.95 करोड़ रुपये की लागत पर सिंटर प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस संख्या 2 की ईएसपी को दुरुस्त कर उसके उन्नयन का काम किया गया।
- उत्सर्जन को 50मिग्रा/एनएम^3 से नीचे लाने के लिए भेल के साथ थर्मल पावर प्लांट की ईएसपी के बदलाव/विस्तार किया गया। परियोजना की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपये है।
- एसएमएस–1 की द्वितीयक डी–डस्टिंग प्रणालियों के लिए डॉग हाउस का प्रावधान 75.23 करोड़ रुपये की लागत से किया गया। कनवर्टर–ए के लिए डॉग हाउस का प्रावधान प्रगति पर है।
- ईएमएस आईएसओ:14001 को अपनाना
- स्वच्छ प्रौद्योगिकी की पहल
- वनीकरणः आरआईएनएल ने रास्ते एवं ब्लॉक वनीकरण के लिए 18,000 पौधे लगाए
- जीरो डिस्चार्ज

7.2.3. एनएमडीसी लिमिटेड

कंपनी आईएसओ 14001:2007, आईएसओ 9001:2008, ओएचएसएएस 180001:2007 और एसए 8000:2008 एकीकृत प्रमाणन हासिल करने की प्रक्रिया में है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में एनएमडीसी द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैः

वायु प्रदूषण

- खान की ढलान वाली सड़कों पर धूल का दमन और डंपर प्लेटफॉर्म पर एवं यूजिटिव डस्ट को दबाने के लिए ट्रांसफर प्वाइंटों पर स्वचालित जल के फुहारे से छिड़काव।
- ब्लास्ट होल ड्रिल्स की ड्रिलिंग के लिए गीली ड्रिलिंग का उपयोग।
- क्रशिंग प्लांट से स्क्रीनिंग प्लांट और वहां से लोडिंग प्लांट तक लौह अयस्क ले जाने के लिए पूरी तरह से ढके हुए कनवेयर्स का उपयोग।
- पीएम10, पीएम 25, एसओ$_2$ एनओएक्स और सीओ की ऑनलाइन निगरानी के लिए बैलाडिला भंडार–14, 5 और 10 खानों में ऑटोमैटिक एंबिएंट एयर क्वालिटी सिस्टम की स्थापना।

जल प्रदूषण

- निलंबित ठोस एवं तेल व ग्रीस वाले बेकार जल के ट्रीटमेंट के लिए सभी परियोजनाओं पर ऑटो वर्कशाप एवं सर्विस सेंटरों में एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं।
- वेट स्क्रीनिंग परिचालनों के दौरान पैदा हुए कीचड़ को जब्त करने के लिए सभी परियोजनाओं पर टेलिंग बांध बनाए गए हैं।

- घरेलू सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए एनएमडीसी की सभी टाउनशिप में ऑक्सीकरण तालाब जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है। बछेली में एसबीआर टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माणाधीन है। दोनीमलई और किरंडुल में इसी तरह के एसटीपी की स्थापना के लिए काम का ठेका देने का काम प्रगति पर है।
- मानसून सीज़न में दूषित पानी को नालों में जाने से रोकने के लिए विभिन्न नालों पर चैक डैम व चैक बंदों का निर्माण किया गया। इन बांधों से गाद निकालने का काम हर साल किया जाता है।
- सभी लौह अयस्क खानों में बारिश के सीज़न के दौरान बेकार सामग्री का प्रवाह रोकने के लिए अपशिष्ट के ढेरों के सामने के सिरों पर दीवारों के पुश्ते बनाए जाते हैं।
- मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए दोनीमलई और बछेली में निश्क्रिय अपशिष्ट के ढेरों पर जियो–कॉयर मैटिंग कराई गई है।

ध्वनि प्रदूषण

- अनुचित ध्वनि प्रदूषण पैदा होने से रोकने के लिए ट्रांसफर प्वाइंटों पर रबड़ की परत चढ़ी स्क्रीनों और रबड़ लाइनिंग का उपयोग।
- टेरटियरी क्रशिंग प्लांट के इलाकों में जहां ऑपरेटर सह मैकेनिक बैठकर संयंत्र का परिचालन देख सकता है, ध्वनि रोधी चैंबर बनाए गए हैं।

वनीकरण

- वनीकरण एनएमडीसी छत्तीसगढ़ हरिहर पौधा रोपण कार्यक्रम का वित्त पोषण कर रही है। हर साल 100 किलोमीटर सड़क के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं।
- उपरोक्त के अलावा, माइनिंग लीज़ क्षेत्रों में जगह की उपलब्धता के आधार पर हर साल पौधा रोपण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

टिकाऊपन से जुड़ी पहल

- एनएमडीसी ने 2009 में कर्नाटक राज्य में 10.5 मेगावाट की विंड मिल परियोजना लगाई।
- कार्बन फुट प्रिंट अध्ययन कराया और कार्बन डिसक्लोज़र परियोजना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों का खुलासा किया।
- संपूर्ण दंतेवाड़ा वन प्रभाग में जहां प्रमुख लौह अयस्क खनन परियोजनाएं बैलाडिला रेंज की पहाड़ियों में स्थित हैं, वन्यजीव संरक्षण योजना तैयार की।

ऊर्जा संरक्षण

- सभी परियोजनाओं के लिए ऊर्जा अंकेक्षण कराए गए हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए अकेक्षण में की गई सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।
- एलईडी लैमिनेशन किए जा रहे हैं।
- एचटी व एलटी साइड पर स्टैटिक कैपिसिटरों के साथ ऊर्जा फैक्टर को 0.96 से ऊपर बनाए रखा जा रहा है।

7.2.4 मॉयल लिमिटेड

प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए विभिन्न उपाय:

वायु प्रदूषण नियंत्रण:

- ब्लास्ट होल्स की वेट ड्रिलिंग।
- लोडिंग से पहले गंदगी के ढेर को गीला किया जाएगा।
- ढुलाई वाली सड़कों पर बार बार जल का छिड़काव किया जाता है जिसके लिए पानी के टैंकर वाले ट्रक उपलब्ध कराए गए हैं।

- काफी गहरी खुदाई के दौरान निकले धूल को नियंत्रित करने के लिए विनिर्माताओं द्वारा तय गति से ड्रिलिंग की जानी चाहिए।
- उत्सर्जन रोकने के लिए वाहनों और मशीनों का नियमित रखरखाव किया जाता है।
- धूल वाले वातावरण में सभी कर्मचारियों को धूल श्वास यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।

जल प्रदूषण:

- भूमिगत खनन परिचालन के दौरान निकले पानी का पूर्ण इस्तेमाल वनीकरण और बालू को बांधकर रखने में किया जाता है।
- खुले गड्ढे में जमा बारिश का पानी धूल का दबाने और वनीकरण गतिविधि के लिए जल का एक स्रोत है और वनीकरण में हर साल इसका उपयोग किया जाता है।
- आसपास के जल स्रोतों में किसी भी खान से पानी नहीं छोड़ा जाता है।

ध्वनि प्रदूषण:

- जहां तक संभव हो, मशीनों और उपकरणों का उचित चुनाव कर, उपकरण व निकासी प्रणाली लगाकर और ध्वनि को अलग करने वाले बाड़े या पैडिंग लगाकर स्रोत पर ध्वनि से बचने की कोशिश की जाती है।
- खरीदे जाने वाले ये उपकरण नए और इस तरह के होते हैं जिससे ध्वनि उत्सर्जन उनकी डिजाइन या परिचालन के लिए महत्तम हो। उचित रखरखाव किया जाना चाहिए जिससे ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर रहे।
- ध्वनि फैलने से रोकने के लिए खनन क्षेत्रों में और इसके आसपास घने पेड़ लगाए जाते हैं। खनन क्षेत्रों में ध्वनि क्षीणकारी के तौर पर उपयोग में आने के लिए विभिन्न ऊंचाइयों के पेड़ों का एक 50 मीटर चौड़ा बेल्ट होना चाहिए।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:

- रिपोर्ट की अवधि के दौरान औसतन 76 लाख एम^3 ठोस अपशिष्ट पैदा हुआ। मॉयल ने इन अपशिष्ट को दो वर्गों– (i) श्वेत अपशिष्ट और (ii) श्याम अपशिष्ट में अलग करने के लिए एक प्रणाली अपनाई है। दोनों ही अपशिष्टों को प्रणालीगत तौर पर अलग–अलग निपटाया जाता है। जहां श्वेत अपशिष्ट पूर्ण रूप से एक बेकार चट्टान है, वहीं श्याम अपशिष्ट ज्यादातर मैग्नीफेरस चट्टान या सब–ग्रेड के खनिज हैं जिनका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है।
- श्वेत कचरों का ढेर जमा होने पर इसे वनीकरण कर ढक दिया जाता है। मॉयल ने राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) के साथ परामर्श कर इन श्वेत अपशिष्ट ढेरों पर सफलतापूर्वक वनीकरण किया है।
- नए व सक्रिय ढेरों को 1 मीटर ऊंची दीवार खड़ी कर या जमीनी स्तर पर इलाके में खाई खोदकर संरक्षित रखा जा रहा है।

वनीकरण के प्रयास: स्थानीय पेड़ की प्रजातियों के साथ व्यापक स्तर पर वनीकरण किया जाता है। मॉयल ने पिछले 23 वर्षों में सभी खानों में 18.46 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं जिसमें पौधों के फलने फूलने की औसत दर 75 प्रतिशत रही है।

7.2.5 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड, एक परामर्श संगठन होने की वजह से खुद कोई बड़े स्तर का संयंत्र या मशीनरी का परिचालन नहीं करती जिससे उसे प्रदूषण नियंत्रण और कूड़ा प्रबंधन के लिए कोई विशेष प्रयास करना पड़े। हालांकि, मेकॉन द्वारा उसके ग्राहकों के लिए इस दिशा में प्रयास किए गए जिसमें निम्नलिखित पैराग्राफ में महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया गया है:

- आरआईएनएल, विशाखापत्तनम में 2 संख्या में स्ट्रेट लाइन सिंटर कूलर के लिए 20.6 मेगावाट की सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी प्रणाली हेतु विस्तृत इंजीनियरिंग परामर्शदाता के तौर पर एनईडीओ मॉडल परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित एवं स्थापित किया।
- निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से उनके नए संयंत्रों/संयंत्रों के विस्तार के लिए कच्चा माल प्रभाग हेतु ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने के आर्डर प्राप्त किए।

- मेकॉन के वनीकरण और पुनर्वनरोपण प्रयासों को यूएनएफसीसीसी द्वारा सीडीएम परियोजना के तौर पर मंजूरी दी गई है क्योंकि यह कार्बन डायऑक्साइड का अवशोषण करता है और ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाता है। वन क्षेत्र द्वारा ग्रीनहाउस गैसों को अलग करने के क्षेत्र में मेकॉन के एक वैज्ञानिक का यूएनएफसीसीसी सचिवालय, जर्मनी द्वारा चयन किया गया है और उसे वनीकरण एवं पुनर्वनरोपण कार्य समूह में शामिल किया गया है।
- री–रोलिंग मिलों के लिए समग्र उद्योग दस्तावेज (कॉइन्ड) और पर्यावरण मानक विकसित किया।
- ठोस व खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन, फ्यूजिटिव उत्सर्जन के नियंत्रण और एकीकृत लौह एवं इस्पात उद्योग में पैदा हुए उत्सर्जन घटकों के नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश विकसित किए।
- भारत में स्टील री–रोलिंग मिलों में पांच आदर्श इकाई में आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 14001 लागू करने के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक प्रतिष्ठित काम पूरा किया। यह काम यूएनडीपी/जीईएफ, इस्पात मंत्रालय की ओर सौंपा गया था।
- मेकॉन को 4x700 मेगावाट माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट और 2x700 मेगावाट कैगा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जोकि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) के तहत है, के लिए ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने का काम मिला।
- मेकॉन एनएलसी, नेवेली, सेल की बोकारो, भिलाई, बर्नपुर परियोजनाओं और एनएमडीसी के अलावा भूषण ग्रुप, जिंदल ग्रुप जैसी विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज सुविधाएं एवं अन्य एफ्लूएंट ट्रीटमेंट सुविधाओं की इंजीनियरिंग का काम कर रही है।
- मेकॉन ओड़िशा माइनिंग कॉरपोरेशन (ओएमसी), भुबनेश्वर के लिए साउथ कलियापानी, सुकिंदा में क्रोमाइट खदानों के लिए खान से निकले गंदा पानी से हेक्सावैलेंट क्रोमियम के उपचार के लिए दो एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) के निर्माण के वास्ते परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रही है।

7.2.6. केआईओसीएल लिमिटेड

ऊर्जा संरक्षण

पिछले दो साल और अप्रैल से नवंबर, 2015 तक पेलेट संयंत्र में विशेष ऊर्जा खपत इस प्रकार है:

वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16
बिजली की खपत पेलेट का प्रति टन	62.56 Kwh/T	72.569 Kwh/T	188.33 Kwh/T
प्रति टन पेलेट ताप की खपत '000 के कैलोरी में	243.5 Kcal/T	244.4 Kcal/T	239.4 Kcal/T

ऊर्जा प्रबंधन एवं संरक्षण के उपाय:

ऊर्जा प्रबंधन एवं संरक्षण अभियान के तहत पीपी यूनिट में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- पी.एफ. में बाकी दो प्रोसेस कनवेयर ड्राइव्स को घटाकर 15 किलोवाट कर किया गया है। इसके साथ बंदरगाह इकाइयों में सभी चार प्रोसेस कनवेयर्स (सीबी 71, 72, 73, 74) को ऊर्जा अंकेक्षण के दौरान की गई पीसीआरए की सिफारिशों के मुताबिक घटा दिया गया है।
- 102 की जगह 50 की संख्या में 64x1 डब्ल्यू एलईडी फिटिंग लगाई गई है। 125 डब्ल्यू और 400 डब्ल्यू एमवी की फिटिंग्स स्टोर्स बिन स्थानों में की गई है। प्रतिमाह 2130 यूनिट बिजली बचाई जा रही है और बचत 16,500 रुपये प्रतिमाह है।
- पेलेट संयंत्र में स्लरी पंप ड्राइव पीएसबी 5–18 को पीसीआरए की सिफारिश के मुताबिक 30 किलोवाट से घटाकर 22 किलोवाट किया गया है। यदि संयंत्र पूर्ण क्षमता पर परिचालन करता है तो सालाना बिजली की बचत 15,840 यूनिट की होगी।
- पीसीआरए की सिफारिश के मुताबिक, पेलेट संयंत्र में कनवेयर ड्राइव सीबीजी 2031 को 11 किलोवाट से घटाकर 7.5 किलोवाट का किया गया है। यदि संयंत्र पूर्ण क्षमता पर परिचालन करता है तो सालाना बचत 7,920 यूनिट की होगी।

- बंदरगाह सुविधा विभाग में वाटर लाइन में बदलाव किया गया है ताकि गुरुत्वाकर्षण द्वारा रोगन और डंप तालाब में पानी भरा जा सके। इस प्रकार, 80 किलोवाट के वाटर पंप को थिकनर भरने के लिए 12 घंटे, डंप तालाब भरने के लिए 28 घंटे और पीडब्ल्यू पंप भरने के लिए एसपीडब्ल्यू पंप को 12 घंटे चलाने से बचा जा सकेगा। इससे करीब 4,920 यूनिट बिजली की बचत होगी।

पर्यावरण प्रबंधन

केआईओसीएल उत्पादन गतिविधियों में प्रदूषण रोकने और पारिस्थितिकी संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसे आईएसओ 14001–2004 ईएमएस के साथ मान्यता प्रदान की गई है। वर्ष 2015–16 के दौरान की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं:

- खनन और इससे संबद्ध गतिविधियों पर रोक
- ट्रीटमेंट इकाइयां
- वनीकरण गतिविधि
- निगरानी व मापन
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- फ्यूजिटिव धूल दबाने के लिए 295 मीटर की लंबाई का एक धुंध किस्म का स्प्रिंक्लर स्थापित किया गया है।
- साल के दौरान संयंत्र क्षेत्र में 80 पौधों वाले एक ट्री पार्क को विकसित किया गया है।
- केआईओसीएल को स्कूलों में 'हरित पोशण कार्यक्रम' चलाने के लिए कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पुरस्कृत किया गया।
- शेड संख्या 2 और पेलेट स्टॉक यार्ड के बीच 280 मीटर अतिरिक्त लंबाई की सड़क पर गिट्टी बिछाने का काम पूरा किया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन के दौरान कंपनी परिसरों, टाउनशिप और आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- वायु एवं जल की गुणवत्ता की निगरानी के संबंध में केएसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानक नियमों का कार्य के सभी क्षेत्रों में अनुपालन किया जा रहा है।

7.2.7 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन की मुख्य बातें–(2015–16)

अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयां ऊर्जा की खपत घटाने एवं पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए आवश्यक सुविधाओं से युक्त हैं। इनमें से कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- कोक ड्राई क्वेंचिंग
- कोक पुशिंग उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण
- कास्ट हाउस धुआं निकासी प्रणाली
- टॉप गैस रिकवरी टबाईन
- कनवर्टरों के लिए सहायक धुआं निकासी प्रणाली
- लौह एवं इस्पात विनिर्माण लावा को दानेदार बनाना
- माइक्रो पेलेटाइजेशन
- मिल स्केल ब्रिकेटिंग

वर्ष 2015–16 में ऊर्जा से जुड़ी पहल (नवंबर, 2015 तक)

- कोक ओवन में टार की रिकवरी में 5.9 प्रतिशत तक सुधार
- सिंटर प्लांट की ठोस ईंधन दर में सिंटर के 2.9किग्रा/टी तक की कमी
- कोरेक्स गैस होल्डर का नवीकरण और इसे एलडी लाइन से जोड़कर एलडी गैस होल्डर में तब्दील करना जिससे एलडी गैस रिकवरी बढ़ी

- अर्गोन के बाहर निकलने में कमी लाई गई जिसके लिए बीओसी2 की डिलीवरी का ईष्टतमीकरण
- ऑक्सीजन प्लांट्स प्रेशर सेटिंग को महत्तम कर ऑक्सीजन निकासी में 48 प्रतिशत की कमी लाई
- नाइट्रोजन इंजेक्शन द्वारा एलपीजी खपत में कमी, प्रतिदिन 7 टन की बचत
- एसएमएस#2 पायलट बर्नर ईंधन को एलपीजी से कोक ओवन गैस पर लाया गया जिससे एलपीजी में प्रतिदिन 2 टन तक की कमी आई
- उच्च दाब पर डीआरआई टेल गैस का उपयोग कर कैप्टिव बिजली संयंत्र में बिजली उत्पान बढ़ाया गया।

ऊर्जा की खपत एवं सीओ$_2$ उत्सर्जन (डोल्वी वर्क्स)

वर्ष	एसईसी (Gcal/tCS)	CO2 उत्सर्जन¼ TCO2/tCS½
2012–13	6.574	2.583
2013–14	6.308	2.153
2014–15	6.414	2.089
2015–16 (दिसंबर, 2015 तक)	6.395	2.15

पर्यावरण से जुड़ी पहल

वर्ष के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- विभिन्न पहल के जरिए मार्च, 2015 तक धुंआ से उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से नीचे लाया गया।
- कनवेयर और स्टोरेज हॉपर के साथ कोल डायवर्टर स्थापित किया गया जिससे दिखाई देने वाले धूल के उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकी।
- एलसीपी2 लाईम ग्राइंडिंग यूनिट बैग फिल्टर पर प्लीएटिड बैग्स के लिए वेंचुरी सिस्टम लागू किया गया जिससे बैग विफलता न्यूनतम तक छह महीने से आगे की कर दी गई।
- आरएमएचएस जंक्शन हाउस जिससे ट्रांसफर प्वाइंटों की सीलिंग में सुधार कर जंक्शन हाउसों से धूल उत्सर्जन सतत रूप से घटाया गया।
- 15 करोड़ रुपये के निवेश से कोरेक्स फ्लेक्सो–वेल, केआर प्रोसेस एसएमएस–2, सिंटर प्लांट–1 फलक्स रूटिंग, आरएमएचएस 10जे50–51, 7जे36–37 और 7जे24 के लिए नए बैग फिल्टरों की कमीशनिंग की गई।

साल के दौरान जल संरक्षण के लिए किए गए उपाय इस प्रकार रहे:

- अधिकतम रिसाईक्लिंग के लिए डीआरआई और सीआरएम 2 में रिवर्स ओसमोसिस प्लांट की कमीशनिंग
- आईडी फैन कूलिंग वाटर को थिकनरों की तरफ पुनः निर्देशित किया गया जिसमें गार्ड पांड–1 की ओर डिस्चार्ज प्रतिदिन 900 घन मीटर घटाया गया।
- सभी जगहों से इस अपशिष्ट जल का गार्ड पांड में स्थिरीकरण किया जाता है और गैर प्रोसेस एप्लिकेशंस जैसे स्लैग क्वेंलिंग और कूलिंग, अग्निशमन, कच्चे माल के रख–रखाव वाले मार्गों, ग्रीन बेल्ट और अयस्क बेनिफिसिएशन में किया जाता है। उपरोक्त उपायों से जेएसडब्ल्यू स्टील द्वारा प्रतिदिन 50000 घन मीटर पानी बचाया गया।

वर्ष के दौरान ठोस अपशिष्ट के उपयोग के लिए किए गए उपाय

- धातुमल से सीमेंट बनाने के लिए ग्रन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को पहले ही हरित सामग्री के तौर पर बेचा जा चुका है (यह सीमेंट बनाने में 0.5 tCO_2 प्रति टन क्लिंकर की कमी लाता है)
- जेएसडब्ल्यू स्टील ने नदी के बालू के विकल्प के रूप में इस सामग्री को बेचने की एक अनूठी पहल की है।

सीपीसीबी/एसपीसीबी नियमों/विनियमनों/ईएमएस प्रणालियों और वनीकरण परियोजनाओं के बारे में सूचना

- जेएसडब्ल्यू स्टील सिंटर प्लांटों के मामले को छोड़कर जहां उत्सर्जन मामूली रूप से अधिक है, धुआं उत्सर्जन के लिए सीपीसीबी/केएसपीसीबी मानकों का अनुपालन करती है। केएसपीसीबी से मिली मंजूरी के मुताबिक, एसपी1 व 2 में ईएसपी का रूपांतरण पूरा किया गया और सिंटर प्लांट में 4 प्रतिशत से कम वीएम सुनिश्चित किया गया।

- जेएसडब्ल्यू सीआरईपी की आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करती है। इस्पात विनिर्माण के लिए सभी सर्वोत्तम अपनाने योग्य प्रौद्योगिकियां लगाई गई हैं।
- जेएसडब्ल्यू स्टील आईएसओः 140001 के अनुरूप है क्योंकि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को टीयूवी राइनलैंड द्वारा पुनः प्रमाणित किया गया है। वर्तमान में, विभिन्न इकाइयों के अंकेक्षण के लिए 180 से अधिक आंतरिक अंकेक्षक हैं। इसके अलावा, नयी इकाइयों में ईएमएस प्रणालियां लगाने की पहल की गई है।
- आज की तिथि तक 1.607 मिलियन पौधे लगाए जा चुके हैं और यह रुख अब भी जारी है:

मानक	वर्ष 2014–15	अप्रैल '15	मई '15	जून '15	जुलाई '15	अग. '15	सितं. '15	अक्तू. '15	नवं. '15
विशिष्ट जल की खपत (m^3 / tcs)	3.67	3.60	3.60	3.39	3.67	3.63	3.27	3.01	3.04
विशिष्ट धूल उत्सर्जन (kg / tcs)	0.78	0.64	0.66	0.59	0.58	0.66	0.57	0.66	0.69
विशिष्ट SO2 उत्सर्जन (kg / tcs)	2.5	3.68	2.2	3.58	2.16	2.67	2.54	2.67	2.58
विशिष्ट NOx उत्सर्जन (kg / tcs)	1.84	1.73	0.76	1.75	0.84	0.96	1.26	1.28	1.29
ठोस अपशिष्ट उपयोग (%)*	87	75.2	76.5	78.2	79.7	81.3	80.8	75.8	72.9

7.2.8 टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल), जमशेदपुर

2015–16 (अप्रैल–दिसंबर, 2015) में ऊर्जा की खपत में कमी एवं कम कार्बन उपयोग से जुड़ी प्रौद्योगिकियों की झलकः

संकेतक	यूओएम	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16 (अप्रैल–दिसंबर)
विशिष्ट ऊर्जा की खपत	Gcal/tcs	6.088	6.083	6.017	6.012	5.791
विशिष्ट CO_2 उत्सर्जन	tCO_2/tcs	2.50	2.53	2.43	2.42	2.30

ऊर्जा संरक्षण के जरिए ऊर्जा दक्षता बढ़ाना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए प्रधान उत्तोलक है। कच्चे माल की उपलब्धता में बाधाओं एवं गुणवत्ता में उतार–चढ़ाव के बावजूद प्रक्रिया नियंत्रण के जरिए वर्ष 2015–16 के दौरान विशिष्ट ऊर्जा खपत एवं विशिष्ट CO_2 उत्सर्जन को एक समान बनाए रखा जा रहा है।

- विशिष्ट ऊर्जा खपत को 2014–15 के 406 किलोवाट/टीएसएस से घटाकर 2015–16 में 389 किलोवाट/टीएसएस पर लाया गया।
- बीएफ परिचालन के ईश्टतमीकरण (प्रक्रिया नियंत्रण एवं इन हाउस सुधार) से कार्बन दर घटकर 2015–16 में 453 पर आ गई जो 2014–15 में 470/टीएचएम किग्रा थी।
- सीडीक्यू के जरिए वाष्प उत्पाद जारी है और 2015–16 के दौरान यह 68.5 टीपीएच रहा।
- वाष्प निर्माण–नए सह–उत्पाद संयंत्र में सल्फर रिकवरी यूनिट के 2013–14 में चालू होने बाद से वेस्ट हीट रिकवरी से 4टीपीएच हासिल किया गया है।
- तीन टॉप गैस प्रेशर रिकवरी टरबाइनों (टीआरटी) के जरिए बिजली उत्पादन वर्ष 2015–16 के दौरान 20.76 मेगावाट की दर से किया गया।
- बिजली उत्पादन के लिए सह–उत्पाद गैसों के प्रभावी उपयोग से।
  - ❖ वर्ष 2015–16 के दौरान ब्लास्ट फर्नेस गैस लेयरिंग से उत्पादन की दर 4.5 प्रतिशत रही जो 2014–15 में 4. 8 प्रतिशत थी। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का बेंचमार्क 5 प्रतिशत है।
  - ❖ इन हाउस बिजली उत्पाद (पावर हाउस संख्या 6 को लेकर) की दर 2015–16 के दौरान 234 मेगावाट रही।

- कंपनी के पास ''टॉप गैस'' ब्लास्ट फर्नेस से टॉप गैस प्रेशर रिकवरी आधारित बिजली उत्पादन शीर्षक से एक सीडीएम परियोजना पंजीकृत है। तीन सत्यापन पूरे किए जा चुके हैं और 83,335 सीईआर जारी किए गए हैं। कोई भी सीईआर बेचा नहीं गया।
- टाटा स्टील को नवंबर, 2015 में सीडीपी 2015 द्वारा जलवायु परिवर्तन में अग्रणी के तौर पर पहचान मिली है। इसकी रेटिंग (क्लाइमेट डिसक्लोज़र लीडरशिप इंडेक्स, सीडीएलआई=100 है जोकि सीडीपी 2014 में 97 थी और क्लाइमेट परफार्मेंस लीडरशिप इंडेक्स, सीपीएलआई= 'बी' है) जोकि वैष्विक इस्पात विनिर्माण कंपनियों में एवं भारत में मैटेरियल क्षेत्र की कंपनियों में सबसे अधिक है।
- यह कंपनी विश्व इस्पात संघ की पर्यावरण समिति की सदस्य है और इसे 'क्लाइमेट एक्शन मेंबर' के तौर पर पहचान मिली है।

7.2.9 भूषण स्टील लिमिटेड

ऊर्जा संरक्षण के लिए की गई पहलः

ऊर्जा की खपत में कमी एवं कम कार्बन उपयोग से जुड़ी प्रौद्योगिकियों की झलकः

- गैस फायर्ड बॉयलर्स (60 टीपीएच और 125 टीपीएच क्षमता)
- कोक ओवन–2 में 7.6 मीटर ऊंची बैटरियां स्थापित की जिससे प्रदूषण न्यूनतम करने में मदद मिली
- एलईडी लैंप्स स्थापित किए
- सोलर लाइटिंग सिस्टम की स्थापना

संपूर्ण विशिष्ट ऊर्जा खपत (GCal/TCS):

वर्ष	2013–14	2014–15	2015–16
कुल विशिष्ट ऊर्जा खपत	5.11	4.91	6.16

वर्ष 2013–14, 2014–15 और 2015–16 के दौरान विशिष्ट CO_2 उत्सर्जन (tCO_2/tcs)

विवरण	2013–14	2014–15	2015–16
प्रति टन कच्चा इस्पात उत्पादन पर CO_2 उत्सर्जन की दर	4.46	3.06	2.87

प्रति टन कच्चा इस्पात पर जल की विशेष खपतः

विवरण	2013–14 (m3/tcs)	2014–15 (m3/tcs)	2015–16 (m3/tcs)
एचएसएम तक व पेयजल	11.15	5.90	4.7

सीआरईपी के दिशानिर्देशों को लागू किया गया है और अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

आईएसओ 14001 की मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है

हरित ऊर्जा की पहलः

आज की तिथि तक 22 प्रतिशत हरित कवरेज के साथ 3.3 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। इस वनीकरण अभियान में स्थानीय समुदाय के ग्रामीणों के बीच भी पौधे वितरित किए जाते हैं। पर्यावरण की बहाली के लिए 20 एकड़ सतही क्षेत्र को मिट्टी और हरेभरे पेड़ों से ढक दिया गया है। संयंत्र की गैसों के मिश्रण बीएफजी व सीओजी का उपयोग फर्नेस, लाइम प्लांट, सिंटर प्लांट और कोल्ड रोलिंग मिल की रिहीटिंग के लिए ईंधन के तौर पर किया जा रहा है।

शून्य डिस्चार्ज की पहलः हमारे इस्पात संयंत्र में षून्य डिस्चार्ज सुनिष्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- ब्लास्ट फर्नेस, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, कोक ओवन, कोल्ड रोलिंग मिल, हॉट स्ट्रिप मिल आदि विभिन्न इकाइयों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की ईटीपी स्थापित की गई है। ट्रीटमेंट के बाद गंदे पानी का आगे प्रक्रिया में पुनः इस्तेमाल किया जाता है।
- घरेलू बेकार पानी के ट्रीटमेंट के लिए चार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। ट्रीटमेंट के बाद पानी का इस्तेमाल पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए किया जा रहा है।
- 3.5एम^3/टीसीएस के बेंचमार्क मानक के उलट 4.56 एम^3/टीसीएस के विशेष जल की खपत का स्तर हासिल किया गया है।

7.2.10 जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधनः

ऊर्जा की खपत में कमी एवं कम कार्बन उपयोग से जुड़ी प्रौद्योगिकियों की झलकः

वर्ष	विशिष्ट ऊर्जा खपत (Gcal/tcs)	CO_2(t/tcs)
2012–13*	8.121	3.289
2013–14*	8.173	3.356
2014–15**	9.099 (कुल) 7.694 (बिजली संयंत्र को छोड़कर)	4.182 (कुल)
2015–16 (नवंबर, 2014 तक)**	8.840 (कुल) 7.598 (बिजली संयंत्र को छोड़कर)	4.093 (कुल)

* कुल में केवल जेएसपीएल, रायगढ़ बाउंडरी में कैप्टिव बिजली उत्पादन शामिल है

** कुल में जेएसपीएल, रायगढ़ बाउंडरी और डीसीपीपी में कैप्टिव बिजली उत्पादन शामिल है

ऊर्जा बचाने के उपाय

- ब्लास्ट फर्नेस–1 में बीपीआरटी (बैक प्रेशर रिकवरी टरबाइन) की स्थापना।
- डीसीपीपी में बेड ऐश व ईएसपी में वायु पहुंचाने वाले का महत्तम उपयोग कर सहायक ऊर्जा में कमी।
- डीसीपीपी में इंस्ट्रूमेंट कंप्रेसर्स लाइन और ऐश हैंडलिंग कंप्रेसर्स के बीच इंटरकनेक्शन के जरिए सहायक ऊर्जा में कमी।
- डीसीपीपी में एलटी मोटर परिचालन को डीओएल स्टेटर से स्टार–डेल्टा स्टेटर में तब्दील कर सीएचपी क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण।
- डीसीपीपी में एलडीबी ट्रांसफार्मरों (चरण–2 एलटी व एचटी एलडीबी, चरण–2 ईएसपी, पीएच–2 डब्ल्यूटीपी, पीएच–1 सीडब्ल्यूपी) के वोल्टेज को नीचे लाकर लाइटिंग लोड में कमी।
- डीसीपीपी में पंपों की जगह सीडब्ल्यूएसटी से गुरुत्वाकर्षण द्वारा कूलिंग टावर में सीडब्ल्यू मेकअप उपलब्ध कराके सहायक ऊर्जा में कमी।
- सिंटर प्लांट, एसएएफ में लाइटिंग एनर्जी सेवर के 2*25 मेगावाट पावर प्लांट स्थापना में शेष 7 एफडी पंखों के लिए सक्शन डस्ट में बदलाव।
- सिंटर प्लांट, एसएएफ में लाइटनिंग एनर्जी सेवर की स्थापना।

अध्याय–VIII

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

8.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय और इसके तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ढांचे के विकास और संचालन को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

- मंत्रालय का कम्प्यूटर केंद्र 24X7 आधार पर प्रचालित विंडोज 2012 सर्वर से लैस है, अत्याधुनिक उपभोक्ता प्रणालियों और लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से भी जुड़ा है जो मंत्रालय के विस्तृत लोकल एरिया नेटवर्क से सूचनाओं को हासिल करने के साथ मंत्रालय में इंटरनेट के साथ इंटरानेट आधारित कार्यों को करने के लिए मुख्य माध्यम का कार्य करता है। एन आई सी ने मंत्रालय में उप सचिव एवं उच्च अधिकारियों के लिए वाईफाई की सुविधा दी है।
- एनआईसी सेंट्रल सुविधा के अलावा, करीब 250 ग्राहक प्रणाली जो मौजूदा समय में विंडोज़ आधारित सॉफ्टवेयर और ऑफिस ऑटोमेशन सुइट्स को संभालने में सक्षम है, मंत्रालय में अधिकारियों और प्रभागों के पास परिचालन में हैं।
- गीगाबिट मुख्य माध्यम के साथ करीब 250 नोड्स का एक लैन मंत्रालय में परिचालन में है और इसका निम्नलिखित कार्यों के लिए व्यापक उपयोग किया जा रहा है:
  - ❖ ई–मांग, स्टॉक व वस्तु सूची प्रबंधन प्रणाली, यात्रा पर रहे अधिकारी की सूचना प्रणाली, ई–जमा एवं मंजूरी प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली व स्टील एमआईएस मंत्रालय में इंट्रानेट पोर्टल पर परिचालन में हैं।
  - ❖ इलेक्ट्रॉनिक डाक एवं डायरी
  - ❖ फाइलों व दस्तावेजों का आदान प्रदान
  - ❖ वार्षिक रिपोर्ट, संसद के प्रष्नों पर सूचना सामग्री का संग्रह, प्रभागों से लंबित कार्य, पता लगाने व निगरानी के कार्य (डाकध्डायरी की प्राप्ति, वीआईपी/पीएमओ के संदर्भ, कैबिनेट नोट्स व संसद के आश्वासन आदि)।
  - ❖ मंत्रालय में प्रभागों से संसद के प्रश्नों के जवाबों का संग्रह व संकलन और ईमेल के जरिए उन्हें राज्यसभा व लोकसभा को भेजना।
- क्षेत्रीय सूचना तक पहुंचने के लिए इंटरनेट की सुविधा मंत्रालय में सभी अधिकारियों/प्रभागों को उपलब्ध कराई गई है।

ई–गवर्नेंस अनुप्रयोग

- ई–गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत मंत्रालय के उपयोक्ताओं के बीच नोटिस/सर्कुलर/कार्यालय आदेशों के लिए एक बुलेटिन बोर्ड सेवा के जरिए सूचना साझा और प्रसार करने के लिए मंत्रालय का एक इंटरनेट पोर्टल परिचालन में है।
- यह पोर्टल दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डाक/डायरी के आवागमन एवं अन्य लंबित कार्यों पर नज़र रखने की सुविधा देता है।
- मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट पोर्टल पर छुट्टी व अग्रिमों की मंजूरी के लिए फॉर्म डाउनलोड करने, इलाज पर खर्च के भुगतान, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट फॉर्म, पहचान पत्र, स्टाफ कार बुकिंग, आयकर, मंत्रालय में अधिकारियों/प्रभागों की टेलीफोन डायरेक्टरी, संगठन के चार्ट आदि भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
- डीएआरपीजी की सहायता से मंत्रालय में 'ई–ऑफिस' सॉटवेयर लागू किया जा रहा है। 'ई–ऑफिस' या कम कागजी कार्रवाई की कोई पहल में मुख्यरूप से दस्तावेज रिकार्ड प्रबंधन, संगठन में कार्यप्रवाह तय करना और नियंत्रण करना, काम का आबंटन एवं अंकेक्षण पर नजर रखना व उसे बनाए रखना, निष्पादन की बेंचमार्किंग व परिचालन संबंधी एमआईएस निकालने सहित कार्यप्रवाह का स्वचालन व ज्ञान प्रबंधन शामिल है।

- इस मंत्रालय में आधार आधारित बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली लागू की गई है।
- कर्मचारी के वेतन का ब्यौरा, जीपीएफ व आयकर विवरण के लिए व्यक्तिगत कॉर्नर खंड है। कार्यालय ज्ञापन, कार्यालयी आदेश और कार्यालय परिपत्र आदि के लिए बुलेटिन बोर्ड सेवाएं इंट्रानेट पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- यह इंटरनेट पोर्टल महत्वपूर्ण संदर्भों, कैबिनेट नोट्स व संसद के आश्वासन आदि पर नज़र रखने व उनकी निगरानी के क्षेत्र में कंप्यूटर आधारित प्रणालियों के लिए इंटरफेस भी उपलब्ध कराता है जिससे कम से कम विलंब हो और तेज़ी से निर्णय किया जा सके।
- अदालती मामलों की निगरानी प्रणाली का क्रियान्वयन प्रगति पर है।
- ई–गवर्नेंस योजना के तहत इस मंत्रालय में निम्नलिखित वेब आधारित प्रणालियां लागू की गई हैं:
  - ❖ सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई–एमआईएस) सुविधा के माध्यम से नजर रखी जाती है। यह व्यवस्था मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों में पूरी तरह से लागू है।
  - ❖ मंत्रालय और उसके सार्वजनिक उपक्रमों में जनता और पेंशनधारियों की शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीयकृत जन–शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआर एएमएस) भी कार्यान्वित की गई है।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

- इस्पात मंत्रालय (http://steel.gov.in) के लिए द्विभाषी वेबसाइट परिचालन में है।
- इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट को कंटेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सीएमएफ) में ले जाने का काम एनआईसी मुख्यालय में केन्द्रीयकृत स्तर पर प्रगति पर है।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर मंत्रालय की ई–पुस्तिका भी उपलब्ध है।

8.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल सूचना प्रौद्योगिकी का अनूठे तरीके से इस्तेमाल कर पुराने कारोबारी मॉडलों व संपूर्ण कारोबारी रणनीति को नए सिरे से परिभाषित करती रही है।

- सेल अपने सतत और संकेन्द्रित आईटी प्रयासों से 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से 4 अर्थात भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र के परिचालनों के साथ–साथ अपनी विपणन स्थापना अर्थात केंद्रीय विपणन संगठन के व्यवसाय परिचालनों को ईआरपी के दायरे में समर्थ रही है।
- वर्तमान में ईआरपी ने पहले ही 91 प्रतिशत इस्पात उत्पादन सौदे को और करीब 99 प्रतिशत बिक्री कारोबार को अपने दायरे में ले लिया है।
- पांचवें एकीकृत इस्पात संयंत्र मसलन इस्को स्टील प्लांट, कॉरपोरेट कार्यालय और बाकी इकाइयों में ईआरपी क्रियान्वयन के लिए एक व्यापक ईआरपी क्रियान्वयन रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया।
- पारदर्शिता की दिशा में एक पहल के तौर पर पूरे सेल में कार्यकारियों के निष्पादन की समीक्षा के लिए कार्यकारी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (ईपीएमएस) पहले से ही परिचालन में है। एक कदम आगे बढ़ाते हुए कॉरपोरेट कार्यालय में गैर–कार्यकारियों के कार्य निष्पादन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है।
- एसबीआई के जरिए भुगतान की ऑनलाइन धन प्राप्ति से तेजी से नकदी वसूली में व मानवीय त्रुटि खत्म करने में सेल लाभान्वित हुई है।
- 'डिजिटल इंडिया पहल' को प्रोत्साहित करने के लिए कई मैनुअल फॉर्मों को ई–फॉर्मों में तब्दील किया गया है और कर्मचारियों, ग्राहकों व आपूर्तिकर्ताओं के साथ संचार के लिए सिस्टम स्वचालित एसएमएस/ई–मेल सुविधा लागू की गई और ई–खरीद बढ़ाई जा रही है।
- मोबाइल ऐप इम्प्लाईज इंटफेस शुरू किया गया है। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए कुछ कारखानों में सेल्फ सर्विस शुरू की गयी है।

8.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल समग्र संगठनात्मक दक्षता में सुधार करने, उपभोक्ता संतुष्टि, उत्पादकता, पारदर्शिता और लागत प्रभाविता में सूचना प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर मानती है। 2015–16 के दौरान आरआईएनएल में सूचना प्रौद्योगिकी की पहल और उपलब्धियां इस प्रकार रहीं:

मानक

संवेदनशील डेटा को खतरे से सुरक्षित करने के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) लायी गयी। केन्द्रीयकृत प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए एक्टिव डायरेक्टरी के तहत डेस्कटॉप्स को रखे गए। आईएसओ 27001 प्रमाणन अंकेक्षण के चरण–1 का आकलन किया गया।

मोबिलिटी

मोबिलिटी एंड्रॉयड एवं आईओएस दोनों पर उत्पादन सह विलंब के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया गया। भर्ती, करियर्स, प्रकाशन, वीएमओ, विस्तार और डब्ल्यूआरएम उत्पादन के लिए ऐप्स विकसित कर उन्हें लगाया गया।

उद्यम अनुप्रयोग

- एंटरप्राइस रिसोर्स प्लानिंग लाइव हुआ– ईआरपी (एंटरप्राइस रिसोर्स प्लानिंग) के तहत सीआरएम (ग्राहक संपर्क प्रबंधन) मॉड्यूल इस अवधि में लागू किया गया और भारतीय इस्पात उद्योग में प्रथम– पेरोल के साथ एक एचआर मॉड्यूल एचसीएम (मानव पूंजी प्रबंधन) क्रियान्वयन के अधीन है।
- ई–नोटिस बोर्ड, अधिसूचना, काम की निगरानी आदि जैसी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रबंधन के लिए एंटरप्राइस मैसेजिंग सर्विस और ई–डेस्क प्रणाली लागू की गई।

वेब अनुप्रयोग

इस अवधि के दौरान कई पोर्टल/वेब अनुप्रयोग विकसित किए गए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- लोकायुक्त के मुताबिक वार्षिक संपत्ति रिटर्न की ई–फाइलिंग।
- 'डीओपीडिया–ऑनलाइन अधिकार प्रदान करना, सर्च इंजन आधारित पोर्टल' भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग में अपनी तरह का प्रथम।
- लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ''ज्ञानइरा'' और कार्मिक व प्रशासनिक अनुबंध पोर्टल।
- व्यापक विलंब विश्लेषण प्रणाली एवं प्लांट डेटा प्रबंधन प्रणाली।
- कार्यकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेस्लिप प्रणाली शुरू की गई।
- बाहर के सभी कार्यालयों के लिए तिमाही राजभाषा रिपोर्टों की ऑनलाइन फाइलिंग।
- जागरूकता बढ़ाने, करियर के विकल्प बढ़ाने एवं इस्पात विनिर्माण की बारीकियां नयी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आरआईएनएल की वेबसाइट पर 'किड्स कार्नर' शुरू किया गया है। डायग्राम और उदाहरण के साथ आसान भाषा में इस्पात बनाने की प्रक्रिया समझाने के लिए साइट को संवादात्मक बनाया गया है।

बुनियादी ढांचा एवं सांविधिक परियोजनाएं

- आईबी के दिशानिर्देशों के मुताबिक लेवल–1 व लेवल–2 प्रणालियों के लिए जोखिम मूल्यांकन पूरा किया गया।

8.4 एनएमडीसी लिमिटेड

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और वित्तीय लेखा प्रणाली में निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए:

- पीएफ निवेश लेखा
- प्राप्ति और भुगतान से प्रस्तुति योजना

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2015 के तहत मॉयल की उकवा खान को प्रथम पुरस्कार

- मोबाइल/ब्रीफकेस/सुटेकस प्रणाली
- कंट्रोल रूम उत्पादन एवं घटना रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए
- वेतन सहयोग प्रणाली

8.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने कंपनी के संपूर्ण कार्य क्षेत्रों का एक प्रभावी कंप्यूटीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्णकालिक प्रणाली प्रकोष्ठ स्थापित किया है। पर्याप्त आईटी बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विभाग द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- कंप्यूटरीकृत कामकाज के लिए मुख्यालय और खानों में कंप्यूटर लगाए गए हैं।
- कंपनी के विभिन्न विभागों, मसलन बिक्री और विपणन, खरीद और भंडारण, कर्मचारियों को भुगतान और मानव संसाधन, उत्पादन और गुणवत्ता, लागत और वित्त विभाग की जरूरतों के हिसाब से कम्प्यूटर आधारित कार्यक्रमों का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- नागपुर स्थित मुख्यालय में विंडोज 2003 आर–2 प्लेटफार्म पर लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) की स्थापना की गई है। कंपनी की सभी 9 खानों में भी लैन का डिजाइन व विकास पूर्ण कर लिया गया है।
- एन आई सी सर्वर पर एक कारगर वेबसाइट का डिजाइन, विकास और संचालन।
- इन–हाउस मॉयलनेट सर्वर पर एक कारगर इंटरानेट वेबसाइट का डिजाइन, विकास और संचालन। सुरक्षा उपाय के तौर पर नेटवर्किंग सिस्टम में सिस्को फायरवाल लगाया गया है।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खानों और मुख्यालय के बीच डाटाबेसों/सूचनाओं और दूसरे संसाधन की नियमित रूप से प्रभावी साझेदारी के लिए उन्हें वीपीएन के माध्यम से लीज्ड लाइन, ब्राडबैंड और वीसैट पर जोड़ा गया है। एमपीएलएस–वीपीएन के जनवरी, 2016 तक स्थापित होने की आशा है।
- सतत जानकारी हासिल करने, ई–मेल और आंकड़े भेजने के लिए मुख्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों को 8 एम बी पी एस (1:2) इंटरनेट लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। सभी खानों को लीज्ड लाइन/ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है।

- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 10 लाख रुपए और अधिक मूल्य के माल की सभी खरीद एम एस टी सी के ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
- जागरूकता बढ़ाने, करियर के विकल्प बढ़ाने एवं खनन व अयस्क उत्पादन की बारीकियां नयी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मॉयल (मैग्नीज अयस्क के लिए) की वेबसाइट पर 'बच्चों का कार्नर' शुरू किया गया है। डायग्राम और उदाहरण के साथ आसान भाषा में इस्पात बनाने में मैग्नीज अयस्क का इतिहास/उपयोग समझाने के लिए साइट को संवादात्मक बनाया गया है।

8.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एम एस टी सी में विकास जहां तक आईटी अवसंरचना का संबंध है, निम्नानुसार हैं:

- खनन पट्टे/कंपोजिट लाइसेंस के लिए ई–नीलामी प्रक्रिया पर एसटीक्यूसी प्रमाणन हासिल किया
- ई–खरीद सेवा पर एसटीक्यूसी प्रमाणन के लिए नवीकरण
- क्षेत्रों व शाखाओं के बीच वीपीएन संपर्क बनाए रखना
- ई–कॉमर्स के लिए आईएसओ प्रमाणन 27001:2005 से अपग्रेड कर 27001:2013 किया गया।
- आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन बरकरार
- सीएमएमआई लेवेल 5 हासिल/सीएमएमआई लेवेल 3 का नवीकरण

8.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

- एफएसएनएल की नयी आधिकारिक वेबसाइट शुरू की गई है।
- ऑनलाइन आकलन प्रणाली विकसित और क्रियान्वित की गई है।
- कॉरपोरेट कार्यालय और इकाइयों के विभिन्न विभागों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। वित्तीय लेखा, पेरोल, सामग्री प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों को कंप्यूटरीकृत किया गया है।
- एफएसएनएल की इकाइयां इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ी हैं।
- निविदाएं कंपनी की वेबसाइट fsnl.nic.in पर जारी की जाती हैं।
- सीओ में आईपीवी6 अनुपालन वाले सर्वर एवं कैट 6 लोकल एरिया नेटवर्किंग स्थापित की गई है।
- सीओ में फायरवॉल फोर्टिगेट 80सी को स्थापित किया गया है और फोर्टिगेट 40सी को इकाइयों में स्थापित किया गया है।
- एफएसएनएल ने आपदा रिकवरी साइट स्थापित करने की भी योजना बनाई है।

8.8 हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल की अपनी वेबसाइट www.hscl.co.in है, जिसके माध्यम से कंपनी पारदर्शी तरीके से अपनी व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करती है। एचएससीएल की देशभर में 25 से अधिक इकाइयां हैं। सभी इकाइयां प्राप्तियों व खर्चों के अलग अलग खाते रखती हैं। अंततः व्यक्तिगत इकाइयों के खातों का संकलन कर कंपनी के समग्र खातों तक पहुंचा जाता है। निम्नलिखित वित्तीय प्रणालियां शुरू की गई हैं:

- केन्द्रीयकृत नकदी प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस)
- अनुबंध रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली (सीआरएमएस)
- लाभप्रदता रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली (पीआरएमएस)
- बिलिंग प्रबंधन प्रणाली (बीएमएस) और
- सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एमएमएस)

एचएससीएल पूरी तरह से ई–खरीद का अनुपालन करने वाला संगठन है जहां सभी निविदाएं सीपीपी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन जारी करने का निर्णय किया जाता है। इसके अलावा, बिल भुगतान की स्थिति वेबसाइट पर परिलक्षित होती है जिससे कंपनी के कारोबारी व्यवहार में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

8.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के रांची, बेंगलूरू और दिल्ली स्थित कार्यालय अत्याधुनिक हार्डवेयर, नेटवर्क और विभिन्न इंजीनियरिंग सॉटवेयर जैसे रेबारकैड, टेकला, एरमोडव्यू, स्टेड प्रो, आटोकैड, ईटेप, केसर, पीवीलाइट, आटोप्लांट, पीडीएस आदि से लैस हैं जो विभिन्न परियोजनाओं के गुणवत्ता वाले डिजाइन और समय पर पूरा करने में सुविधा देते हैं।

मेकॉन विभिन्न जारी परियोजनाओं के नियोजन एवं निगरानी के लिए प्राइमावेरा, एमएस प्रोजेक्ट्स और कंपनी में विकसित परियोजना प्रबंधन सॉटवेयर का इस्तेमाल कर रही है।

कंपनी में ही विकसित वेब आधारित मॉड्यूट जैसे मानव संसाधन, निगमित वित्त, परियोजना वित्त, एम आई एस, योग्यता मैपिंग, ई–अर्काइव आदि का इस्तेमाल रोजमर्रा की गतिविधियों में किया जा रहा है।

8.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में सूचना प्रौद्योगिकी का 1976 से प्रयोग किया जा रहा है। इसके सभी कारखानों और कार्यालयों में यह फैला है। कम्प्यूटरीकरण के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- **मालसूची एवं सामग्री प्रबंधनः** कंपनी 1980 से कंप्यूटरीकत मालसूची लेखा और नियंत्रण प्रणाली का उपयोग कर रही है। कनेडियाई खनन कंपनियों द्वारा डिज़ाइन की गयी इस प्रणाली में अनोखी प्रविधियां, फॉर्म एवं चेक डिजिट के साथ कोडिफिकेशन अपनाया गया है। बाद में इस प्रणाली को अपग्रेड करके वेब आधारित प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है।
- **वित्तीय एवं लेखाः** पेरोल लेखा एवं पेस्लिप निकालने के काम का कंप्यूटरीकरण 80 के दशक में हुआ। अब वित्त एवं लेखा प्रणाली की सभी प्रमुख गतिविधियां अपेक्षित रिपोर्टिंग फीचरों के साथ वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से स्वचालित हैं। सभी प्रमुख भुगतान आरटीजीएस के जरिये किए जाते हैं।
- **आईटी ढांचाः** हार्डवेयर और सॉफटवेयर समय समय पर अपग्रेड किये जाते हैं व इनका रखरखाव किया जाता है। कंपनी ने मंगलोर और बेंगलूरू में फाइबर ऑप्टिक बैकबोन युक्त पूर्ण आईपी स्टक्चर्ड यूटीपी आधारित डेटा नेटवर्क स्थापित किया है। मंगलोर और बेंगलूरू में 8 एमबीपीएस लीज्ड लाइन और कुद्रेमुख में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इन स्थानों पर वीपीएन एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। इस तरह वीपीएन कनेक्टिविटी कंपनी के विभिन्न केंद्रों के जरिये सभी एप्लिकेशनों को एकल नेटवर्क पहुंच प्रदान करती है।
- **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंगः** मंगलोर और बेंगलूरू में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए इंटरनेट लीज्ड लाइन और आईएसडीएन कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। इस सुविधा से विभिन्न केद्रों में समय–समय पर ऑनलाइन बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- **ई–कॉमर्सः** ई–निविदा की शुरूआत, ई–खरीद और आरजीटीएस ने काफी अधिक सीमा तक कागजी कार्रवाई को कम किया है, पारदर्शिता बढ़ायी है और समय की बचत की है। एसक्यूटीसी प्रमाणन युक्त श्रेणी I/II आरएसए/एसए एजेंसी द्वारा ई–निविदा के जरिये पैलेट की बिक्री की जा रही है। इसने मूल्य का पता लगाने की प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी घटा दिया है। सीमा मूल्य से अधिक सभी खरीद ई–निविदा के जरिये की जाती हैं।
- **संयंत्र प्रक्रिया स्वचालनः** केआईओसीएल के सभी कारखाने पूर्ण रूप से स्वचालित हैं और केंद्रीय कंप्यूटर कक्षों से नियंत्रित हैं। इससे श्रमिकों की आवश्यकता में कमीं आई, मानव व मशीन की सुरक्षा बढ़ी है और उपकरणों का जीवनकाल बढ़ा है। कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के जरिये एकत्रित डेटा का उपयोग समय समय पर निवारक अनुरक्षण, कलपुर्जों के जीवनकाल का पता लगाने के लिए किया जाता है जिससे उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है।

8.11 ईआईएल, ओएमडीसी एवं बीएसएलसी

- इन कंपनियों ने सभी निविदाएं/आशय पत्र अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट एवं केन्द्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) पर प्रकाशित करने की पहल की है।
- लौह अयस्क व मैग्नीज अयस्क की बिक्री के लिए प्रक्रिया केवल ई–नीलामी के जरिए डिजाइन की गई है।
- बायोमीट्रिक आधारित हाजिरी प्रणाली और सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली कॉरपोरेट कार्यालय में लगाई गई है।
- छुट्टी के रिकॉर्ड्स का रखरखाव और वेतन की प्रोसेसिंग कस्टमाइज्ड पेरोल प्रणाली के जरिए की जा रही है।
- वेंडर के बिलों का भुगतान करने के लिए टैली आधारित लेखा पैकेज का उपयोग किया जा रहा है और विभिन्न कर्मचारियों को अन्य भुगतान आरटीजीएस एवं ई–भुगतान माध्यम से किया जा रहा है।

अध्याय–IX

सुरक्षा

9.1 प्रस्तावना

किसी भी उद्योग के संचालन में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न सिर्फ इसके कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह एवं इस्पात उत्पादन जटिल और जोखिम वाली गतिविधि है इसलिए कर्मचारियों को जख्मी होने से रोकने और दुर्घटना रोकने के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण और सभी तरह के खतरों और जोखिम के प्रति पर्याप्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

9.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

9.2.1 प्रबंधन प्रतिबद्धता

इस्पात कारखाना में दुर्घटना मुक्त कामकाज सुनिश्चित करना सेल प्रबंधन की एक प्रमुख प्राथमिकता है। यह ''शून्य दुर्घटना'' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है।

सेल में सुरक्षा प्रबंधन की शीर्ष स्तर पर निगरानी की जाती है अर्थात् सुरक्षा, जागरूकता पैदा करने एवं सुरक्षा के प्रति मानवीय व्यवहार सुधारने के लिए अध्यक्ष एवं निदेशक स्तर के साथ–साथ संबंधित कारखानों/इकाइयों के प्रमुख कार्यपालकों द्वारा बल दिया जाता है। सुरक्षा सभी समुचित मंचों पर प्रथम मद के रूप में परिचर्चा का विषय होता है और सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

सेल की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ओएचएसएएस–18001 कार्यान्वित करने के साथ–साथ एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति भी है।

9.2.2 सेल में सुरक्षा व्यवस्था

सेल के प्रत्येक कारखाने/इकाई में पूर्णतः सुसज्जित सुरक्षा इंजीनियरी विभाग कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक कारखाने में प्रमुख के अधीन सुरक्षा प्रबंधन के कार्य की देखभाल करते हैं । सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ), रांची के नाम से एक निगमित सुरक्षा यूनिट भी कार्य कर रही है जो विभिन्न कारखानों/इकाइयों में परिचालन/अग्नि सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करती है तथा कंपनी में सुरक्षा प्रबंधन पर निगमित स्तर पर पर्याप्त ध्यान देती है।

सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र में सुरक्षा उपाय

9.2.3 प्रणाली एवं प्रक्रिया

- ओएचएसएएस–18001:2007 और एसए 8000:2008 जैसी प्रबंधन प्रणालियों के साथ अनुरूपता।
- सुरक्षा पहलुओं को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस (एसओपी), स्टैंडर्ड मेन्टिनेंस प्रैक्टिसेस (एसएमपी) और सेफ वर्क इंस्ट्रक्शन्स (एसडब्ल्यूआई) के तौर पर शामिल किया जाता है और उनका अनुपालन किया जाता है।
- कार्यों के सुरक्षित निष्पादन के लिए वर्क परमिट प्रणाली लागू की गई है।
- पूंजीगत/प्रमुख मरम्मत कार्यों के लिए प्रोटोकॉल्स बनाए गए और अनुपालन किया गया।
- निवारक निरीक्षण/औचक जांच के दौरान असुरक्षित कार्यों एवं परिस्थितियों की पहचान की जाती है और नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं तथा इनका अनुपालन किया जाता है।
- केबल गैलरीज़, ऑयल सेलर्स, इत्यादि सहित अग्नि संभावित क्षेत्रों के लिए संयुक्त निरीक्षण किए जाते हैं और अग्नि का पता लगाने व बचाव प्रणालियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, इस पर पैनी नज़र रखी जाती है। आपात स्थिति में तैयारी के लिए मॉक ड्रिल कराए जाते हैं।
- सयंत्रों/इकाइयों में शीर्ष/विभागीय सुरक्षा समितियों के जरिए सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाता है। राष्ट्रीय इस्पात उद्योग के स्तर पर भी इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जेसीएसएसआई) के जरिए सेल सुरक्षा संगठन द्वारा सचिवालय के कामकाज का प्रबंधन किया जाता है।
- ऊंचाई पर कार्य करने वालों और गतिशील उपस्करों को चलाने वाले कर्मियों, क्रेन ऑपरेटरों और मोबाइल इक्विपमेंट ऑपरेटरों की विशेष चिकित्सा जांच अनिवार्य।
- समन्वय एवं निगरानी के लिए सेल सुरक्षा संगठन द्वारा पेशेवर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में इंटर प्लांट नेटवर्किंग स्थापित की गई जिसके लिए एनओएचएससी, भिलाई इस्पात संयंत्र एक केन्द्रीय एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है।
- एसएचई गतिविधियों में सेल और एनएससी दोनों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए सुरक्षा अंकेक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु एनएससी इण्डिया के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है।

9.2.4 सुरक्षा अंकेक्षण/निगरानी

- संयंत्रों और इकाइयों में सुरक्षा अंकेक्षण निम्नलिखित ढंग से किए जा रहे हैं:
  - ❖ संबंधित कारखानों के सुरक्षा इंजीनियरी विभाग द्वारा आंतरिक सुरक्षा अंकेक्षण ।
  - ❖ सहयोगी कारखानों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से सेल सुरक्षा संगठन द्वारा सुरक्षा अंकेक्षण ।
  - ❖ बाहरी एजेंसियों द्वारा सुरक्षा अंकेक्षण अर्थात् भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, क्षेत्रीय सांविधिक प्राधिकारियों, ओएचएसएएस अंकेक्षकों आदि द्वारा अनुशंसित एजेंसियां।
- ओएचएसएएस–18001, एसए 8000 आदि को सतत मान्यता के लिए प्रबंधन समीक्षा ।
- निर्धारित अंतराल पर संयंत्रों/इकाइयों के 'सुरक्षा प्रमुखों' और 'अग्नि सेवा प्रमुखों' की बैठक आयोजित की जाती है।
- सुरक्षा और अग्नि सेवा गतिविधियों के लिए एपीपी का प्रत्येक संयंत्र/इकाई एवं सेल सुरक्षा संगठन के लिए निर्धारण किया जाता है।
- कार्यों को सुरक्षापूर्ण सुनिश्चित करने को सभी प्रमुख मशीनों की मरम्मत/शटडाउन कार्यों के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा निगरानी की जाती है।

9.2.5 जागरूकता एवं प्रशिक्षण

- सुरक्षा, पेशेवर स्वास्थ्य एवं कार्य वातावरण का मानक बढ़ाने के लिए समय–समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।
- सुरक्षा से जुड़े मुद्दों से जुड़ी सूचना का संयंत्रों के स्थानीय टीवी नेटवर्क के जरिए प्रसारण किया जाता है ।
- नियमित अंतराल पर संयंत्रों/इकाइयों में कौशल उन्मुखी कार्य विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण दिए जाते हैं।
- सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के दौरान ऑडियो विजुअल सहायता व सुरक्षा फिल्मों का उपयोग किया जाता है ।
- संयंत्रों एवं इकाइयों के विभागीय सुरक्षा अधिकारियों/लाइन मैनेजरों/सुरक्षा निरीक्षकों के लिए सेल सुरक्षा संगठन द्वारा बाहरी फैकल्टी की मदद से आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे "सुरक्षा प्रबंधन", "रसायन से सुरक्षा", "हैज़ॉप अध्ययन", "सुरक्षा अंकेक्षण" और "प्रोसेस सुरक्षा प्रबंधन" का आयोजन किया गया।

9.2.6 कर्मचारी बचावपरक उपकरण व सुरक्षा उपकरणों का उपयोग

- कर्मचारी अनुकूल सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध कराए जाते हैं और इसके उपयोग पर नज़र रखी जाती है।
- ऊंचाई पर सुरक्षा के लिए डबल लैनयार्ड के साथ फुल–बॉडी कवच का उपयोग किया जाता है।
- समय–समय पर अत्याधुनिक पीपीई, सुरक्षा उपकरण, गैस निगरानी उपकरण भी दिए जाते हैं।

9.2.7 ठेकेदार के कर्मचारियों की सुरक्षा

चिन्हित प्रमुख बल वाले क्षेत्रों में, परियोजनाओं और कार्यक्षेत्रों दोनों में इनकी तैनाती के मद्देनज़र, ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में सुरक्षा मानकों को प्रोत्साहन देने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृश्ठभूमि से आने वाले लोगों को कारखाने में सुरक्षित ढंग से काम करने के बारे में प्रशिक्षण और शिक्षा देने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के लिए दिशानिर्देशों में अनुबंध दस्तावेज में सुरक्षा और दंड के प्रावधान, स्थल निरीक्षण की प्रणाली और काम शुरू करने से पहले सुरक्षा मंजूरी का मुद्दा, सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती, आदि शामिल है।

9.2.8 दुर्घटना विश्लेषण, जांच एवं मुआवजा

- अप्रैल, 2015 – दिसंबर, 2015 की अवधि के लिए रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजुरी फ्रिक्वेंसी रेट (RLTIFR) : 0.22 (इस्पात मंत्रालय का लक्ष्य 0–0.25 के मुकाबले) ।
- सभी दुर्घटनाओं की जांच की गई, विष्लेशण किया गया और दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ऐहतिहाती उपाय किए गए।
- सभी संयंत्रों व इकाइयों में घातक दुर्घटनाओं के "घटनास्थल पर अध्ययन" की सिफारिशें की गईं, जिससे कि इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित कार्रवाई की जाए।
- नियमित कर्मचारियों के मामले में, कंपनी की नीति के मुताबिक मुआवजे का भुगतान किया जाता है, जबकि ठेका श्रमिक के लिए मुआवजे का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के प्रावधानों के मुताबिक किया जाता है।

9.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

9.3.1 प्रबंधन की प्रतिबद्धता

सुरक्षा मानकों, जोखिम नियंत्रण की मॉनीटरिंग और अन्य सहक्रियात्मक उपायों के कार्यान्वयन में लगातार प्रयासों से संभावित जोखिम कम/समाप्त हुए हैं। शून्य दुर्घटना का उद्देश्य प्राप्त करने तथा कंपनी में एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। विस्तार क्षेत्र सहित कारखाने में रोजमर्रा और रोजमर्रा से परे गतिविधियां चिन्हित की गयी हैं जिनमें ओएचएसएमएस, जोखिम पहचान और जोखिम आक्कलन (एचआईआरए) किया गया है। सभी सुरक्षा नियंत्रण एवं उपायों को चिन्हित कर लिया गया है और समस्त गतिविधियों में इनकी निगरानी और कार्यान्वयन किया जा रहा है।

9.3.2 आरआईएनएल में सुरक्षा तंत्रः व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए संयंत्र में मान्यता प्राप्त व्यापार संघ के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों से बराबर की सहभागिता के साथ एक केंद्रीय सुरक्षा समिति और 30 विभागीय समितियां बनाई गई हैं।

9.3.3 सुरक्षा प्रोत्साहनः सुरक्षा प्रोत्साहन गतिविधियों के रूप में, विभिन्न सुरक्षा प्रतियोगिताओं में नियमित एवं ठेका कर्मचारियों दोनों की सहभागिता से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाये जाते हैं। संकार्य प्रभाग के साथ–साथ विस्तार इकाइयों में भी सुरक्षा सप्ताह मनाये जाते हैं।

वर्ष 2015–16 (दिसंबर 2015 तक) के दौरान उठाये गये विशेष कदम :

- संयंत्र को ओएचएसएएस–18001:2007 मानक के लिए पुनः प्रमाणित किया गया।
- रोलिंग मिल्स और सीओसीसीपी जोंस में घातक दुर्घटना न होने के लिए वर्ष 2015 के दो इस्पात सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त।
- फैक्ट्रियों के संयुक्त प्रमुख निरीक्षक और फैक्ट्रियों के निरीक्षक, आंध्र प्रदेश की उपस्थिति में "एलडी गैस लीकेज़" विषयक संयंत्र स्तरीय मॉक ड्रिल का संचालन किया गया।
- प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन और व्यवहार आधारित सुरक्षा, कानूनी पहलुओं और जोखिम चिन्हित करने व जोखिम का आक्कलन करने विषयक एक विशेष सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
- डीजीएफएएसएलआई के विशेषज्ञों की मदद से सेमिनारों का आयोजन किया गया ।

9.3.4 सुरक्षा ऑडिट एवं जांच: संबंधित विभागीय अधिकारी और अर्हता प्राप्त आंतरिक ओएचएसएएस अंकेक्षकों द्वारा सभी प्रमुख एवं छोटे विभागों में समय सारणी के अनुसार आंतरिक सुरक्षा ऑडिट किये गये । ओएचएसएएस प्रमाणीकरण निकाय के प्रमुख अंकेक्षकों द्वारा छह महीने में एक बार बाह्य सुरक्षा ऑडिट भी किये गये। अंकेक्षकों द्वारा उठाये गये बिंदुओं का अनुपालन किया गया। सांविधिक अपेक्षा के अनुरूप, बाह्य ऑडिट का संचालन सुरक्षा के क्षेत्र में बाह्य विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाता है। एजेंसी द्वारा उठाये गये सभी बिंदुओं का अनुपालन किया गया और फैक्टरी विभाग को रिपोर्ट सौंपी गयी। इसके अतिरिक्त, जोनल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भी पूरे संयंत्र में नियमित निरीक्षण किए गए। उपरोक्त के अलावा, फैक्टरी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा पूरे संयंत्र में विशेष सुरक्षा निरीक्षण किए गये। उनके द्वारा उठाये गये सभी बिंदुओं का अनुपालन किया जा रहा है।

9.3.5 आपातकालीन प्रबंधन योजना: आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान आपातकालीन तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए, इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में एक व्यापक आपातकालीन प्रबंधन योजना तैयार की गयी है और किसी भी आपातकालीन स्थितियों के दौरान विभिन्न गतिविधियों में समन्वय के लिए प्लांट कंट्रोल में एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष चिन्हित किया गया है।

9.3.6 सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान: नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 5000 से नियमित कर्मचारियों को शामिल किया गया और 10000 ठेका कामगारों को सुरक्षा प्रवेश प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रबंध, कानूनी और अन्य अपेक्षाओं, सामग्री हैंडलिंग में सुरक्षा, इत्यादि के क्षेत्र में नियमित रूप से विशिष्ट सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

9.3.7 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण: सभी नियमित कर्मचारियों को अपेक्षित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किये जाते हैं और उनके इस्तेमाल की निगरानी की जा रही है। सभी ठेका कामगारों को भी ठेकेदारों द्वारा अपेक्षित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किये गये और कार्यस्थल पर उनका इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है।

9.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। उन्हें खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत जरूरी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है। ये केंद्र मौलिक प्रशिक्षण, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, कुशल कामगारों और ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले कामगारों के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। एनएमडीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में खनन कार्यों और यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिक संस्थापनाओं के लिए कानूनी प्रावधानों के मुताबिक पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों का नामांकन/नियुक्ति की जाती है। हर चालू खान के लिए सुरक्षा समिति गठित की गई है और हर महीने सुरक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं जहां कार्य वातावरण से संबंधित सुरक्षा मामलों और सुधारात्मक कार्रवाइयों पर चर्चा की जाती है। वर्ष 2015–16 में (दिसंबर 2015 तक), प्रति 1000 मानव कार्य दिवसों पर 0.34 मानव कार्य दिवसों का नुकसान हुआ।

9.4.1 ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणीकरण:

एनएमडीसी की परियोजनाएं – बीआईओएम, किरन्दूल कॉम्प्लेक्स, बीआईओएम, बछेली कॉम्प्लेक्स एवं दोणिमलै लौह अयस्क खान और डीएमपी, पन्ना को ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणीकरण प्राप्त है।

9.4.2 सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

एनएमडीसी की सभी खानों में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है।

9.5 मॉयल लिमिटेड

माइन मेट, माइन फोरमेन और प्रशिक्षित माइनिंग इंजीनियर जैसे सक्षम सुपरवाइजरों द्वारा सभी खनन कार्यों पर नियमित नज़र रखी जाती है। कार्य पारी के दौरान भी वर्कमैन निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी, खान प्रबंधक और एजेंटों द्वारा सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक (सुरक्षा) के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है और समय–समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है। खदानों में नियमित सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां कामगारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कर रोज़ाना के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा होती है। असुरक्षित कार्यों और खदान दुर्घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया जाता है ताकि किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

9.5.1 जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन: सभी प्रमुख मैंगनीज खानों, भूमिगत और ऊपरी खानों में जोखिम आक्कलन अध्ययन विशेषज्ञों द्वारा किया गया और सुरक्षा प्रबंधन योजना डीजीएमएस की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार की गयी है। और जोखिम प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों में जोखिम की पहचान करना, जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करना और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ–साथ जोखिम कम करने की योजनाएं तैयार करना है।

9.5.2 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन (ओएचएसएएस 18001:2007): व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में मॉयल को बालाघाट, डोंगरी बुजुर्ग, चिकला, खांडरी, मनसार और गुमगांव खान के लिए ओएचएसएएस 18001 : 2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।

9.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी एक व्यापारिक संगठन है तथा इसका कोई संयंत्र/कार्यशाला नहीं है। परंतु एमएसटीसी के कार्यालयों में कार्यालय घंटों के दौरान डाक्टर की उपस्थिति सहित आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं।

9.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

सुरक्षा सतर्कता और सुरक्षित कार्य प्रणालियां अपनाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के वास्ते नियमित निगरानी करते हुए सतत अभिप्रेरित किया जाता है। कर्मचारियों को सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे वर्ष के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर में सुरक्षा और संबद्ध विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। कर्मचारियो को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् आदि जैसी प्रतिष्ठित एवं जानी–मानी एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रशिक्षण के अलावा, कंपनी द्वारा सुरक्षा दिवस समारोह आयोजित किए जाते हैं जिनके अंतर्गत वाद–विवाद प्रतियोगिताएं, निबंध/ स्लोगन प्रतियोगिताएं, इत्यादि शामिल की जाती हैं। कर्मचारी ऐसी प्रतियोगिताओं में उत्साहित होकर भाग लेते हैं।

9.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने अपने क्रियाकलापों की प्रक्रति के अनुरूप सुरक्षा प्रबंधन और प्रविधियों को पुख्ता बनाया है और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठाए हैं:

- कंपनी के सुरक्षा मैन्युअल का प्रकाशन : निर्माण निकायों, जिनको निर्माण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए कामगारों की जरूरत होती है, के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुरक्षा प्रविधियां चिन्हित करने हेतु इस मैन्युअल को तैयार किया गया है।
- निर्माण कामगारों के लिए सुरक्षा हैंड बुक का प्रकाशन जिसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया गया है जिन पर निर्माण स्थल पर ध्यान देना जरूरी होता है।
- कंपनी ने देश भर में फैली अपनी 25 से अधिक इकाइयों की सुरक्षा पहलुओं की निगरानी के लिए अपने मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके प्रमुख एक नोडल अधिकारी (सुरक्षा) है जो सीधे सीएमडी को रिपोर्ट करता है।
- एक अधिकारी को प्रभारी सुरक्षा का जिम्मा देते हुए, कंपनी की प्रमुख इकाइयों में पूर्ण रूप से समर्पित सुरक्षा अधिकारियों के पद स्थापित किए गए हैं। छोटी इकाइयों में प्रत्येक में दो–दो सुरक्षा अधिकारी हैं और भिलाई स्थित बड़ी इस्पात इकाई में जहां प्रमुख क्षमता विस्तारीकरण पैकेजों पर काम चल रहा है, वहां एक सुरक्षा सलाहकार के साथ 11 सुरक्षा अधिकारी हैं।
- सुरक्षा से जुड़े मसलों पर विचार–विमर्श करने और सुधार के लिए कार्रवाई करने एवं सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने तथा दुर्घटनाएं, यदि कोई होती हैं, उनकी जांच करने के लिए विभिन्न प्रमुख इकाइयों में सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।
- आपातकालीन तैयारी योजना, जोखिम की पहचान और जोखिम का आक्कलन पर परियोजना के निष्पादन से जुड़े कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के लिए प्रमुख इस्पात संयंत्र इकाइयों में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

9.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के डिज़ाइन और परामर्शदात्री कार्यालय हैं और इसकी कोई निर्माण इकाई नहीं है। मेकॉन ने सुरक्षा नीति विवरण तैयार किया है जिसे अभिविन्यास प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को नियमित रूप से सम्प्रेषित किया जाता है। सुरक्षा नीति विवरण की कुछ विशेषताओं को कंपनी के आचरण और अनुशासन तथा अपील नियमावली में शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके फलस्वरूप, मेकॉन में वर्ष के दौरान कोई अवांछित दुर्घटना नहीं हुई है।

9.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल का प्रशिक्षण और सुरक्षा विभाग तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र नामक अलग विभाग है जिसमें संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं की देखभाल करने के लिए एक इंजीनियर और योग्य डाक्टर मिलकर प्रभारी हैं।

- केआईओसीएल व्यावसायिक जोखिमों और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए ओएचएसएएस 18001:2007 के अनुरूप है।
- स्ट्रक्चर्स को तोड़ने और अन्य संबंधित कार्यों से जुड़े ठेका कामगारों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है ताकि उनमें सुरक्षा के प्रति जागरूकता की भावना का संचार हो सके । सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) मैन्युअल प्रकाशित किया गया और अन्य इकाइयों में वितरित किया गया । आवश्यकता के अनुसार रिफ्रैशर प्रशिक्षण, फस्ट एड प्रशिक्षण, अग्निशमन और सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया ।
- पेलेट प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस इकाई के लिए फैक्ट्रियों के निदेशक द्वारा मंजूर ऑनसाइट आपातकालीन योजना विद्यमान है । जब कभी संयंत्र परिस्थिति और आपातकालीन टीम सदस्यों में बदलाव आता है तो इसको अद्यतन किया जाता है ।
- सुरक्षा प्रबंध प्रणाली में कामगारों की सहभागिता कंपनी द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण पद्धति है। क्षेत्रवार सुरक्षा समितियां बनाई जाती हैं। इन सुरक्षा समितियों में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।
- संबंधित विभाग के इंजीनियरों और सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ सुरक्षा अधिकारी द्वारा दो महीने में एक बार नियमित रूप से सुरक्षा जांच की जा रही है । हर तिमाही में आयोजित होने वाली सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा पहलुओं पर विचार–विमर्श किया जाता है और खामियों को पूरा करने के लिए समुचित कार्रवाइयां की जाती हैं।
- सुरक्षा के प्रति चेतना जागृत करने और मान संसाधनों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्श 2015–16 के सहमति पत्र लक्ष्य 2817 के मुकाबले में, केआईओसीएल ने कार्य स्थल सुरक्षा की दृष्टि से ठेका कामगारों के लिए 2700 मानव दिवस (95.8 प्रतिशत) और 187 मानव दिवस प्रशिक्षण प्राप्त किये।
- पेलेट प्लांट और ब्लास्ट फर्नेस इकाई मे 6 महीने में एक बार ऑनसाइट आपातकालीन मॉक ड्रिल्स का संचालन किया जाता है ।

9.11 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

कंपनियां खनन अधिनियम, 1952, नियमावली, विनियमों के प्रावधान एवं दिशानिर्देशों के अनुसार खनन एवं संबंधित कार्यकलापों में लगे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय करती हैं। संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपायों, औजार एवं उपकरणों से लैस किया जाता है। खनन प्रचालन में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी सुरक्षित प्रविधियों को स्थानीय के साथ–साथ क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा प्रदर्शनी में कामगारों की भागीदारी के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी ही खानों में नियमित दौरों से नई प्रक्रियाओं का पता लगाकर उन्हें अपनाया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और विभिन्न क्षेत्रों से और खानों में प्रचालनात्मक गतिविधियों में कामगारों को बुनियादी और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

अध्याय–X

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

10.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंधी सरकारी दिशानिर्देषों का पालन करता है। मंत्रालय में 05.02.2016 को कुल 195 कर्मचारियों में से 42 अनुसूचित जाति (21.53 प्रतिशत), 13 अनुसूचित जनजाति (6.6 प्रतिशत) और 19 अन्य पिछड़े वर्ग (9.74 प्रतिशत) के थे। सचिवालय सेवा से संबंधित पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरे गए हैं।

10.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियों एवं पदोन्नति में आरक्षण के लिए सेल राष्ट्रपति के निर्देशों का निरंतर पालन करता है। 01.01.2016 को कुल 90184 की जनशक्ति में से 14726 कर्मचारी (16.33 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 12763 कर्मचारी (14.15 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति और 10859 कर्मचारी (12.04 प्रतिशत) अन्य पिछड़े वर्गों के थे।

सेल की खानों सहित इसके संयंत्र और इकाइयां देश के आर्थिक रूप से पिछड़े अजा/अजजा बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के संपूर्ण विकास में योगदान किया है। इसके कुछ योगदानों का विवरण इस प्रकार हैः

- गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की भर्ती, जो कि कुल कर्मचारियों का 84 प्रतिशत होता है, मुख्यतः क्षेत्रीय आधार पर संचालित की जाती हैं और इस प्रकार बड़ी संख्या में अजा/अजजा तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को सेल में रोजगार का लाभ प्राप्त होता है।
- पिछले वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों के आसपास अनुषंगी उद्योगों के बड़े समूह भी विकसित हुए हैं। इसने नौकरियों और उद्यमवृत्ति विकास के लिए स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी एवं उद्यम के अवसर प्रदान किए हैं।
- अस्थायी और अनिरंतर प्रकृति के रोजगारों के लिए सामान्यतः ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से कामगारों को तैनात करता है, इससे भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।
- सेल के इस्पात संयंत्रों की आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली सहायक जनसंख्या लाभांवित हो रही है।
- सेल द्वारा विकसित इस्पात नगर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकीय, शैक्षणिक और नागरिक सुविधाओं से युक्त हैं। ये स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि का लाभ उठा रहे अन्य लोगों के लिए उम्मीद की किरण हैं।

सेल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि :

- सेल के पांच एकीकृत इस्पात कारखानों के क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब तथा कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। यहां दी जा रही सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा, दोपहर का भोजन, जूतों सहित यूनिफॉर्म, किताबें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतल और कुछ मामलों में परिवहन सुविधाएं भी हैं। इन स्कूलों में इस समय 1600 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- सेल संयंत्रों ने 200 आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। इन्हें निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म, अध्ययन सामग्री, रहने–खाने की सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके। रहने के लिए इन्हें सारंडा सुवान छात्रावास, ज्ञानोदय हॉस्टल और विलुप्तप्राय बिरहोर जनजाति के लिए ज्ञान ज्योति योजना की सुविधा भी है।
- 4000 से अधिक आदिवासी स्कूलों से निकले विद्यार्थियों के कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी/जेईई की प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग आदि की सुविधा प्रदान की जाती है, इसके अलावा आईटीआई, नर्सिंग एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में मासिक वजीफा, आवास, परिवहन और खाने की सुविधा आदि भी प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों से, चाहे वे सेल के कर्मचारियों के बच्चे हों अथवा नहीं, कंपनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ाई के लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है।
- भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो में आसपास की गरीब अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों की जनता को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवाएं देने के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं।

- किरिबुरु, गुआ और चिरिया की खानों के अस्पतालों के आसपास के गांवों के मनकी/मुंडा (स्थानीय जनजातीय ग्राम प्रमुखों) की सिफारिश पर अस्पतालों में दाखिल होने तथा इलाज कराने आने वाले, दोनों तरह के मरीजों का, निःशुल्क इलाज किया जाता है। इससे मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ मिलता है।

आरक्षण नीति को बढ़ावा देने हेतु उठाये गये कदम :

- सेल कारखानों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु संपर्क अधिकारियों एवं अन्य डीलिंग अधिकारियों के लिए बाह्य विशेषज्ञ के जरिये नियमित अंतराल पर आंतरिक कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं ताकि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण नीति और अन्य संबंधित मसलों पर जानकारी रख सकें।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों के पास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी फेडरेशन नामक एक शीर्ष स्तरीय संस्था है, जो समन्वित आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के मसलों का प्रतिनिधित्व करता है। निदेशक (कार्मिक) के स्तर पर फेडरेशन के साथ बैठक नियमित आधार पर होती है।

10.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार आरआईएनएल की कुल जनशक्ति 17954 थी, जिसमें से 2979 अनुसूचित जाति (16.59 प्रतिशत), 1306 अनुसूचित जनजाति (7.27 प्रतिशत) तथा 2229 अन्य पिछड़े वर्ग (12.42 प्रतिशत) थे।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर योग्यता पुरस्कार योजना के तहत अनुदान – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियां

ये पुरस्कार केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं। इसके तहत 1500 रुपये प्रतिमाह का पुरस्कार पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि तक ऐसे बच्चों को दिया जाएगा, जिन्होंने बारहवीं या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और वे इंजीनियरिंग/वास्तुकला/चिकित्सा/पशु चिकित्सा/दंत रोग/कृषि विज्ञान/औषधि शास्त्र/विधि डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं। इस तरह के आठ पुरस्कार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के बच्चों को और चार पुरस्कार अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों को दिए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याणः

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए मृत्युकोष योजना जनवरी, 2009 से शुरू की गई, जिसके तहत किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में एसोसिएशन के सदस्यों के वेतन से 50 रुपए की कटौती की जाएगी और इस तरह से एकत्र की गई राशि मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाएगी।

10.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में 31.12.2015 को कुल 5641 कर्मचारी थे, जिनमें से 981 कर्मचारी अनुसूचित जाति (17.39 प्रतिशत), 1192 अनुसूचित जनजाति (21.13 प्रतिशत) और 864 अन्य पिछड़े वर्ग (17.09 प्रतिशत) के थे।

कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सफल रही है और कोई बैकलॉग रिक्ति शेष नहीं है।

10.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक श्रम प्रधान संगठन है, जिसमें 31.12.2015 को 6340 कर्मचारी थे। इसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 78.42 प्रतिशत थे, जिसमें से 45.33 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं। मॉयल देश के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खानों के आसपास रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास में भी काफी रुचि ले रहा है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

- खानों के निकट गांवों को गोद लिया गया तथा उन्हें पेयजल, सड़क अनुरक्षण, समय–समय पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा इन गांवों में रहने वालों को उपचार दिया जा रहा है।
- खनन क्षेत्र से लगे स्कूलों को वित्तीय सहायता, लेखन सामग्री, पुस्तकें आदि दी जा रही हैं।
- महिलाओं के विकास एवं स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीनें प्रदान की गईं।
- स्वरोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया गया ।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तिपहिए वाहन दिए गए।

10.6 एमएसटीसी लिमिटेड

दिनांक 31.12.2015 को एमएसटीसी लिमिटेड में कुल कर्मचारियों की संख्या 304 थी, जिनमें से अनुसूचित जाति के 55 (18.09 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के 17 (5.59 प्रतिशत) और अन्य पिछड़े वर्ग के 57 (18.75 प्रतिशत) थे। वर्ष के दौरान भर्ती किए गए 16 व्यक्तियों में से 10 अन्य पिछड़ा वर्ग, 2 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति और 1 पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित थे।

कमजोर वर्ग के चयन और पदोन्नति से संबंधित मामलों में निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है। सभी विभागीय पदोन्नति समितियों व चयन समितियों (भर्ती के समय) के गठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व रखा जाता है और चयन समिति में एक महिला सदस्य होती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए मानकों में छूट दी जाती है। वर्ष के दौरान भर्ती कुल 44 कर्मचारियों में से 3 अनुसूचित जनजाति, 10 अन्य पिछड़े वर्ग और 2 अनुसूचित जाति और 1 शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी से संबंधित थे।

वर्ष के दौरान 41 कर्मचारियों को कंपनी के भीतर और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। इसमें से 11 कर्मचारियों को नेतृत्व, कार्यनीति, नवीनता, टीम निर्माण आदि पर वरिष्ठ प्रबंधन विकास कार्यक्रमों और 26 को ई–कॉमर्स एवं सूचना तकनीक पर कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया। वर्ष के दौरान 4 अनुसूचित जाति, 6 अनुसूचित जनजाति और 11 अन्य पिछड़े वर्ग (1 पीडब्ल्यूडी) के कर्मचारियों को उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोजित किया गया।

10.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

दिनांक 31.12.2015 को कंपनी की कुल जनशक्ति 915 में से 176 अनुसूचित जाति (19.23 प्रतिशत), 104 अनुसूचित जनजाति (11.37 प्रतिशत) और 123 अन्य पिछड़े वर्ग (13.44 प्रतिशत) के कर्मचारी थे। एफएसएनएल द्वारा अपनाई गई पदोन्नति नीति तथा विभिन्न कल्याणकारी उपायों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों के कमजोर वर्गों से संबंधित कर्मचारियों को पर्याप्त लाभ मिल रहा है।

10.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

दिनांक 31.12.2015 को कंपनी के 68 कर्मचारियों में से 09 अनुसूचित जाति (13.23 प्रतिशत), 03 अनुसूचित जनजाति (4.41 प्रतिशत) और 07 अन्य पिछड़े वर्ग (10.29 प्रतिशत) के थे। एचएससीएल ऐसे क्षेत्रों में जहां अधिकतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी रहते हैं, में स्कूल खोलने में सहायता प्रदान कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को परियोजनाओं में स्कूल के मामले में यथोचित तरजीह प्राप्त होती है। कर्मचारियों को झोपड़ियां बनाने के लिए भूमि दी गई है तथा इन स्थानों पर बिजली, पानी और साफ–सफाई की व्यवस्था आदि की गई है। पेयजल की आपूर्ति के लिए भी सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति में केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। कंपनी देश में नीचे तबके के लोगों के लाभ के लिए अन्य पीएसयूज की ओर से सीएसआर परियोजनाएं भी कार्यान्वित करती है।

10.9 मेकॉन लिमिटेड

दिनांक 31.12.2015 को कंपनी में 1497 कर्मचारियों में से 275 अनुसूचित जाति (18.37 प्रतिशत), 155 अनुसूचित जनजाति (10.35 प्रतिशत) एवं 180 अन्य पिछड़े वर्ग (12.02 प्रतिशत) के थे। मेकॉन समाज के कमजोर वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूर्णतः सजग है। कंपनी ने उनके हितों की सुरक्षा के लिए शामली कालोनी, रांची में सामुदायिक शिक्षण योजना, संसाधन सृजन योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, शेशायर होम में विकलांग लोगों की सहायता, ग्राम आधारित कार्यक्रमों, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं इत्यादि जैसी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

10.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में दिनांक 31.12.2015 को कर्मचारियों की कुल संख्या 938 थी, जिनमें से 144 कर्मचारी अनुसूचित जाति (15.33 प्रतिशत), 51 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति (5.43 प्रतिशत) और 155 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्ग (16.52 प्रतिशत) के थे।

कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलौर में एक आधुनिक शहर, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराकर पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई हैं। यहां 10 प्रतिशत ''ए'' और ''बी'' टाइप के क्वार्टर एवं 5 प्रतिशत ''सी'' और ''डी'' टाइप के क्वार्टर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

कुद्रेमुख, मंगलौर और बैगलुरु में प्रबंधन और एससी/ एसटी वेल्फेयर एसोसिएशन के साथ निरंतर बातचीत होती है। अनुसूचति जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा के साथ–साथ शिकायत निवारण के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

10.11 ईआईएल, बीएसएलसी और ओएमडीसी

ईआईएल, बीएसएलसी और ओएमडीसी में दिनांक 31.12.2015 को कर्मचारियों की कुल संख्या 1298 थी। कुल जनशक्ति का लगभग 81.43 प्रतिशत (1298 में से 1057), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से था। इनमें से 290 अनुसूचित जातियों (22.34 प्रतिशत), 612 अनुसूचित जनजातियों (47.15 प्रतिशत) और 155 अन्य पिछड़े वर्गों (11.94 प्रतिशत) के थे।

अध्याय–XI

सतर्कता

11.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर नियुक्त संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय की सतर्कता इकाई का अध्यक्ष है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक निदेशक, एक अवर सचिव और सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के अंतर्गत प्रमुख केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं। सतर्कता इकाई इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होती है :

- सरकारी कामकाज में सत्यनिष्ठा/दक्षता सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील कदाचार/प्रलोभन के क्षेत्रों की पहचान करना और निवारक उपाय करना;
- शिकायतों की जांच करना और उपयुक्त अन्वेषण उपायों की शुरुआत;
- इनका निरीक्षण करना और अनुवर्ती कार्रवाई;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अन्वेषण रिपोर्टों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मंत्रालय की टिप्पणियां प्रेषित करना;
- सीवीसी या अन्य प्रकार के परामर्श पर विभागीय कार्यवाहियों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करना;
- जहां कहीं आवश्यक हो, सीवीसी का प्रथम और द्वितीय चरण का परामर्श लेना;
- सीवीसी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीवीओ की नियुक्ति;
- मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में शिकायतों की उपयुक्त कार्रवाई हेतु जांच करना;
- इस मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्ति रिटर्नों का रखरखाव एवं जांच;
- मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यरत है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सतर्कता इकाई का एक सीवीओ प्रमुख होता है जिनकी नियुक्ति इस मंत्रालय द्वारा सीवीसी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श से की जाती है।

मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए अलग–अलग बैठकें आयोजित करता है तथा मासिक आधार पर स्थिति का विश्लेषण करता है और मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा समय–समय पर भेजे गए विवरणों की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, पुराने लंबित मामलों के आधार पर मंत्रालय संबद्ध सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सतर्कता अधिकारियों से आवश्यकता पड़ने पर विचार–विमर्श भी किया गया। मुख्य सतर्कता अधिकारी से विभिन्न सतर्कता पहलुओं पर प्राप्त निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेजा गया जिससे उनका अनुपालन सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात कार्य में हुई प्रगति पर नजर रखी गई और आवश्यक कार्रवाई की गई।

वर्ष 2015–16 के दौरान (01.04.2015 से 31.12.2015 तक) सीवीसी से 32 संदर्भ प्राप्त किए गए, इनमें से 28 को निपटा दिया गया है। अन्य स्रोतों से, 56 शिकायतें प्राप्त हुईं और 52 को निपटा दिया गया था।

अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्यमों के सीवीओ के साथ बैठक आयोजित की गई जिनमें भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, उचित पदोन्नति नीति अपनाने, ई–खरीद में पारदर्शिता, ई–खरीद को बढ़ाने, खरीद मैन्युअल को नियमित रूप से अद्यतन करने, निर्धारित समय में डीपीसी करने, संवेदनशील पदों को धारण किए गए अधिकारियों के रोटेशन के संबंध में चर्चा की गई । सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्यमों के सभी कार्यपालकों के एपीएआर के प्रकटन पर चर्चा हुई और सभी सीएमडी/सीवीओ को आवश्यक निर्देष जारी किये गये कि वे विभिन्न मसलों पर समय–समय पर सीवीसी, डीओपीटी और डीपीई द्वारा जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें ।

11.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल सतर्कता विभाग ऐसी निवारक और सक्रिय गतिविधियों पर जोर दे रहा है जिससे कि संगठन में नैतिकता के उच्च मानदंडों के साथ सत्यनिष्ठा, दक्षता और पारदर्शी तरीके से कार्य करने का माहौल तैयार किया जा सके। तदनुसार, अप्रैल–दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईं :

- सेल में व्हीसल ब्लोअर नीति पर क्रय/अनुबंध प्रक्रियाओं, आरटीआई अधिनियम, आचरण एवं अनुशासन नियमावली, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सतर्कता जागरूकता, इत्यादि बढ़ाने के लिए सेल के विभिनन संयंत्रों और इकाइयों में कुल 93 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 2182 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों के संवेदनशील क्षेत्रों में कुल 2034 आवधिक निरीक्षण किए गए जिनमें फाइलों की जांच और संयुक्त निरीक्षण शामिल है।
- सतर्कता अन्वेषण और एवं निरोधात्मक सतर्कता गतिविधियों के अंतर्गत प्रमुख रूप से औचक जांच के कारण अनुमानित रूप से 728 लाख रुपये अर्जित हुए।
- सेल सतर्कता में निम्नलिखित तीन (3) बल वाले क्षेत्रों को लिया गया है :

  i) उच्च मूल्य की परियोजनाओं से संबंधित फाइलों की संवीक्षा : सीटीई दिशानिर्देशों के आधार पर 13 उच्च मूल्य की परियोजनाओं/ खरीद मामलों को संवीक्षा के लिए चुना गया।

  ii) एकल निविदा पूछताछ (प्रोपराइटरी खरीद आधार) पर दिए गए संविदाओं की संवीक्षा।

  iii) उच्च मूल्य की कच्ची सामग्री की प्राप्ति, नमूना बनाने और जांच में सतर्कता बढ़ाना ।

- सतर्कता के सुझावों को साथ–साथ सम्मिलित करते हुए 12.05.2015 को संशोधित भर्ती मैन्युअल जारी किया गया । सेल सतर्कता द्वारा वेट किये गये इस मैन्युअल को सेल निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद में जारी किया गया ।
- अधिक पारदर्शिता लाते हुए विद्यमान प्रणालियों में सुधार लाने के लिए, सतर्कता प्रचालन प्राधिकरणों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है।
- क्रियान्वित प्रणाली की कुशलता को मॉनीटर करने के लिए सेल के सतर्कता विभाग आईएसओ 9001 : 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा कर रहे हैं।
- सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों में ''सुशासन में एक मददगार के रूप में निवारक सतर्कता'' विषय पर 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 आयोजित किया गया ।

11.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल के सतर्कता विभाग ने कंपनी में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए निवारक सतर्कता पर विशेष रूप से बल दिया। अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया । इसके लिए ई–पहल जैसे ई–ऑक्शन, ई–रिवर्स ऑक्शन ओर ई–भुगतान इत्यादि को बढ़ावा दिया गया । 30.09.2015 की स्थिति अनुसार, सकल निविदाओं/ प्रोपराइटरी मामलों के अलावा निविदाओं के जरिये खरीद का 74.44 प्रतिशत ई–रिवर्स ऑक्शन था, स्टोर्स का निपटान 100 प्रतिशत ई–ऑक्शन से किया गया । विपणन परिवहन ठेकों का निपटान 100 प्रतिशत ई–रिवर्स ऑक्शन से किया गया और 99.81 प्रतिशत अदायगी ई–भुगतान के जरिये किया गया ।

कंपनी में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल–दिसंबर 2015 में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं :

- 229 प्रणाली निगरानी निरीक्षण किए गए जिनमें 34 गुणवत्ता निरीक्षण और 60 रेक/सड़क पर भार की जांच कार्य शामिल हैं।
- सतर्कता निवारण/ नैतिकता पर 20 सतर्कता जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। ''सुशासन में एक मददगार के रूप में निवारक सतर्कता'' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 आयोजित किया गया ।
- आरआईएनएल के दो सतर्कता अधिकारियों ने राष्ट्रीय सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार–2015 प्राप्त किया है।

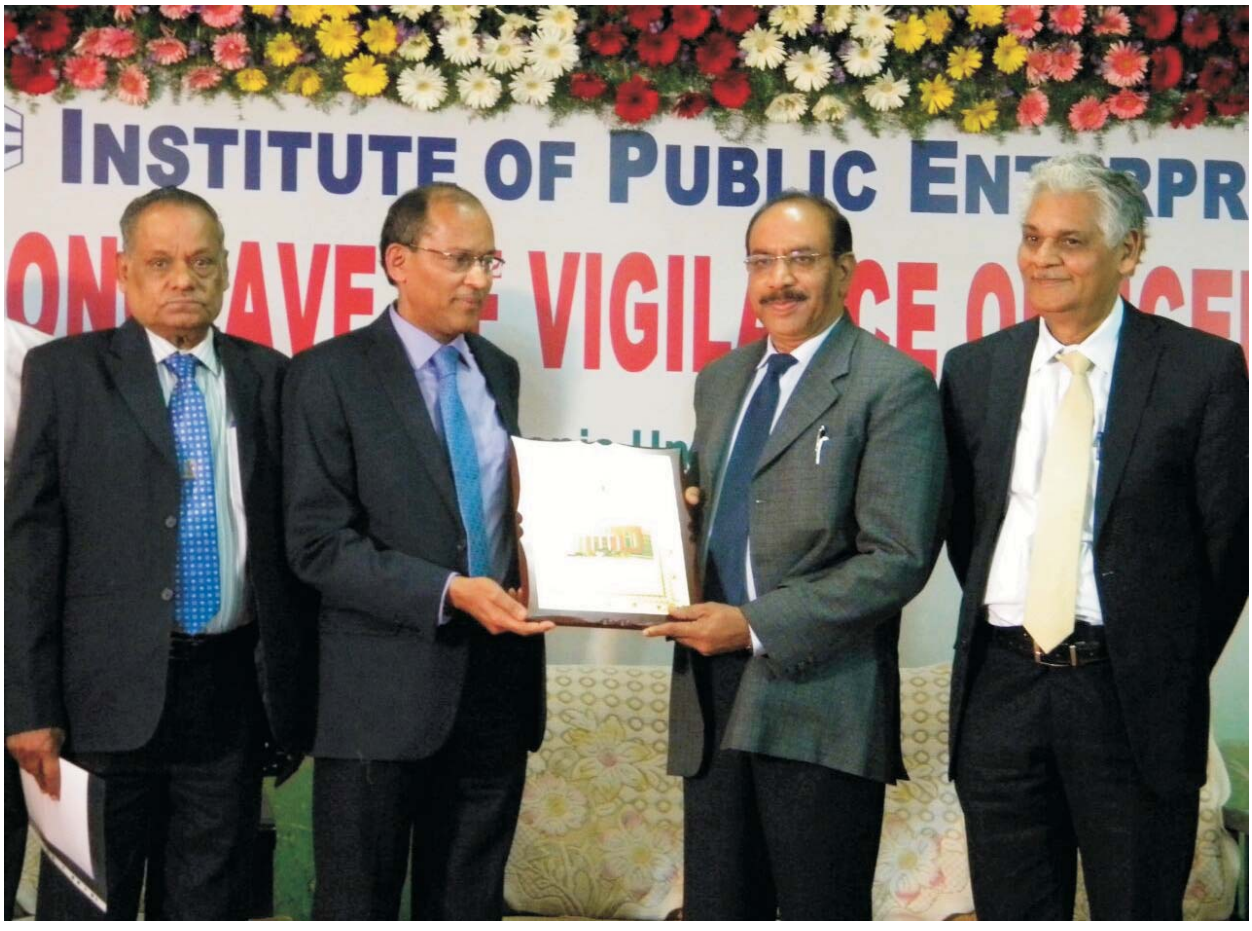

सार्वजनिक उद्यम संस्थान द्वारा सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार – आरआईएनएल

11.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी के सतर्कता विभाग ने वर्ष के दौरान अनेक पहल की हैं। एनएमडीसी के कर्मचारियों के लिए सतर्कता मामलों के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान (अप्रैल–दिसं 2015 तक), 92 बार अचानक जांच, 72 नियमित जांच और 8 सीटीई जांच की गई। प्राप्त शिकायतों की जांच की गयी और जहां जरूरी लगा वहां आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गयी ।

एनएमडीसी में सतर्कता विभाग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को पुष्ट करने वाले आईएसओ 9001 : 2008 के तहत प्रमाणित है। सतर्कता विभाग की आंतरिक तिमाही पत्रिका ''स्फूर्ति'' सावधिक रूप से प्रकाशित की जा रही है।

सभी लेन–देनों में ''पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने'' के कार्यान्वयन के ध्येय से 30 लाख रुपए से ऊपर की सीमित निविदा पूछताछ के बारे में सूचना, 10 लाख रुपए के ऊपर के निष्पन्न किए गए ठेकों के ब्यौरे, नामांकन के आधार पर दिए गए कार्य, 1 लाख रुपए एकल निविदा आधार, ठेकेदारों को बिलों के भुगतान के संबंध में सूचना, इत्यादि कंपनी की वेबसाइट पर दी जा रही है। ई–खरीद, ई–निविदा और ई–नीलामी को प्रोत्साहित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।

एनएमडीसी ने नवम्बर, 2007 से सत्यनिष्ठा समझौते का कार्यान्वयन कर अपनाया है। सिविल निर्माण कार्यों और ठेकों के मामले में 20 करोड़ रुपए और खरीद के मामले में 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सीमा का पालन किया जा रहा है। आज तक सत्यनिष्ठा समझौता ने 20131.65 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 75 ठेकों में प्रविष्ट किया गया है। इस प्रकार ठेकों के कुल मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक को सत्यनिष्ठा समझौते के तहत कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त ई–खरीद और ई–नीलामी का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

निदेशक (तकनीकी) द्वारा सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाने के साथ, ''सुशासन में एक मददगार के रूप में निवारक सतर्कता'' विषय पर 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया ।

11.5 मॉयल लिमिटेड

सतर्कता विभाग के कामकाज में निवारक के साथ–साथ सहक्रियात्मक सतर्कता शामिल है जिसका मुख्य बल संगठन में प्रणाली सुधारों पर है। वर्ष 2015 के दौरान सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियां निम्नानुसार हैं :

- सतर्कता विभाग के आईएसओ – 9001:2008 प्रमाणपत्र की ऑडिट जांच मई 2015 मे हुई । आईएसओ प्रमाणपत्र 22.05.2017 तक वैध है।
- 42 सामान्य एवं औचक जांच और 25 फाइलों की समीक्षा की गयी ।
- सीमा मूल्य से अधिक खरीद एवं कार्य ठेकों के लिए ई–खरीद की जा रही है। सीमा मूल्य खरीद के लिए 10 लाख रुपये और कार्य ठेकों के लिए 1 करोड़ रुपये है। स्क्रैप एवं अधिशेष मदों का निपटान एवं मैंगनीज ओर की बिक्री ई–नीलामी के जरिये किया जा रहा है।
- नियामक, कार्यान्वयन गतिविधियों का निस्तारण करने और शिकायतों का निवारण करने के लिए वेबसाइट और मददगार टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। प्रमुख क्षेत्र ठेके और खरीद, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्शदाताओं/विक्रेताओं इत्यादि के पंजीकरण के आवेदनों से संबंधित हैं। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को बिल अदायगी की स्थिति को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। सभी निविदा दस्तावेज, भर्ती और स्थिति के लिए ऑनलाइन आवेदन, सूचनाएं और अन्य प्रपत्रों को वेबसाइट पर डाला जाता है।
- विभिन्न मैन्युअलों यथा खरीद मैन्युअल, कार्य एवं ठेका मैन्युअल, कार्मिक मैन्युअल, विपणन मैन्युअल इत्यादि तैयार किये गये हैं और इनको वेबसाइट पर डाला गया है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाती है कि 30 लाख रुपये से अधिक सीमा मूल्य के जारी निविदाओं/ठेकों को नियमित रूप से हर माह वेबसाइट पर डाला जाये और निगरानी की जाये।
- पदों की संवेदनशीलता और अवधि पूर्णता को देखते हुए जॉब रोटेशन के लिए 27 पद चिन्हित किए गये हैं।
- मॉयल लिमिटेड के सभी केंद्रों/कार्यालयों में 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने ''सुचिता'' सतर्कता पत्रिका के चौथे वार्षिक अंक का विमोचन किया।

मॉयल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन

11.6 एमएसटीसी लिमिटेड

टेक्नोलॉजी की मदद के माध्यम से एमएसटीसी का प्रमुख बल निवारक सतर्कता पर रहा है । भ्रष्टाचार के चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रमुख बल दिया जा रहा है ताकि कंपनी के व्यापारिक सौदों में मानवीय दखल आंकी जा सके ।

वर्ष 2015–16 के दौरान इस संबंध में किए गए उपायों की मुख्य–मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- सीवीओ द्वारा सीएमडी के साथ ढांचागत बैठकों का तिमाही रूप से आयोजन किया जा रहा है ।
- कार्यान्वित प्रणाली की ग्राह्यता की निगरानी करने के लिए आईएसओ – 9001 : 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की मई 2015 में ऑडिट जांच की गयी ।
- मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता लाने के लिए विचार विनिमय सत्रों का आयोजन किया गया।
- सतर्कता अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
- सतर्कता विभाग के सुझावों के आधार पर सेलिंग एजेंसी मैन्युअल अद्यतन किया जा रहा है।
- सतर्कता विभाग के सुझाव के आधार पर खरीद मैन्युअल कार्यान्वित किया जा तहा है।
- सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए वर्ष में स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
- कंपनी की वेबसाइट में दिये गये ठेकों का विवरण, ठेकेदारों को बिल भुगतान इत्यादि से संबंधित जानकारी डाली जा रही है।
- 50,000 रुपये से अधिक की खरीद को एमएसटीसी के एसटीक्यूसी प्रमाणित निजी ई–खरीद पोर्टल के जरिये की जा रही हैं।
- पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट ऑनलाइन भरी जा रही हैं। वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपार्ट का पूर्ण प्रकटन किया जाता है और कार्यपालकों को मूल्यांकन के खिलाफ अभिवेदन करने का अवसर दिया जाता है।
- ऑनलाइन माल भंडार प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गयी।
- ''सुशासन में एक मददगार के रूप में निवारक सतर्कता'' विषय के साथ 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया।

11.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

वर्ष के दौरान एफएसएनएल के सतर्कता विभाग ने निवारक सतर्कता पर विशेष जोर दिया है एवं संगठन की व्यवस्था में सुधार जन्य अनेक पहल की हैं, जो संक्षेप में निम्नवत हैं:

- प्राप्त 4 शिकायतों में से 2 शिकायतों की जांच की गयी एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। शेष 2 शिकायतों की जांच की जा रही है ।
- विवेच्य अवधि के दौरान सीवीओ और एमडी के मध्य ढांचागत बैठकों का आयोजन किया गया ।
- वर्ष 2015 की सहमत सूची को अंतिम रूप दिया गया ।
- कार्यपालकों की वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपार्ट ऑनलाइन कर दी गयी हैं ।
- कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समय–समय पर निवारक/ औचक जांच की गयी ।
- वेंडर्स को आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिये भुगतान किया जा रहा है । कर्मचारियों को खर्चे की प्रतिपूर्ति भी आरटीजीएस/ एनईएफटी के जरिये की जा रही है ।
- ''सुशासन में एक मददगार के रूप में निवारक सतर्कता'' विषय के साथ 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया ।

11.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- कंपनी के सतर्कता विभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है।
- ''सुशासन में एक मददगार के रूप में निवारक सतर्कता'' विषय के साथ 26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया ।
- स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर के साथ समय–समय पर सत्यनिष्ठा समझौते की बैठक का आयोजित की जा रही है । अब तक कुल 220 सत्यनिष्ठा समझौतों पर हस्ताक्षर कर लिए गये हैं ।
- आईएसओ – 9001 : 2008 प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया ।
- भिलाई इकाई के तत्वावधान में इकाई सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता और परियोजना प्रबंधन पर निजी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । कंपनी के पूर्वोत्तर परियोजना कार्यपालकों के लिए गुआहाटी में इसी तरह की कार्यशाला आयोजित की गयी ।

11.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड के सतर्कता विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनका संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है:

- रांची स्थित मेकॉन मुख्यालय के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रीय/कार्यस्थलों पर 26 अक्तूबर से 31 अक्टूबर, 2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2015 मनाया गया।
- दिसंबर 2015 तक, मेकॉन ने 84 सप्लायरों/ठेकेदारों के साथ सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर किए हैं (सीमा मूल्य 1 करोड़ रुपए)। सत्यनिष्ठा समझौते का दायरा बढ़ाने के लिए, 01.09.2015 से नगर प्रशासन और इनहाउस खरीद से संबंधित आर्डरों सीमा मूल्य में संशोधन किया गया है । वर्तमान रूप से, ईपीसी परियोजनाओं के लिए सत्यनिष्ठा समझौते आशय से सीमा मूल्य 1 करोड़ रुपए है एवं नगर प्रशासन और इनहाउस खरीद प्रत्येक के लिए यह राशि 25 लाख रुपये है। ड्राफ्ट सत्यनिष्ठा समझौता एनआईटी दस्तावेज का भाग है और मेकॉन की वेबसाइट पर प्रत्येक एनआईटी के साथ डाउनलोड योग्य स्वरूप में अपलोड किया जाता है। सभी निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं दाखिल करते समय सत्यनिष्ठा समझौते की हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करनी होती हैं। मेकॉन में स्वतंत्र बाह्य निरीक्षक (ईआईएम) कार्य कर रहा है। अब तक आईपी के तहत ठेकों और निविदाओं के मामलों में कोई प्रतिवेदन/शिकायत/विवाद प्राप्त नहीं हुआ है।
- मेकॉन सतर्कता सुस्थापित गुणवत्ता प्रणाली आईएसओ – 9001 : 2008 का अनुसरण करता है और इसका अपना सतर्कता गुणवत्ता मैन्युअल है ।
- अधिक पारदर्शिता के लिए, कुछ छोटी आपात खरीद को छोड़ कर, बिना मूल्य का ध्यान किए सभी निविदा दस्तावेज, ड्राईंग और डाटा, तकनीकी विनिर्देशन डाउनलोड किए जाने वाले रूप में मेकॉन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

शपथ समारोह – सतर्कता जागरूकता 2015 – मेकॉन, रांची

- स्थानीय विक्रेताओं की छोटी राशि के बिलों को छोड़कर, विक्रेताओं को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी/ आरटीजीएस मोड) के माध्यम से किए जा रहे हैं। बिक्री कर, सेवा कर आदि के लिए भुगतान भी आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से किए जाते हैं। नयी परियोजनाओं के संबंध में विक्रेताओं को अपने बिलों की स्थिति का पता लगाने में मदद के लिए मेकॉन में सभी बीजक/ बिलों को अपलोड करने की वेब इनेबल्ड बिल वॉच प्रणाली शुरू की गयी है।

11.10 केआईओसीएल लिमिटेड

सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रमः सत्यनिष्ठा समझौता केआईओसीएल में 1 जनवरी, 2008 से लागू किया गया। आई पी खंड को निगमित करके वर्ष 2015 के दौरान 43 निविदाएं जारी की गई हैं।

आईएसओ 9001:2008: सतर्कता विभाग के आईएसओ 9001–2008 प्रमाणपत्र पुनः वैध किया गया है और यह 10.02.2016 तक वैध है।

निरीक्षणः मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और विचलनों को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं। वर्ष 2015 के दौरान, 2 सीटीई निरीक्षण, 31 औचक जांच, 365 सामान्य निरीक्षण और 42 फाइलों की संवीक्षा की गई थी।

ई–गवर्नेंसः सितम्बर 2004 से स्क्रैप/ अधिशेष मदों का निपटान ई–नीलामी से हो रहा है। सितम्बर, 2010 से ई–खरीदारी रिवर्स नीलामी के माध्यम से की जाती है। ई–खरीदारी की सीमा 5 लाख रुपए व अधिक मानी गई है। प्रारंभिक सीमा अर्थात् 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जा रहे हैं। वर्ष 2015 के दौरान, सीमा मूल्य से अधिक 96.23 प्रतिशत ठेके रिवर्स नीलामी के तहत सम्पन्न किये गये । वर्ष 2015 के दौरान, सीमा मूल्य से अधिक 99.5 प्रतिशत भुगतान ई– भुगतान के जरिये किया गया।

प्रशिक्षणः 2015 के दौरान सतर्कता विभाग ने 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दो अलग स्थलों पर आयोजित किया जिनमें 363 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

11.11 ईआईएल, बीएसएलसी और ओएमडीसी)

इन कंपनियों के सतर्कता विभाग के प्रमुख आरआईएनएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं, और उनकी सहायता कोलकाता मुख्यालय में एक सतर्कता अधिकारी और सीवीओ के पीएसओ करते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ओएमडीसी खानों, ठकुरानी और बीएसएलसी खान, बिरमित्रापुर के लिए दो सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किए गए हैं। सतर्कता विभाग के कार्यों में कंपनी की सभी खानों के लिए और कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय के लिए निवारक और दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। कंपनी का सतर्कता विभाग अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए क्रमबद्ध सुधार के लिए अपने प्रयास कर रहा है और कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता का सृजन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत परस्पर विचार विनिमय सत्र चला रहा है। कंपनी हर वर्ष ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाती है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रणाली सुधार प्राप्त हुआ हैं :

- सभी सेवा नियमों का संहिताकरण किया गया है और उनका कार्यान्वयन बोर्ड के अनुमोदन से किया जा रहा है।
- सभी भुगतानों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संवितरण।
- व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाना।
- शिकायत प्रबंधन नीति को अपनाना।
- कंपनी की खानों में निगरानी प्रणाली की संस्थापना के लिए पहल।
- दैनिक आधार पर उत्पादन, बिक्री, कोष की स्थिति की सूचना एकत्रित करने के लिए मुख्यालय में एमआईएस प्रणाली को संशोधित किया गया है।
- सामग्री की ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री।
- बीजीसी, सतर्कता विभाग की संपूर्ण गतिविधियों के सतर्कता प्रबंधन में आईएसओ 9001:2008 का प्रमाणन का कार्यान्वयन।
- सभी महत्वपूर्ण निकास बिन्दुओं पर तोल सेतु की संस्थापना और ऐसे तोल सेतुओं को कम्प्यूटर के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विभिन्न प्लॉट/स्टॉकयार्ड में प्राप्त खनिजों की स्वतः रिकार्डिंग को सुनिश्चित किया जा सके ताकि डाटा का दिन–प्रतिदिन के आधार पर मिलान किया जा सके। यह चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

अध्याय–XII

शिकायत निवारण तंत्र

12.1 केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) लागू की गई है। सी पी जी आर ए एम एस निकनेट पर एक ऑनलाइन वेब प्रणाली है जिसे एनआईसी ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी) के साथ मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की शिकायतों का तेजी से निपटारा और उनकी प्रभावकारी मॉनीटरिंग करना है। शिकायत निवारण कार्य का पूरा चक्र है : (i) नागरिक द्वारा शिकायत को दर्ज करना; (ii) संगठन द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की पुष्टि; (iii) आगे की कार्रवाई के संबंध में शिकायतों का आकलन; (iv) आगे बढ़ाना और हस्तांतरण; (v) स्मरणपत्र और स्पष्टीकरण तथा (vi) मामले का निपटारा।

01.4.2015 से 31.12.2015 तक सी पी जी आर ए एम एस के अंतर्गत निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है:

01.04.2015 को शेष शिकायतें	01.04.2015 से 31.12.2015 तक प्राप्त	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान निपटाई गई	31.12.2015 को लंबित शिकायतें
167	1134	1145	156

इस्पात मंत्रालय में संशोधित सेवोत्तम अनुरूप नागरिक/ग्राहक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया है और क्रियान्वित किया गया है। मंत्रालय और इस्पात पीएसयू में ''सात उपाय आदर्श नागरिक केंद्रिक–सेवोत्तम'' को अपनाने की ब्यौरेवार स्थिति अनुबंध–XVI में दी गई है।

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसलों/आदेशों पर कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध–XII में दी गई है।

12.2 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में एक प्रभावकारी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। इसमें कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए अलग–अलग व्यवस्था है। सेल में शिकायत की प्रक्रिया कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत और उनकी सहमति के बाद शुरू की गई।

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में शिकायतों से 3 स्तरों में निपटा जाता है और कर्मचारियों को हर चरण में एक मौका दिया जाता है ताकि वे वेतन अनियमितताओं, कार्य परिस्थितियों, तबादले, छुट्टी, उन्हें सौंपे गए कार्य और कल्याणकारी सुख–सुविधाओं आदि से जुड़ी शिकायतों को हर स्तर पर उठा सकें। शिकायत प्रबंधन की व्यवस्था के जरिए इनसे कारगर तरीके से निपटा जाता है। हालांकि इस्पात कारखानों के सहयोगपूर्ण वातावरण को देखते हुए अधिकतर शिकायतों को अनौपचारिक तरीके से ही निपटा दिया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को संवर्धित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

01.04.2015 से 31.12.2015 के बीच शिकायतों/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

शिकायतों के प्रकार	01.04.2015 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2015 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	73	704	743	34
कर्मचारी शिकायतें	7	311	317	1

12.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल में, कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पृथक सुनियोजित एवं औपचारिक शिकायत निवारण प्रणालियां हैं। गैर–कार्यपालकों की औपचारिक शिकायत प्रणाली के अंतर्गत समिति में कामगारों का एक प्रतिनिधि

उपस्थित होता है। इसके अलावा, कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक दोनों की शिकायत निवारण प्रणालियों में शिकायतों का निवारण करने के लिए समय–सीमा निश्चित की गई है। जन शिकायतों का निपटारा करने के लिए महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष कार्य अधिकारी (जन शिकायतें) के रूप में नियुक्त किया गया है।

01.04.2014 से 31.12.2014 तक की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति

शिकायतों के प्रकार	01.04.2015 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2015 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	00	66	60	06
कर्मचारी शिकायतें	01	शून्य	01	शून्य

12.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एन एम डी सी में शिकायत निवारण तंत्र मुख्यालय में एक कार्यपालक निदेशक और चार उत्पादन परियोजनाओं में प्रत्येक के परियोजना प्रमुख के नेतृत्व में काम करता है। सीवीओ को शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। शिकायतें दर्ज करने के लिए एन एम डी सी की वेबसाइट के होम पेज पर जन शिकायतों के लिए भारत सरकार के पोर्टल के लिए ''लिंक'' दिया गया है।

01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थितिः

शिकायतों के प्रकार	01.04.2015 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2015 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	1	36	25	12
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	25	25	शून्य

12.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में कार्यपालक तथा गैर–कार्यपालक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की अपनी प्रक्रिया है। मॉयल में शिकायतों की निपटान व्यवस्था में प्रत्येक इकाई के लिए एक शिकायत अधिकारी मनोनीत किया जाता है। मुख्यालय में मनोनीत शिकायत अधिकारी कारगर तरीके से काम करने के लिए प्रत्येक इकाई के शिकायत अधिकारी के साथ समन्वय रखता है। मुख्यालय में निगरानी इकाई से प्राप्त आंकड़ों, शिकायत अधिकारी से हर महीने मिलने वाली रिपोर्ट और यहां तक कि मुख्यालय अधिकारियों के निरीक्षण के आधार पर मिलने वाली रिपोर्ट के जरिए शिकायतों पर निगरानी रखी जाती है।

01.04.2015 से 30.11.2015 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	01.04.2015 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2015 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	845	845	शून्य

12.6 एमएसटीसी लिमिटेड

कंपनी ने वेबसाइट www.mstcindia.co.in शुरू की है तथा इसे जन शिकायतों के निपटान के साथ जोड़ा गया है। इस वेबसाइट पर खरीदार/संबद्ध व्यक्ति अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और वे दर्ज शिकायतों के लिए यह पोर्टल एक अनोखे सिस्टम से तैयार कोड उपलब्ध कराता है जिससे ऑनलाइन रजिस्टर की गई शिकायतों पर हो रही प्रगति देखी जा सकती है। वे आनलाइन पंजीकृत शिकायत की प्रगति भी देख सकते हैं।

इसके अलावा, सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रबंध) पर लिंक एमएसटीसी की कारपोरेट वेबसाइट के होम पृष्ठ पर भी दिया गया है जिसको नामित अधिकारियों द्वारा मानीटर किया जाता है।

विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में शिकायत कक्ष भी गठित किए गए हैं ताकि शिकायतों को तत्काल छांटा जा सके और मामलों के समाधान के लिए कार्रवाई की जा सके।

कर्मचारियों की शिकायतों की विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय/शाखा प्रबंधकों द्वारा देखभाल की जाती है। कुछ शिकायतें डाक द्वारा केंद्रीय शिकायत कक्ष में भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, एचआर विभाग कार्यालय को दिन–प्रतिदिन चलाने में कर्मचारियों से प्राप्त विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक शिकायतों को विभागाध्यक्ष और स्टाफ यूनियनों, जहां कहीं भी आवश्यक हो, के साथ परामर्श से जांच करता है।

01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	01.04.2015 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2015 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	04	12	15	01
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि में प्राप्त जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थितिः

शिकायतों के प्रकार	01.04.2015 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2015 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	01	शून्य	01

12.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

वर्ष 2015–15 के दौरान (दिसंबर 2015 तक) में जन/कर्मचारी शिकायतों के निपटान के संबंध में अनुपालन किया गया है।

12.9 मेकॉन लिमिटेड

जन शिकायतें

आमतौर पर मेकॉन का जनता से कार्य व्यापार नहीं होता है। लेकिन यदि किसी प्रकार के उत्पीड़न से जुड़ी कोई निश्चित शिकायत मिलती है तो उसे एक शिकायत के रूप में लिया जाता है। उपभोक्ता की शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। सामान्य तौर पर ठेकेदारों/उपभोक्ताओं या जनता की कोई शिकायत लंबित नहीं है। मेकॉन ने जन शिकायतों के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) के अंतर्गत नोडल अधिकारी नामजद किया है तथा इस नोडल अधिकारी का नाम कार्मिक एवं जन शिकायत मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है।

कर्मचारियों की शिकायतें

मेकॉन में कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए तीन स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और उनके निपटारे की सिफारिश कार्यपालक और गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक शिकायत सलाहकार समिति करती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी अलग से एक प्रकोष्ठ है। फिलहाल कहीं से भी किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं मिली है। सामान्य तौर पर गैर–कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी अपने मुद्दों/शिकायतों को उनके द्वारा निर्वाचित मेकॉन कर्मचारी यूनियन (एमईयू) के माध्यम से और कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में मेकॉन एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन (एमईए) के माध्यम से रखने को प्राथमिकता देता है जिन्हें कंपनी ने मान्यता दे रखी है।

12.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल ने मार्च 1977 में अनुशासन संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायतों के निपटारे के लिए एक सुपरिभाषित प्रक्रिया तैयार कर ली थी जिसके दायरे में कार्यपालक और गैर–कार्यपालक सभी कर्मचारियों को रखा गया। शिकायतों के बारे में आसानी से पता लग जाता है और निचले स्तर पर ही उनका निपटान कर दिया जाता है। के आई ओ सी एल के पास विवाद समाधान तंत्र सहित सु–संरचित और बहु–स्तरीय लोक शिकायत निवारण तंत्र है। के आई ओ सी एल में लोक समाधान स्थापना बंगलौर में निगमित कार्यालय से लेकर सभी उत्पादन यूनिटों और संपर्क कार्यालयों में लागू की गई है। सभी स्थानों पर लोक शिकायत अधिकारी नामित किए जाते हैं। शिकायतकर्ता इन कार्यालयों से व्यक्तिगत रूप से या लिखित शिकायत या ई–मेल के माध्यम से सम्प्रेषण या टेलीफोन पर संपर्क कर सकता है। नियमित अंतरालों पर नियमित ग्राहक बैठक आयोजित की जाती है।

01.04.2015 से 31.12.2015 की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	01.04.2015 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2015 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12.11 ईआईएल, बीएसएलसी एवं ओएमडीसी

इन कंपनियों में निगमित और इकाई स्तरों पर शिकायत निपटान व्यवस्था लागू है। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किए गए है।

शिकायतों के प्रकार	01.04.2015 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2015 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	शून्य	09	09	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अध्याय–XIII

निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

13.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से जुड़े सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं। इस्पात मंत्रालय में 05.02.2016 की स्थिति अनुसार, तीन (एक नेत्र से निःशक्त, एक सुनने से निःशक्त और एक हड्डियों से निःशक्त) व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है। सचिवालय सेवा से संबंधित पदों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भरे जाते हैं।

13.2 स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के अनुच्छेद 33 की दृष्टि से निःशक्त जन के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसरण किया जा रहा है।
- वर्क्स प्रभाग में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों, जो सेवाकाल में निःशक्त हो जाते हैं, को प्रशिक्षण देने के पश्चात् पहचान किए गए पदों पर पुनः नियुक्त किया जाता है। उन्हें जयपुर फुट और व्हील चेयर जैसी उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
- सेल अपने कर्मचारियों के निःशक्त बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता देने के लिए छात्रवृत्तियां दे रहा है।
- हकदार न होने पर भी, सेल कर्मचारी के आश्रित निःशक्त भाई और बहन को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- निःशक्त कर्मचारियों को आवास के आवंटन में विशेष छूट दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को आवंटन के समय निचले तल पर आवास दिया जाता है।
- सेल के कारखानों में निःशक्त व्यक्तियों को दुकान, एसटीडी बूथ, दूध के बूथ, छोटी–मोटी दुकानें भी आवंटित की जाती हैं।
- कारखाना स्थलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विभिन्न खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कारखाने के कुछ स्थानों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से खेल के मैदान निश्चित किए गए हैं।

13.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

7 फरवरी 1996 को निःशक्तता अधिनियम लागू होने के पश्चात आर आई एन एल–वी एस पी ने विभिन्न निःशक्तताओं से ग्रस्त 95 लोगों को नियुक्त किया (जिसमें मेरिट पर चयन किए गए 7 व्यक्ति शामिल हैं) 31 दिसंबर, 2015 तक।

आर आई एन एल – विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निगमित कार्यालय/प्रमुख प्रशासनिक भवन में स्थित विभिन्न कार्यालयों में आने वाले निःशक्त लोगों की सुविधा के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं :

- रैम्प मार्ग प्रदान करना
- प्रशासनिक भवन की दोनों लिफ्टों में स्पीकरों की व्यवस्था
- प्रमुख प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर स्थित स्वागत कक्ष में व्हील चेयर का प्रावधान
- मुख प्रवेश द्वार के आगे विस्तृत पार्किंग स्थान का प्रावधान

एक नीतिगत निर्णय निःशक्तता सहित व्यक्ति को ''आउट–ऑफ टर्न'' आधार पर ग्राउंड फ्लोर क्वार्टर आवंटित करने के लिए वरीयता प्रदान करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया और उचित आवास आवंटन नियम को नवंबर, 2015 में संशोधन किया गया।

13.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एन एम डी सी लिमिटेड एक खनन संगठन है तथा इस पर खनन अधिनियम तथा इसके नियम एवं विनियम लागू होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से निःशक्त व्यक्तियों को खानों/कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी, निःशक्त व्यक्तियों को ऐसे पदों पर भर्ती करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां बाहर काम करने की जरूरत नहीं होती है और एन एम डी सी में इस समय विभिन्न पदों पर 46 निःशक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के मकसद से, समूह डी में निःशक्त व्यक्तियों के 63 पदों पर भर्ती करने के प्रयाय जारी हैं। 31.12.2015 के अनुसार एनएमडीसी में विभिन्न पदों पर 52 निःशक्त कर्मचारी हैं।

13.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक खनन कंपनी है और इसकी प्रमुख गतिविधियां दुर्गम इलाकों में जमीन के अंदर खनन कार्य करना हैं। उपयुक्त पदों के लिए निःशक्त व्यक्तियों की पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को कंपनी में रोजगार दिया जा सके। वर्तमान रूप से, मॉयल में निःशक्तता वाले 24 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

13.6 एमएसटीसी लिमिटेड

31.12.2015 की स्थिति के अनुसार एम एस टी सी में निःशक्तता वाले आठ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

13.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

एफएसएनएल एक सेवा संगठन है, स्क्रैप प्रबंधन एवं संबद्ध कार्यों के लिए संयंत्र के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है। एफ एस एन एल की गतिविधियां सभी मौसमों में खुले क्षेत्र में की जाती हैं। यहीं नहीं, परिचालन गतिविधियों के लिए बालिंग क्रेन, मेग्नेटिक सेपरेटर, डोजर, डम्परों आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः एफ एस एन एल का वातावरण/कार्य परिस्थितियां निःशक्त व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं हैं। अतः निःशक्तों को काम में लगाना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा।

फिर भी, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक दोनों वर्गों में तीन–तीन पद चिन्हित किये गये हैं जिनमें से मंत्रालयी संवर्ग में समूह–ए और समूह–सी के तहत एक–एक दृष्टि से निःशक्त, श्रवण निःशक्त और शारीरिक निःशक्त के लिए हैं। एफएसएनएल सेवा संगठन होने के नाते, जो स्क्रैप रिकवरी और कार्यों को प्रोसेस करने के क्षेत्र में एकीकृत इस्पात संयंत्रों को विशेष सेवाएं प्रदान कर कहा है, एफएसएनएल में भर्ती जरूरत पर आधारित है और इस्पात संयंत्रों को मिलने वाले कार्यों पर निर्भर करती है।

13.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

31.12.2015 की स्थिति के अनुसार एच एस सी एल में निःशक्तता वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया।

13.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने ''निःशक्त जन अधिनियम, 1995'' के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। मेकॉन के कुल कर्मचारियों की संख्या 31.12.2015 को 1497 थी, जिनमें से निःशक्त लोगों की विभिन्न पदों पर संख्या 10 थी।

13.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में 31.12.2015 को विभिन्न समूहों में निःशक्तता श्रेणी से संबंधित 13 व्यक्ति हैं।

13.11 ईआईएल, बीएसएलसी एवं ओएमडीसी

इन कंपनियों में 31.12.2015 के अनुसार दो निःशक्त व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं।

अध्याय–XIV

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

14.1 प्रस्तावना

केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के तहत राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा तैयार और जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2015–16 के दौरान शासकीय कार्यों में हिन्दी के व्यापक उपयोग में काफी प्रगति की है।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासकीय नियंत्रण में है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के सीधे नियंत्रण में हिंदी अनुभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य और हिंदी अनुवाद कार्य देखता है और इसमें एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, दो कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, एक उच्च निजी सचिव, एक एएसओ तथा अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

14.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय में संयुक्त सचिव के अधीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। यह समिति मंत्रालय और इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती हैं। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान ऐसी चार बैठकें आयोजित की गईं।

14.1.2 हिन्दी सलाहकार समिति

केन्द्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति कार्यरत है जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए परामर्श देना है।

14.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में पत्र भेजना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में जांच बिन्दु बनाए गए हैं।

14.1.4 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु माननीय इस्पात मंत्री ने 14 सितम्बर, 2015 को हिन्दी दिवस के अवसर पर एक अपील जारी की। मंत्रालय में 01 सितम्बर 2015 से 15 सितम्बर 2015 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान, कार्यालयी कामकाज में हिन्दी के उपयोग के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।

14.1.5 हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना

इस्पात मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित विषयों में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नकद पुरस्कार योजना प्रचलन में है, जिसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार स्वरूप क्रमशः 25000/– रुपये, 20000/– रुपये, 15000/– रुपये की राशि दी जाती है । इस योजना का उद्देश्य हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

14.1.6 मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राजभाषा निरीक्षण

मंत्रालय के अधिकारियों ने दिनांक 06.02.2016 तक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न 45 कार्यालयों में राजभाषा का प्रगामी उपयोग की जांच करने के लिए दौरा किया तथा इन कार्यालयों में केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए निदानात्मक उपायों के सुझाव दिये।

14.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर जोर देना जारी रखा है। सेल द्वारा हिन्दी के प्रचार के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दी कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में 52 कार्य सी एण्ड आईटी विभाग (सॉटवेयर समूह) की सहायता से एकीकृत प्रणाली के जरिए संपन्न किये गये। मासिक हिन्दी प्रोत्साहन के लिए फॉर्मों के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की सुविधा पूर्णतः सम्यक बनायी गई।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त – नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) वेबसाइट उप समिति की बैठक का आयोजल किया गया, जिसमें वेबसाइट के नवीकरण के बारे में चर्चा की गयी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये।

सेल की हिन्दी गृह पत्रिका 'इस्पात भाषा भारती' ने 40वीं नगर स्तरीय बैठक एवं "नराकास" पुरस्कार वितरण समारोह में "शिरोमणि गृह पत्रिका" का विशेष पुरस्कार प्राप्त किया ।

सेल की हिन्दी गृह पत्रिका 'इस्पात भाषा भारती' को ई–पत्रिका के रूप में भी डिज़ाइन किया गया और यह अब सेल पोर्टल पर उपलब्ध है, फलस्वरूप इस पत्रिका को अब सेल संयंत्रों/इकाइयों के सभी कार्मिक देख सकते हैं।

14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2015 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों यथा गहन संपर्क एवं विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता (हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों के लिए), हिन्दी पत्र लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी क्विज़, हिन्दी श्रुतलेख, हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी संस्मरण लेखन प्रतियोगिता और हिन्दी संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन किया गया।

सेल की अध्यक्षता में, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), दिल्ली को वर्ष 2014–15 के दौरान केन्द्र की राजभाषा नीति कार्यान्वित करने में सराहनीय कार्य करने के लिए उत्तरी क्षेत्र में तृतीय घोषित किया गया।

14.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में राजभाषा नीति और विनिर्दिष्ट नियमों का अनुपालन के लिए, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का अनुसरण किया जाता है । अनुमोदित रूपरेखा के अनुरूप इस संबंध में प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य क्रियाकलाप संचालित किए गए हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सभी कार्यवाहक निदेशकों और चुनिन्दा महाप्रबंधकों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही रूप से क्रियाकलापों की समीक्षा करती है और संगठन में राजभाषा नीति एवं नियमावली को लागू करने में और सुधार के लिए उपाय बताती है।

कंपनी की वर्ष 2015–16 (दिसंबर 2015 तक) के दौरान हिन्दी के प्रगामी उपयोग के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित हिन्दी प्रबोध/प्रवीण पाठ्यक्रमों में दो बैचों में 120 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- मुख्यालय, खानों एवं क्षेत्रीय/शाखा विक्रय कार्यालयों में आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं में 297 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया और आरआईएनएल की महिला कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- कम्प्यूटरों पर यूनिकोड के जरिए हिन्दी में कार्य करने के लिए 230 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, बंगलूरू कार्यालय के विशेषज्ञ फैकल्टी द्वारा स्तर–1, स्तर–2 और स्तर–3 हेतु हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया। सभी 44 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये।
- राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक रूप से 18 क्षेत्रीय कार्यालयों/ शाखा विक्रय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया ।
- तिमाही हिन्दी गृह पत्रिका 'सुगंध' का समय पर प्रकाशन किया जा रहा है जिससे हिन्दी का उपयोग बढ़ाने और कर्मचारियों को तकनीकी लेख, इत्यादि लिखने के लिए प्रोत्साहित करने का दोहरा उद्देश्य पूरा होता है।
- आरआईएनएल को राजभाषा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, "राजभाषा श्री सम्मान" और "विशेष राजभाषा कीर्ति सम्मान" से पुरस्कृत किया गया एवं भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा आरआईएनएल को हिन्दी गृह पत्रिका 'सुगंध' प्रकाशित करने के लिए "राजभाषा कीर्ति सम्मान" और "राजभाषा दीप्ति सम्मान" दिया गया।

14.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड ने अपने मुख्यालय, अपनी समस्त परियोजनाओं एवं इकाइयों में राजभाषा नीति के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की दिशा में प्रयास जारी रखे। कर्मचारी अपना कार्यालयी कामकाज राजभाषा में कर सकें, इसके लिए वर्ष के

दौरान मुख्यालय में 4 हिन्दी कार्यशालाओं और परियोजनाओं/ इकाइयों में 22 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। यूनीकोड हिन्दी सॉटवेयर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। हिन्दी स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण कक्षाओं का संचालन किया गया और 12 स्टेनोग्राफरों ने स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया ।

राजभाषा का उपयोग बढ़ाने के लिए मुख्यालय में विभिन्न विभागों से नामित राजभाशा प्रतिनिधियों की बेठकों का आयोजन किया जाता है । राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए हिन्दी में नोटिंग/ड्राफ्टिंग करने, कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने, हिन्दी में श्रुतलेख के लिए नकद पुरस्कार योजनाएं हैं। हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का संचालन किया गया और पुरस्कार वितरित किये गये। हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, "हिन्दीतर भाषी कार्मिकों हेतु मासिक हिन्दी प्रतियोगिता" नामक योजना शुरू की गयी है।

मुख्यालय और विभिन्न परियोजनाओं/ इकाइयों में प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने और उसमें सुधार करने के तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं और इकाइयों का निरीक्षण किया गया और ऐसे निरीक्षणों के दौरान डेस्क प्रशिक्षणों का भी संचालन किया गया। मुख्यालय के कई विभागों भी निरीक्षण किया गया।

इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में मंत्रालय के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में एक राजभाषा सेमिनार का आयोजन किया गया ।

वर्ष के दौरान राजभाषा तकनीकी सेमिनारों का आयोजन किया गया। मुख्यालय एवं परियोजनाओं से हिन्दी/द्विभाषी पत्रिकाओं यथा 'सर्जन, तकनीकी सोपान, तकनीकी क्षितिज, बैला समाचार, बछेली समाचार, दोणि समाचारए निस्प पत्रिका और एनएमडीसी समाचार, शी न्यूज़ का प्रकाशन किया जा रहा है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), हैदराबाद – सिकंदराबाद द्वारा एनएमडीसी मुंख्यालय को राजभाषा नीति कार्यान्वित करने में सराहनीय कार्य करने के लिए वर्ष 2014–15 की राजभाषा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

14.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल की सभी इकाइयो में अधिकांश कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। सभी नये खरीदे गये कम्प्यूटरों में यूनिकोड की तरह ही द्विभाषी ''कृति देव'' प्रणाली है। फलस्वरूप, हिन्दी में काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी है।

मॉयल अपने कर्मचारियों के लिए टिप्पण एवं मसौदा लेखन, कविता पाठ एवं तकनीकी विषयों पर लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है और साथ साथ राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए सेमिनारों का आयोजन किया जाता है जिनमें प्रतिष्ठित कवियो एवं वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है।

कंपनी ने इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रचारित करने में हिन्दी की भूमिका" विषयक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर ने मॉयल की गृह पत्रिका की सराहना की है। मॉयल नियमित रूप से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में हिस्सा लेता रहा है ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा नागपुर में स्थित विभिन्न कार्यालयों में आयोजित प्रतियोगिताओं में भी मॉयल के कर्मचारी हिस्सा लेते हैं । इस वर्ष आयोजित प्रतियोगिताओं में अधिशासी एवं अनधिशासी कार्मिकों ने हिस्सा लिया और प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किये।

14.6 एमएसटीसी लिमिटेड

राजभाषा त्रिमास का उद्घाटन 16 सितम्बर 2015 को किया गया। इस अवधि के दौरान, मुख्यालय और अंचल और शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रतियोगिताएं और हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। कुल 17 अधिकारियों/ कर्मचारियों को हिन्दी प्रतियोगिताओं में विजयी होने और हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर पुरस्कृत किया गया। कुल 6 कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जुलाई–नवंबर 2015 सत्र के लिए आयोजित हिन्दी परीक्षा हेतु नामित किया।

राजभाषा विभाग के आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन का नवीकरण किया गया है।

मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के कम्प्यूटरों में यूनिकोड की व्यवस्था की गई है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी दस्तावेजों को हिन्दी में अनुवाद किया गया। जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी से हिन्दी और उसके उलट अनुवाद मुहैया किये गये । वार्षिक रिपोर्ट और सहमति पत्र का हिन्दी रूपांतर प्रस्तुत किया गया। राजभाषा अधिनियम का अनुपालन किया गया ।

14.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

राजभाषा नीति को लागू करने के संबंध में समय–समय पर सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का एफएसएनएल द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है।

वर्ष के दौरान हिन्दी टिप्पण/मसौदा लेखन प्रतियोगिताएं इत्यादि आयोजित की गईं और विजेताओं को समुचित रूप से पुरस्कृत किया गया। कर्मचारियों को अपना दैनंदिन कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सतत् निगरानी और प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाता है।

एफएसएनएल के कारपोरेट कार्यालय तथा सभी इकाइयों में सितम्बर 2015 के दौरान हिन्दी पखवाड़े की जगह महीने भर चलने वाले "हिन्दी माह" आयोजित करने की एक नई प्रथा चलायी गयी। हिन्दी माह के दौरान, हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिनमें कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

14.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार की राजभाषा नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई उत्साहजनक प्रयास किए हैं। राजभाषा के उपयोग के लिए सरकार के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की निगमित एवं इकाई स्तरों पर नियमित अंतराल पर बैठकों का आयोजन करने के अलावा, एचएससीएल ने अपने अधिकारियों को टिप्पण एवं प्रारूप लेखन में हर स्तर पर हिंदी का उपयोग करने की दिशा में प्रेरित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। कर्मचारियों को अपने दिन–प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित व शिक्षित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में यूनिट स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई।

एचएससीएल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य है तथा इसके सभी कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ कर भाग लेती है। एचएससीएल को अगस्त 2015 में ''राजभाषा कैल्टॉलिक'' से सम्मानित किया गया।

14 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2015 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी निबंध लेखन, टिप्पण और प्रारूप लेखन, क्विज़ व भाषण इत्यादि जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। पखवाड़े के समापन दिवस पर विजेताओं के साथ साथ सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किये गये।

14.9 मेकॉन लिमिटेड

भारत सरकार की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन अपने सरकारी कार्य में करने के लिए मेकॉन प्रभावी उपाय कर रहा है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। मेकॉन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रांची का एक महत्वपूर्ण सदस्य है तथा सभी कार्यक्रमों में बढ़–चढ़ कर भाग लेता है।

25 जून, 2015 को केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, नई दिल्ली के तत्वावधान में महानगर समन्वय समिति, कोलकाता द्वारा कोलकाता में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में मेकॉन को "सर्वोत्कृष्ट राजभाषा श्री" पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया ।

कंपनी के मुख्यालय के साथ–साथ साइट कार्यालयों में 14.09.2015 से 28.09.2015 तक ''हिन्दी पखवाड़ा'' मनाया गया । इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने दिन प्रतिदिन के कार्यालयी कामकाज में अधिक से अधिक हिन्दी का उपयोग करने की प्रतिज्ञा ली । इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे कि हिन्दी निबंध एवं हिन्दी में धारा प्रवाह भाषण प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गयीं। पखवाड़े के दौरान एक विशेष हिन्दी कार्यशाला एवं "हिन्दी और आईटी अनुप्रयोग – कम्प्यूटर पर हिन्दी में कामकाज" विषयक राजभाषा सेमिनार का भी आयोजन किया गया । इसके अलावा, मेकॉन ने हिन्दी पखवाड़े के दौरान ''राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती'' का भी आयोजन किया ।

हिन्दी गृह पत्रिका ''मेकॉन भारती'' भी नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है, जो तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी में सृजनात्मक लेखन के लिए कर्मचारियों को एक मंच प्रदान करती है।

14.10 केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग तथा इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करती है।

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु 04 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

केआईओसीएल के सभी केन्द्रों पर सितम्बर 2015 में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । हिन्दी कार्यक्रम एवं विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया ।

केआईओसीएल बंगलूरू नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की संयोजक है तथा बंगलौर में सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नियमित बैठकों तथा संयुक्त हिन्दी माह कार्यक्रमों का आयोजन करती है। बैठकें 31 जुलाई, 2015 तथा 21 दिसम्बर, 2015 को आयोजित की गईं।

कम्पनी ने 13 जुलाई 2015 से 13 अगस्त 2015 के बीच नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) के सदस्यों के लिए एक संयुक्त हिन्दी माह का आयोजन किया। इसके तहत 17 प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जिनमें बंगलूरू में सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के अधिकांशतः अधिकारियों ने हिस्सा लिया ।

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में वर्ष 2014–15 के लिए नराकास क्रियाकलापों के मान्यतास्वरूप, नराकास (उपक्रम) , बंगलूरू को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 14 सितंबर, 2015 को प्रथम पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (शील्ड) से सम्मानित किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

14.11 ईआईएल, बीएसएलसी और ओएमडीसी

इन कंपनियों द्वारा कर्मचारियों में हिन्दी के प्रयोग तथा जागरूकता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। कम्पनी ने निबंध लेखन, हिन्दी कविता पाठ, हिन्दी कविता पाठ तथा हिन्दी श्रुतलेख जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित कर ''हिन्दी पखवाड़ा'' मनाया, जिसमें कर्मचारियों ने सक्रिय भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र एवं स्मृतिचिह्न दिए गए। द्विभाषी बोर्ड तथा विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को प्रतिदिन नए शब्दों से अवगत कराने के लिए मुख्यालय में''राजभाषा शिक्षण बोर्ड'' रखा गया है। हिन्दी सीखने और कार्यालयी कामकाज के लिए हिन्दी भाषा का उपयोग करने के लिए "हिन्दी शिक्षण योजना" के तहत राजभाषा प्रशिक्षण कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है । ''प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत'' परीक्षाएं पूर्ण हो गयी हैं।

अध्याय–XV

महिला सशक्तिकरण

15.1 प्रस्तावना

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में अपने फैसले में महिलाओं को लिंग समानता से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों और मानदंडों को उनके कार्य के संबंध में वैधता प्रदान करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को उनकी गरिमा के खिलाफ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करार दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सभी नियोक्ताओं, चाहे वे निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के, को यौन प्रताड़ना रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। इस व्यवस्था के भाग के रूप में, संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों की सदस्यता युक्त एक शिकायत समिति (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकथाम) का गठन किया गया।

उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में इस्पात मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों की छानबीन करने और उनका समाधान करने के लिए उप–सचिव स्तर की महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक पांच–सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें तीन महिला सदस्य हैं। समिति को वर्ष 2015–16 में एक भी शिकायत नहीं मिली है और यही मंत्रालय में महिला वर्क फोर्स के लिए उत्कृष्ट वातावरण की एक व्यापक सूचना देता है।

15.1.1 महिला सशक्तिकरण

वित्त मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस्पात मंत्रालय में एक जेंडर बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य इस मंत्रालय में इस अवधारणा को लागू करने के लिए पहल करना है।

15.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल महिला कर्मचारियों को तकनीकी एवं गैर–तकनीकी दोनों क्षेत्र में नियुक्त करता है। वे प्रबंधकीय, तकनीकी (इंजीनियर्स) पदों, चिकित्सा, अर्द्ध चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक क्षेत्रों में हैं। कंपनी चयन, भर्ती और प्लेसमेंट अथवा पदोन्नति स्तरों पर कहीं भी भेदभाव नहीं करती है और सभी स्तरों पर स्त्री–पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं।

अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास की दिशा में सेल की नीति की मुख्य विशेषता स्त्री–पुरुष सभी कर्मचारियों के करियर विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या इस तथ्य की ओर संकेत है कि आने वाले वर्षों में, महिलाएं सेल में कुछ शीर्ष पदों पर विराजमान होंगी ।

सेल समान अवसर प्रदान करने एवं महिला कार्यबल को सशक्त बनाने में विश्वास करता है

कंपनी की प्रशिक्षण नीति में प्रशिक्षण जरूरतों के विश्लेषण के जरिये महिला कर्मचारियों सहित अपने समस्त कर्मचारियों की प्रशिक्षण एवं विकास जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। महिला कर्मचारियो के करियर विकास एवं उनका जॉब प्रोफाइल को देखते हुए उनको विशिष्ट/तकनीकी/प्रबंधकीय सभी क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

महिला कर्मचारियों को हित लाभ

तकनीकी के साथ–साथ गैर–तकनीकी दोनों क्षेत्रों में पदस्थापित/कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा प्रदान की गयी है। कंपनी के संयंत्रों एवं इकाइयों के समस्त कर्मचारियों के लिए वाशरूम एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध की गयी हैं। कार्यस्थल पर समस्त कर्मचारियों, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए स्वच्छता परिस्थितियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किये जाते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश, बाल देखभाल अवकाश हितलाभ जैसी कंपनी की नीतियों में भी सांविधिक अनुपालन परिलक्षित होता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

हमारे संयंत्रों/इकाइयों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार शिकायत समितियां गठित की गयी हैं और समिति के गठन की जानकारी संबंधित संयंत्रों/ इकाइयों के मौजूदा इंटरानेट/वेब पोर्टल पर डाली गयी है।

महिलाओं का कल्याण

महिला समाज के व्यापक हितलाभ के लिए भी सेल ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कदम उठाये हैं। इन गतिविधियों में बालिका साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, बवल एवं प्रसूति सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, एड्स नियंत्रण पर सूचनाप्रद कार्यक्रम शामिल हैं। सेल के संयंत्रों और इकाइयों में महिला समितियां सामाजिक मसलों पर जागरूकता पहल जैसे बाल श्रम/दहेज,महिलाओं का शोषण और स्वरोजगार, शिक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में जुड़ाव इत्यादि के जरिये भी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के कार्य में लगी हुई हैं।

15.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआइएनएल में, कुल कर्मचारियों में से महिला कर्मचारी लगभग 3 प्रतिशत हैं जिनमें से लगभग 6 प्रतिशत कार्यपालक हैं और लगभग 1.4 प्रतिशत गैर–कार्यपालक हैं। महिला कर्मचारी स्टील मेल्ट शॉप, ब्लास्ट फर्नेसों, परियोजनाओं इत्यादि जैसे प्रचालन, मानव संसाधन, वित्त एवं स्वास्थ्य केंद्रों आदि में पारंपरिक कार्यों से हट कर अन्य प्रोजेक्ट के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

विप्स – वीएसपी को स्कोप द्वारा महारत्न एवं नवरत्न वर्ग में ''सर्वश्रेष्ठ उद्यमिता पुरस्कार'' (तृतीय पुरस्कार) से सम्मानित किया गया

आरआईएनएल–वीएसपी ने 1997 में गठित 'वीमेन इन पब्लिक सेक्टर' (विप्स), मंच के स्थानीय प्रकोष्ठ के माध्यम से महिला कर्मचारियों को एक मजबूत ताने–बाने से संबद्ध किया है।

यह प्रकोष्ठ महिला कर्मचारियों के विकास के लिए अनेक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिला कर्मचारियों का विकास कार्यक्रम, नेटवर्किंग और सामाजिक कौशल पर आधारित कार्यक्रम और महिलाओं के रोजगार से जुड़े मसलों पर अपने कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के जेंडर संवेदनशीलता कार्यक्रम शामिल हैं। यह कुछ सामाजिक मदद गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है जिसमें विशाखापत्तनम की पुनर्वास कलोनियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सीएसआर गतिविधियां जैसे सिलाई एवं ब्यूटीशियन प्रशिक्षण, हस्त कसीदाकारी, फैब्रिक पेंटिंग, साड़ी रोलिंग, साक्षरता कार्यक्रम, इत्यादि शामिल हैं।

अप्रैल–दिसंबर 2015 के दौरान कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

प्रशिक्षण एवं विकास : देश में तकनीकी एवं प्रबंधकीय विकास, संगोष्ठियों, सम्मेलनों विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रिकार्ड 666 महिला कर्मचारियों को नामित किया गया। विदेश में प्रशिक्षण/सेमिनार में भाग लेने के लिए 2 महिला कर्मचारियों को नामित किया गा था। महिला कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम दिसंबर '15 तक आयोजित किए गए जिनमें शामिल है: व्यक्तिगत सुरक्षा और सेल्फ डिफेंस, लिंग संवेदनशीलता, संचार कौशल, नेतृत्व कौशल, महिला सशक्तिकरण, मधुमेह और जीवनशैली प्रबंधन का निवारण। ''महिला सशक्तिकरण'' पर महिला ठेका मजदूरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

सामाजिक कार्य: विप्स के सहयोग से – दक्षिण क्षेत्र ने **अलामबाना** में एक सामाजिक सेवा केम्प का आयोजन किया – (प्रथिपाडु, पश्चिम गोदावरी, जिला, आंध्र प्रदेश में एचआईवी एवं एड्स से प्रभावित बच्चों की देखभाल करने के लिए एक पुनर्वास केंद्र के निर्माण के लिए आरआईएनएल की एक नवीन पहल।

प्रकोष्ठ कामकाजी महिलाओं के लाभ के लिए क्रैच भी चला रहा है ।

क्रीड़ा एवं खेल: केवल महिला कर्मचारियों के लिए आयोजित त्रिदिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 100 महिला कर्मचारियो ने भाग लिया।

संचार : प्रकोष्ठ कंपनी की वेबसाइट पर एक विशेष ''पोर्टल'' का अनुरक्षण करता हैं जहां विश्वव्यापी महिलाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धियां सूचना और महिला कर्मचारियों की उपलब्धियां भी शेयर की गई हैं। प्रकोष्ठ प्रत्येक वर्ष **''दिशा''** – एक न्यूजलेटर भी प्रकाशित करता है।

संगोष्ठियां: महिला कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) और विप्स स्थापना दिवस (9 अगस्त) पर प्रतिष्ठित महिला अचीवर्स के व्याख्यान आयोजित किये गये। इस अवधि के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और मधुमेह के बाचव के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पुरस्कार एवं मान्यता: स्कोक द्वारा फरवरी 2015 में महारत्ना एवं नवरत्ना श्रेणी में विप्स–वीएसपी को 'सर्वश्रेष्ठ एन्टरप्राइज अवार्ड' (तीसरा पुरस्कार) से सम्मानित किया गया। दो महिला कर्मचारियों को 'महत्वपूर्ण महिला एचीवर्स' (तीसरा पुरस्कार) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

15.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड में 299 महिला कर्मचारी नियोजित हैं जो इसकी 5641 कुल कर्मचारी संख्या (31.12.2015 की स्थिति) का करीब 5.3 प्रतिशत है। पुरुष एवं महिलाओं दोनों को कंपनी चयन, भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति सभी स्तरों पर समान अवसर प्रदान करती है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और एनएमडीसी बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक हैं।

सुविधाएं जैसे अलग शौचालय, विश्राम गृह आदि मुख्यालय एवं परियोजनाओं में प्रदान की गई हैं। एनएमडीसी ने स्वास्थ्य सेवा में जागरूकता, परिवार नियोजन आदि पर प्रशिक्षण के लिए महिला कर्मचारियों को प्रायोजित किया है। हाल ही में, एनएमडीसी ने दो महिला अधिकारियों को व्यापार प्रबंधन में प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा। महिला कर्मचारियों के लिए अपनी नीतियों में परिलक्षित कंपनी की सभी वैधानिक दायित्वों में शामिल है।

अपने 62वें प्रतिवेदन में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार विप्स प्रकोष्ठ सभी परियोजना के लिए गठित की गई है।

इसके सीएसआर कार्यक्रम के तहत एनएमडीसी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- **बालिका शिक्षा योजना** एक नवीन सीएसआर पहल है जिसके तीन उद्देश्य हैं समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से लड़कियों की शिक्षा में सहायता, महिला सशक्तिकरण में योगदान और बस्तर क्षेत्र में मेडिकल एवं पेरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी को कम करना। एनएमडीसी द्वारा आज की तारीख में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 164 विद्यार्थियों को प्रायोजित किया गया है।

योजना के तहत जीएनएम कोर्सो वाला 19 विद्यार्थियों का पहला बैच जिन्होंने हाल ही में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। एनएमडीसी नए नर्सिंग पेशेवरों द्वारा ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण के बीच समानता प्राप्त करने और अपने स्थानीय क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए कदम उठा रही है। इससे महिला सशकितकरण के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी

- **एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना**, जिसके तहत बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासी और अनु. जाति के छात्रों को 8वीं श्रेणी से आगे स्नातक स्तर तक शैक्षिक परिशीलन जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

15.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में 767 महिला कर्मचारी नियोजित हैं जो 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार कुल 6340 कार्यबल का 12.10 प्रतिशत है।

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न निवारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 1999 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया था जिस में एक महिला चिकित्सक सहित तीन सदस्य हैं तथा मार्च 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया। अभी कंपनी की खानों और मुख्यालय में उत्पीड़न का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। महिला कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए निर्देशों का व्यापक प्रसार किया गया है।

कंपनी की सभी खानों में महिला मण्डल सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। दूरदराज के खान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर और परिवार नियोजन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक शैक्षिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कंपनी मातृत्व अवकाश तथा परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देती है।

इसकी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत खानों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें दूरस्थ गांवों में रहने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मोमबत्ती, वाशिंग पाउडर, साबुन, बांस की टोकरियां बनाने, सिलाई सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मॉयल में इस कार्यक्रम को अच्छी प्रतिक्रिया और बहुत बड़ी सफलता मिली है।

15.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) का कारपोरेट जीवनपर्यन्त सदस्य है। कंपनी के एक कर्मचारी को विप्स की पूर्वी शाखा का अध्यक्ष चुना गया और बहुत अधिक फोरम के सदस्य हैं। इससे कंपनी में महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ी है। महिला कर्मचारियों को विप्स द्वारा आयोजित समारोहों में भी सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न के बचाव और रोकथाम आदि के लिए कार्यक्रम हेतु नामित किया गया था। आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधान के अनुसार कार्य कर रहा है। समिति द्वारा इस वर्ष के दौरान विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता अभियान, प्रस्तुतिकरण, कर्मचारी परामर्श, आसीसी की नियमित बैठकों का संचालन किया जाता है।

15.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल की विभिन्न प्रतियोगिताओं/क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता को स्वीकार करने के साथ ही सभी क्रियाकलापों में महिला कर्मचारियों को महत्व दिया गया है। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए स्थापित समिति जैसी विभिन्न समितियों में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सदैव सुनिश्चित किया जाता है।

15.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी में 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार 3 महिला कर्मचारी हैं। ये सभी महिला कर्मचारी कंपनी की विभिन्न इकाइयों में नियुक्त हैं। अधिकांश महिलाएं बोकारो और भिलाई में पदस्थ हैं। कंपनी में महिला कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं है। फिर भी, कंपनी प्रबंधन महिला कर्मचारियों के हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य स्थलों पर वे किसी भी किस्म के यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनें।

15.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन में महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक हैं। मेकॉन महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में समय–समय पर मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश/दिशा–निर्देशों का पालन कर रहा है।

15.10 केआईओसीएल लिमिटेड

वेतन का भुगतान, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के पहलुओं, मातृत्व लाभ इत्यादि जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक सभी उपायों/सांविधिक प्रावधानों का केआईओसीएल पालन करती है।

केआईओसीएल में दिनांक 31.12.2015 की स्थितिनुसार 29 महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों/अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए बैंगलौर, मैंगलौर और कुद्रेमुख इकाइयों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समितियां गठित की गयी हैं। शिकायत समिति में एक वरिष्ठ स्तर की महिला कार्यपालक, एक पुरुष कर्मचारी और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) से एक महिला कर्मचारी बतौर तीसरी पार्टी और सदस्य के रूप में होते हैं।

केआईओसीएल में वीमेन इन पब्लिक सेक्टर नामक एक महिला संगठन कार्य कर रहा है और अधिकांश महिला कर्मचारी इसकी सदस्य हैं। केआईओसीएल विप्स (WIPS) का आजीवन सदस्य है। विप्स से सम्पर्क रखने के लिए केआईओसीएल से संयोजक बारी–बारी से नामांकित किए जाते हैं। और महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को कंपनी द्वारा विप्स की वार्षिक/क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाता है। कंपनी में 8 मार्च, 2015 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समुचित रूप से मनाया गया।

15.11 ईआईएल, बीएसएलसी एवं ओएमडीसी

इन कंपनियों में जेंडर समानता को उपयुक्त महत्व दिया जाना जारी है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए कम्पनियों में एक महिला शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। ये कंपनियां सभी कार्मिकों को समान अवसर प्रदान करती हैं और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती हैं।

इन कंपनियों में दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, इसके 1299 कर्मचारियों के कुल कार्यबल में महिला कर्मचारी लगभग 15.20 प्रतिशत हैं। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए, महिला प्रतिनिधियों को शामिल कर 'जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ' गठित किए गए हैं।

अध्याय–XVI

इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन

16.1 घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपाय

यद्यपि अधिकांशतः भारतीय शहरी क्षेत्र में इस्पात की खपत में भारी वृद्धि हुई है, ग्रामीण जीवन में यह दिखायी नहीं दिया है। हालांकि धीरे–धीरे शहरीकरण बढ़ने और जीवन शैली में आ रहे बदलाव से, समय के साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्र में इस्पात का उपयोग बढ़ा है, फिर भी यहां इस्पात की खपत बढ़ाने की अथाह संभावनाएं हैं। इस्पात विकास और प्रगति संस्थान (इंसडैग) ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ाने और इस्पात का अधिक उपयोग करने के लिए जागरूकता लाने के लिए पर्याप्त संख्या में गतिविधियां चलायी/पहल की हैं।

16.2 ग्रामीण भारत में इस्पात की मांग के आक्कलन हेतु अध्ययन

मंत्रालय की मांग अनुदान पर संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, इस्पात मंत्रालय ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग का आक्कलन करने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के जरिये एक सर्वेक्षण/अध्ययन करवाया है। संयुक्त संयंत्र समिति ने इस सर्वेक्षण की अपनी अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2011 में प्रस्तुत की। सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत, ग्रामीण भारत में इस्पात के उपभोग की प्रवृत्तियों और इस्पात की भावी सम्भावनाओं का पता चला है। सर्वेक्षण के लिए विश्लेषण उद्देश्य से आंकड़े तीन वर्षों अर्थात् 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए एकत्रित किये गए और ग्रामीण इस्पात मांग का आक्कलन 2011–12, 2016–17 और 2019–20 की अवधियों के लिए किया गया। ग्रामीण भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत 2007 से 2009 की अवधि के दौरान 9.78 किलोग्राम आंकी गई जिसके इस्पात उत्पादों के अधिक उपयोग के आधार पर 2020 में बढ़कर लगभग 12 कि. ग्रा. होने का अनुमान लगाया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों, अधिकतर घरेलू स्तर पर उपयोग के कारण हुई है । साथ ही, व्यावसायिक उपयोग, फर्नीचर व वाहनों जैसी इस्पात वाली मदों की खरीद से भी खपत बढ़ेगी। यह भी आशा है कि घरेलू मदों के लिए मांग कुछ वर्षों में कम हो जाएगी। इसका मुख्य कारण इस श्रेणी की कुछ प्रमुख मदों के स्थान पर प्लास्टिक का अधिक उपयोग होना है। सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए सिफारिशें भी की गई है यथा मकानों की संरचनाओं की किस्म में बदलाव, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इस्पात डिजाइनों का विकास, सामुदायिक संरचनाओं में निवेश, छोटे और मंझोले इस्पात उत्पादों का विनिर्माण, इस्पात उपयोग के फायदों पर प्रकाश, इस्पात के स्वरूप में सुधार, इस्पात के लिए संभार तंत्र तथा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार तथा इस्पात के गुणवत्ता संबंधी मामलों पर ध्यान देना। इस्पात मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण में की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है और वह उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

16.3 सेल द्वारा इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

सेल के पास देश भर में शाखा बिक्री कार्यालयों और मालगोदामों का एक व्यापक नेटवर्क है। 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार, सेल के नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 10 ग्राहक सम्पर्क कार्यालय, 25 विभागीय वेयरहाउस तथा कन्साईनमेंट एजेंसियों द्वारा प्रचालित 21 वेयरहाउस हैं। देश भर में फैले विशाल नेटवर्क से उपभोक्ताओं की विभिन्न जरूरतों को उनके घर–घर पहुंचाने में मदद मिलती है ।

अपने उत्पादों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने के लिए, सेल ने 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार 1720 जिला स्तरीय डीलरों के अलावा, 903 ग्रामीण डीलरों की नियुक्ति करते हुए ब्लॉक, तहसील और तालुका स्तर पर भी अपना पैठ बनायी है।

डीलरों को अपने कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के साथ–साथ सेल इस्पात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही है। उच्च निष्पादनकारी डीलरों को सम्मानित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अवार्ड समारोहों का आयोजन किया जाता है।

सेल के इस्को, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों की नयी मिलों में तैयार हो रहे उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास किये जा रहे हैं। सेल द्वारा अपने जारी आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के तहत चालू अपनी नयी मिलों के बारे में संभावित उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए बहुकार्य क्षेत्रीय टीमों के जरिये कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इन मिलों जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र की नयी प्लेट मिल में तैयार प्लेट्स, दुर्गापुर और इस्को इस्पात संयंत्रों के स्ट्रक्चरल्स, भिलाई एवं दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के भूकंप रोधी टीएमटी बार्स, बोकारो इस्पात संयंत्र के कोल्ड रोल्ड इस्पात, इत्यादि, के तैयार उत्पादों को लॉच करने के लिए तकनीकी प्रस्तुतियां की जाती हैं।

सेल इस्पात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन गतिविधियां चलायी गई हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान द्वारा चलायी गई प्रोत्साहन गतिविधियों मे निम्न शामिल हैं:

- सेल इस्पात को बढ़ावा देने के लिए डीलरों, वास्तुशिल्पियों, राजमिस्त्रियों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया जाता है । वर्ष के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में 66 ऐसी बैठकों का आयोजन किया गया ।

- देश भर में विभिन्न जगहों पर व्यापक वॉल पेंटिंग/होर्डिंग लगायी गयीं । चालू वर्ष के दौरान देश भर में अनुमानित रूप से 3 लाख वर्ग फुट वॉल पेंटिंग और 30 से अधिक होर्डिंग लगायी गयीं ।
- हमारे उत्पादों के प्रति बेहतर समझ विकसित करने एवं गुणात्मक पहलू को उजागर करने के लिए डीलरों के विपणन कार्यदल के वास्ते प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ।
- सक्रिय डीलरों का जिक्र करते हुए स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये गये ।
- हमारे उत्पादों के फायदों को रेखांकित करने वाले कैलेंडर डीलरों को दिये जाते हैं जिनका वितरण वो अंतिम उपभोक्ताओं को करते हैं। ऐसा करने से हमारे उत्पादों को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ सेल ब्रांड को प्रचार मिलता है।

हमारे उपभोक्ताओं की विशिष्ट उपयोग जरूरतों को पूरा करने के लिए, सेल द्वारा उत्पादों के विकास की एक सतत प्रक्रिया रही है। नये क्षेत्रों में उपयोग बढ़ाने वाले उत्पाद विकास से इस्पात का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी । जनवरी से दिसंबर 2015 की अवधि में व्यापक किस्म के उपयोगों के लिए 24 नये उत्पाद विकसित किये गये । विकसित किये गये कुछ उत्पादों की बानगी नीचे दी जा रही है :

- बॉयलर और प्रेशर वेसल्स के लिए एएसटीएमए 387 ग्रेड 11 सीएल 2 प्लेट्स
- ऑफशोर स्ट्रक्चर्स हेतु जेड डाइरेक्शनल प्रोपर्टीज युक्त आईएस 2062 ई 450 थिकर प्लेटस (70 से 80 मि. मी.)।
- नौसेना का युद्धपोतों के लिए डीएमआर 249 बीके क्यूएण्डटी प्लेट्स ।
- पवन चक्कियों के लिए जेड डाइरेक्शनल प्रोपर्टीज युक्त हाई टेंसाइल प्लेट्स ।
- निर्माण क्षेत्र के लिए आईएस 2062 ई 410सी पीएम प्लेट्स ।
- वाहन कलपुर्जों के लिए आईएस 2062 ई 350 बीआर (नॉन माइक्रो अलॉय) ग्रेड प्लेट्स।

16.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल लगातार इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए उत्पादों का विकास व आपूर्ति तथा विस्तृत कवरेज हेतु वितरण नेटवर्क में सुधार का प्रयास करता है। विशिष्ट अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नये उत्पादों के विकास का प्रयास किया जाता है जिससे इस्पात के उपयोग को संवर्धित करने में सहायता मिलती है। उपभोक्ताओं के साथ बार–बार बातचीत करके उनकी नए इस्पात उत्पादों/ग्रेडों/आकारों की जरूरत का अध्ययन किया जाता है। यदि यह प्रौद्योगिकीय रूप से व्यावहारिक पाया जाता है तो इन उत्पादों का विकास कर उपभोक्ताओं को इनकी आपूर्ति की जाती है। वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसंबर 2015 तक) 3 नये उत्पाद विकसित किये गये ।

आरआईएनएल का एक वितरण नेटवर्क है जिसमें 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 24 शाखा कार्यालय, 23 स्टॉकयार्ड और 6 कन्साइनमेंट सेल्स एजेंट्स शामिल हैं। वर्ष के दौरान अपने उपभोक्ता आधार को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया । आरआईएनएल ने अपने नये उत्पादों के लिए एक मांग सर्वेक्षण किया और नये वास्तविक उपभोक्ताओं के साथ सहमतिपत्र किये । इसी तरह, शहरी, अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए रिटेलर्स नेटवर्क को भी बढ़ाकर 185 कर दिया है।

ग्रामीण इलाकों में इस्पात की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए, आरआईएनएल ने छोटे नगरों में जिला स्तरीय डीलरों के पंजीकरण की योजना और पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण डीलरों के पंजीकरण की योजना शुरू की है। ग्रामीण डीलरों के पंजीकरण की योजना की प्रकिया सतत् और आसान है। ग्रामीण डीलरशिप के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प संख्यकों और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है। दिसंबर 2015 के अंत तक, आरआईएनएल के देश भर में 408 ग्रामीण डीलर/जिला स्तरीय डीलर हो गये हैं । आरआईएनएल ने रांची, रायपुर, त्रिची, इलाहाबाद, पणजी, जम्मू और विजयवाड़ा में विपणन सम्पर्क कार्यालय शुरू किए हैं।

वर्ष के दौरान आरआईएनएल के श्री लंका स्थित अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यालय (आईएमओ) ने अपना कार्य आरंभ कर दिया।

16.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल और इस्पात विकास एवं प्रगति संस्थान (इंसडैग) के बीच हस्ताक्षरित किए गए एक समझौते के अनुसार एचएससीएल ने कोलकाता में इस्पात गहन डिजाइन वाले इंसडैग भवन का निर्माण कार्य का जिम्मा लिया और सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस भवन का पहले ही औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया है। एचएससीएल की भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए इसंडैग के सहयोग से अन्य परियोजनाएं शुरू करने की योजनाएं हैं। इसके अलावा, एचएससीएल द्वारा पारम्परिक आरसीसी संरचनाओं के स्थान पर इस्पात संरचनाओं का अपयोग कर जनपथ, दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर का कार्यान्वयन भी पूरा कर लिया गया है, जिसमें परंपरागत आरसीसी संरचनाओं की जगह इस्पात संरचनाओं का उपयोग किया गया है।

अध्याय–XVII

निगमित सामाजिक दायित्व

17.1. प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एक ऐसी संकल्पना है जिसके तहत संगठन उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण पर अपने कार्य क्षेत्र के प्रचालनों के सभी पहुलओं के प्रभाव का उत्तरदायित्व लेकर समाज के हित का संरक्षण करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कुल मिलाकर समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः सीएसआर का स्थायी विकास के साथ सीधा संबंध है।

भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 बनाया । कंपनी अधिनियम 2013 का अनुच्छेद 135 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के बारे में है। इसमें कंपनियों के लिए शुद्ध मूल्य, कारोबार, और शुद्ध लाभ के आधार पर वे अर्हक मानक निर्धारित किये गये हैं, जिनकी सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए जरूरत होती है और साथ–साथ, जो कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन की व्यापक कार्य प्रणालियों, कार्यान्वयन और निगरानी को निर्देशित करती हैं। अपनी सीएसआर नीतियों में कंपनियों द्वारा शामिल की जा सकने वाली गतिविधियों को इस अधिनियम की अनुसूची टप्प में सूचीबद्ध किया गया है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 135 और अनुसूची टप्प के प्रावधान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित कार्य मंत्रालय ने सीएसआर नियमावली तैयार की है और इसे 27.2.2014 को जारी किया है। सीएसआर नियमावली 1.4.2014 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होती है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अक्टूबर 2014 में निगमित सामाजिक दायित्व और स्थायित्व पर दिशा–निर्देश जारी किये हैं। इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सीएसआर के तहत निधियो के आवंटन एवं व्यय करते समय उपरोक्त अधिनियम/नियमावली/ दिशा–निर्देशों का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के निधियो के आवंटन एवं व्यय के ब्यौरे अनुबंध XV पर दिए गए हैं।

17.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल का सामाजिक ध्येय निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अनुरूप है। कंपनी का ध्येय इस्पात उत्पादन व्यवसाय के अलावा, अपने व्यवसाय का इस तरह से संचालन करना है जिससे अपने प्रचालन क्षेत्र में रह रहे समुदाय को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक हितलाभ मिल सके। किसी भी संगठन के लिए, अपने व्यवसाय का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत होने से सीएसआर की शुरुआत होती है। लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव लाने के अपने दर्शन एवं मूल मंत्र को रेखांकित करते हुए, सेल अपनी स्थापना से ही सीएसआर पहल का गठन और कार्यान्वयन कर रहा है। इन प्रयासों से सेल कारखानों के आसपास स्थित बहुत छोटे गांवों को आज विशाल औद्योगिक केंद्रों में परिवर्तित किया जा सका है।

सेल के बीएसएल कल्याण इस्पात विद्यालय में मध्याह्न भोजन करते बच्चे

सेल सीएसआर पहल का संचालन सदैव कानूनी प्रावधानों जैसे सीएसआर और स्थायित्व –2013 पर संशोधित सार्वजनिक उद्यम विभाग दिशानिर्देश के अनुरूप तथा वर्तमान रूप से ''कंपनी अधिनियम–2013'' के अनुसार किया गया है। सेल के सीएसआर परियोजनाएं देश भर में इस्पात नगरियों, खानों और दूरदराज के स्थानों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं, जिनमें आदर्श इस्पात गांवों (एमएसवीज) का विकास सहित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना, टीकाकरण, प्रसव पूर्व और उपरांत देखभाल, शिक्षा, पेयजल सुविधाएं, सड़कों और सड़क किनारे नालियों का निर्माण एवं पथ प्रकाश, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता, स्व–सहायता समूहों के जरिए स्थायी आय सृजन, खेलकूद, कला, संस्कृति एवं आमोद–प्रमोद क्रियाकलापों का संवर्धन, आदि शामिल हैं।

स्वच्छ भारत अभियान–स्वच्छ विद्यालय अभियान

स्वच्छ विद्यालय अभियान'' के तहत स्कूलों में टॉयलेट्स के निर्माण के लिए, सेल के निदेशक मंडल ने 2014–15 है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा षुरू किये गये ''स्वच्छ भारत अभियान'' में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। वर्श 2014–16 के दौरान ''स्वच्छ विद्यालय अभियान'' के तहत विद्यालयों में षौचालयों के निर्माण के लिए 29 करोड़ रुपये की भारी बजट राशि रखी है। इस अभियान के तहत, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यथा आवंटित, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडीषा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित अपने कारखानों और खानों के आसपास 672 शौचालयों के निर्माण का जिम्मा लिया और पूर्ण किया। पाखाना यूनिटें, मूत्रालय, वॉशबेसिन और पानी की टंकियों जैसी संविधाएं प्रदान की गयी हैं ।

सेल सीएसआर मिशन परियोजनाएं

सेल ने गहन मिशन सीएसआर परियोजनायें शुरू की हैं जिनसे आसपास के क्षेत्र में गरीब तबके के लिए लक्षित भारी सामाजिक–आर्थिक प्रभाव पड़ने की आशा की जा रही है जिसके तहत कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुसार शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, वाटरशेड विकास और कौशल विकास के क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है।

सीएसआर गतिविधियां

शिक्षाः शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के ध्येय से, सेल 46,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्पात नगरियों में 187 से अधिक विद्यालयों का संचालन कर रहा है तथा यह लगभग 61,000 बच्चों के साथ 509 से अधिक स्कूलों को सहायता उपलब्ध करा रहा है। निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वर्दी जिसमें जूते, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतलें तथा कुछ मामलों में परिवहन भी शामिल है, की सुविधाओं वाले सात विशेष विद्यालय (कल्याण विद्यालय) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) लोगों के लिए पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में निगमित सामाजिक दायित्व के तहत संचालित किए जा रहे हैं। निजी स्कूलों के संचालन और आस–पास के क्षेत्र में स्कूलों को मदद पहुंचाने के अलावा, सेल अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से भिलाई तथा राउरकेला के आस–पास सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रहा है। इस योजना के तहत, लगभग 576 सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन लगभग 62000 विद्यार्थियों को स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य देखभालः सेल ने 2011–15 की अवधि के दौरान, गहन एवं विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के जरिये अपने कारखानों एवं इकाइयों के आस–पास रहने वाले 94.71 लाख से अधिक लोगों को विशिष्ट एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की है। जरूरतमंद लोगों को उनके घर पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने के लिए संयंत्रों/इकाइयों/खानों और दूरदराज़ के क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न गांवों में निश्चित दिनों पर नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाये जाते हैं। अप्रैल–सितंबर, 2015 के दौरान 430 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाये गये जिनसे 60,000 से अधिक ग्रामवासी लाभान्वित हुए।

कारखानों में 7 विशेष स्वास्थ्य केन्द्र शुरू किये गये जिनमें प्रति वर्ष लगभग 100,000 नितांत रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को दवाइयों सहित निःशुल्क चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है। अप्रैल–सितंबर, 2015 के दौरान इन स्वास्थ्य केंद्रों में 31,000 से अधिक ग्रामवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की गयी।

सड़क संपर्क एवं पेयजल सुविधाएंः सेल ने अपनी स्थापना से ही सड़कों का निर्माण और मरम्मत करके 435 गांवों में 77.84 लाख से अधिक लोगों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाई है। विगत चार वर्षों में सेल ने 7907 से अधिक जल स्रोतों की स्थापना करके दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले 45.96 लाख से अधिक लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई है।

आपदा राहतः सेल ने एक जिम्मेदार निगमित सदस्य के रूप में, राष्ट्रीय एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास प्रयासों में मदद पहुंचायी है, जिनमें हाल ही में बाढ़ प्रभावित जम्मू एवं कश्मीर, ओडिशा में फाइलीन चक्रवात, उत्तराखंड में विकराल बाढ, इत्यादि शामिल हैं।

स्थायी आय सृजनः नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, हल्के वाहन ड्राइविंग, कप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डर, फिटर, तथा इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण, बेहतर कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मात्स्यकी, सुअर पालन, अचार/पापड़/अगरबत्ती

निर्माण, स्क्रीन प्रिंटिंग, हथकरघा, सेरिकल्चर, यार्न वीविंग, दर्जी, सिलाई तथा कढ़ाई, धुआं रहित चूल्हा निर्माण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में आस–पास के क्षेत्र के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्थायी रोज़गार सर्जन की दिशा में व्यावसायिक एवं विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

17.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी एवं दायित्व के निर्वहन के प्रति वचनबद्ध है। आरआईएनएल ने कम्पनी अधिनियम, 2013, उद्देश्य, दायरा, गतिविधियों के संचालन के लिए प्रक्रिया एवं प्रविधियों वाले सीएसआर दिशा निर्देशों एवं डीपीई दिशा निर्देशों के अनुरूप अपनी सीएसआर एवं सस्टेनेविलिटी नीति तैयार कर ली है। आरआईएनएल निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुरूप सीएसआर पहल की जा रही है।

सीएसआर में प्रमुख रूप से कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें शामिल हैं : शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, पर्यावरणीय देखभाल, साफ–सफाई, स्वच्छ भारत, इत्यादि।

सीएसआर गतिविधियों का संचालन विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों एवं राज्य सरकार, नगर निगम, सीपीडब्ल्यूडी, इत्यादि जैसे सरकारी संगठनों की सहभागिता से किया जाता है । अधिकांश गतिविधियां पुनर्वास बस्तियों एवं आसपास के गांवों में चलायी गयी हैं। जनजातीय/अनुसूचित जाति/समाज के कमजोर तबके की आबादी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य व सामुदायिक विकास, इत्यादि कल्याण गतिविधियां चलायी जा रही हैं । आरआईएनएल की सीएसआर गतिविधियां जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों में भी चलायी जाती हैं ।

आरआईएनएल की विभिन्न वरीयता वाले क्षेत्रों में प्रमुख सीएसआर गतिविधियां (अप्रैल 2015 तक) निम्नवत हैं :

शिक्षा:

- विशाखापत्तनम के आस–पास के 10 गांवों के 25 केंद्रों में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिनसे 625 प्रौढ़ लाभान्वित हुए।
- संयंत्र और खानों के आस–पास के गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के बच्चों को वीएसपी टाउनशिप के विभिन्न स्कूलों के जरिये निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है ।
- अरुणोदय विशेष विद्यालय के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है ।

स्वास्थ्य देखभाल:

- 'नेत्र ज्योति' की मोबाइल आईकेयर वैन के जरिये विशाखा अस्पताल में 151 नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए जिनसे 113291 मरीज लाभान्वित हुए और 1322 शल्य चिकित्सा निःशुल्क की गयीं।

आरआईएनएल का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम – प्रोजेक्ट सक्षम

- कंपनी के अस्पताल में आस–पास के गांवों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) परिवारों के लिए 34 निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किये।
- पुनर्वास बस्तियों/वीएसपी के आसपास के गांवों में पेयजल सुविधा मुहैया की जा रही है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में 4 महीनों की अवधि के लिए प्रतिदिन लगभग 13,000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं ।
- एचआईवी/एड्स से पीड़ित बच्चों के लिए एक पुनर्वास केंद्र *"आलंबन"* का निर्माण किया गया और 1 वर्ष की अवधि के लिए निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं ।
- दो स्थानीय सरकारी अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण प्रदान किये गये ।

कौशल विकास :

- "परियोजना सक्षम" के जरिये आरएच कालोनियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत युवा एवं महिलाओं को फैब्रिक पेंटिंग, हल्के वाहनों की ड्राइविंग मेकिंग, सिलाई, ब्यूटीशियन, ब्यूटी थेरेपी, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- "परियोजना कौशल" के जरिये आस–पास के क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के 200 युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत वस्त्र निर्माण तकनीकों और औद्योगिक सिलाई मशीन ऑपरेशन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

स्वच्छता :

- विभिन्न गांवों में "सुजल पथकम" के तहत 15 आरओ प्लांट लगाये गये और नगर निगम, विशाखापत्तनम के विभिन्न जगहों पर स्वच्छ विशाखा के तहत बड़े डम्बर बिन मुहैया किये गये। स्कूलों में टॉयलेट्स के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत कार्यक्रम ।
- "स्वच्छ विद्यालय अभियान" के तहत संबंधित स्कूलों को 86 शौचालय ब्लॉक्स प्रदान किये ।

17.4 एनएमडीसी लिमिटेड

कंपनी द्वारा चलाये गये/शुरू किये गये सीएसआर कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है :

शिक्षा:

- वर्तमान शैक्षणिक वर्ष अर्थात् 2015–16 के दौरान, 40 लड़कियों के चौथे बैच को एनएमडीसी की विशेष शिक्षा योजना–बालिका शिक्षा योजना के तहत अपोलो अस्पताल, हैदराबाद में जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया है। अभी तक नर्सिंग पाठ्यक्रमों का परिशीलन करने के लिए एनएमडीसी द्वारा 164 विद्यार्थी प्रायोजित किए गए हैं। इस सुविधा का लाभ उठाते हुए जीएनएम पाठ्यक्रम के 19 बच्चों का पहला बैच हाल ही में परीक्षा उत्तीर्ण कर अपोलो अस्पताल में इन्टर्नशिप कर रहे हैं ।
- वर्ष 2010 में नगरनार में शुरू किया गया आवासीय पब्लिक स्कूल 444 छात्रों के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।
- एनएमडीसी ने दांतेवाड़ा में 1000 सीट वाले ऑडिटोरियम युक्त आस्था गुरूकुल स्कूल का निर्माण किया है । यह स्कूल लगभग 675 अनाथ एवं हिंसा प्रभावित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहा है । ये बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 7 तक अध्ययनरत हैं । इस शिक्षण संस्थान को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री 08.03.2015 को देखने आयी थीं और बाद में 09.05.2015 को माननीय प्रधानमंत्री भी अपने दांतेवाड़ा दौरे के दौरान इस संस्थान में आये थे ।
- अ.जा./अ.ज.जा छात्रों को प्रेरित करने के लिए ''एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना'' नामक छात्रवृत्ति स्कीम प्रचालन में है और वर्ष 2014–15 के दौरान 19000 छात्रवृत्तियां शिक्षा के इस आशय से प्रदान की गई हैं।
- दोणिमलाई परियोजना एवं आसपास के क्षेत्र में 8000 ग्रामीण स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।

कौशल विकास :

- नगरनार में आईटीआई में हर वर्ष 28 छात्रों के प्रवेश के साथ वैल्डर और राजमिस्त्री ट्रेड्स की पढ़ाई सफलतापूर्वक जारी है।
- भांसी में आईटीआई में हर वर्ष 76 छात्रों के प्रवेश के साथ 5 ट्रेड्स की पढ़ाई सफलतापूर्वक जारी है।
- दांतेवाड़ा में वर्ष 2010 में 126 छात्रों के प्रवेश क्षमता वाला मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स के लिए शुरू किया गया एक पॉलिटेक्निक कॉलेज सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पॉलिटेक्निक के लिए लगभग 8 एकड़ जमीन आवंटित की है । स्थाई भवन निर्माण एवं एक परिपूर्ण कैम्पस की स्थापना का कार्य 3194.80 लाख रुपये की राशि खर्च कर पूर्ण कर लिया गया है। हॉस्टल ब्लॉक्स और आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण कार्य चल रहा

है। छत्तीसगढ़ में यह एकमात्र ऐसा पॉलिटेक्निक कॉलेज है जो छत्तीसगढ़ सरकार से बिना किसी योगदान के पूर्ण रूप से किसी पीएसयू द्वारा चलाया जा रहा है ।

- छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 460 बेरोजगार आदिवासी युवाओं को 181.78 लाख रुपये की लागत से आजीविका उपार्जन प्रशिक्षण देने के लिए बेम्बू, बेल मेटल तथा तुम्बा कला में जीविकोपार्जन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया।
- एनएमडीसी ने बस्तर जिले के 1260 बेरोजगार युवाओं को 149.80 लाख रुपये की लागत से एक अन्य आजीविका उपार्जन प्रशिक्षण के तहत हैण्डपम्प लगाने, मरम्मत और रख–रखाव करने के जीविकोपार्जन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया है।

स्वास्थ्य देखभालः

- वर्ष 2015–16 (जनवरी 2016 तक) की अवधि में क्रमशः 67619 एवं 6747 स्थानीय आदिवासियों को निःशुल्क बहिरंग और अंतरंग चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई हैं।
- वर्ष 2015–16 (जनवरी 2016 तक) की अवधि में जनजातीय क्षेत्रों के 37 गांवों में 20227 आदिवासी ग्रामीणों का उपचार किया गया।

ग्रामीण विकास :

- बैलाडिला के 19 गांवों में एकीकृत विकास कार्य प्रगति पर है ।
- एनएमडीसी ने दांतेवाड़ा में 4 लेन मार्ग वाले गौरव पथ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ भागीदारी की है।
- बस्तर जिले के 30 गांवों में 30 सामुदायिक केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- बस्तर जिले में 1500 लाख रुपये की लागत से किसानों की जमीन की चारदीवारी, बोरवेल्स की खुदाई और हैण्डपम्प लगाने के लिये किसान विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पेयजल एवं स्वच्छता :

- एनएमडीसी ने 273.60 लाख रुपये की लागत से (16+2) आश्रमों में सौर प्रणाली आधारित पेय जल की व्यवस्था करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ भागीदारी की है ।
- वर्ष के दौरान लगभग 26.21 करोड़ रुपये की लागत से छत्तीसगढ़ राज्य के 6 जिलों और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सभी स्कूलों में मिशन स्वच्छ भारत के स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत, 2087 टॉयलेट्स ब्लॉक्स के निर्माण करने का बीड़ा उठाया है।
- एनएमडीसी ने अपनी बैलाडिला परियोजनाओं के आस–पास लगभग 16 गांवों में मिशन स्वच्छ भारत के तहत 1 करोड़ रुपये की लागत से 2014–15 से 2018–19 की अवधि के लिए स्वच्छता अभियान शुरू किया है, ताकि स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई प्रोत्साहन अभियानों, स्थानीय सरकार हितधारकों और सिविल सोसाइटी के माध्यम से तथा पुरस्कार व सम्मान की प्रणाली शुरू करते हुए गांवों के निवासियों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सके।

17.5 मॉयल लिमिटेड

वर्तमान वित्त वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अनेक योजनाएं ली गयी हैं और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनमें प्रमुख रूप से निम्न शामिल हैं:

शिक्षा एवं कौशल विकासः

- शिक्षा तथा कौशल विकास पहल के अंतर्गत, कंपनी पांच स्कूलों की मदद कर रही है। दो स्कूल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में और 3 स्कूल महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हैं। दोनों ही जिले भारत के पिछड़े जिलों के रूप में अधिसूचित हैं। इन स्कूलों में आस–पास के क्षेत्र के गांवों में रहने वाले और अधिकांशतः गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों को गुणवत्तामय शिक्षा प्रदान की जा रही है।

पेयजल एवं स्वच्छताः

- दूरदराज़ के क्षेत्रों में ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, मॉयल ने 35 बोर वेल खोदने का प्रस्ताव किया है।
- मॉयल ने स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 99 टॉयलेट ब्लॉक्स का निर्माण किया है।

स्वास्थ्य देखभालः

- मॉयल ने एनजीओ सूरज नेत्र संस्थान के साथ सहमति की है तथा इसके लाईट टू लाईव्स कार्यक्रम के तहत,

जरूरतमंद ग्रामीण निर्धन लोगों की निःशुल्क मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा, पेडेयट्रिक शल्य चिकित्सा, इत्यादि की जा रही है।

ग्रामीण विकासः

- कंपनी ने सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी – मॉयल फाउंडेशन को बढ़ावा दिया है और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान (एमआईटीआरए), जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम हेतु बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउंडेशन का एक सहायक संगठन है, के साथ सहमति की है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं : कृषि विकास, पशुपालन (मुर्गी एंव बकरी पालन), महिला सशक्तिकरण, जीवन शैली में सुधार कार्यक्रम, इत्यादि, जिनसे इस क्षेत्र के समग्र विकास करने में मदद मिलेगी।

स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत मॉयल द्वारा निर्मित शौचालय

- यह योजना ग्रामीण स्तर पर जीवन स्तर सुधारने के लिए संसाधन विकसित करने का प्रयास करेगी । सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के नागपुर, भण्डारा जिलों और मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित मॉयल खानों के आस–पास 21 गावों को चिन्हित किया गया हैं ।

पर्यावरण संरक्षणः

- कंपनी ने सड़कों के निर्माण, सामुदायिक हॉल्स, स्कूलों की मरम्मत, पौधरोपण, इत्यादि विभिन्न बुनियादी विकास कार्यों का जिम्मा लिया है।

कपनी ने वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान इस मद पर खर्च के लिए 1430 लाख रुपये का बजट आबंटित किया है।

17.6 एमएसटीसी लिमिटेड

''स्वच्छ भारत विद्यालय अभियान'' के तहत, एमएसटीसी ने 50 टॉयलेट्स का सफलतापूर्वक निर्माण किया है।

उपरोक्त के अलावा, सीएसआर के तहत निम्न क्षेत्रों को चिन्हित किया गया हैं :

- गरीब तबके के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों की बुनियादी सुबिधाएं ।
- ग्रामीण जनता के लिए चिकित्सा जागरूकता एवं खुशहाली शिविरों का आयोजन ।
- ग्रामीण क्षेत्रों के वाशिंदों को स्वच्छ पेयजल मुहैया करने के लिए ट्यूब वेल्स की स्थापना ।

17.7 फेरो स्क्रैप निगम लि. (एफएसएनएल)

कंपनी प्रत्येक वित्त वर्ष में, विगत तीन वित्त वर्शों के दौरान अर्जित अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 135 के उप–अनुच्छेद (1) के तहत यथा वर्णित लगातार तीन वित्त वर्षों के मानक को यदि कोई कंपनी पूरा नहीं करती तो उस कपनी पर उपरोक्त लागू नहीं होता। किसी वर्ष विशेष में सीएसआर कोष खर्च न होने/उपयोग में न आने की स्थिति में उसे अगले वर्ष में डाल दिया जाता है अर्थात् सीएसआर बजट कभी लैप्स नहीं होता। सीएसआर बजट का कम से कम 75 प्रतिशत परियोजनाओं पर खर्च होना अनिवार्य है और अन्य गतिविधियों पर अधिकतम 20 प्रतिशत ही आवंटित किया जा सकता है। सीएसआर समिति (निदेशक मंडल स्तरीय) द्वारा सीएसआर और स्थायी विकास गतिविधियों के लिए आवंटित की जाने वाली राशि की सिफारिश करती है। बजटीय आवंटन का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

17.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन 1960 के दशक से आसपास के इलाकों में ग्रामीण/सामुदायिक विकास क्रियाकलाप संचालित कर रहा है। वर्ष 1976 में, एक समर्पित समूह का गठन किया गया तथा उसका नाम "सामुदायिक विकास समिति (सीडीसी)" रखा गया तथा उसे 'निगमित सामाजिक दायित्व' के क्रियाकलापों की देखरेख करने का कार्य सौंपा गया। तत्पश्चात्, वर्ष 2010 में, संगठन के

सीएसआर क्रियाकलापों का समन्वय आवश्यकतानुसार विभिन्न वर्गों से लिए गए अन्य कर्मचारियों के सहयोग से करने के लिए 'सीएसआर प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई।

वित्त वर्ष 2015–16 में मेकॉन द्वारा संचालित प्रमुख विकास क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

स्वच्छता

- झारखंड के विभिन्न जिलों के स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 53 टॉयलेट्स का निर्माण किया गया।

गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में पेय जल परियोजनाएं

- रांची जिले के गांव–बार तोली, पांचा में जल आपूर्ति प्रणाली का निर्माण।
- झारखंड के खुटी, हज़ारीबाग और लोहारडगा जिलों में स्थित एमएचआरडी विद्यालयों में बोरवेल्स का निर्माण।

मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं

- झारखंड के नक्सल प्रभावित गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन और दवाइयों का वितरण। लगभग 4368 मरीजों का उपचार एवं 53 चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन किया गया ।

शिक्षा

- रांची (झारखंड) और उसके आसपास के स्लम क्षेत्र/पिछड़े इलाकों में 13 साक्षरता केन्द्रों में गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन केन्द्रों में करीब 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास

- झारखंड के स्लम/पिछड़े इलाकों के 9 केन्द्रों में निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन केन्द्रों में 95 विद्यार्थी नामांकित हैं। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक केन्द्र को सिलाई मशीनें तथा प्रैक्टिस के लिए कपड़ा/अन्य अपेक्षित साजो–सामान दिया जाता है।
- झारखंड के पिछड़े/ग्रामीण इलाकों में सिलाई/कढ़ाई का 1 नया केन्द्र शुरू होने जा रहा है।
- ऐसे पिछड़े युवाओं को, जो उच्च शिक्षा जारी नहीं रख सकते, निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए रांची में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है। यह संस्थान नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) के साथ सम्बद्ध है।
- वर्तमान में, संस्थान पांच प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित करता है – रेडियो और टीवी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, वैल्डिंग टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग और योग। वर्तमान सत्र (2015) के दौरान विभिन्न ट्रेड्स में कुल 17 प्रशिक्षार्थी हैं ।

गांव–पांछा, बुन्दु में मेकॉन द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन

दिव्यांग (दृष्टि एवं शारीरिक रूप से) लोगों के लिए परियोजनाएं

- सेंट माइकल्स स्कूल फॉर ब्लाइंड्स, रांची में प्राथमिक सुविधाओं का सृजन (प्रथम तल पर दृष्टि दिव्यांग हेतु 26 बिस्तर वाले हॉस्टल का निर्माण)।
- ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, रांची में प्राथमिक सुविधाओं (द्वितीय तल पर दृष्टि दिव्यांग बालिकाओं हेतु डॉमिटरी का निर्माण) का सृजन (प्रगति पर है)।
- कॉल सेंटर ऑपरेशन के लिए ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, रांची की दृष्टि दिव्यांग बालिकाओं को प्रशिक्षण।

वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, इत्यादि के लिए परियोजनाएं

- रांची जिले के नागरी गांव स्थित वृद्धाश्रम में स्वच्छ पेय जल सुविधाओं की स्थापना।
- रांची जिले के नागरी गांव में वृद्धाश्रम में टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण (प्रगति पर है)।

पर्यावरणीय स्थायित्व

- जगन्नाथ मंदिर, पुरी में कूल एयर वेंटिलेशन प्रणाली ।
- इस्पात अस्पताल, श्यामली में सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली (प्रगति पर है)।

अन्य गतिविधियां/विविध कार्यक्रम

- प्रमथ नाथ मध्य विद्यालय में प्राथमिक सुविधाओं का सृजन (क्लास रूम्स का निर्माण)।
- स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए (सीएसआर पवेलियन का निर्माण), हितधारकों के साथ सीएसआर बैठक, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए स्वास्थ्य शिविर और समाज के गरीब तबके के लोगों द्वारा बनाये गये हतकरघा वस्तुओं के विक्रय के लिए प्राथमिक सुविधाओं का सृजन ।
- चिन्मय मिशन, रांची में प्राथमिक सुविधाओं (रूम्स का निर्माण) का नवीकरण (सुविधा प्रशिक्षण शिविरों के विकास हेतु)।
- रांची जिले के पांडु टोली गांव में आखड़ा का निर्माण और सामुदायिक भवन के रूफ–स्लैब और फिनिशिंग कार्य का निर्माण (प्रगति पर है)।

17.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुसरण में सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए 96.50 लाख रुपये रखे हैं। सीएसआर के तहत कुछ प्रमुख क्रियाकलाप निम्न प्रकार हैं:

शिक्षा

- गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के करीब 800 बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, केआईओसीएल ने जनसेवा विद्याकेन्द्र, मगडी रोड, बंगलूरू को 1 लाख रुपये मूल्य का किचन का साजो–सामान मुहैया किया ।
- राजकीय उच्च विद्यालयों में गरीब/गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 20 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए चिन्हित किया गया (प्रति छात्र 5000/–रुपये) ।
- दक्षिण कन्नड़ जिला पंचायत लोअर प्राइमरी स्कूल, तन्नरबवी, मंगलौर के लिए स्कूल का निर्माण ।
- श्री राम विद्या केन्द्र, कलाडका, दक्षिण कन्नड़ के प्राइमरी विद्यार्थियों को स्कूल यूनीफॉर्म प्रदान की गयीं ।

पेय जल और स्वच्छता

- केआईओसीएल ने संदूर तालूक और मंगलौर स्थित 3 कालेजों में 11 बंद पड़े टॉयलेट्स के नवीकरण/मरम्मत का जिम्मा लिया है ।
- पर्यावरण अनुकूल टॉयलेट्स एवं गो–ग्रीन अवधारणा को बढ़ावा देने के ध्येय से, केआईओसीएल द्वारा बंगलूरू और मंगलौर में आम जनता के उपयोग के लिए बॉयो– टॉयलेट्स प्रदान किये जा रहे हैं ।
- बंगलूरू, मंगलौर और चिकमंगलूर जिलों में विगत वर्षों के दौरान स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत स्कूलों में निर्मित टॉयलेट्स को स्थायी बनाये रखने के लिए, केआईओसीएल ने तीन वर्षों की अवधि के लिए इन टॉयलेट्स के रख–रखाव की जिम्मेदारी ली है ।
- मंगलौर भूस्खलन के कारण विस्थापितों के लिए निर्मित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति पुनर्वास बस्ती में वाटर टैंक का निर्माण और प्रत्येक घर में पाइपलाइन बिछा कर पेयजल सुविधा प्रदान की गयी ।
- टॉयलेट्स के उपयोग करने की आदत को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

- पुरी जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, केआईओसीएल द्वारा रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) युक्त शुद्ध पेयजल सुविधा प्रदान की जा रही है ।
- कालीपाणी, ओडीशा में सामुदायिक षौचालयों की सुबिधा प्रदान की जा रही है ।

स्वास्थ्य देखभाल

- शंकर आई क्लिनिक, बंगलूरू के जरिये गरीब/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की मोतियाबिंद सर्जरी का प्रायोजन ।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को चिकित्सकीय सहायता ।

पर्यावरण संरक्षण एवं स्थायित्व

- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थायित्व लाने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, केआईओसीएल द्वारा बंगलूरू के बाह्य क्षेत्र में स्थित रागीहल्ली गांव में 1000 औषधीय गुणों और राजस्व अर्जन वाले प्रजाति के पौधे लगाने में मदद प्रदान की ।
- पर्यावरण पर प्लास्टिक थैलों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, केआईओसीएल द्वारा रागीहल्ली गांव में 15 प्लास्टिक वेस्ट कलेक्टिंग बिंस प्रदान किये गये हैं ।
- बाजागोली, मंगलौर में सौर ऊर्जा से चालित स्ट्रीट लाइट्स ।

17.10 ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी

ओएमडीसी स्वास्थ्य, शिक्षा और पेय जलापूर्ति तथा सामुदायिक विकास जैसे सीएसआर क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित करती है। वर्ष 2015–16 के लिए सीएसआर बजट के लिए 73 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। ओएमडीसी अपने कर–पश्चात् लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर बजट के तहत आवंटित करती है। सीएसआर क्रियाकलाप सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित किए जाते हैं।

ओएमडीसी ने क्योंझर जिले माइनिंग लीज़–होल्ड क्षेत्र के आस–पास विभिन्न स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत 8 टॉयलेट्स का निर्माण पूर्ण कर लिया है।

अध्याय–XVIII

इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान

18.1 प्रस्तावना

इस्पात क्षेत्र में कामगारों की तकनीकी कुशलता को लगातार निखारने के सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित निम्नलिखित संस्थानों के सराहनीय कार्य एवं योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है:

18.2 बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्यबल द्वारा विकसित अवधारणा योजना के आधार पर पुरी में एक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (एनएसआई) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसे एक प्रशिक्षण–सेवा–शोध एवं विकास केन्द्र के तौर पर स्थापित किया गया है। यह संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है और इसने 1 जनवरी, 2002 से काम करना शुरू किया। जेपीसी के चेयरमैन ही बीपीएनएसआई के चेयरमैन भी हैं। इसकी स्थापना वैश्विक एवं भारतीय इस्पात उद्योगों में हो रहे तेज बदलाव के अनुरूप घरेलू द्वितीयक इस्पात उद्योग को ढालने में मदद देने के उद्देश्य से की गई थी। मंत्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2004 को जेपीसी के पूंजीगत मदद से पुरी में एक पूर्णकालिक संस्थान के तौर पर बीपीएनएसआई की स्थापना किए जाने को मंजूरी दी। वर्श 2025–26 तक परकल्पित 300 मिलियन टन वार्शिक उत्पादन क्षमता के लिए क्षमता निर्माण की ओर एक पहल के रूप में, बीपीएनएसआई के उन्नयन के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि यह लौह और इस्पात उद्योग के लिए षैक्षणिक आधार–स्तंभ प्रदान कर सके । इस संस्थान का उन्नयन केन्द्र सरकार, ओडीषा राज्य सरकार और इस्पात उद्योग सभी के मिले जुले प्रयास से होगा । ओडीषा राज्य सरकार ने पहले ही बीपीएनएसआई के उन्नयन के लिए 300 करोड़ 3पये के योगदान और इसके लिए जरूरी जमीन मुत देने का वायदा कर लिया है ।

केन्द्रीय इस्पात एवं खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट को नवीकृत करते हुए राष्ट्रीय महत्व को लौह एवं इस्पात संस्थान बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की समीक्षा बैठक हुई

18.3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में मानव संसाधन विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन की जरूरत लंबे समय से अनुभव की जाती रही है। सन् 1984 में इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित स्टील रोलिंग इंडस्ट्रीज से संबद्ध सलाहकार समिति ने भी ऐसी ही राय प्रकट की थी। तदनुरूप, 18 अगस्त, 1987 को तत्कालीन लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त एवं वर्तमान रूप से इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में पंजीकृत सोसायटी के तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी का निम्न ध्येय और उद्देश्यों के लिए गठन किया गया :

एनआईएसएसटी के ध्येय उद्देश्य

- अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों का संचालन करते हुए एवं उनका ज्ञान आधार निरंतर उन्नत बनाते हुए द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति मुहैया करना।

- सेमिनारों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन करते हुए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता लाना ।
- विभिन्न औद्योगिक सेवाएं और परीक्षण सुविधाएं मुहैया करना ।
- प्रौद्योगिकीय समस्याओं के निदान, ऊर्जा दक्षता सुधारने एवं प्रदूषण स्तर घटाने कर दृष्टि से उद्योगों को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना ।
- इस क्षेत्र को अद्यतन टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और डिज़ायन कार्य का संचालन करना ।
- उद्योग को डाक्यूमेंटेशन और सूचना प्राप्ति सेवाएं सुलभ करना ।
- उद्योग और शैक्षणिक के साथ–साथ अनुसंधान संस्थानों में परस्पर विचार–विनिमय के लिए एक मंच प्रदान करना ।

इस संस्थान के क्षेत्राधिकार में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के निम्न क्षेत्र आते हैं :

- वैद्युत आर्क और इन्डक्शन भट्टियां
- लैडल रिफाइनिंग
- रोलिंग मिलें (हॉट और कोल्ड)
- डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यूनिट

वर्ष 2015 के दौरान संस्थान द्वारा हासिल उपलब्धियां और की गयी पहल निम्नानुसार हैं :

- एनआईएसएसटी द्वारा संचालित इस्पात निर्माण तथा रोलिंग प्रौद्योगिकी में कार्योन्मुखी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (जेओसीसी) ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को 825 कुशल/अर्ध–कुशल सुपरवाइजरी स्तर के तकनीकी कार्मिक प्रदान किये हैं, जिससे रोजगार का नया स्रोत मिला है।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों/निर्माताओं/सेवा प्रदाताओं के लिए नियमित आधार पर धातुकर्मी और यांत्रिकी परीक्षण किये गये हैं।
- एनआईएसएसटी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए गुणवत्ता, उत्पादन, मूल्य संवर्धन तथा लागत में कमी की दिशा में सुधार लाने हेतु निरंतर द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।
- मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों/अंदरूनी प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के कर्मचारियों के ज्ञान एवं कौशल को सुधारने के लिए निरंतर मानव संसाधन विकास गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है ।
- देश के विभिन्न भागों में इस्पात उद्योग के लिए संगोष्ठियां, अंदरूनी प्रशिक्षण, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गयीं ।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा एनआईएसएसटी को अपने अर्हक तथा पंजीकृत ऊर्जा लेखापरीक्षकों के जरिए ऊर्जा लेखापरीक्षण करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्र की सेवा में ऊर्जा संरक्षण हेतु उपायों का सुझाव देने के साथ, उद्योगों तथा भवनों का ऊर्जा लेखा परीक्षण किया जा रहा है।
- एनआईएसएसटी ने नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ (एनएबीएल) से प्रमाणन (एक्रेडिटेशन) प्राप्त कर लिया है ।
- एनआईएसएसटी ''भारत में लघु पैमाने के इस्पात उद्योग में अपस्केलिंग ऊर्जा दक्ष उत्पाद'' संबंधी नई यूएनडीपी परियोजना के विभिन्न कार्यों को ले रहा है। एनआईएसएसटी ने इच्छुक रोलिंग मिलों से सहमतिपत्र (ईओआई) प्राप्त करने के लिए सभी बैठकों का संचालन किया और विभिन्न क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रमों का संचालन किया । इसके पास नागपुर और गुवाहाटी में दो सीएलए हैं और इसने विभिन्न क्लस्टर्स में आरंभिक एवं कार्यान्वयन उपरांत अध्ययन का भी संचालन किया है ।
- नगरनार (जगदलपुर), छत्तीसगढ़ स्थित एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट (एनआईएसपी) को अपनी जमीन दे चुके लोगों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। एनएसडीसी के इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद के लिए भी एनआईएसएसटी एक सक्रिय साझेदार है।

- एनआईएसएसटी इस्पात उत्पादों से संबंधित विभिन्न मानकों को तैयार करने/संशोधन करने हेतु विभिन्न बीआईएस मानकीकरण समितियों में भी प्रतिनिधित्व करता है। एनआईएसएसटी कोयला मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय की विभिन्न तकनीकी समितियो का भी सदस्य है ।

- डीआईपीपी के तहत केन्द्रीय पूंजी निवेश सब्सिडी (सीसीआईएस) दावों पर विचार करने के लिए, एनआईएसएसटी पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेष प्रोत्साहन नीति (एनईआईआईपीपी) 2007 का एक अग्रणी सदस्य है ।

- फाउंड्रीज, इस्पात उत्पादन और रोलिंग प्रौद्योगिकियों में क्लस्टर विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए, एनआईएसएसटी और एमएसएमई संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं ।

18.4 इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवेलपमेंट एंड ग्रोथ (इंसडैग)

इस्पात मंत्रालय और प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा संवर्धित इंसडैग संस्थान भारतीय निर्माण व आधारभूत क्षेत्र में इस्पात सघन संरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रहा है। अपने मिशन के अनुसरण में, इंसडैग ने इस्पात संबंधी सूचना/ज्ञान को संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रकाशनों आदि के जरिए व्यावसायिकों और शिक्षाविदों को प्रसारित करना, पुरस्कार प्रतियोगिताएं आयोजित करना, इस्पात उपयोग के नए और बेहतर तरीकों की खोज तथा नवीकरण करना और ज्ञान पर आधारित विशेषीकृत सेवाएं उपलबध कराना जारी रखा है।

- इंसडैग को इस्पात से संबंधित राष्ट्रीय कोड्स के संशोधन और निर्माण सामग्रियों एवं कार्य प्रविधियों के उन्नयन के लिए नये कोड्स के विकास में प्रमुख भूमिका के लिए जाना जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) और भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) दोनों ने ही इंसडैग की इस महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है ।

- इंसडैग ने वर्ष के दौरान शिक्षार्थियों और इस्पात डिज़ायन के व्यवसायविदों के लिए पांच पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किये। इन पाठ्यक्रमों का संचालन आयस्ट्रक्ट–ई, इन्स्ट्रक्ट, आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से किया गया। ये पाठ्यक्रम प्रमुख रूप से स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ायन, अत्याधुनिक स्टील डिज़ायन पर आधारित थे।

- टाटा और सेल के सहयोग से, इंसडैग ने देश के विभिन्न भागों में 1230 राजमिस्त्रियों एवं स्थानीय इंजिनियरों के लिए टीएमटी बार्स युक्त अच्छी निर्माण पद्धतियों पर आधारित 30 बार वेंडर्स प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कामगारों को समुचित गुणवत्ता के टीएमटी बार्स का चयन करने, अच्छे निर्माण और निर्माण स्थल पर सुरक्षा प्रविधियों, इत्यादि की जानकारी देना है । ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात का ज्ञान प्रसारित करने की यह एक अनोखी पहल है ।

- इंसडैग ने अब तक उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) के तहत सात 21 दिवसीय क्लासरूम एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (आवासीय) पूर्ण कर लिए हैं ।

- इंसडैग ने सिविल, यांत्रिकी और धातुकर्म इंजीनियरी शिक्षार्थियों के लिए इस्पात के उपयोगों पर आधारित संयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल्स विकसित किया है।

- इंसडैग ने टाटा स्टील के साथ मिल कर दो सिंगल यूज़ स्टील इन्टेंसिव टॉयलेट्स (ग्रामीण एवं शहरी किस्म) विकसित किये हैं।

- एमएसएमई विभाग, पष्चिम बंगाल सरकार ने इंसडैग को "संभाव्यता अध्ययन" का जिम्मा सौंपा है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल के पांच जिलों (पूर्वी मेदनीपुर, पश्चिमी मेदनीपुर, माल्दा, दार्जीलिंग और कूचबिहार) में उन जगहों का पता लगाया जायेगा जहां क्लस्टर विकास गतिविधियां चलाई जा सकती हैं । इंसडैग ने करीब 30 जगहों को चिन्हित किया है जहां क्लस्टर विकास संभव हैं।

अध्याय–XIX

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

19.1 प्रस्तावना

प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और देश का सुशासन करने के ध्येय से, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को 15 जून, 2005 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और देश में सुशासन की व्यवस्था करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुरक्षित करना भी है ताकि हर नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त कर सके। फलस्वरूप, ऐसी सूचना की जानकारी देना सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों का दायित्व हो गया है ।

19.2 इस्पात मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन और इसकी निगरानी के लिए अवर सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत किया गया है। इस्पात मंत्रालय के अवर सचिव/सहायक निदेशक (राजभाषा)/सहायक औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष स्तर, के अधिकारी को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पदनामित किया गया है और इस्पात मंत्रालय के निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक (राजभाषा)/उप औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दो सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) का मनोनयन भी किया गया है। मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/कंपनियों और अन्य संगठनों में सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रगति/क्रियान्वयन पर भी नज़र रखता है। 17 मदों के मैनुअल, अपीलीय प्राधिकारी/केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों, सहायक सूचना अधिकारियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने भी 17 मदों के मैनुअल अपने संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी हैं और संबंधित जन सूचना अधिकारियों/सहायकजन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी नामित कर दिये हैं। ऑन लाइन फाईलिंग के लिए वेबपोर्टेल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा शुरू किया गया है तथा इस्पात मंत्रालय 25.06.2013 से ऑनलाईन वेबपोर्टेल का एक भाग है। वर्ष 2015–16 (31 दिसंबर, 2015 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय को भौतिक रूप सें 141 आरटीआई आवेदन तथा आरटीआई वेबपोर्टेल पर 703 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें नियत अवधि में विधिवत निपटा दिया गया।

19.3 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने इस अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निपटान करने के लिए अपने प्रत्येक संयंत्र और इकाई में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 19 (1) के तहत जन सूचना अधिकारियों/सहायक सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों एवं पारदर्शिता अधिकारी की नियुक्ति की है। सेल के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है ।

सेल के लिए एक अनन्य आरटीआई पोर्टल तैयार करके सेल की वेबसाइट पर इसका लिंक उपलब्ध कर दिया गया है। सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों ने 17 मैनुअल, इस अधिनियम के तहत प्राधिकारियों का विवरण सेल की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध कराया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की तिमाही विवरणियां, वार्षिक विवरणियां सीआईसी पोर्टल के जरिये ऑनलाइन भेजा जा रहा है । सेल में ऑनलाइन आवेदन कार्यान्वित करने की शुरुआत 1 मई, 2015 से हुई है ।

01.04.15 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान कम्पनी में कुल 2998 आवेदन और 563 अपील आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुईं और सभी का निपटारा आरटीआई अधिनियम के अनुसार नियत समय–सीमा में किया गया। सीआईसी ने 05 मामलों को लिया और सीआईसी द्वारा इन सबका भी निपटारा सेल के पक्ष में किया गया ।

19.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरटीआई के 17 मैनुअलों में उपलब्ध सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) की अपेक्षा के अनुरूप कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की तिमाही विवरणियां, वार्षिक विवरणियां नियमित रूप से सीआईसी पोर्टल पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

आरआईएनएल को 1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 457 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से 280 अनुरोध आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराकर निपटाया गया और 31 दिसंबर, 2015 की स्थिति अनुसार 177 मामले लंबित हैं।

19.5 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) के तहत सूचना को अपनी वेबसाइट www.nmdc.co.in पर प्रकाशित किया है। सूचना मांगे गए प्रारूप में अधिकतम सीमा तक और आवश्यक होने पर स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध कराई जाती है। अपैल, 2015 से दिसंबर, 2015 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

01.04.2015 को लंबित आवेदन	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2015 को लंबित आवेदन
15	584	503	96

19.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने अपने निगमित कार्यालय में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की हैं और इसकी सभी खनन इकाइयों में भी जन सूचना अधिकारियों/सहायक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस अधिनियम के तहत कार्यपालक निदेशक (तकनीकी) को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/नामित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर सभी जन सूचना अधिकारियों/सहायक सूचना अधिकारियों एवं अपीलीय प्राधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं। आरटीआई अधिनियम के अनुच्छेद 4 (1) (ख) के तहत यथा निर्धारित 17 शीर्षों के अंदर कम्पनी, इसके कर्मचारियों इत्यादि के संबंध में सूचना तैयार की गई है और उसे कम्पनी के पोर्टेल पर डाला गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक सूचना तथा विवरणियां प्रस्तुत करता है और इसे नियमित रूप से अद्यतन करता है।

01.04.2015 से 31.12.2015 की अवधि के दौरान लंबित, प्राप्त आवेदन, उनके निपटान का विवरण निम्नवत है:

01.04.2015 को लंबित आवेदन	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2015 को लंबित आवेदन
शून्य	31	31	शून्य

19.7 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने मुख्यालय में एक अपीलीय अधिकारी, एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और एक नोडल अधिकारी नामित किया है । कंपनी के विभिन्न स्थानों पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त आवेदनों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र/शाखा में जन सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी हैं । आरटीआई आवेदनों का निपटारा करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया गया है । सभी तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल की जाती हैं।

अप्रैल–दिसंबर, 2015 के दौरान कुल 74 आवेदन/अनुरोध प्राप्त हुए और उनमें से 60 आवेदनों/अनुरोधों का निपटान कर दिया गया और शेष 14 की निपटान प्रक्रिया चल रही है । ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा 14.09.2015 से शुरू कर दी गयी है और इसके लिए प्रत्येक जन सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी और केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, एफएए, नोडल अधिकारी को लॉगिन आईडी दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा https://rtionline.gov.in नामक आरटीआई वेब पोर्टेल दिया गया है ।

19.8 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल ने एक जन सूचना अधिकारी और एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति कारपोरेट कार्यालय में तथा अपनी सभी 8 यूनिटों में एक–एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की है। प्रबंध निदेशक, एफएसएनएल आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है। कम्पनी ने अधिनियम के अनुच्छेद 4 (1) (ख) के तहत यथापेक्षित 17 विभिन्न टेम्पलेटो/संहिताओं/स्वैच्छिक/स्व प्रेरणा प्रकटन के लिए संहिताओं के तहत अधिनियम का अनुपालन किया है तथा उसे कम्पनी की वेबसाइट "fsnl.nic.in" पर डाला है एवं इस प्रकार प्रकाशित सूचना को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। तिमाही रिपोर्टों को सीआईसी को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

1 अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या 30 थी। इनमें से, 26 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।

19.9 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने एक केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, और 16 सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित किया हैं। कंपनी के लिए इस अधिनियम के तहत एचएससीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पहले अपीलीय प्राधिकारी हैं।

1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर, 2015 की अवधि में प्राप्त आवेदनों और निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न हैं:

- प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या : 46
- सीपीआईओ द्वारा निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या : 42
- प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या : 3
- अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटाई गई प्रथम अपीलों की कुल संख्या : 2

19.10 मेकॉन लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम, 2005 के सभी संगत मैनुअलों को 19 सितंबर, 2005 से मेकॉन की वेबसाइट www.meconlimited.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय में नियुक्त किया गया है और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) को विभिन्न क्षेत्रीय और स्थल कार्यालयों में नामित किया गया है। जनता की ओर से मेकॉन को मिलने वाले ऐसे आवेदनों को ये नामित अधिकारी निपटाते हैं और नियत अवधि में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा इसका जवाब दिया जाता है। संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक) को मेकॉन में पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, वर्ष 2015–16 (दिसंबर 2015 तक) के दौरान प्राप्त आवेदन एवं उनके निपटारे की स्थिति निम्नवत है:

01.04.2015 को लंबित आवेदन	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2015 को लंबित आवेदन
04	49	50	03

19.11 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने निगमित कार्यालय में जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है और अपने सभी संयंत्रों/अन्य इकाइयों में भी जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है । अधिनियम के तहत शीर्ष स्तरीय कार्यपालकों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/पदनामित किया गया है। सभी जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी के नाम केआईओसीएल की वेबसाइट www.kioclltd.com पर दिये गये हैं। अधिनियम के अनुच्छेद (4) के उप–अनुच्छेद (1) की धारा (ख) में निर्धारित मैनुअल तैयार करने के दायित्व का अनुपालन कर लिया गया है और उसे केआईओसीएल के पोर्टल पर डाल दिया गया है तथा उसकी नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है तथा उसे अद्यतन किया जाता है।

01.04.2015 को लंबित आवेदन	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2015 से 31.12.2015 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2015 को लंबित आवेदन
शून्य	18	17	01

19.12 ईआईएल, बीएसएलसी और ओएमडीसी

ये कम्पनियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन कर रही हैं। आरटीआई आवेदनों की प्राप्ति एवं उत्तर देने के लिए एक जन सूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी को नामित किया गया है।

अध्याय–XX

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

20.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय को इस उद्देश्य हेतु अपना 10 प्रतिशत बजटीय आवंटन निर्दिष्ट करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

20.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

गुवाहाटी, असम में इस्पात प्रसंस्करण इकाई (एसपीयू) की स्थापना का प्रस्ताव सेल बोर्ड ने अप्रैल 2008 में सिद्धान्त रूप में मंजूर किया था। प्रस्तावित सुविधाओं तथा उत्पाद–मिश्र में 80,000 टन प्रति वर्ष टीएमटी बार मिल की परिकल्पना की गई है। गुवाहाटी आईआईटी के पास उत्तरी गुवाहटी में तिलिनगांव में इस परियोजना के लिए सेल को 7.97 करोड़ रुपये की लागत पर 31 एकड़ जमीन आबंटित कर दी गई है।

भूमि सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। कंटीली तार युक्त चारदीवारी, सुरक्षा कक्ष एवं प्रवेश द्वार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य सरकार से मांगी गई रियायतें तथा हितलाभ अभी भी प्रतीक्षित हैं।

इसी बीच अक्तूबर 2015 में सेल द्वारा किए गए एक नए अध्ययन ने दर्शाया है कि गुवाहाटी में एसपीयू रूट के जरिए टीएमटी के रूपान्तरण व्यवस्था वाणिज्यिक दृष्टि से एक व्यवहार्य प्रस्ताव हो सकता है। तद्नुसार, गुवाहाटी में एसपीयू की स्थापना के लिए शर्तों एवं निबंधनों सहित मॉडिलिटिज का पता लगाया जा रहा है।

20.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल क्षेत्र के विभिन्न ग्राहकों की मांग की पूर्ति सीधे कोलकाता स्थित अपने शाखा बिक्री कार्यालय (बीएसओ) और गुवाहाटी तथा अगरतला में नियुक्त कंसाइन्मेंट बिक्री एजेन्टों (सीएसए) के मार्फत करता है। बीएसओ–कोलकाता ने पूर्वोत्तर राज्यों में 25 ग्रामीण डीलर निम्नवत नियुक्त किए हैं:

राज्य	असम	मेघालय	त्रिपुरा	सिक्किम	मणिपुर	मिजोरम	अरुणाचल प्रदेश
डीलर्स	7	4	3	1	2	4	4

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विक्रय को बढ़ावा देने के लिए, बीएसओ, कोलकाता द्वारा क्षेत्र के परियोजना उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। आरआईएनएल सीधे कोलकाता स्थित अपने स्टॉकयार्ड और खुदरा विक्रेताओं और ग्रामीण डीलरों की मार्फत भी पूर्वोत्तर में हाइड्रो–इलेक्ट्रिक, सड़क और दूसरी परियोजनाओं को इस्पात उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है।

20.4 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी का पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। परन्तु कम्पनी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे ऑयल इण्डिया लिमिटेड, ओएनजीसी, बीआरपीएल, नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि., इत्यादि एवं बैंगडुबी, हाशीमारा, जोरहाट इत्यादि क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, रक्षा इकाइयों तथा अर्द्ध–सैनिक बलों को परोक्ष रूप से स्क्रैप का विक्रय करने का काम करती है। आमतौर पर इन इकाइयों का स्क्रैप स्थानीय व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है जिससे परोक्ष रूप से यह क्षेत्र लाभान्वित होता है।

20.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पूर्वोत्तर के त्रिपुरा राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भारत सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लेने का गौरवपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है। एचएससीएल वहां पर एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने से लेकर सड़कों के निर्माण के बाद 5 वर्षों तक उनका रखरखाव भी करने की उसकी जिम्मेदारी है।

यह कार्य 250 से 1000+ के बीच की आबादी सघनता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन सड़कों के निर्माण करने तथा विद्यमान सड़कों का उन्नयन करने के लिए त्रिपुरा सरकार के लोक निर्माण विभाग के तहत चरणों में एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में एचएससीएल द्वारा शुरू किया गया है। कार्य में मृदा परीक्षण, सर्वेक्षण तथा निर्माण/उन्नयन के क्रियाकलाप शामिल हैं जिनमें सौंपने के पश्चात पांच वर्ष के लिए निर्मित सड़कों का अनुरक्षण शामिल है। एचएससीएल वर्तमान में दो जिलों – ढलाई और उत्तरी जिले में कार्यरत है। त्रिपुरा में पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं का सारांश निम्न प्रकार हैं:

कार्य का कुल मूल्य	:	935.93 करोड़ रुपये
कुल लम्बाई	:	1073 कि.मी.

पांच चरणों अर्थात् चरण IV, V, VI, VII, VIII तथा IX के तहत त्रिपुरा के दो जिलों – उत्तरी तथा ढलाई में पीएमजीएसवाई कार्य कार्यरत कार्मिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और कठोर पर्यावेक्षणाधीन चल रहा है। पहले ही 165 सम्पर्क जनता के लिए खोल दिए जा चुके हैं। कार्य के मूल्य में चरणों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।

पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के अलावा, कम्पनी ने उदयपुर, कैलाशहर तथा कुलाई में तीन 150 बिस्तर वाले जिला अस्पतालों का सफलतापूर्वक निर्माण कर उन्हें सौंप दिया है। तेलियामूरा में 100 बिस्तर वाला अस्पताल अनेक बाधाओं का सामना करने के बावजूद पूरा होने वाला है। कुलाई में ट्रॉमा देखभाल केन्द्र तथा स्टॉफ क्वार्टर एवं कैलाशहर में स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण पूर्णता के कगार पर है। पीडब्ल्यूडी के तहत फूलकुमारी में पॉलीटेक्नीक पूरा हो चुका है तथा शहरी विकास निदेशालय के तहत जल निकासी कार्य की प्रगति भी संतोषजनक है।

देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र एचएससीएल द्वारा बुनियादी सुविधाओं के विकास के प्रमुख क्षेत्रों में से एक बन गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में, निम्न प्रमुख परियोजनाएं भी एचएससीएल द्वारा कार्यान्वयन के अधीन हैं:

क्रम सं.	निर्माण कार्य
1.	मिजोरम में दो अस्पताल तथा दो ओडिटोरियम
2.	मेघालय में 40 कि.मी. वेलोई–रंगबेलांग सड़क का सुधार, उसे चौड़ा करना और उसका सुदृढ़ीकरण
3.	दीमापुर, नागालैंड में एफसीआई के गोदामों का निर्माण
4.	तेजपुर तथा ईटानगर में आईटीबीपी के बटालियन मुख्यालय का निर्माण
5.	टीआईएसएस के गुवाहाटी परिसर का निर्माण
6.	एनएलसीपीआर के तहत शिलांग, मेघालय में अंतरराष्ट्रीय मंचन कला एवं संस्कृति केंद्र का निर्माण
7.	पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) के तहत इन्डोर स्पोर्ट्स हॉल के लिए 100 ब्लॉक्स का निर्माण (80 करोड़ रुपये)
8.	राज्य खेलकूद परिषद्, मेघालय के तहत क्रमशः तुरा तथा अम्पाटी में अंतरराष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम
9.	असम में राष्ट्रीय आपदा रेस्पॉन्स बल (एनडीआरएफ) बीएन–01 के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण (40 करोड़ रुपये)
10.	लांगटलाई बाईपास रोड चरण –1 का निर्माण (10 करोड़ रुपये)

अध्याय–XXI

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इस्पात एक गतिशील क्षेत्र है और इस हेतु प्रौद्योगिकी के नियमित उन्नयन की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन देशों के साथ, जो इस्पात उत्पादन/इस्पात उत्पादन प्रोद्योगिकियों/कच्ची सामग्री की उपलब्धता के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है और उन विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग जिन्होंने नवीनतम प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं, सहयोग बहुत आवश्यक है। इन उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस्पात मंत्रालय ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों आदि में भाग लिया है अथवा मेजबानी की है, जिनका ब्यौरा निम्नवत है:

- माननीय प्रीमियर कॉलिन बार्नेट, एमएलए, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मजबूत राजनयिक संबंधों और व्यापार संबंधों के विकास के लिए तथा बेहतर प्रौद्योगिकी विशेषतयः लौह अयस्क खनन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए दिनांक 10.04.2015 को माननीय इस्पात और खान मंत्री जी से मुलाकात की।
- दिनांक 14.05.2015 को कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के विदेश मंत्री H.E. Mr. Raymond T. N'Tungamulongo के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने माननीय इस्पात और खान मंत्री के साथ बैठक की जिसमें दोनों देशों के लाभ के लिए अन्वेषण और खनन के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी के आदान–प्रदान और सहयोग पर विचार–विमर्श किया।
- कजाकस्तान रिपब्लिक के निवेश एवं विकास मंत्री H.E. Mr. Asset Issekeshev के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ने 15.06.2015 को माननीय इस्पात और खान मंत्री के साथ मुलाकात की जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक वार्तालाप के लिए कार्यसूची पर और परस्पर लाभदायक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के जरिए सहयोग पर विचार–विमर्श किया गया।
- माननीय इस्पात और खान मंत्री ने सिडनी, आस्ट्रेलिया में एशिया पैसिफिक' इंटरनेशनल माईनिंग एग्जीबिशन (एआईएमईएक्स–2015) में भाग लेने के लिए दिनांक 01.09.2015 से 04.09.2015 के बीच आस्ट्रेलिया का दौरा किया।

कजाकस्तान रिपब्लिक के निवेश एवं विकास मंत्री H.E. Mr. Asset Issekeshev का माननीय इस्पात एवं खान मंत्री स्वागत करते हुए

अनुलग्नक–I

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस्पात मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) इकाइयों, रिरोलर्स, फ्लैट उत्पादों (हॉट/कोल्ड रोलिंग इकाइयों), कोटिंग इकाइयों, वायर ड्राइंग इकाइयों और शिप ब्रेकिंग समेत स्टील स्कैप प्रसंस्करण जैसी प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ लोहा और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए आयोजना, विकास और सहायता।

2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों एवं अन्य अयस्क खानों का विकास (मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, कॉयनाइट और लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त अन्य खनिज, परन्तु इनमें खनन लीज या तत्संबंधित मामले शामिल नहीं हैं)।

3. लोहा और इस्पात एवं फेरो एलॉयज का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात एवं निर्यात।

4. निम्न उपक्रमों की सहायक कंपनियों समेत उनसे संबंधित मामले, नामतः

   (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);

   (ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);

   (iii) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (केआईओसीएल);

   (iv) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड);

   (v) नेशनल मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन लि. (एनएमडीसी);

   (vi) मैटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि. (मेकॉन);

   (vii) स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (एसआईआईएल);

   (viii) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल);

   (ix) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. (बीआरएल);

   (x) मेटल स्क्रैप ट्रेंड कारपोरेशन (एमएसटीसी);

   (xi) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड; तथा

   (xii) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज।

अनुलग्नक – II

इस्पात मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण

(उप सचिव स्तर तक)
(05.02.2016 के अनुसार)

इस्पात मंत्री	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
इस्पात राज्य मंत्री	श्री विष्णु देव साय
सचिव	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्रीमती भारती एस. सिहाग
संयुक्त सचिव	श्री एस. अब्बासी श्री सुनील बड़थ्वाल श्रीमती उर्विला खाती श्री टी. श्रीनिवास
आर्थिक सलाहकार	श्री सूरज भान
मुख्य लेखा नियंत्रक	श्री भूपाल नन्दा
निदेशकगण	श्री डी.बी. सिंह श्री एच.एल. मीना श्री अनुपम प्रकाश (दीर्घावधि विदेशी प्रशिक्षण पर) श्री महाबीर प्रसाद श्री के.एस. समरेन्द्र नाथ श्री मानवेन्द्र गोयल
उप सचिव	श्री एन.के. वधवा श्री सुभाष भट्टाचार्य
संयुक्त निदेशक	श्री शैलेश कुमार सिंह, सं. निदे. (रा.भा.)

अनुलग्नक – III

मुख्य एवं अन्य उत्पादकों के उत्पादन
सारांश

('000 टन)

क्र.सं.	मद / उत्पादक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रै.–दिस. 2015–16*
उत्पादन						
I.	**कच्चा इस्पात :**					
	आईएसपी					
	ऑक्सीजन रूट	30847	32999	35067	36610	28466
	ई.ए.एफ. यूनिट्स	9773	10037	9174	9473	6611
	अन्य उत्पादक					
	ऑक्सीजन रूट	379	350	455	961	687
	ई.ए.एफ. यूनिट्स (कोरेक्स एवं एमबीएफ / ईओएफ सहित)	9356	9345	9419	13652	10223
	इंडक्शन फर्नेस	23936	25685	27579	28283	21090
	कुल (कच्चा इस्पात)	**74291**	**78416**	**81694**	**88979**	**67077**
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	44.8%	44.7%	45.3%	47.1%	46.7%
II.	**कच्चा लोहा (बिक्री के लिए):**					
	आईएसपी	502	674	552	920	878
	अन्य उत्पादक	4869	6196	7398	8774	6324
	कुल (कच्चा लोहा)	**5371**	**6870**	**7950**	**9694**	**7202**
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	90.7%	90.2%	93.1%	90.5%	87.8%
III.	**स्पंज आयरन:**					
	गैस आधारित	5166	3940	2683	2354	1593
	कोयला आधारित	19805	19067	20189	21889	14656
	कुल (स्पंज आयरन)	24971	23007	22872	24243	16249
	प्रक्रिया द्वारा प्रतिशत अंश (कोयला आधारित)	79.3%	82.9%	88.3%	90.3%	90.2%
IV.	**बिक्री के लिए तैयार इस्पात**					
	(मिश्र / गैर–मिश्र):					
	आईएसपी	39934	42466	45160	46820	34422
	अन्य उत्पादक	44472	47156	50417	53862	39243
	घटाएं आईपीटी / स्वयं की खपत	8708	7940	7902	8525	5954
	कुल (तैयार इस्पात)	**75698**	**81682**	**87675**	**92157**	**67711**
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	58.7%	57.7%	57.5%	58.4%	58.0%

स्रोत: जेपीसी, *अनंतिम

अनुलग्नक – IV

कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन
(उत्पादकों द्वारा)

('000 टन)

	2011–12			2012–13			2013–14			2014–15			अप्रै.–दिसं. 2015–16*		
उत्पादक	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग
सार्वजनिक क्षेत्र															
बीएसपी	3925	4901	125%	3925	5008	128%	3925	5136	131%	3925	4807	122%	3925	3709	126%
डीएसपी	1802	1914	106%	1802	2034	113%	1802	2019	112%	1802	2063	114%	1802	1455	108%
आरएसपी	1900	2170	114%	1900	2209	116%	1900	2291	121%	4400	2792	63%	4400	2042	62%
बीएसएल	4360	3647	84%	4360	3757	86%	4360	3776	87%	4360	3831	88%	4360	2579	79%
आईएसपी	500	330	66%	500	135	27%	500	127	25%	2500	141	6%	2500	615	33%
एएसपी	234	200	85%	234	131	56%	234	122	52%	234	104	44%	234	68	39%
एसएसपी	180	96	53%	180	73	41%	180	91	51%	180	125	69%	180	101	75%
वीआईएसएल	118	91	77%	118	64	54%	118	13	11%	118	46	39%	118	34	38%
कुल (सेल)	13019	13349	103%	13019	13411	103%	13019	13575	104%	17519	13909	79%	17519	10603	81%
आरआईएनएल	2910	3128	107%	2910	3071	106%	2910	3202	110%	2910	3296	113%	6300	2741	58%
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र)	15929	16477	103%	15929	16482	103%	15929	16777	105%	20429	17205	84%	23819	13344	75%
निजी क्षेत्र															
टाटा स्टील लि.	6800	7128	105%	9600	8130	85%	9600	9155	95%	9600	9331	97%	9600	7399	103%
एस्सआर स्टील लि.	8540	4348	51%	8540	4163	49%	8540	3245	38%	8540	2854	33%	8540	2454	38%
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	14600	9908	68%	14600	11230	77%	14600	12227	84%	14600	13136	90%	16600	9402	76%
जेएसपीएल	2400	2759	115%	2400	3031	126%	2400	2836	118%	4000	3557	89%	4000	2478	83%
अन्य ईएएफ इकाइयां/ कॉरेक्स–बीओएफ/ एमबीएफ–इओएफ	11580	9735	84%	12010	9695	81%	14697	9874	67%	15888	14613	92%	17388	10910	84%
इंडक्शन फर्नेस यूनिट	31017	23936	77%	33945	25685	76%	36494	27579	76%	36794	28283	77%	36794	21090	76%
कुल (निजी क्षेत्र)	74937	57814	77%	81095	61934	76%	86331	64916	75%	89422	71774	80%	92922	53733	77%
कुल योग	90866	74291	82%	97024	78416	81%	102260	81693	80%	109851	88979	81%	116741	67077	77%

स्रोतः जेपीसी, *अनंतिम; *यथाअनुपात, वार्षिक क्षमता आंकड़ों के आधार पर

अनुलग्नक – V

कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन (मार्ग द्वारा)

('000 टन)

श्रेणी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रै.दिस. 2015–16*
ऑक्सीजन मार्ग					
बीएसपी	4901	5008	5136	4807	3709
डीएसपी	1914	2034	2019	2063	1455
आरएसपी	2170	2209	2291	2792	2042
बीएसएल	3647	3757	3776	3831	2579
आईएसपी	330	135	127	141	615
एसएसपी	96	73	91	125	101
वीआईएसएल	91	64	13	46	34
आरआईएनएल	3128	3071	3202	3296	2741
टीएसएल	7128	8130	9155	9331	7399
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	7442	8518	9257	10178	7791
अन्य ऑक्सीजन मार्ग	379	350	455	961	687
कुल ऑक्सीजन मार्ग	**31226**	**33349**	**35522**	**37571**	**29153**
इलेक्ट्रिक मार्ग					
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस					
एएसपी	200	131	122	104	68
एस्सार स्टील लि.	4348	4163	3245	2854	2454
जेएसडब्ल्यू इस्पात लि./जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	2466	2711	2971	2958	1611
जिंदल स्टील एंड पावर लि.	2759	3032	2836	3557	2478
लॉयड्स स्टील लि.	620	601	566	658	584
जिंदल स्टेनलेस लि.	752	1107	1111	1907	1431
भूषण स्टील लि.	.	.	1084	2180	1692
भूषण पावर एंड स्टील लि.	.	.	1714	1213	1403
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	7984	7637	4944	7694	5113
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसः	**19129**	**19382**	**18593**	**23125**	**16834**
इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेसः	**23936**	**25685**	**27579**	**28283**	**21090**
कुल इलेक्ट्रिक मार्गः	**43065**	**45067**	**46172**	**51408**	**37924**
कुल योगः	**74291**	**78416**	**81694**	**88979**	**67077**

स्रोतः जेपीसी, *अनंतिम

अनुलग्नक – VI

तप्त धातु का उत्पादन

('000 टन)

	संयंत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रै.दिस. 2015–16*
क.	**सार्वजनिक क्षेत्र**					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	5126	5202	5377	5072	3944
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	2099	2241	2191	2297	1600
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	2309	2366	2538	3157	2304
	बोकारो इस्पात संयंत्र	4012	4124	4100	4253	2825
	इस्को इस्पात संयंत्र	451	231	220	566	1037
	विश्वैश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	118	94	21	68	49
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	3778	3814	3769	3780	2991
	उप योग (क):	**17893**	**18072**	**18216**	**19193**	**14750**
ख.	**निजी क्षेत्र**					
	टाटा स्टील लिमिटेड	7746	8858	9898	10164	2991
	मिनी ब्लास्ट फर्नेस	19061	21764	24342	27055	24869
	उप योग (ख):	**26807**	**30622**	**34240**	**37219**	**27860**
	कुल (क+ख):	**44700**	**48694**	**52456**	**56412**	**42610**
	निजी क्षेत्र का % अंश	**60.0%**	**62.9%**	**65.3%**	**66.0%**	**65.4%**

स्रोतः जेपीसी, *अनंतिम

अनुलग्नक – VII

कच्चे लोहे का उत्पादन (विक्रय के लिए)

('000 टन)

	संयंत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रै.दिस. 2015–16*
क.	**सार्वजनिक क्षेत्र**					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	7	14	0	3	0
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	7	3	38	54	35
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	9	0	87	143	111
	बोकारो इस्पात संयंत्र	26	84	40	105	34
	इस्को इस्पात संयंत्र	49	65	55	364	290
	विश्वैश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	9	15	5	12	6
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	395	493	327	239	87
	उप योग (क):	**502**	**674**	**552**	**920**	**563**
ख.	**निजी क्षेत्र**					
	अन्य ब्लास्ट फर्नेस/कोरेक्स इकाई	4869	6196	7398	8774	6639
	उप योग (ख):	**4869**	**6196**	**7398**	**8774**	**6639**
	कुल (क+ख):	**5371**	**6870**	**7950**	**9694**	**7202**
	निजी क्षेत्र का % अंश	**90.7%**	**90.2%**	**93.1%**	**90.5%**	**92.2%**

स्रोत: जेपीसी, *अनंतिम

अनुलग्नक – VIII

तैयार इस्पात का विक्रेय के लिए उत्पादन (गैर–मिश्र एवं मिश्र इस्पात)

('000 टन)

	संयंत्र	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रै.दिस. 2015–16*
क.	**सार्वजनिक क्षेत्र**					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	3279	3614	3470	3321	2416
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	621	612	620	573	371
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	2041	2111	2057	2110	1580
	बोकारो इस्पात संयंत्र	3128	3274	3330	3207	1620
	इस्को इस्पात संयंत्र	221	134	186	120	274
	अलॉय इस्पात संयंत्र	46	40	9	11	8
	सेलम इस्पात संयंत्र	298	270	375	359	297
	विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र	58	47	25	26	19
	सेल–कन्वर्जन एजेंट	.	.	556	553	608
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2831	2717	2811	2552	2033
	उप योग (क):	**12523**	**12819**	**13439**	**12832**	**9226**
ख.	**निजी क्षेत्र**					
	टाटा स्टील लि.	5456	6427	8756	8967	6993
	आईएसपी–प्रमुख	21955	23220	22965	25021	18203
	अन्य	44472	47156	50417	53862	39243
	घटाएं: खपत (प्रमुख एवं अन्य)	**8708**	**7940**	**7902**	**8525**	**5954**
	उप योग (ख):	**63175**	**68863**	**74236**	**79325**	**58485**
	बिक्री के लिए कुल उत्पादन (क+ख):	**75698**	**81682**	**87675**	**92157**	**67711**
	निजी क्षेत्र का % अंश	**83.5%**	**84.3%**	**84.7%**	**86.1%**	**86.4%**

स्रोत: जेपीसी, *अनंतिम

अनुलग्नक – IX

विक्रय हेतु तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन

('000 टन)

	2011–12				2012–13				2013–14				2014–15			
श्रेणी	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी / स्व–खपत	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी / स्व–खपत	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी / स्व–खपत	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी / स्व–खपत	कुल
1. गैर–फ्लैट उत्पाद																
बार्स एंड रॉड्स	5579	22694	172	28101	5803	23128	137	28794	7399	22686	535	29550	7023	25398	170	32251
स्ट्रक्चरल्स / विशेष सेक्शन	707	4233	1	4939	661	5271	0	5932	864	6032	0	6896	819	6688	11	7495
रेल व रेलवे सामग्री	901	9		910	881	57		938	822	65		887	760	75	0	835
कुल (गैर–फ्लैट उत्पाद)	7187	26936	173	33950	7345	28456	137	35664	9085	28783	535	37333	8602	32160	181	40581
2. फ्लैट उत्पाद																
प्लेट्स	2480	2203	17	4666	2426	1831	95	4162	2497	1481	82	3896	2603	2112	14	4700
एचआर क्वॉयल्स / स्केल्प / / स्ट्रिप्स	5433	14934	3917	16450	6678	16418	3706	19390	7686	17333	4213	20806	7567	17784	5146	20205
एचआर शीट्स	217	320		537	195	391	31	555	197	724	2	919	192	945	0	1138
सीआर क्वायल्स / शीट / स्ट्रिप्स	1658	9416	4036	7038	1584	9564	3494	7654	1721	8945	2944	7722	1933	8624	3048	7509
जीपी / जीसी शीट्स	659	5261	238	5682	710	5650	73	6287	739	6235	75	6899	738	6265	111	6892
इलेक्ट्रिक शीट	63	87		150	72	83		155	69	57		126	69	71	0	140
टिन प्लेट्स	12	241		253	8	293		301	7	337		344	0	354	0	354
टीएमबीपी	0	4		4	0	5		5	0	3		3	0	0	0	0
टिन फ्री इस्पात	0	15		15	0	16		16	0	12		12	0	0	0	0
पाइपें (बड़ा व्यास)	77	1877		1954	75	1931		2006	63	1915		1978	56	2038	0	2094
कुल (फ्लैट उत्पाद)	10599	34358	8208	36749	11748	36182	7399	40531	12979	37042	7316	42705	13158	38191	8318	43031
कुल (तैयार गैर–मिश्र)	17786	61294	8381	70699	19093	64638	7536	76195	22064	65825	7851	80038	21760	70352	8500	83613
कुल तैयार इस्पात (मिश्र / स्टेनलेस)	193	5132	326	4999	151	5738	404	5485	132	7557	52	7637	39	8530	25	8544
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	17979	66426	8707	75698	19244	70376	7940	81680	22196	73382	7903	87675	21799	78882	8525	92157

अनुलग्नक – IX (जारी)

विक्रय हेतु तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन

('000 टन)

अप्रैल–दिसंबर : 2015–16*				
श्रेणी	**मुख्य उत्पाद**	**अन्य उत्पाद**	**आईपीटी / स्व–खपत**	**कुल**
1. गैर–फ्लैट उत्पाद				
बार्स एवं रॉड्स	7992	16919	108	24803
स्ट्रक्चरल्स / विशेष सेक्शन	1168	4547	0	5715
रेल व रेलवे सामग्री	619	2	0	621
कुल (गैर–फ्लैट उत्पाद)	9779	21468	108	31139
2. फ्लैट उत्पाद				
प्लेट्स	2692	306	55	2943
एचआर क्वॉयल्स / स्केल्प / स्ट्रिप्स	14552	2965	3879	13638
एचआर शीट्स	1184	34	0	1218
सीआर क्वॉयल्स / शीट्स / स्ट्रिप्स	3444	3666	1894	5216
जीपी / जीसी शीट्स	2130	2772	0	4902
इलेक्ट्रिक शीट	50	42	0	92
टिन प्लेट्स	0	237	0	237
टीएमबीपी	0	0	0	0
टिन फ्री इस्पात	0	0	0	0
पाइपें (बड़ा व्यास)	191	1377	0	1568
कुल (फ्लैट उत्पाद)	24243	11399	5828	29814
कुल (तैयार गैर–मिश्र)	34022	32867	5936	60953
कुल तैयार इस्पात (मिश्र / स्टेनलेस)	401	6376	18	6759
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	34423	39243	5954	67712

स्रोतः जेपीसी, *अनंतिम

अनुलग्नक – X

श्रेणीवार लौह और इस्पात का आयात

('000 टन)

क्र.सं.	श्रेणी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रै.–दिसं. 2015–16*
I	**अर्द्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)**					
	अर्द्ध–तैयार	514.4	517.5	43.2	331.3	287.75
	रि–रोलेबल स्क्रैप	213.1	243.9	208.1	329.2	331.61
		727.5	761.4	251.3	660.6	619.4
II	**तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)**					
	बार्स एंड रॉड्स	425.1	514.5	294.3	854.3	509.29
	स्ट्रक्चरल्स	63.1	90.9	43.0	52.9	18.49
	रेलवे सामग्री	12.1	18.8	4.4	15.5	8.84
	प्लेट्स	661.2	861.6	409.9	731.7	739.08
	एचआर शीट्स	53.6	122.5	102.1	78.6	29.84
	एचआर क्वॉयल्स/स्केल्प/स्ट्रिप्स	1812.9	1871.6	1104.3	2006.3	2608.21
	सीआर क्वॉयल्स/शीट्स	1456.6	1568.6	1278.9	1713.5	1505.74
	जीपी/जीसी शीट्स	368.0	432.7	368.1	444.1	402.94
	इलेक्ट्रिक शीट्स	275.7	386.7	346.5	417.9	244.58
	टीएमबीपी	1.3	0.9	0.8	1.4	2.83
	टिप प्लेट्स	119.7	142.7	160.5	197.1	117.5
	टिन प्लेट्स डब्ल्यू/डब्ल्यू	30.3	41.1	27.9	20.6	9.98
	टिन फ्री स्टील	50.3	66.3	56.5	87.3	65.87
	पाइप्स	107.8	134.4	101.4	132.4	75.21
	कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	**5437.7**	**6253.1**	**4298.6**	**6753.5**	**6338.4**
	कुल इस्पात (गैर–मिश्र)	**6165.2**	**7014.5**	**4549.9**	**7414.1**	**6957.8**
	मिश्र/स्टेनलैस इस्पात					
	गैर–फ्लैट मिश्र	259.5	352.5	236.6	821.8	762.5
	फ्लैट मिश्र	1165.1	1319.1	914.6	1744.9	1286.94
	अर्द्ध–तैयार मिश्र	15.0	31.1	7.1	35.8	32.16
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र)	1424.6	1671.6	1151.2	2566.8	2049.44
	कुल इस्पात (मिश्र)	1439.6	1702.8	1158.3	2602.5	2081.6
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर–मिश्र)	**6862.3**	**7924.7**	**5449.8**	**9320.3**	**8387.84**
	कुल इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	**7604.8**	**8717.2**	**5708.2**	**10016.6**	**9039.4**
III	**अन्य इस्पात मदें**					
	फिटिंग्स	544.7	340.0	298.0	419.4	299.66
	विविध इस्पात मदें	1789.3	2293.7	3402.9	2327.3	2054.35
	स्टील स्क्रैप	5719.8	7772.7	4926.7	5784.3	4693.31
IV	**लोहा**					
	कच्चा लोहा	8.3	20.6	34.2	23.4	18.17
	स्पंज लोहा	0.1	0.2	7.3	20.1	0.2
	एच.बी. लोहा	302.6	0.1	0.0	0.0	0.78
V	**फेरो–अलॉयज**	**142.4**	**179.6**	**140.5**	**242.2**	**169.34**
	कुल योगः	**16111.9**	**19324.2**	**14517.8**	**18833.3**	**16275.2**

स्रोतः जेपीसी, *अनंतिम

अनुलग्नक – XI

श्रेणीवार निर्यात

('000 टन)

श्रेणी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	अप्रै.–दिसं. 2015–16*
अर्द्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	198.2	142.7	484.2	637.69	375.1
तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)					
गैर–फ्लैट					
बार्स एवं रॉड्स	225.1	413.1	585.1	392.37	251.2
स्ट्रक्चरल्स	44.5	60.6	64.7	83.08	56.2
रेलवे सामग्री	41.8	2.7	1.2	2.76	1.7
कुल (गैर–फ्लैट)	**311.4**	**476.4**	**651.0**	**478.21**	**309.04**
फ्लैट					
प्लेट्स	374.0	246.3	154.9	559.34	229.0
एचआर क्वॉयल्स/शीट्स	1277.3	1878.3	2130.2	1374.65	338.1
सीआर शीट्स/क्वॉयल्स	295.3	411.9	560.6	584.69	451.2
जीपी/जीसी शीट्स	1443.1	1543.8	1821.7	1629.31	984.8
इलेक्ट्रिक शीट्स	1.2	7.0	9.9	9.87	15.1
टिन प्लेटें	28.6	54.6	70.1	46.93	40.9
टिन मुक्त इस्पात	2.1	1.2	0.5	0.27	0.4
पाइप्स	470.8	136.7	109.3	223.07	109.5
कुल फ्लैट	**3892.4**	**4279.7**	**4857.4**	**4428.13**	**2169.06**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	**4203.9**	**4756.1**	**5508.35**	**4906.34**	**2478.10**
कुल इस्पात (गैर–मिश्र)	**4402.0**	**4898.8**	**5992.6**	**5544.03**	**2853.24**
गैर–फ्लैट मिश्र	**237.2**	**215.8**	**227.9**	**336.14**	**117.7**
फ्लैट मिश्र	**146.6**	**396.2**	**249.1**	**353.26**	**314.7**
कुल तैयार इस्पात (मिश्र)	**383.8**	**612.0**	**477.0**	**689.40**	**432.38**
अर्ध–तैयार (मिश्र)	3.3	1.5	2.0	1.92	2.4
कुल इस्पात (मिश्र)	**387.2**	**613.5**	**479.0**	**691.32**	**434.80**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	**4587.7**	**5368.1**	**5985.3**	**5595.74**	**2910.48**
कुल इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	**4789.2**	**5512.3**	**6471.6**	**6235.35**	**3288.04**
कच्चा लोहा	490.9	414.1	943.1	539.96	216.1
स्पंज आयरन	53.7	58.1	74.0	97.97	75.7

स्रोतः जेपीसी, *अनंतिम

अनुलग्नक – XII

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसलों/आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति

अप्रैल–दिसंबर, 2015 की अवधि के दौरान इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कोई भी फैसला/आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन के लिए लंबित नहीं है।

अनुलग्नक – XIII

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का तुलनात्मक पीबीटी (कर पूर्व लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16* (अप्रै.–दिसं.)
1	सेल	5150.87	3240.66	3225.00	2358.91	(–)4857.81
2	आरआईएनएल	1110.01	526.47	549.15	103.35	(–)1089.58
3	एनएमडीसी	10759.47	9465.12	9759.20	9767.84	3824.82
4	मॉयल	606.63	636.78	769.33	650.57	225.24
5	एमएसटीसी	176.15	193.40	(–)107.37	131.47	36.99
6	एफएसएनएल	2.03	2.53	12.43	25.36	13.41
7	ओएमडीसी	8.28	26.25	16.74	25.84	19.95
8	ईआईएल	2.22	1.96	0.24	(–)12.62	1.77
9	मेकॉन	201.54	150.73	68.69	33.01	(–)144.13
10	केआईओसीएल	115.39	32.34	61.40	31.26	(–)139.47
11	एचएससीएल	(–)28.08	(–)19.81	(–)18.67	(–)8.10	(–)12.53
12	बीएसएलसी	(–)6.86	(–)18.14	(–)18.77	(–)27.27	(–)8.66
	कुल	**18097.65**	**14238.29**	**14317.37**	**13079.62**	**(–)2130.00**

*अनंतिम

अनुलग्नक – XIII (क)

इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का तुलनात्मक पीएटी (कर पश्चात लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / कंपनी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16* (अप्रै.–दिसं.)
1	सेल	3542.72	2170.35	2616.48	2092.68	(–)2906.33
2	आरआईएनएल	751.46	352.83	366.45	62.38	(–)1017.75
3	एनएमडीसी	7265.39	6342.37	6420.08	6421.86	2475.40
4	मॉयल	410.77	431.72	509.56	428.01	147.29
5	एमएसटीसी	118.39	130.73	(–)70.03	90.99	24.19
6	एफएसएनएल	1.37	1.96	8.42	17.10	8.85
7	ओएमडीसी	3.44	12.86	6.26	17.70	11.42
8	ईआईएल	1.69	1.47	0.09	(–)12.72	1.72
9	मेकॉन	136.37	101.03	49.48	20.27	(–)144.13
10	केआईओसीएल	94.30	31.05	39.93	30.82	(–)139.47
11	एचएससीएल	(–)28.08	(–)19.81	(–)18.67	(–)8.10	(–)12.53
12	बीएसएलसी	(–)6.86	(–)18.14	(–)18.77	(–)27.27	(–)8.66
	कुल	**12290.96**	**9538.42**	**9909.28**	**9133.72**	**(–)1560.00**

*अनंतिम

अनुलग्नक – XIV

केन्द्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16* (अप्रै.–दिसं.)
1	सेल	8072.72	8599.06	8187.82	7667.00	4128.00
2	आरआईएनएल	1635.73	1775.24	1643.11	1428.96	890.15
3	एनएमडीसी	5669.62	6588.00	8952.00	6681.00	1885.00
4	मॉयल	223.86	236.74	291.75	230.29	84.70
5	एमएसटीसी	97.50	83.22	81.41	84.70	52.47
6	एफएसएनएल	27.61	36.69	40.83	41.11	39.42
8	मेकॉन	110.23	151.08	92.96	87.47	46.73
9	केआईओसीएल	155.72	209.95	261.05	110.79	18.13
10	एचएससीएल	0.39	0.32	44.87	44.75	39.08
11	बीजीसी	6.71	2.58	10.28	5.85	8.12
	कुल	**16000.09**	**17682.88**	**19606.08**	**16381.92**	**7191.80**

*अनंतिम

अनुलग्नक – XIV (क)

राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16* (अप्रै.–दिसं.)
1	सेल	2935.00	3524.25	3372.54	3443.00	2128.00
2	आरआईएनएल	593.16	598.85	606.62	514.91	373.01
3	एनएमडीसी	1234.83	901.00	932.00	1262.00	760.00
4	मॉयल	70.53	77.27	83.24	69.41	36.82
5	एमएसटीसी	30.70	28.28	45.86	68.63	52.50
6	एफएसएनएल	0.36	0.35	0.73	1.40	0.72
7	मेकॉन	6.05	3.04	0.94	1.62	1.44
8	केआईओसीएल	31.22	29.66	30.44	6.13	1.47
9	एचएससीएल	1.93	2.21	26.67	38.87	17.51
10	बीजीसी	6.25	4.38	4.38	7.22	7.72
	कुल	**4910.03**	**5169.29**	**5103.42**	**5413.19**	**3379.19**

*अनंतिम

अनुलग्नक – XV

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों द्वारा सीएसआर संबंधी बजटीय व्यवस्था और व्यय

(रु. लाख में)

सार्वजनिक	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16	
क्षेत्र के उपक्रम	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय (अप्रै.–दिस)*
सेल	6400.00	6125.00	4200.00	5329.00	4000.00	6206.00	7800.00	3504.00	9896.00	4241.00
आरआईएनएल	1200.00	1062.22	750.00	1600.00	750.00	2031.00	1423.00	1404.00	1137.00	677.00
एनएमडीसी	8013.00	8671.00	14530.00	10110.00	17105.00	13142.00	25018.69	18865.00	29820.00	6865.00
मॉयल	628.00	655.91	680.00	1056.00	863.00	1036.34	1419.00	1357.57	1375.00	538.00
केआईओसीएल	230.00	119.00	283.00	79.00	93.00	227.00	110.00	101.00	96.50^	15.72
एमएसटीसी	150.00	166.00	355.00	193.28	260.00	483.00	120.00	120.00	150.00	94.74
एफएसएनएल	9.00	9.06	9.00	9.00	4.00	4.50	25.27	22.10	29.97	0.00
मेकॉन	325.00	220.51	497.49	235.33	460.46	272.33	468.23	144.45	491.51	140.00
एचएससीएल	0.00	7.51	0.00	24.02#	0.00	0.00	0.00	10.21	0.00	0.00
बीजीसी / ओएमडीसी / ईआईएल	38.00	26.00	17.00	48.00	64.00	92.27	99.60	33.50	73.00	42.57
कुल	**16993.00**	**17062.21**	**21321.49**	**18683.63**	**23599.46**	**23494.44**	**36483.79**	**25561.83**	**43068.98**	**12614.03**

* अनंतिम

विगत वर्ष से अग्रेषित निधि में से व्यय किया।

^ विगत वर्ष से अव्ययित राशि 9.00 लाख अग्रेषित किया गया।

अनुलग्नक – XVI

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार, 'नागरिक केन्द्रित सात सूत्रीय मॉडल–सेवोत्तम' का अंगीकरण

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट ''नागरिक केन्द्रित प्रशासन–शासन की आत्मा'' के पैरा 4.6.2 में नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी एवं अनिवार्य बनाते हुए, संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए सिफारिश की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत (ए आर एंड पी जी) विभाग ने जन सेवा प्रदान करने (सेवोत्तम) में बेंचमार्किंग उत्कृष्टता के लिए एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल नागरिकों को दी जा रही सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने एवं सुधारने के लिए संगठनों को एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से बिजनेस प्रक्रिया को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए अभिनव प्रणालियों का उपयोग करते हुए नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की पहचान, सेवा की गुणवत्ता, उसका उद्देश्य, गुणवत्ता में सुधार शामिल है।

इस्पात मंत्रालय ने अपना 'नागरिक चार्टर' निकाला है और इसे पणधारकों की बदलती जरूरतों एव अपेक्षाओं के अनुरूप समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। इस चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.nic.in पर डाला गया है। मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं कंपनियों में संबंधित चार्टर एवं सात सूत्रीय मॉडल का कार्यान्वयन विभिन्न अवस्थाओं में है। विभिन्न कंपनियों में इस संबंध में प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

नागरिक चार्टर (जन सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता) तैयार कर लिया गया है और इसके रूपांतर 1.2 को सेल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसमें मोटे तौर पर तीन भागों में सूचना दी गई है। पहले भाग में चार्टर का दायरा एवं कंपनी के बारे में सामान्य सूचना दी गई है। दूसरे भाग में चार्टर का उद्देश्य, नागरिकों के प्रति प्रबंधन की वचनबद्धता, एवं नागरिकों से प्रत्याशाओं के बारे में सूचना दी गई है। तीसरे भाग में नागरिकों को सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया, निगरानी एवं चार्टर की समीक्षा के जरिये चार्टर में सुधार का वर्णन मिलता है।

मॉयल लिमिटेड

(i) मॉयल में ''सेवोत्तम'' के रूप में नागरिक चार्टर तैयार किया गया है। मॉयल ने इस चार्टर के कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और कंपनी के विभागाध्यक्षों एवं खानों में भी वितरित किया गया है। कम्पनी ने संगठन के ऐसे प्रमुख स्थलों जहां नागरिकों का आना–जाना होता है, पर भी नागरिक चार्टर की प्रति प्रदर्शित की हैं।

(ii) कम्पनी ने परिचर्चा करने, जागरूकता पैदा करने एवं नागरिक चार्टर के समुचित कार्यान्वयन के लिए कंपनी के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन किया है।

केआईओसीएल लिमिटेड

सेवोत्तम शिकायत नागरिक चार्टर की प्रगति कंपनी की वेबसाइट http://kioclltd.co.in पर दी गई है। कंपनी ने जन शिकायत दायर करने, उसके समाधान के लिए अपनी वेबसाइट में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के केन्द्रीय जन शिकायत विस्तारण मैकेनिजम के पोर्टल के लिए एक लिंकेज प्रदान किया है।

ईआईएल, बीएसएलसी एवं ओएमडीसी

इन कंपनियों ने पहले ही सेवोत्तम मॉडल के अनुसार शिकायतों की प्राप्तियां एवं समाधान करने की ऑनलाइन प्रणाली शुरु कर दी है। बीसीजी की वेबसाइट www.birdgroup.gov.in पर जन शिकायतों को ऑनलाइन समाधान करने के लिए सात सूत्रीय मॉडल ''सेवोत्तम'' प्रदान किया गया है।

अनुलग्नक – XVII

हाल ही की महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां

क्र. सं.	मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखापरीक्षा टिप्पणी का सारांश	
10	इस्पात मंत्रालय स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	5.1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के पास 31 मार्च 2014 की स्थिति अनुसार 778.82 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 23 संयुक्त उद्यम कंपनियां थीं। केवल सात पूर्ण रूप से कार्य कर रही थीं जिनमें से केवल 3 लाभ कमा रही थीं। चार संयुक्त उद्यम कंपनियां, एक भिलाई और अन्य बोकारों में जेपी सीमेंट लिमिटेड (जेसीएल) के साथ हैं जो सेल के इस्पात संयंत्र से निकलने वाले उप–उत्पाद स्लैग के इस्तेमाल से सीमेंट का उत्पादन करती हैं। यह पाया गया कि सेल एक करार के तहत संयुक्त उद्यम कंपनी को स्लैग की आपूर्ति बाज़ार भाव से बहुत कम कीमत पर कर रहा था, जिसके फलस्वरूप सेल को 2013–14 तक 156.58 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
11.	इस्पात मंत्रालय स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	5.2	सेल द्वारा प्रचालित पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में 33 कोक ओवन बैटरियां (सीओबी) हैं। कोक ओवन बैटरियां कोयले को कोक में तब्दील करती हैं जिसका ब्लास्ट फर्नेसों में तप्त धातु का उत्पादन करने के लिए एक प्राथमिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह पाया गया कि कोक ओवन बैटरियों की मरम्मत एवं रखरखाव में देरी के कारण इनका कार्य निश्पादन सेल द्वारा निर्धारित मानकों से काफी कम था। वर्ष 2009–14 की अवधि के दौरान कोक का उत्पादन 3,320 मीट्रिक टन कम हुआ। इसी तरह, कोक ओवन गैस की उपलब्धता भी कम हुई, जो कि कोक ओवन बैटरियों के कार्बनीकरण के दौरान एक उप–उत्पाद तैयार होता है, जिसके फलस्वरूप 2009–13 के दौरान 2,340 मीट्रिक टन विक्रेय इस्पात की उत्पादन क्षति हुई और 202.85 करोड़ रुपये के फर्नेस ऑयल की अतिरिक्त खरीद भी करनी पड़ी। यह भी पाया गया कि जहां मरम्मत और रखरखाव किया गया था, वहां भी कोक ओवन बैटरियों का कार्य निष्पादन गारंटीकृत कार्य निष्पादन मानकों से कम था।

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

www.steel.gov.in

Contad/Nutech